मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2015 सत्र

मंगलवार, दिनाँक 28 जुलाई 2015

भाग-1

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वर्ग 2 : सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, संस्कृत, पर्यटन, प्रवासी भारतीय, जल संसाधन, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, ऊर्जा, नवीन एवं नवनीकरणीय ऊर्जा, जनसंपर्क, खनिज साधन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा)

ओरियंट पेपर मिल, अमलाई पर बकाया जलकर की वसूली

1. (*क्र. 2552) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ओरियंट पेपर मिल, अमलाई, जिला शहडोल के उपर जलकर की कितनी राशि बकाया है? संपूर्ण विवरण दीजिए। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संस्थान द्वारा जलकर की राशि जमा न किये जाने का क्या कारण है? विवरण बतायें। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के राशि को जमा न करने के लिये क्या मा. न्यायालय द्वारा कोई स्थगन जारी किया गया है? यदि हाँ, तो प्रकरण क्रमांक, न्यायालय का नाम, आदेश की छायाप्रति दीजिए? **(घ)** म.प्र. शासन द्वारा प्रश्नांश **(क)** के जलकर वसूली के लिये विगत दो वर्ष में क्या-क्या प्रयास किये गये, पत्राचार की छायाप्रति दीजिए?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुरैना जल संसाधन संभाग के ठेकेदारों को भुगतान

2. (*क्र. 762) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले के जल संसाधन संभाग मुरैना में ऐसे कितने कार्य हैं, जो अधूरे पड़े हैं, जिनका अंतिम भुगतान नहीं हुआ है? जून 2015 तक की जानकारी दी जावे? **(ख)** क्या प्रमुख सचिव जल संसाधन द्वारा वर्ष 2014 में निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 2014 तक सभी कार्यों को जो जिस स्थिति में हैं, उनका अंतिम निराकरण कर दिया जावे? यदि हाँ, तो अभी तक निराकरण क्यों नहीं किया गया? **(ग)** क्या उक्त कार्यों की जिन ठेकेदारों की एफ.डी. एवं एस.डी. जमा है, उनको अविलम्ब वापस कर वेबसाइट पर डालें? उक्त प्रकरणों का आज तक निराकरण नहीं किया गया है? **(घ)** क्या शासन के निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जल संसाधन संभाग मुरैना के अंतर्गत

दिनाँक 30 जून 2015 की स्थिति में कोई कार्य अधूरा नहीं है। किसी भी कार्य का अंतिम भुगतान शेष नहीं होना प्रतिवेदित है। प्रमुख सचिव, जल संसाधन के निर्देशानुसार सभी प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। ठेकेदारों की एफ.डी. एवं एस.डी. संबंधित कार्यालय में शेष नहीं होना प्रतिवेदित होने से किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की स्थिति नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

स्वीकृत जनसंपर्क निधि हितग्राहियों के खातों में जमा की जाना

3. (*क्र. 965) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यालय मंत्री लोक निर्माण विभाग प्रभारी मंत्री जिला हरदा से अनुमोदन के बाद कलेक्टर हरदा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 464 दिनाँक 30.03.15 से 40 सांस्कृतिक मंडलों सांस्कृतिक सामग्री क्रय किए जाने हेतु 02 लाख रूपये स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के बाद भी संबंधित हितग्राहियों के बैंक खातों में स्वीकृत राशि जमा नहीं किये जाने का क्या कारण है? **(ख)** जिला योजना अधिकारी के पत्र क्रमांक/602 दिनाँक 14.05.15 अनुसार जिला कोषालय हरदा में देयक प्रस्तुत किये जाने पर देयक स्वीकार नहीं किये गये जिससे उक्त राशि लेप्स होने का अवगत कराया गया राशि लेप्स होने का क्या कारण है? **(ग)** क्या कलेक्टर द्वारा स्वीकृत राशि संबंधित हितग्राहियों के खातों में जमा कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताएं? यदि नहीं तो उसका क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) देयक कोषालय हरदा में प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 496/डीएमसी/चार/2015 दिनाँक 27 मार्च 2015 के अनुसार आयोजनेत्तर मद के देयक प्रतिबन्धित होने के कारण कोषालय हरदा द्वारा स्वीकार नहीं किये गये। **(ख)** उत्तरांश- (क) अनुसार प्रतिबन्धित होने के कारण राशि लेप्स हुई। **(ग)** पूरक बजट से राशि प्राप्त होने के पश्चात संबंधित हितग्राहियों के खाते में राशि जमा कराई जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय में M.A. एवं M.S.C. की क्लासों का संचालन

4. (*क्र. 2510) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा शहर जिसकी जनसंख्या करीब सवा लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर करीब ढाई लाख है, क्या यह उज्जैन जिले का सबसे बड़ा शहर है? क्या यहां पूर्व से स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय संचालित है? **(ख)** क्या यहां पर M.A. एवं M.Sc. की कक्षाएं संचालित नहीं होने से सैकड़ों विद्यार्थी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? **(ग)** शासन इस महाविद्यालय में M.A. एवं M.Sc. की क्लासेस कब तक संचालित कर लेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) नागदा शहर की जनसंख्या 1,00,039 एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 1,23,183 है। जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। नागदा से 20 किमी की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय, खाचरौद संचालित हैं, जहाँ विद्यार्थी एम.ए. में अध्ययन कर सकते है एवं नागदा से 55 कि.मी. की दूरी पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन तथा 60 कि.मी. की दूरी पर शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम संचालित है जहाँ एम.एससी. में विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। **(ग)** वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, नागदा में एम.ए. एवं एम.एससी. की कक्षायें प्रारम्भ करने में अभी कठिनाई है।

खनिज खदानों से प्राप्त रायल्टी एवं उसका उपयोग

5. (*क्र. 2450) श्री लाखन सिंह यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले में खनिज विभाग को 1 अप्रेल 2013 से 30 मार्च 2015 तक किस-किस खदान से कितनी-कितनी रायल्टी प्राप्त हुई है? खदान का नाम, ठेकेदार/ऐजेन्सी का नाम, खदान का रकवा एवं सर्वे नं. तथा स्थान का नाम, प्राप्त रायल्टी राशि, खदान की लीज या नीलामी किस दिनाँक से किस दिनाँक तक है, संपूर्ण जानकारी प्रदान करें? **(ख)** इन दो वित्तीय वर्षों 2013-14 एवं 2014-15 से संपूर्ण प्राप्त रायल्टी राशि का किस-किस अधोसंरचना विकास या अन्य कार्यों में खर्च किया है? उक्त संपूर्ण राशि के खर्च का विवरण दें? 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनाँक तक खनिज संपदा के अवैध उत्खनन की कहाँ-कहाँ शिकायतें मिली हैं एवं उन शिकायतों के आधार पर कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या ग्वालियर जिले में खनिज संपदा का अवैध उत्खनन बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है? क्या विभाग की सहमति है? यदि नहीं तो अवैध उत्खनन के रोकथाम हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नानुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' 'ब' एवं 'स'** में दर्शित है। **(ख)** रॉयल्टी की राशि राज्य की संचित निधि में जमा होती है। इसका व्यय विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अतः प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। जिले में प्रश्नाधीन अवधि में जहाँ कहीं से शिकायते प्राप्त हुई है, उस पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द'** में दर्शित है। **(ग)** जी नहीं। अतः सहमति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नाधीन अवधि में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द'** में दर्शाया गया है।

राजीव गांधी विद्युतीकरण कार्य में अनियमितता

6. (*क्र. 2941) श्रीमती ललिता यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है? ग्रामों का नाम, कार्य होने के दिनाँक सहित पृथक-पृथक बतायें **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में ऐसे कितने गांव शेष हैं जहाँ विद्युतीकरण का कार्य हुआ ही नहीं? उन ग्रामों का नाम व कार्य न होने का कारण बतायें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत प्रत्येक गांव में विद्युत सुचारू रूप से है अगर नहीं तो किस कारण से नहीं है? **(घ)** विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने पर कितने दिनों में विद्युत व्यवस्था के लिये ट्रांसफार्मर बदलने व ठीक करने के निर्देश हैं और क्या निर्देशों का पालन हो रहा है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के जिन ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत कार्य पूर्ण हो गये है उनकी कार्य पूर्ण होने की दिनाँक सहित ग्रामवार सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** छतरपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कोई भी अविद्युतीकृत ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है, तथापि 78 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले विद्युतीकृत क्षेत्रों/मजरों/बसाहटों/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य शेष है जिसकी सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। कार्य में विलंब होने का मुख्य कारण ठेकेदार एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री का उपलब्ध नहीं होना है। **(ग)** राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् विद्युतीकृत सभी ग्रामों में सुचारू रूप से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

(घ) विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने पर शहरी क्षेत्र में अधिकतम 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच मार्ग उपलब्ध होने पर सूखे मौसम में 3 दिन तथा वर्षा ऋतु में 7 दिन में बदलने का प्रावधान है, परन्तु यदि ट्रांसफार्मर से संबंद्ध उपभोक्ताओं पर विद्युत देयक की राशि बकाया है तो नियामानुसार बकाया राशि जमा होने पर ही ट्रांसफार्मर बदला जाता है। उक्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

<u>परिशिष्ट – "एक"</u> (पृष्ठ क्रमांक 15)

<u>शासकीय कार्यक्रमों में प्रोटोकाल का उल्लंघन</u>

7. (*क्र. 2442) श्री नीलेश अवस्थी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** किसी भी शासकीय कार्यक्रम में अतिथियों को आमंत्रित करने के क्या नियम है? नियम की छायाप्रति देवें? किसी शासकीय कार्यक्रम में क्षेत्रिय विधायक को आमंत्रित करने का अनिवार्य नियम है या नहीं बतलावें? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पाटन अंतर्गत नगर पंचायत पाटन द्वारा दिनाँक 14-02-2015 को यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजनान्तर्गत 329 लाख की लागत से सी.सी रोड एवं आर.सी.सी. नाला निर्माण के कार्य के भूमि पूजन का एक शासकीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर में यदि हाँ, तो यह बतलावें कि उक्त कार्यक्रम के आमंत्रित अतिथि कौन-कौन थे? कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? उक्त कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में किन-किन के नामों का उल्लेख था? एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में लगे शिलालेख में किन-किन के नाम अंकित किये गये? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित कार्यक्रम में क्षेत्रिय विधायक को आमंत्रित न करने एवं कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में उनके नाम का उल्लेख न कर विधायक जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने एवं प्रोटोकाल का उल्लघंन करने पर तत्कालीन नगर पंचायत पाटन जिला जबलपुर के सी.एम.ओ श्री उत्तम दुबे के विरूद्ध क्या शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई नियम नहीं बनाये गये है। क्षेत्रीय विधायकों को आमंत्रित करने के निर्देश जारी किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** एवं **(घ)** उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>फीडर सेप्रेशन के कार्य</u>

8. (*क्र. 2326) श्री दुर्गालाल विजय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्योपुर जिले में विद्युत कंपनी के संबंधित अमले व ठेकेदार ऐजेन्सी की उदासीनता के कारण निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अधिकांश फीडर सेपरेशन के कार्य अधूरे पड़े हैं? इस हेतु कौन उत्तरदायी हैं, के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? **(ख)** वर्तमान तक कौन-कौन से फीडरो/ग्रामों में फीडर सेपरेशन के कार्य अपूर्ण पड़े है/ पूर्ण हो चुके हैं की सूची उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या अपूर्ण पड़े फीडरों से संबंधित ग्रामों में उक्त कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण विद्युत एवं वोल्टेज की समस्या अब भी बनी हुई हैं? इस समस्या के समाधान हेतु उक्त अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता हैं? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या शासन प्रश्नांश **(क)** में वर्णित फीडरों/ग्रामों में फीडर सेपरेशन के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में विलंब के कारणों की जाँच करवाएगा तथा इन अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करवाएगा? इस हेतु समय-सीमा भी बतावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) श्योपुर जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत कार्य कर रही ठेकेदार एजेंसी मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके लिए उक्त ठेकेदार एजेंसी जिम्मेदार है। उक्त ठेकेदार एजेंसी द्वारा कार्य में अत्याधिक विलंब करने के कारण आदेश दिनाँक 08.06.15 से उसे जारी किया गया अवार्ड निरस्त कर दिया गया है। **(ख)** प्रश्नाधीन क्षेत्र में फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत पूर्ण किये गये फीडरों एवं ग्रामों की फीडरवार/ग्रामवार जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' एवं 'ब'** तथा अपूर्ण फीडरों एवं ग्रामों की फीडरवार/ग्रामवार जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'स' एवं 'द' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, अपूर्ण फीडरों से संबंधित ग्रामों में विद्युत प्रदाय अथवा वोल्टेज की कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में नियमानुसार मिश्रित फीडरों में 24 घण्टे एवं विभक्त हुए कृषि फीडरों में 10 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है तथा समस्त घरेलू फीडरों में 24 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। तथापि अपूर्ण कार्यों को शीघ्रपूर्ण करने हेतु पुन: निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही की जानी है, जिसके पश्चात ही अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जा सकेगा। **(घ)** उत्तरांश **(क)** अनुसार कार्य में हुए अत्याधिक विलम्ब के कारण ठेकेदार एजेंसी को जारी अवार्ड निरस्त कर दिया गया है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निविदा प्रक्रिया सितम्बर 2015 तक पूर्ण कर कार्य जून 2017 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे। उक्त परिप्रेक्ष्य में पृथक से कोई जाँच कराया जाना आवश्यक नहीं है।

भू-स्वामियों को नोटिस एवं मुआवजा राशि का वितरण

9. (*क्र. 86) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि भू-अर्जन अधिकारी, यूनिट क्रमांक-6, बाणसागर परियोजना, रीवा, म.प्र. द्वारा ग्राम उसरहा कोठार (रामस्थान) एवं घुघचिहाई तहसील रघुराजनगर की आराजी खसरा क्रमांक 298, 299 के अधिग्रहण हेतु भू-स्वामियों को नोटिस दिये गये हैं और उनके लिए प्रति हेक्टेयर नौ लाख रूपये मुआवजा राशि निर्धारित की गई है? **(ख)** क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश **(क)** में वर्णित आराजी के समकक्ष आराजी खसरा क्रमांक 1243 के भूस्वामी दीनावली पिता सरजू कोल सा. देह को भी भूमि अधिग्रहण हेतु नोटिस दिया गया है और इस हेतु प्रति हेक्टेयर 22 लाख रूपये मुआवजा राशि निर्धारित की गई है? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(क)** और **(ख)** का उत्तर हां है, तो एक ही तरह की आराजी के लिए मुआवजा राशि निर्धारण में इतना बड़ा अंतर क्यो हैं? इस त्रुटिपूर्ण मुआवजे निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? इसे कब तक ठीक कर प्रश्नांश **(ख)** के समान मुआवजा राशि निर्धारित की जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग)** जी हाँ। जी हाँ। ग्राम उसरहा कोठार की आराजी नं. 298 एवं 299 का भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के तहत म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनाँक 16.09.2011 को कराया गया। मुआवजा धारा-4 के प्रकाशन वर्ष से विगत 3 वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 की कलेक्टर गाइड लाइन में निर्धारित दरों का औसत रू. 9,16,666/- निकालकर प्रति हेक्टर भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया। आराजी नं. 1243 की धारा-4 का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र में दि. 22.06.2012 को कराया गया जिसमें प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रकाशन वर्ष 2012-13 की कलेक्टर गाइड लाइन में निर्धारित दरों के आधार पर बाजार मूल्य रू. 22,00,000/- प्रति हेक्टर निर्धारित किया गया है। प्रकाशन वर्ष 2011-12 के निकाले गए औसत बाजार मूल्य रू. 9,16,666/- एवं वर्ष 2012-13 के लिए कलेक्टर गाइड लाइन में निर्धारित दर रू.

22,00,000/- प्रति हेक्टर की दर से निकाले गए बाजार मूल्य के कारण यह अंतर हुआ है। मुआवजे की गणना भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई। इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

सेवायुक्तों को कम वेतन भुगतान किया जाना

10. (*क्र. 2535) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या तिलहन संघ के संविलियन सेवायुक्तों को तिलहन संघ में मिल रहे वेतन से कम वेतन का भुगतान संविलियन विभागों द्वारा किया जा रहा है? **(ख)** क्या तिलहन संघ के संविलियन सेवायुक्तों को तिलहन संघ में मिल रहे वेतनमान से कम वेतनमान में संविलियन किया गया है एवं कुछ को तिलहन संघ में मिल रहे वेतनमान से अधिक वेतनमान में संविलियन किया गया? यदि हाँ, तो क्यों? **(ग)** प्रश्न **(क)** एवं **(ख)** के संबंध में क्या शासन तिलहन संघ के सेवायुक्तों के वेतन तथा वेतनमान की विसंगति समाप्त करने के लिये पृथक से आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** विधान सभा अता. प्रश्न क्र. 1050 दिनाँक 09.12.2014 एवं अता. प्रश्न क्र. 563, दिनाँक 20.02.2015 में दिये उत्तर का परिपालन संबंधित नियमों द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इस हेतु शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी? और कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भरिया समाज को नियुक्ति का प्रतिशत कोटा

11. (*क्र. 1858) श्री नथनशाह कवरेती : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के नियमों के अंतर्गत भरिया समाज को नियुक्ति के लिए कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया? आदेश की प्रति रखे? **(ख)** यदि शासन के नियमों के अंतर्गत भरिया समाज के लोगों को नियुक्ति में कोटा दिया जाता है तो विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के अंतर्गत तामिया एवं पतालकोट में निवासरत भरिया समाज के लोगों को नियुक्ति में कितने लोगों को आरक्षण दिया गया है? कितने लोगों को इससे वंचित किया गया है? **(ग)** यदि वंचित रखा गया तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है और इन समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के नियम 4 (ख) में आदिम जनजातियों (बैगा, सहारिया एवं भारिया) के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया हैं, जिसमें जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड की "भारिया" जनजाति भी शामिल हैं। प्रति **संलग्न परिशिष्ट पर** हैं। इन आदिम जनजातियों के उम्मीदवारों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने पर नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया से छूट देते हुए सीधे नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया हैं। इनके लिए पृथक से कोई आरक्षण कोटा निर्धारित नहीं हैं बल्कि इन्हें अनुसूचित जनजाति के 20 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत ही नियुक्तियां दी जाती हैं। **(ख)** एवं **(ग)** प्रश्नांश "क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

परिशिष्ट - "दो" (पृष्ठ क्रमांक 18)

शराब की दुकानों का स्थानांतरण

12. (*क्र. 2819) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नरसिंहपुर अंतर्गत इतवार बाजार कंदेली एवं ग्राम डेडवारा कंदेली में संचालित शराब की दुकानें हटाए जाने संबंधी पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा प्रेषित किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त पत्र के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है कब तक उन दुकानों को अन्यत्र स्थापित कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। **(ख)** देशी मदिरा दुकान इतवारा बाजार कंदेली के लायसेंसी द्वारा इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में पिटीशन क्रमांक 7868/2015 दायर की गई है, जिसमें माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनाँक 29.05.2015 को स्थगन आदेश जारी किया गया है। ग्राम डेडवारा में संचालित देशी मदिरा दुकान झिरना का स्थान परिवर्तन कर आपत्ति रहित स्थल पर संचालित है।

स्टाप डेम/लघुडेम कचोंगरा/पाण्डरी में निर्माण

13. (*क्र. 420) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तारांकित प्रश्न क्रमांक 1893 दिनाँक 17 मार्च 2011 में भिण्ड जिले में कनेरा उदवहन परियोजना 2008 में 16.60 करोड रू. का व्यय की जानकारी दी गयी थी प्रश्नांश दिनाँक तक किस कार्य के लिए कितना व्यय किया गया? **(ख)** क्या ग्राम पंचायत कचोंगरा विकासखण्ड भिण्ड में लघु डेम निर्माण के लिये कार्य योजना तैयार की जायेगी उस पर कितना व्यय होगा? क्या क्वारी नदी पर पाण्डरी में लघु डेम निर्माण के लिए सिंचाई विभाग कार्य योजना बनायेगा? **(ग)** क्या भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पोषक तालाब लघुडेम न होने के कारण भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है? यदि हाँ, तो भूजल स्तर गिरावट को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जायेंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। प्रश्न दिनाँक तक योजना पर कार्यवार किये गये व्यय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। क्वारी नदी पर पाण्डरी में लघु सिंचाई परियोजना हेतु स्थल उपयुक्त नहीं होने से परियोजना असाध्य पाई गई है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है। **(ग)** जी हाँ। भू-जल स्तर में गिरावट होना पाया गया है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - "तीन" (पृष्ठ क्रमांक 20)

मैहर नगर में आई.टी.आई. की स्थापना

14. (*क्र. 2887) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मैहर क्षेत्र के आस-पास बड़ी संख्या में सीमेंट उद्योग होने से यहां तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं के नियोजन की संभावनायें है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर हां है तो क्या विभाग द्वारा इस क्षेत्र में युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने और उनके कौशल विकास हेतु कोई व्यवस्था की है या कोई प्रस्ताव इस संबंध में तैयार किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या लंबे समय से मैहर में पॉलीटेक्निक कॉलेज और आई.टी.आई. स्थापित किये जाने की मांग की जाती रही

है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संबंध में आई.टी.आई. स्थापना हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास व कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। **(ख)** से **(घ)** जी हाँ। मैहर में एक शासकीय आई.टी.आई. तथा एक प्रायवेट आई.टी.आई. संचालित हैं। पोलीटेकनिक कॉलेज की स्थापना की मांग नहीं की गई हैं। विभाग की नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना हैं।

मड़ीखेड़ा बांध स्थल पर कराये गये ग्राउटिंग कार्य में अनियमितता

15. (*क्र. 2235) श्री प्रहलाद भारती : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिंध परियोजना मड़ीखेड़ा पक्का बांध स्थल पर ग्राउटिंग का कार्य दिनाँक 23.06.2014 से 31.10.2014 तक वर्षा ऋतु में संपन्न कराया गया? क्या उक्त अवधि वर्षा ऋतु में आती है? क्या ग्राउटिंग कार्य वर्षा ऋतु में संपन्न कराया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसके प्रावधानों से अवगत करावें, यदि नहीं तो उक्त कार्य वर्षा ऋतु में क्यों संपन्न कराया गया, स्पष्ट करें? **(ख)** क्या ग्राउटिंग कार्य अंधे (हिडन) मेजरमेंट में दूसरे उपसंभाग के सहायक यंत्री से मेजरमेंट की जाँच कराये जाने का विभागीय निर्देश है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** अनुसार कराये गये कार्य में उक्त प्रावधानों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो किस अधिकारी से कब-कब मेजरमेंट की जाँच कराई गयी विवरण दें? **(ग)** क्या उक्त ग्राउटिंग कार्य दिनाँक 31.10.2014 को पूर्ण कर लिया गया था? यदि हाँ, तो संबंधित ठेकेदार को अंतिम बिल द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाना था, जबकि दसवें चलित देयक के माध्यम से व्हाउचर क्र. 15 दिनाँक 12.11.2014 द्वारा राशि 7000001.00 एवं ग्वारवाह चलित देयक व्हाउचर क्र. 02 दिनाँक 05.12.2014 द्वारा राशि 3703578.00 भुगतान क्यों किया गया? क्या यह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है? इनके लिये दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** क्या 05 करोड से अधिक की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदार की वित्तीय एवं भौतिक अर्हता का आकलन किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या उक्त ग्राउंटिंग कार्य करने वाले ठेकेदार की वित्तीय व भौतिक अर्हता का आंकलन किया गया था, क्योंकि संबंधित ठेकेदार को 521 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया गया है? **(ड.)** क्या संबंधित ठेकेदार पर वित्तीय एवं भौतिक अर्हता नहीं थी, इस कारण उसे लाभ दिये जाने हेतु 05 करोड से कम की निविदा जारी की गयी और भुगतान 521 लाख रूपये किया गया? अधिकारियों की मिलीभगत से नियम विरूद्ध ठेका आवंटन एवं भुगतान किया गया? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं व दोषी अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। जी हाँ। ग्राउटिंग का कार्य विभागीय स्पेसिफिकेशन के अध्याय-22 ''ड्रिलिंग एवं ग्राउटिंग'' में निहित प्रावधान के अनुसार सम्पन्न कराया गया है। इसमें ग्राउटिंग का कार्य वर्षा ऋतु में नहीं कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है। कार्य निष्पादन के दौरान कार्यपालन यंत्री (रूपांकन), सिंध परियोजना नहर मण्डल, शिवपुरी द्वारा सत्यापन किया जाना प्रतिवेदित है। **(ग)** जी हाँ। एजेंसी द्वारा कार्य का आनलाईन अंतिम देयक राशि रू.1, 07, 03, 579/- दिनाँक 12.11.2014 को फीड किया गया। पर्याप्त आवंटन के अभाव में राशि रू. 37, 03, 578/- रोक कर शेष राशि रू.70, 00, 001/- का भुगतान दशवें चलित देयक के माध्यम से किया गया। रोकी गयी राशि का भुगतान आवंटन प्राप्त होने के पश्चात दिनाँक 05.12.2014 को 11वें एवं अंतिम देयक के

माध्यम से किया जाना प्रतिवेदित है। जी नहीं। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी होने की स्थिति नहीं है। **(घ)** जी हाँ। कार्य की निविदा राशि रू.493.19 लाख होने से वित्तीय एवं भौतिक अर्हता की आवश्यकता नहीं थी। कार्य के दौरान मात्रा बढ़ने के कारण राशि रू.521 लाख का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। **(ड.)** जी नहीं। आनलाइन खुली निविदा आमंत्रण कर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के आधार पर एजेंसी का निर्धारण होने से कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

<u>खदानों में मापदण्डों के उल्लंघन से हुई गंभीर दुर्घटनाओं के संबंध में कार्यवाही</u>

16. (*क्र. 530) श्री अनिल जैन : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में स्थित स्टोन क्रैशर प्लांट इकाइयों के संचालन एवं इस हेतु लीज भूमि में खनन के दौरान हुई ब्लास्टिंग व अन्य प्रावधानों और पर्यावरण मापदण्डों के उल्लंघन के कारण वर्ष 2008 से वर्तमान तक हुई दुर्घटनाओं में आसपास के ग्रामीणों व मजदूरों की मृत्यु हुई है? यदि हाँ, तो वर्षवार, इकाईवार, खदानवार कारणों सहित ब्यौरा देवें कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को क्या-क्या राहत कब-कब दी गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित इकाइयों द्वारा शासन के द्वारा निर्धारित ब्लास्टिंग सहित अन्य प्रावधानों और पर्यावरण मापदण्डों के उल्लंघन करने के कारण हुई गंभीर दुर्घटनाओं के पश्चात इन इकाइयों के विरूद्ध क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? घटनावार विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित व अन्य संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी की समस्त इकाइयों में शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं? विस्तृत जानकारी दी जावे? **(घ)** क्या उक्त इकाइयों की लीज भूमि का सीमांकन किया गया है यदि नहीं तो इकाइयों के नाम एवं कारण बतावें तथा सीमा से अधिक खनन करने वाली इकाइयों पर क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है, इकाईवार ब्यौरा दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) खदानों में ब्लास्टिंग एवं अन्य कारणों से प्रश्नाधीन अवधि से वर्तमान तक नौ दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** पर है। पर्यावरण मापदण्डों के उल्लंघन के कारण प्रश्नाधीन अवधि से वर्तमान तक किसी प्रकार की दुर्घटना प्रकाश में नहीं आई है। खनिज साधन विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों में राहत राशि दिये जाने के प्रावधान नहीं है। **(ख)** पुलिस अधीक्षक टीकमगढ से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** पर है। **परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** में उल्लेखित दुर्घटनाओं में पुलिस विभाग द्वारा मर्ग / अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं। जिन प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं, उसमें चालान व केस नम्बर व आरोपी के नाम आदि का विवरण उपरोक्त **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** में दर्शित है। तहसील ओरछा के ग्राम भोजपुरा में श्री दीपक साहू को क्रेशर से गिट्टी बनाने के लिए पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृत है, ब्लास्टिंग एवं खदान की गहराई के संबंध में सूचना न देने, खदान पर मापदण्ड अनुरूप सीमा स्तम्भ एवं खदान दर्शाने वाला बोर्ड स्थापित न करनें, सुरक्षा की दृष्टि से खदान में कोई उपाय न करनें (व अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है) एवं पर्यावरण एवं प्रदूषण मानकों का नियमानुसार पालन नहीं करनें के बिन्दुओं पर कारण बताओ नोटिस कलेक्टर खनिज शाखा टीकमगढ द्वारा दिनाँक 22.02.2014 को लीज धारी श्री दीपक साहू को जारी किया गया था। इसके पश्चात उत्खनिपट्टाधारी से प्राप्त जवाब संतोषजनक न होने के कारण उत्खनिपट्टाधारी को रूपये 90, 000/- कलेक्टर खनिज शाखा टीकमगढ द्वारा आदेश दिनाँक 23.06.2014 से आरोपित किया गया था। अर्थदण्ड राशि जमा की गई है। उपरोक्त कारण बताओ नोटिस दिनाँक 22.02.2014 व आदेश दिनाँक 23.06.2014 व अर्थदण्ड चालान की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'**

पर है। **(ग)** प्रश्नानुसार समय समय पर जाँच की जाती है। निवाडी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत समस्त उत्खनिपट्टो / उसमें संचालित क्रेशरों की खनिज / पर्यावरण / प्रदूषण / सुरक्षा मानकों की समीक्षा हेतु संयुक्त जाँच दल का गठन करते हुए आदेश 28.02.2014 को कलेक्टर टीकमगढ द्वारा जारी किये गये हैं। इस जाँच दल में खनिज विभाग / राजस्व विभाग / प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पुलिस को शामिल किया गया है। उक्त संयुक्त जाँच दल द्वारा निरीक्षण किया गया है। **(घ)** जिला टीकमगढ के विधान सभा क्षेत्र निवाडी अंतर्गत स्वीकृत लीज इकाईयों की सीमांकन की कार्यवाही की गई है। सीमा से अधिक उत्खनन का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कुकरू को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना

17. (*क्र. 1935) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल जिले के ग्राम कुकरू को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो दर्जा देने के बाद शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है जिन पर कितना व्यय किया गया? **(ग)** यदि नहीं तो कुकरू ग्राम को कब तक पर्यटन का दर्जा दिया जावेगा? **(घ)** शासन द्वारा कौन-कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चितरंगी ब्लाक में कॉलेज की स्थापना

18. (*क्र. 11) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गत वर्ष में सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लाक में कॉलेज प्रारम्भ किया गया है? उक्त कॉलेज में सभी फैकल्टियाँ कब तक चालू कर ली जायेंगी एवं प्रोफेसर की नियुक्ति कब तक की जायेगी? **(ख)** चितरंगी कॉलेज की बिल्डिंग का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा? साथ ही आगामी सत्र में बाग कॉलेज प्रारम्भ किये जाने हेतु कौन-कौन सी फैकल्टियाँ प्रारम्भ कर दी जायेगी? क्या बाग के लिए कॉलेज बिल्डिंग की भूमि का चयन किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः शासकीय महाविद्यालय चितरंगी में सभी संकाय प्रारम्भ करने में कठिनाई है। पदों की पूर्ति संबंधी कार्यवाही लोक सेवा आयोग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** चितरंगी महाविद्यालय के भवन हेतु भूमि प्राप्त हो गई है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण किया जायेगा। शासकीय महाविद्यालय, बाग में कला संकाय प्रारम्भ किया गया है। वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की योजना नहीं है। महाविद्यालय हेतु भूमि/भवन आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुमानित विद्युत देयक जारी करना

19. (*क्र. 2108) श्री प्रताप सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को बिना रीडिंग लिये आंकलित/अनुमानित

खपत के देयक जारी कर निरंतर अनाधिकृत रूप से वसूली की जा रही है, यदि हाँ, तो क्यों, स्पष्ट करें? **(ख)** क्या जिन उपभोक्ताओं के मीटर चालू हालत में घर के बाहर लगे हुए हैं, उनसे भी आंकलित/अनुमानित खपत के नाम पर राशि वसूल की जा रही है, यदि हाँ, तो क्यों? **(ग)** विद्युत उपभोक्ताओं से आंकलित/अनुमानित खपत के नाम पर वसूल की गई राशि का समायोजन किस प्रकार किया जाता है? जबेरा/तेन्दूखेड़ा तहसील में कितने बकायादार उपभोक्ताओं से विगत एक वर्ष में राशि जमा न होने पर कुर्की की गई है? **(घ)** क्या ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से माह जून 2014 से सितम्बर 2014 के दौरान 100 यूनिट खपत वाले से 200 यूनिट तक का बिल अर्थात् दुगनी खपत दर्शाकर राशि वसूल की गई है, यदि हाँ, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जिन विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर स्थापित हैं, उनके मीटर की रीडिंग लेकर खपत के आधार पर बिल जारी किये जा रहे हैं तथा मीटर बंद/खराब पाये जाने पर ही नियमानुसार आंकलित खपत की बिलिंग की जा रही है। **(ख)** जी नहीं, जिन उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर चालू हालत में है तथा सही कार्य कर रहे हैं उनके मीटर में दर्ज खपत के आधार पर ही बिल जारी किये जा रहें हैं। **(ग)** यदि किसी उपभोक्ता द्वारा अपने देयक में आंकलित/अनुमानित खपत के संबंध में शिकायत की जाती है, तो उपभोक्ता परिसर की पुनः जाँच कर नियमानुसार आवश्यक होने पर देयक में सुधार किया जाता है। जबेरा एवं तेन्दूखेडा तहसील में विगत एक वर्ष में बकाया राशि वाले 98 उपभोक्ताओं के विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई है। **(घ)** जी नहीं। जिन उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर स्थापित नहीं है अर्थात अनमीटर्ड कनेक्शन है, ऐसे उपभोक्ताओं की शहरी क्षेत्र में 100 यूनिट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 75 यूनिट की बिलिंग आर.एम.एस. बिलिंग प्रणाली द्वारा की जाती है एवं जिन उपभोक्ताओं के परिसर में सही मीटर स्थापित है, ऐसे उपभोक्ताओं को मीटर खपत के आधार पर बिल जारी किये जाते हैं। मीटर बंद/खराब होने पर पूर्व माहों की खपत/संबद्ध भार के अनुसार औसत बिलिंग की जाती है।

<u>विधायक स्वेच्छानुदान की राशि का प्रदाय</u>

20. (*क्र. 1741) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक स्वेच्छानुदान की राशि जिन व्यक्तियों को प्रदाय की गई थी, क्या वह सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो चुकी है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** नहीं है, तो उक्त राशि संबंधित व्यक्तियों के खातों में आज दिनाँक तक क्यों नहीं पहुंची? इस देरी के क्या कारण हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार क्या कुछ अधिकारियों ने विधायक स्वेच्छानुदान की राशि वित्तीय वर्ष के अंत तक आहरित नहीं की है? यदि हाँ, तो ऐसा किन-किन कारणों से किया गया? राशि प्रदाय न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। 54 व्यक्ति शेष हैं। **(ख)** एवं **(ग)** जिला छतरपुर में सी.ई.ओ. जनपद पंचायत बिजावर एवं सी.ई.ओ. जनपद पंचायत छतरपुर में जिला योजना अधिकारी छतरपुर के कोड से कोषालय के आई.डी. क्रमांक 1162, 1164 दिनाँक 24.3.2015 को राशि प्रत्यावंटित की गई थी। दिनाँक 25.03.2015 से 29.3.2015 तक सर्वर का बन्द होना तथा दिनाँक 30.03.2015 को सर्वर खुलने किन्तु नान प्लान के देयक कोषालय द्वारा स्वीकार नहीं किये गये। दिनाँक 31.3.2015 को 2.00 बजे अपरान्ह विधायक स्वेच्छानुदान के देयकों को आहरित करने

की शासन से छूट मिली थी, किन्तु इतने अल्प समय में सर्वर धीमीगति से चलने व अन्य तकनीकी खराबी के कारण देयक संबंधित जनपदों द्वारा जनरेट नहीं किये जा सके। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पट्टाधारी के विरूद्ध कार्यवाही

21. (*क्र. 2791) श्री संजय उइके : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बालाघाट जिले के ग्राम जगनटोला तहसील बैहर में स्वीकृत मैगनीज और खनिज पट्टाधारी मेसर्स कृष्णा माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग सिंडीकेट तुमसर द्वारा भू-प्रवेश की भूमि स्वामियों की भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो खनिज पट्टाधारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं भूमि स्वामियों को कब तक मुआवजा दिया जावेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर है।

गाडरवारा तहसील के चौगान किला को आवंटित राशि

22. (*क्र. 1677) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चौगान किला जो कि एक पुरातत्व स्थल है? इसके विकास के लिए विभाग द्वारा कितनी राशि दी गई? **(ख)** इसकी निमार्ण एजेंसी कौन है एवं अभी तक कितनी राशि विकास में व्यय की गई एवं कितनी राशि शेष है? **(ग)** विकास हेतु व्यय की गई राशि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या विकास कार्य का मूल्याकंन कराया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत चौगान के किले के अनुरक्षण एवं विकास के कार्य हेतु राशि रूपये 50.00 लाख स्वीकृत की गई है. **(ख)** मेसर्स बी.एन.एस. कन्सट्रक्शन, भोपाल द्वारा स्वीकृत निविदा अनुसार राशि रूपये 49, 76, 577/- के अनुरक्षण एवं विकास कार्य पूर्ण किए गये, कोई राशि शेष नहीं है. **(ग)** जी हाँ. कलेक्टर, नरसिंहपुर ने आदेश क्रमांक 9270, दिनाँक 03/07/2015 **संलग्न परिशिष्ट** के द्वारा चौगान किले पर व्यय की गई राशि की जाँच हेतु 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है.

परिशिष्ट - "चार" (पृष्ठ क्रमांक 21)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग 19 भीकनगांव में गलत भुगतान

23. (*क्र. 1871) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग 19 भीकनगांव द्वारा दिनाँक 31.03.2012 व्हाउचर नम्बर 227 से राशि रू. 35.00 लाख का भुगतान बिल नम्बर 64 अनुसार मुकेश ग्राफिक्स खरगोन को किया गया है? **(ख)** क्या उक्त कार्य विभाग द्वारा बी.सी. बियाणी प्रोजेक्ट प्रा.लि. कम्पनी को करने हेतु अनुबंध किया गया था तथा नियमानुसार जिस सक्षम ठेकेदार से विभाग द्वारा अनुबंध किया जाता है या निविदा स्वीकृत की जाती है भुगतान उसी को किया जाता है? **(ग)** हाँ, तो क्या आर.ए. बिल नम्बर 64 में वर्णित कार्य करने में मुकेश ग्राफिक्स खरगोन सक्षम है या उक्त कार्य करने के लिए विभाग द्वारा अनुबंध किया गया है? नहीं, तो प्रश्न क्रं. **(क)** में वर्णित अनुसार भुगतान किस नियम अंतर्गत किया गया है? क्या नियमानुसार उचित है? (कृपया शासन द्वारा जारी कौन से नियम द्वारा भुगतान की गई प्रक्रिया अपनाई गई है, कृपया पत्र/नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें)

(घ) क्या विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया संदेहास्पद है? यदि हाँ, तो यह भुगतान की शासन स्तर जाँच कर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** से **(घ)** जी हाँ। परन्तु मूल ठेकेदार द्वारा जिन छोटे प्रदायकर्ताओं से मटेरियल लेकर कार्य कराया जा रहा था, उनके भुगतान ठेकेदार बैंक संबंधी समस्या से नहीं कर पा रहा था, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा था। अतः ठेकेदार के लिखित आवेदन पर ठेकेदार के रनिंग बिल के विरूद्ध राशि काट कर भुगतान किया गया, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है।

त्यौंथर सिंचाई परियोजना की लागत

24. (*क्र. 955) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 12 मार्च, 2015 के (प्रश्न क्रमांक (4023) प्रश्न **(क)** के उत्तर में बताया गया है कि त्यौंथर सिंचाई परियोजना बाणसागर परियोजना भाग है इसके लिये पृथक से कोई स्वीकृति नहीं दी गई है? तो त्यौंथर उद्वहन सिंचाई योजना की पृथक से निविदा आमंत्रित क्यों की गई? एवं क्या निविदा में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ही कार्यादेश जारी किये गये है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में किन-किन संविदाकारों को कितनी-कितनी, राशि का भुगतान कब-कब, किन-किन कार्यों के लिये किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में बताया गया था कि परियोजना से 4400 हे. में सिंचाई की गई है किंतु कृषकों से जलकर की वसूली की राशि निरंक है? क्या इससे शासन को भारी आर्थिक क्षति नहीं हुई? इसके कौन-कौन दोषी है? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। त्यौंथर उद्वहन सिंचाई परियोजना बाणसागर परियोजना का भाग है। एक ही योजना के अंतर्गत कार्यवार पृथक-पृथक निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जी हाँ। कार्यादेश निविदा में वर्णित प्रावधान अनुसार दिया जाना प्रतिवेदित है। **(ख)** कार्य हेतु विवरण अनुसार निम्न निविदाकारों को भुगतान किया गया है :-

निविदाकार का नाम	कार्य का विवरण	भुगतान राशि (रू.लाख में)
मेसर्स अनिल स्टील वर्क्स इन्दौर	त्यौंथर उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण में राइजिंग मेन, एम.एस.पाईप पूर्ण सामग्रियों के सिविल कार्य। (लम्प सम्प निविदा)	4711.29
मेसर्स विनोद कुमार शुक्ला, प्रा.लि. भोपाल	त्यौंथर उद्वहन सिंचाई परियोजना के एप्रोच चैनल, इंटेक चेम्बर, जेकवेल एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य (लम्प सम्प निविदा)	1423.67
मेसर्स एच.ई.एस. इन्फ्रा प्रा.लि. हैदराबाद	त्यौंथर उद्वहन सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर 0 से 23 कि.मी. तक तथा सम्पूर्ण नेटवर्क का सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्य। (टर्न-की निविदा)	8868.68

(ग) इस परियोजना से प्रथम बार सिंचाई वर्ष 2014-15 में की गई है। परियोजना निर्माणाधीन होने

के कारण परीक्षण के रूप में की गई सिंचाई की राजस्व वसूली नहीं की गई है। इसमें शासन को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है। अतः कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

खनिज खदानों का अवैध उत्खनन

25. (*क्र. 2034) श्री सतीश मालवीय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में प्रश्न दिनाँक से पिछले 04 वर्षों में कितनी खदानों के पट्टे जारी किये गये और कितनी खदानों के पट्टे निरस्त किये गये? खदान एवं पट्टेधारियों के जारी एवं निरस्त सहित सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या निरस्त की गई खदानों के पट्टाधारियों से शासन की राशि वसूली की जानी है? यदि हाँ, तो उन पट्टाधारियों की सूची बकायादारों के नाम व बकाया राशि सहित उपलब्ध करावें? क्या निरस्त खदानों से भी भारी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है? इसके लिए कौन दोषी है? शासन इस पर क्या कार्यवाही करेगा? **(ग)** क्या खनिज अधिकारी जिला उज्जैन के द्वारा बकायादारों से साठ-गांठ कर बकाया राशि वसूली के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है? जिससे शासन को करोड़ो की राजस्व हानि हो रही है? यदि हाँ, तो ऐसे जिला खनिज अधिकारी के विरूद्ध शासन के द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत उत्खनिपट्टों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर है। प्रश्नाधीन अवधि में कोई भी उत्खनिपट्टा निरस्त नहीं किया गया है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में कोई उत्खनिपट्टा निरस्त नहीं किया गया है। अतः निरस्त उत्खनिपट्टों से राजस्व बकाया / अवैध उत्खनन की जानकारी बताने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' में दिए उत्तर अनुसार जब कोई उत्खनिपट्टा निरस्त ही नहीं हुआ है तो निरस्त उत्खनिपट्टों से बकाया वसूली की कार्यवाही करने एवं शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकृत किए जाने का प्रावधान

1. (क्र. 12) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिंगरौली जिले में चितरंगी विधानसभा अन्तर्गत ऐसे कितने ग्राम हैं जो विद्युत विहीन हैं? ग्रामों की सूची दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित विद्युत विहीन ग्रामों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर विद्युतीकरण का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें? **(ग)** क्या ग्राम हरमा, खैरहनी, माचीखुर्द, पिडरिया, सिधार, सिल्फोरी आदि ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? यदि हाँ, तो विवरण दें? **(घ)** 12वें वित्त योजना से जारी कार्यादेश के कार्य किस कम्पनी द्वारा किये जा रहे हैं एवं उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे? जानकारी उपलब्ध करायें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिंगरौली जिले में चितरंगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 5 ग्राम अविद्युतीकृत हैं**,** जिनकी **सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शाए अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश **(क)** में उल्लेखित अविद्युतीकृत ग्रामों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया गया है। ग्रामवार प्रस्तावित कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शाए अनुसार** है। उक्त योजना की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्रतिक्षित है। **(ग)** जी हाँ, ग्राम हरमा, खैरहानी, माचीखुर्द, पिड़रिया, सिंधार, सिल्फोरी आदि ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में दर्शाए अनुसार** है। **(घ)** जिला सिंगरौली में विद्युतीकरण हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं है अपितु सिंगरौली जिले हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्रतिक्षित है, अत: कार्य पूर्ण किये जाने की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "पांच"

सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा टमस नदी से पानी लिया जाना

2. (क्र. 93) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में रिलायन्स सीमेन्ट, मैहर सीमेन्ट, के.जे.एस. सीमेन्ट, सतना सीमेन्ट, जे.पी.भिलाई सीमेन्ट द्वारा किसकी अनुमति से टमस नदी से प्रतिदिन कितना पानी लिया जा रहा है? **(ख)** क्या सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा औद्योगिक/निजी निस्तार हेतु टमस नदी का पानी निकालने से हर वर्ष गर्मियों में मैहर एवं सतना नगर में पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है? **(ग)** सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा पानी निकालने के एवज में शासन को जल कर के रूप में प्रतिमाह कितनी राशि दी जा रही है कम्पनीवार बतायें? कितनी राशि जल कर की सतना सीमेन्ट वर्क्स एवं अन्य फैक्ट्रीयों पर नगर निगम व शासन की बाकी है तथा किस दर पर पानी मिल रहा है? दर कब से है? क्या दरें बढ़ायी जावेगी? **(घ)** यदि सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा बिना शासन की अनुमति के तथा बिना जल कर दिये टमस नदी का पानी लिया जा रहा है तो शासन कम्पनी प्रबंधन एवं संबंधित विभागों के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा? और कब तक बतायें? इन फैक्ट्रीयों में जल कर राशि की

वसूली हेतु नगर निगम व शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी, नहीं की गयी तो दोषी कौन? **जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क)** से **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ'' अनुसार** है। जी नहीं। गर्मियों में पेयजल की कमी होने पर औद्योगिक जल प्रदाय बंद करने का नियमों में प्रावधान है। जल दर बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - ''छः''

औद्योगिक इकाइयों में नदी का पानी उपयोग करने के प्रावधान

3. (क्र. 94) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या औद्योगिक इकाइयों द्वारा नदी के पानी का उपयोग करने संबंधी प्रावधान है? **(ख)** क्या औद्योगिक इकाइयों नदियों से सीधे पानी ले सकती हैं? क्या इसके लिये किसी अनुमति की आवश्यकता होती है? कौन सा शासकीय विभाग इसकी मानिटरिंग करता है? **(ग)** क्या सतना जिले में गर्मियों में गंभीर संकट हो जाता है टमस नदी से सतना सीमेन्ट, जे.पी.सीमेन्ट, मैहर सीमेन्ट सन् 1980 से रिलायन्स एवं के.जे.एस. सन् 2010 से निरन्तर औद्योगिक प्रयोजन हेतु पानी निकाल रहे है? **(घ)** इन उद्योगों द्वारा पानी का बिल किस संस्था को भुगतान किया जा रहा है तथा कितना किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। जल संसाधन विभाग। **(ग)** एवं **(घ)** जी नहीं। पेयजल संकट उत्पन्न होने पर औद्योगिक जल प्रदाय बंद कर पेयजल आपूर्ति बनाए रखने की शासन नीति है। टमस नदी से जल लेने तथा भुगतान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार** है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - ''सात''

विकासखंड भीकनगाँव में तालाब निर्माण

4. (क्र. 111) श्री सचिन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड भीकनगाँव के ग्राम अंदड में एदलाबाद तालाब के निर्माण की मांग प्रश्नकर्ता एवं स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा करने पर क्या सिंचाई विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खरगोन द्वारा उक्त तालाब का सर्वे किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक की गई कार्यवाहीवार एवं दिनाँकवार जानकारी बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार एदलाबाद तालाब के निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ होने के उपरांत भी स्वीकृति समय पर नहीं मिलने के क्या कारण हैं? इनमें कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में कब तक कार्यवाही पूर्ण कर उक्त तालाब की स्वीकृति कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ? समय-सीमा बतायें । नहीं तो कारणों का उल्लेख करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग)** ग्राम अंदड़ में एदलाबाद तालाब के निर्माण की मांग मान. प्रश्नकर्ता एवं स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा की गई। चिन्हित स्थल का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग कसरावद द्वारा दिनाँक 08.06.2014 को किया गया। प्रस्तावित स्थल पर जलग्रहण क्षेत्र 1.5 वर्ग कि.मी. होने तथा जल आवक न्यूनतम होने के कारण

परियोजना साध्य नहीं पाई गई। अतः कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

मध्यप्रदेश की आय में बढ़ोत्तरी हेतु वैट का प्रावधान

5. (क्र. 115) श्री सचिन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2008 से आज तक मध्यप्रदेश सरकार की आय में बढ़ोत्तरी किये जाने के लिए कौन-कौन सी चीजों पर कितना-कितना वैट कब-कब लगाया गया और इससे प्रतिवर्ष कुल कितनी-कितनी बढ़ोत्तरी आय में हुई वर्षवार जानकारी दें? **(ख)** वर्षवार बतायें कि प्रश्नांश **(क)** में दर्शित समयावधि में केन्द्र सरकार से कब-कब कितनी-कितनी कुल राशि राज्य सरकार को किस-किस कार्य हेतु प्राप्त हुई? **(ग)** अप्रैल से अक्टूबर, 2014 के अंतराल में क्या आय में बढ़ोत्तरी हुई थी? यदि हाँ, तो कितनी? यदि नहीं तो कितना घाटा था? स्पष्ट जानकारी दें? **(घ)** क्या प्रदेश सरकार ने माह दिसम्बर, 2014 में बजट घाटे की पूर्ति किये जाने हेतु पेट्रोल, डीजल एवं अन्य वस्तुओं पर वैट बढ़ाया था? यदि हाँ, तो कितने घाटे की पूर्ति हेतु या फिर कोई और कारण थे? **(ड.)** प्रश्नांश **(ग)** अनुसार वैट से कुल कितनी अतिरिक्त आय प्राप्त हुई? क्या सरकार जीएसटी की मंशा हेतु रेवेन्यू प्राप्त करना चाहती थी? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार** है। वेट बढाये जाने के पश्चात् आय में हुई बढ़ोत्तरी की जानकारी पृथक से वस्तुवार संधारित नहीं की जाती है। **(ख)** केन्द्र सरकार की "मिशन मोड प्रोजेक्ट" कमर्शियल टैक्स के अन्तर्गत विभाग को केन्द्र सरकार द्वारा कम्प्यूटरीकरण की परियोजना हेतु कुल राशि रूपये 42.48 करोड़ प्रदाय की गई है। वर्षवार राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-बी अनुसार** है। जी हाँ। अप्रैल से अक्टूबर 2014 के अंतराल में आय में 1322.00 करोड़ रूपये की प्रावधिक बढ़ोत्तरी हुई थी। **(घ)** प्रदेश में विकास कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दिनाँक 20.12.2014 से डीजल (एच.एस.डी.) पर वेट 23 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तथा पेट्रोल पर वेट 27 प्रतिशत से 31 प्रतिशत किया गया है। **(ड.)** प्रश्नांश "ग" अनुसार वेट से 117.88 करोड़ रूपये की प्रावधिक अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। जीएसटी लागू होने पर ही राजस्व के संबंध में आंकलन किया जा सकेगा।

परिशिष्ट - "आठ"

औंकारेश्वर नहर परियोजना की भूमि पर अतिक्रमण

6. (क्र. 132) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बड़वाहा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत औंकारेश्वर नहर परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण की गई थी। यदि हाँ, तो उक्त परियोजना में ग्राम डेहरिया में किसी शासकीय एवं निजी भूमियों का अधिग्रहण किया गया है? **(ख)** औंकारेश्वर नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम डेहरिया की भूमि पर किन व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? उसकी जानकारी दी जावे? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के अनुसार अतिक्रामक के विरूद्ध विभाग द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है। विभाग द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने के लिये कहाँ-कहाँ पत्र व्यवहार किया गया है एवं प्रश्न दिनाँक तक कितना अतिक्रमण हटाया गया है एवं कितना हटाया

जाना शेष है ? अतिक्रमण न हटाने के क्या कारण रहे हैं एवं कितने समय में शेष अतिक्रमण हटाया जावेगा ? समय-सीमा बताई जावे। क्या अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध सिविल जेल का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या नियमानुसार जेल की कार्यवाही की जावेगी? संपूर्ण जानकारी दी जावे।

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। परियोजना के लिए ग्राम डेहरिया में 4 हितग्राहियों की 8.373 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उक्त ग्राम में नहर निर्माण हेतु शासकीय भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। **(ख)** ओंकरेश्वर नहर परियोजना के किनारे पर ग्राम डेहरिया में श्री देवेश पिता सुरेश सिंह ठाकुर द्वारा खसरा नं. 04 पर लगभग 0.54 हेक्टेयर में अतिक्रमण किया गया था, जिसे दिनाँक 24/06/2015 को हटा दिया गया है। **(ग)** अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा तहसीलदार बड़वाह को दिनाँक 08/12/2014 को पत्र लिखा गया था। दिनाँक 24/06/2015 को अधिगृहित भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वतंत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पदस्थापना

7. (क्र. 167) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के तहसील उचेहरा में विगत दो वर्ष पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का पद स्वीकृत किया गया किन्तु स्वतंत्र S.D.M. की पदस्थापना नहीं होने से ग्रामीण जनता को परेशानी हो रही है? न्यायालयीन कार्य प्रभावित हो रहे है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में उचेहरा तहसील में स्वतंत्र S.D.M. की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी बताएं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जनभागीदारी योजनांतर्गत स्वीकृत राशि

8. (क्र. 237) श्री मेव राजकुमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनभागीदारी योजना के क्या नियम हैं? योजना में कौन-कौन से कार्य लिए जा सकते हैं? **(ख)** खरगोन जिले की विधानसभा क्षेत्रवार वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक जनभागीदारी योजनांतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के एवं कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से निर्माण ऐजेन्सी के द्वारा कराये गये? **(ग)** प्रश्न **(क)** के संदर्भ में कितने कार्य पूर्ण हुये, कितने कार्य अपूर्ण है एवं कितने कार्य वर्तमान में अप्रारंभ है? पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों पर कितना व्यय किया गया? क्या कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये? यदि नहीं तो कितने शेष है? **(घ)** अपूर्ण निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होना था? क्या यह सही है कि निश्चित समयावधि में निर्माण ऐजेन्सी के द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये गये? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? निर्माण ऐजेन्सी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' पर** है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' पर** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' पर** है। **(घ)** कार्य की प्रकृति के आधार पर ही कार्य पूर्ण करने का समय निर्धारित होता है। निर्वाचन के कारण आचार संहिता के लागू होने के कारण कुछ कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। निर्माण एजेन्सियों से कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर (गांधीनगर) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन

9. (क्र. 238) श्री मेव राजकुमार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महेश्वर विधान सभा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर (गांधीनगर) की समस्याओं के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा एवं प्राचार्य द्वारा कब-कब पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया एवं कौन-कौन सी समस्याएं विभाग के समक्ष रखी गई? **(ख)** शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर (गांधीनगर) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस वर्ष से संचालित किया जा रहा है? कितने पद स्वीकृत है, कितने पद भरे हुये है एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त है? **(ग)** प्रश्न **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में शासन स्तर से समस्याओं के निराकरण एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अनुसार स्वीकृत पद के अनुरूप पद पूर्ति हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्न **(क)** के संदर्भ में शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर की समस्याओं के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में विभाग द्वारा निर्मित छात्रावास बनकर तैयार है किन्तु छात्रावास आज दिनाँक तक प्रारंभ नहीं हो सका जिसके कारण भवन खराब होने की स्थिति में आ गया एवं छात्रावास में आवश्यक संसाधन फर्नीचर, पलंग, बिस्तर, सामग्री भी उपलब्ध नहीं है? **(ड.)** यदि हाँ, तो कब तक छात्रावास में आवश्यक सुधार होकर समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाकर छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 891, दिनाँक 07.03.2015 एवं प्राचार्य द्वारा पत्र क्रमांक निरंक, दिनाँक 02.03.2015 द्वारा विभाग को लिखा गया, जिसमें विविध समस्याओं का उल्लेख है। **(ख)** शासकीय महाविद्यालय मण्डलेश्वर (गांधीनगर) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वर्ष 1994-95 से संचालित किया जा रहा है। शैक्षणिक वर्ग में सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल के कुल 15 पद स्वीकृत हैं, 12 पद भरे हुये हैं एवं 03 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। अशैक्षणिक वर्ग में कुल 03 पद स्वीकृत हैं, जो कि रिक्त हैं। **(ग)** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संचालन स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों द्वारा संपादित किया जा रहा है। शैक्षणिक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से विज्ञापन दिनाँक 09.07.2014 को जारी हो चुका है, अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया प्रचलन में है। अशैक्षणिक पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल को भेजा गया है चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने पर पद पूर्ति की जावेगी। दोनों प्रकार के पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। **(घ)** कलेक्टर जिला खरगोन की अध्यक्षता में जनभागीदारी समिति की तीन बैठकों में छात्रावास भवन मरम्मत, विद्युत व्यवस्था सहित पेयजल व्यवस्था, अधूरी बांउड्रीवाल निर्माण, शौचालय निर्माण तथा वाहन पार्किंग शेड हेतु कुल राशि रूपये 137.53 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही छात्रावास में आवश्यक संसाधन फर्नीचर आदि हेतु शासन स्तर से राशि रूपये 2.00 लाख स्वीकृत की गई है। **(ड.)** जनभागीदारी योजना के तहत छात्रावास भवन मरम्मत (प्राक्कलन रूपये 7.06 लाख) कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, महेश्वर को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। छात्रावास मरम्मत पश्चात् विद्युतीकरण व्यवस्था, मरम्मत कार्य किया जावेगा। छात्रावास भवन में पेयजल व्यवस्था हेतु पी.एच.ई. विभाग द्वारा पाइप लाइन, पानी की टंकियों आदि की कार्यवाही जारी है।

महाविद्यालय के पास विभिन्न खातों में जमा राशि

10. (क्र. 258) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मन्दसौर-रतलाम-नीमच जिले में प्रश्न दिनाँक तक किन-किन महाविद्यालयों के पास

विभिन्न खातों में कितनी राशि जमा है? **(ख)** क्या खातों में लाखों रूपये की राशि होने के बावजूद महाविद्यालयों में पेयजल विद्यार्थी केन्टीन, प्रयोगशाला उपकरण, खेल सामग्री, कम्प्यूटर जैसी मूलभूत समस्याओं का अभाव है? यदि हाँ, तो इस और विभाग क्या प्रयास कर रहा है? **(ग)** महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय विकास हेतु 1 जनवरी 2013 के पश्चात् कब-कब बैठक आयोजित की? इनमें कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे? **(घ)** क्या उक्त जिलों में महाविद्यालय की भूमि पर अन्य शा. विभागों ने अन्य प्रयोजनों हेतु भवन बना लिये हैं? क्या यह उचित है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, महाविद्यालय में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिंचाई जलाशय की कच्ची नहरों को पक्का किया जाना

11. (क्र. 296) श्री जतन उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा प्रदेश में निर्मित सिंचाई जलाशय की कच्ची नहरों को पक्का (सीमेंटीकृत) कर पानी को अपव्यय से बचाने की कोई कार्य योजना कार्यान्वित की गई है? **(ख)** यदि हाँ,, तो इन समस्त जलाशयों की नहरों का कब तक पक्का निर्माण कर लिया जावेगा? **(ग)** पांढुर्णा तहसील की कितने जलाशयों की नहरों का पक्का/सीमेंटीकृत कर दिया गया है? तथा कितने नहरों का कार्य होना शेष है? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? क्या इसके लिये किसी अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी भी नियत की जाती है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पीएमटी 2013 के फर्जीवाड़े में व्यापम अध्यक्ष की भागीदारी

12. (क्र. 374) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या क्राइम ब्रांच इंदौर ने पत्र दिनाँक 8 जुलाई 2013 से व्यापम की 2013 की पीएमटी परीक्षा में फर्जीवाडे की जानकारी दे दी थी? **(ख)** व्यापम अध्यक्ष की पीएमटी 2013 की परीक्षा में फर्जीवाडे की जानकारी होने के बाद उन्होंने डायरेक्टर्स की बैठक आयोजित क्यों नहीं की? विधि विशेषज्ञों से राय क्यों नहीं की? विभागीय जाँच पड़ताल किये बिना 13 जुलाई 2013 को परीक्षा परिणाम क्यों घोषित कर दिया? **(ग)** क्या व्यापम अध्यक्ष को यह पता लग गया था कि परीक्षा कन्ट्रोलर पंकज त्रिवेदी क्राइम ब्रांच की जाँच के दायरे में है? यदि हाँ, तो उन्होंने परीक्षा-परिणाम प्रावीण्य सूची की जिम्मेदारी उसे क्यों दी? **(घ)** प्रश्नंश **(ग)** का उत्तर यदि नहीं तो बतावें कि व्यापम अध्यक्ष ने गृह विभाग से यह पता लगाने का प्रयास क्यों नहीं किया कि कौन-कौन अधिकारी के नाम जाँच और पूछताछ में उजागर हुये हैं?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से **(घ)** की जानकारी एकत्र की जा रही हैं।

जनसंपर्क निधि की राशि लेप्स होना

13. (क्र. 448) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में जिला पंचायत कार्यालय सतना में मंत्री जनसंपर्क निधि की राशि वित्तीय वर्ष

2014-15 में विधानसभा क्षेत्रवार कितनी-कितनी उपलब्ध कराई गई थी? **(ख)** क्या संबंधित माननीय विधायकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि से स्वीकृत हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत में समय से पूर्व जमा कर दिये गये थे? **(ग)** यदि हाँ, तो जिला पंचायत द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री से कब अनुमोदन कराया गया एवं अनुमोदन पश्चात् कलेक्टर सतना के पास किस दिनाँक को नस्ती स्वीकृति हेतु भेजी गई, पूर्ण विवरण बताऐं? **(घ)** क्या कलेक्टर सतना द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनाँक 31 मार्च 2015 को नस्ती में हस्ताक्षर किये गये एवं जिला पंचायत द्वारा विलंब से जनपद पंचायतों में स्वीकृत आदेश भेजने के कारण राशि लेप्स हो गई? क्या दोषी कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं प्रभारी लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिससे भविष्य में लापरवाही न करे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एड फैक्टर्स पी.आर. प्रायवेट लिमि. मुंबई को स्वीकृत कार्य

14. (क्र. 477) श्री बाला बच्चन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** एड फेक्टर्स पी.आर. प्राईवेट लिमिटेड मुंबई को दि. 01-01-13 से 15-6-15 तक किन कार्यों के लिए अनुबंधित किया गया? **(ख)** जून 2015 में आयोजित कृषि महोत्सव के लिए बनाये गये कृषि ग्राम के लिए उपरोक्त फर्म को किए भुगतान की जानकारी देवें? गायक एवं गीतकार को भुगतान की गई राशि की जानकारी पृथक से देवें? **(ग)** उपरोक्त कृषि गान के जारी विज्ञापन की छायाप्रति देवें? यह भी बतावें कि इसके लिए किन गायकों/गीतकारों/कंपनियों ने प्रस्ताव दिए थे? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** अनुसार यदि इसके लिए विज्ञापन जारी नहीं किया तो किस आधार उपरोक्त फर्म को यह कार्य दिया गया? इसके दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मेसर्स एड फेक्टर्स पी.आर. (एडवरटाइजिंग) प्रा.लि. मुम्बई एक वर्ष के लिये निम्न कार्यों के लिये पैनलबद्ध है :- (1) सोशल मीडिया वर्क (2) एडवरटाइजिंग एजेंसी सेवाएं (3) क्रिएटिव प्रोडक्शन। **(ख)** म.प्र. गान के रचयिता वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार श्री महेश श्रीवास्तव द्वारा कृषि गान लिखा गया। गान को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर के गायक श्री शंकर महादेवन से गवाने का निर्णय विशेषज्ञों की समिति की सलाह पर लिया गया। (अ) कृषि गान के लिये फर्म मेसर्स एड फेक्टर्स पी.आर. प्रा.लि., मुम्बई के माध्यम से कार्य कराया गया और निम्नानुसार भुगतान किया गया :- (1) गायक श्री शंकर महादेवन एवं पियूष कनोजिया रूपये 20.00 लाख (2) स्टूडियो फीस रूपये 5.00 लाख (3) कोरस रूपये 1.00 लाख (4) लाईव स्ट्रींग सेक्शन रूपये 3.00 लाख (5) प्रोग्रामिंग एण्ड स्टूडियों इंजीनियर रूपये 1.50 लाख (6) लाईव इंस्ट्रमेंट रूपये 3.50 लाख (7) विविध व्यय (कन्वेंश एण्ड फूड) रूपये 1.00 लाख (8) एजेंसी फीस रूपये 3.00 लाख (9) सर्विस टैक्स रूपये 4, 69, 680/- (ब) गीतकार को रूपये 2, 00, 000/- का भुगतान किया गया है। **(ग)** इस प्रकार के कार्यों के लिये टेन्डर जारी करने की परम्परा नहीं है। विशिष्ट कार्यों के लिये विख्यात कलाकारों से कार्य करवाया जाता है। इस प्रकार के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार किसी प्रकार की निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। इसलिए विज्ञापन नहीं जारी किया गया। पैनलबद्ध फर्म के माध्यम से कार्य किया गया। **(घ)** प्रश्नांश "ग" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पर्यटक मार्ग के आवागमन की बहाली

15. (क्र. 612) श्री संजय पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कटनी जिले के बरही से मैहर मार्ग पर छोटी महानदी पर स्थित पुल को विगत एक वर्ष पूर्व भारी वाहन, चार पहिया छोटे वाहन के आवागमन हेतु बंद कर दिया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनाँक तक पुल को ठीक कराकर आवागमन बहाल किया गया है? नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या प्रश्नाधीन पुल के ठीक होने में हो रहे अत्यधिक विलंब को दृष्टिगत रखते हुये परिवर्तित मार्ग बनाकर उक्त अति महत्व के इस पर्यटक मार्ग का सुलभ आवागमन बहाल किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग)** जी नहीं। निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कराया गया है। जी नहीं। पुल के सुधार कार्य के पूर्व परिवर्तित मार्ग बनाने की कोई योजना नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

पर्यटन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य

16. (क्र. 679) श्री राजेश सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पर्यटन विकास निगम द्वारा इन्दौर जिले में व इसके आस-पास स्थित पर्यटन की दृष्टि से पहचाने जाने वाले केन्द्रों का भी विकास (सौन्दर्यीकरण) करने की कोई योजना प्रस्तावित है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के संदर्भ में इन्दौर देवास मार्ग पर स्थित क्षिप्रा नदी के तट पर सौन्दर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष में कोई योजना बना रहा है? **(ग)** प्रस्ताव **(ख)** के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पत्र क्र. 687 दि. 15.04.15 क्षिप्रा नदी पर घाट निर्माण आदि कार्यों को कब तक स्वीकृत किया जायेगा? या आगामी सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुये जल्द सौन्दर्यीकरण किया जायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताये? **(घ)** प्रश्नांक **(ख)** के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये प्रस्तावों को कब तक योजनान्तर्गत शामिल किया जाकर स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ किये जायेगे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। जी हाँ। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। **(ग)** वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न का उत्तर उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' के संदर्भ में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

उमरिया पोलीटेक्निक कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य की जाँच

17. (क्र. 683) श्रीमती शीला त्यागी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 27 फरवरी 2015 में अतारांकित प्रश्न क्र. 72 (क्र.1802) के द्वारा प्रभारी प्राचार्य की जानकारी व कार्यवाही हेतु प्रश्न हुआ था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में प्रभारी प्राचार्य श्री शक्ति सिंह खां की प्रथम नियुक्ति शासकीय पोलीटेक्निक शहडोल में किस पद पर की गई है एवं प्रभारी प्राचार्य के पद तक पहुँचने में क्या अनिवार्य योग्यता है, क्या वे पद से रिवर्ट (अवनति) किये गये थे? **(ग)** वर्ष 2013 में प्रभारी प्राचार्य उमरिया के विरूद्ध सेवा कदाचारिताव स्वेच्छा की सजा कलेक्टर उमरिया द्वारा देकर कितनी वेतन वृद्धि संचयी, प्रभाव से रोकी गई है? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** के संदर्भ में संबंधित अधिकारी का प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध जाँच कराकर कब तक उचित कार्यवाही की जावेगी, समय-सीमा बताएं?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। **(ख)** श्री शक्ति सिंह खां नाम का कोई भी प्रभारी प्राचार्य पोलीटेक्निक महाविद्यालय शहडोल में नियुक्त नहीं है। अपितु श्री शक्ति सिंह खटीक नाम का शिक्षक पदस्थ है, जिनकी प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर पोलीटेक्निक महाविद्यालय शहडोल में की गई थी। पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य का पद स्वीकृत नहीं है तो अनिवार्य योग्यता एवं रिवर्ट (अवनति) किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** कलेक्टर उमरिया द्वारा कोई भी वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से नहीं रोकी गई है। **(घ)** श्री शक्ति सिंह खटीक प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध जाँच/विभागीय जाँच संबंधी कोई भी प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

एकीकृत वाणिज्य कर चौकियों का व्यवस्थापन व नियंत्रण

18. (क्र. 725) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कितने स्थानों पर एकीकृत वाणिज्य कर चौकी स्थापित है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित एकीकृत वाणिज्य कर चौकी के संचालन में निजी ठेकेदारों एवं विभागों की क्या भूमिका है? **(ग)** क्या एकीकृत वाणिज्य कर चौकी में वाहनों पर जुर्माने के अंतिम निर्धारण संबंधित विभाग करता है? यदि हाँ, तो निजी ठेकेदार के कार्य की क्या उपयोगिता है एवं शासन को इससे क्या लाभ है? क्या शासन स्तर से निजी ठेकेदार के कार्य संचालन एवं इनके द्वारा कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण किया जाना संभव है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही निर्धारित है? **(घ)** विधानसभा क्षेत्र में संचालित वाणिज्य कर चौकी डोंगरगांव का संचालन किस ठेकेदार के पास है एवं इनके कार्य की मॉनीटरिंग किस प्रकार की जा रही है, कृपया विवरण देवें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रदेश में 11 स्थानों पर एकीकृत वाणिज्यिक कर जाँच चौकियां स्थापित हैं। **(ख)** एकीकृत वाणिज्यिक कर जाँच चौकी के संचालन में एम.पी. बार्डर डेव्लपमेंट कंपनी लिमिटेड कंपनी, जो एम.पी. आर.डी.सी. द्वारा नियुक्त की गई है, के कर्मचारी जाँच चौकियों पर पदस्थ अधिकारियों की सहायतार्थ कार्यरत रहते हैं, कंपनी के उक्त कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की पदस्थापना विभाग द्वारा नहीं की जाती है। वाहन की शास्ति की कार्यवाही विभाग के पदस्थ अधिकारी द्वारा की जाती है। **(ग)** एकीकृत वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों पर वाहनों पर जुर्माने के अंतिम निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। जाँच चौकी स्थित बूथों पर एम.पी. बार्डर डेव्लपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्य करते हैं तथा कर्मचारियों पर कंपनी का ही नियंत्रण रहता है। **(घ)** वाणिज्यिक कर विभाग की डोंगरगांव जाँच चौकी पर एम.पी. बार्डर चैकपोस्ट डेव्लपमेंट कंपनी लिमि. द्वारा संचालन किया जाता है एवं इनके कार्य की मॉनिटरिंग एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर से क्लियरेंस उपरांत इलेक्ट्रोनिकली जनरेटेड गेटपास से की जाती है।

हरसी जल संसाधन विभाग डबरा के अधिकारियों द्वारा वाहन का नियम विरूद्ध उपयोग

19. (क्र. 748) श्रीमती इमरती देवी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अतारांकित प्रश्न क्रं. 20 (548) दिनाँक 05.12.2012 के उत्तर में हरसी जल संसाधन डबरा जिला ग्वालियर के अधिकारियों ने पृथक दृश्या आवश्यकता से अधिक समय के लिये वाहन लगाने एवं डीजल पर अधिक व्यय करने से जाँच उपरांत दोषी अधिकारियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था तथा प्रश्न क्रं. 21 (1080) दिनाँक 01.07.2014 के उत्तर में दोषी अधिकारियों

के विरूद्ध मुख्य अभियंता ग्वालियर को एक माह के भीतर वसूली के आदेश करने हेतु निर्देशित किया गया, यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों से राशि वसूलने हेतु कब कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार हरसी जल संसाधन डबरा के अधीन किन-किन अधिकारियों की जाँच कराई गई, नाम पदनाम सहित बतावें? दोषी पाये गये अधिकारियों से कितनी-कितनी राशि की वसूली कर, संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, नहीं तो क्यों नहीं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। जाँच उपरांत अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त कर प्रमुख अभियंता जल संसाधन के समक्ष दिनाँक 09.07.2014 को सुनवाई की गई। सुनवाई पश्चात् प्रमुख अभियंता के आदेश दिनाँक 28.02.2015 के द्वारा पिछले वर्षों में सिंचाई रकवे में हुई रिकार्ड बढ़ोत्तरी एवं सिंचाई राजस्व में हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुए बगैर शास्ति के वसूली के प्रकरणों को समाप्त किया गया है। अतः संबंधित अधिकारियों से कोई राशि की वसूली नहीं की गई। आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार** है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

परिशिष्ट - "नौ"

जिला ग्वालियर अंतर्गत बिलौआ क्षेत्र में लगे क्रेशरों हेतु अवैध रूप से ब्लास्टिंग

20. (क्र. 749) श्रीमती इमरती देवी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला ग्वालियर अंतर्गत बिलौआ के पास उदलपाडा, रफादपुर में लगे क्रेशरों का संचालन होने से इन ग्रामों में प्रदूषण फैलने से ग्रामवासियों में टी.बी. के मरीजों, सांस (दमा) के मरीजों की संख्या में वृद्धि तथा खदानों में पत्थर हेतु ब्लास्टिंग से श्रमिकों कि मृत्यु होने से इनकी रोकथाम के लिये गत 5 वर्षों से क्या उपाय किये गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार बिलौआ स्थित रफादपुर एवं उदलपाड़ा, चिरपुरा क्षेत्र में लगी क्रेशरों के लिये पत्थर ब्लास्टिंग करके निकालने से गत 5 वर्षों में वर्षवार किस-किस श्रमिक कि मृत्यु हुई (नाम, पता, जाति) इनमें से किस-किस श्रमिक को कितनी राशि क्षतिपूर्ति दी गई तथा किस श्रमिक कि मृत्यु होने से प्रकरण मा. न्यायालय में विचाराधीन है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत बिलौआ के पास ऊदलपाड़ा, रफादपुर ग्राम में लगे क्रेशरों का संचालन होने से इन ग्रामों में प्रदूषण फैलने से ग्रामवासियों में टी.बी. मरीजों की संख्या में वृद्धि होने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। उक्त क्षेत्र पर निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही ब्लास्टिंग कार्य हेतु निर्देश हैं। **(ख)** ग्वालियर जिले में बिलौआ स्थित रफादपुर एवं ऊदलपाड़ा, चिरपुरा क्षेत्र में लगी क्रेशरों हेतु संचालित खदानों में ब्लास्टिंग करने से वर्ष 2010-11 से 2014-15 में प्रश्न दिनाँक तक श्रमिक की मृत्यु होने संबंधी, थाना प्रभारी बिलौआ से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में मात्र 01 श्रमिक की मृत्यु हुई थी जिसका प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. श्रमिक (मृतक) का नाम - श्री प्रकाश पुत्र श्री राजाराम बंजारा, उम्र 28 वर्ष निवासी - ग्राम चुरपुरा थाना बिलौआ जिला ग्वालियर। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को प्रकरण में दोषमुक्त किया गया है अत: प्रकरण में क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

मुरैना तहसील के ग्राम पड़ावली में माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन

21. (क्र. 765) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुरैना तहसील के ग्राम पड़ावली की भूमि सर्वे क्रमांक 1104, 1103, 1123, 1105 से माफिया लगातार अवैध उत्खनन कर रहे है खनिज विभाग द्वारा लंबे समय से अनदेखी कर माफियाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्यों शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** क्या अरूण शर्मा द्वारा भूमि सर्वे नं. 1105 जो तालाब का किनारा है तथा सर्वे नं. 1123 जिसका किसी को ठेका नहीं की शिकायत की गई थी लेकिन शिकायत के बावजूद भी खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत प्रदर्शित करता है? **(ग)** शासन द्वारा ग्राम पड़ावली के किस-किस सर्वे नंबर पर पत्थर निकालनी की लीज दी गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। विभाग द्वारा अवैध उत्खनन के रोकथाम की कार्यवाही की जाती है। प्राप्त शिकायतों पर जाँच की कार्यवाही की जाती है। ग्राम पढ़ावली में प्रश्नाधीन खसरों में वर्ष 2015 में अब तक बनाये गये अवैध उत्खनन के प्रकरणों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित** है। उक्त के अलावा ग्राम पढ़ावली में पूर्व में दर्ज कराये गये अवैध उत्खनन के प्रकरणों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर** है। **(ख)** शिकायतकर्ता श्री अरूण शर्मा से प्राप्त शिकायत की जाँच कर सर्वे नंबर 1105 एवं 1123 में अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर** है। प्रकरण में कार्यवाही की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' पर** है।

वित्तीय संकट और कर्मचारियों को भुगतान में कठिनाई

22. (क्र. 808) श्री मुकेश नायक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी क्र. 6362/2014 में पारित निर्णय दिनाँक 12.12.2013 दिनाँक 07.01.2014 और 16.12.2014 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 359/2014 और 384/2014 में पारित निर्णय दिनाँक 15.01.2016 के परिपालन में अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को यूजीसी का छटवाँ वेतनमान एरियर्स सहित अब तक यथावत भुगतान नहीं दिये जाने के क्या कारण है? वित्त विभाग ने मई 2015 तक उच्चशिक्षा विभाग को माननीय न्यायालय के इन आदेशों को लागू करने के लिये कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी है? **(ख)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के बावजूद क्या कारण है कि वित्त विभाग, 2014 में सेवानिवृत्त हो चुके अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को छटें वेतनमान के अनुसार पेंशन और ग्रेच्यूटी का भुगतान करने के लिये अतिरिक्त बजट आवंटन नहीं कर रहा है और सर्वोच्च न्यायालय की लगातार अवमानना कर रहा है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी क्र. 6362/2014 (2004) में पारित निर्णय दिनाँक 12.12.2013 दिनाँक 07.01.2014 और 16.12.2014 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 359/2014 और 384/2014 में पारित निर्णय दिनाँक 15.01.2015 के परिपालन में अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को यू.जी.सी. का छटवाँ वेतनमान एरियर्स सहित अब तक अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा कर्मचारियों के छटवें यू.जी.सी. एवं गैर यू.जी.सी. वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं सम्भागीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. के द्वारा सत्यापन का कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण यथावत भुगतान नहीं किया

जा सका था। परन्तु 01 अप्रैल 2015 से यू.जी.सी. एवं गैर यू.जी.सी. छटवें वेतनमान में वेतन भत्तों का भुगतान यथावत किया जा रहा है। यू.जी.सी. का छटवाँ वेतनमान एरियर्स की प्रथम किश्त का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा। वित्त विभाग ने मई 2015 तक उच्च शिक्षा विभाग को माननीय न्यायालय के इन आदेशों को लागू करने के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि रू. 30 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रू. 265 करोड़ का वेतन-भत्ते एवं एरियर्स हेतु प्रावधान किया गया है। **(ख)** शासन के समक्ष पेंशनर्स को छटवें वेतनमान में पेंशन देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पन्ना जिले में बांधों का निर्माण

23. (क्र. 812) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पन्ना जिले में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बांध (1) चकरा बांध (2) भैसा डाल बांध, (3) कटौला बांध (4) बोरी बांध) (5) गजन्दा बांध (6) इमलिया बांध (7) चकरभटा बांध (8) बधवार कला (9) कौहाडोल (10) बधनरवा (11) चुनगुना (12) चौपरा (13) सुनवानी (14) गिटपिटा (15) हेथकुरी (16) पटना (17) लिपरी (18) टिर्री बांध (पटना तमोली) एवं ताला बांध आदि ये बांध किस दिनाँक को स्वीकृत हुए इनकी लागत क्या थी एवं किस एजेन्सी द्वारा कब इनका कार्यपूर्ण किया गया है एवं क्या इन बांधों की नहरों एवं काम पूर्ण हो चूका है यदि नहीं तो क्या कारण है एवं इसमें कौन दोषी है? **(ख)** इस क्या इन बाँधों के लिए जो किसानों की जमीन अधिकृत की थी इनका मुआवजा बांटा गया है यदि नहीं तो कितने ऐसे बांध है जिनका मुआवजा आज दिनाँक तक नहीं दिया गया इसमें कौन दोषी है और उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** इन सभी बांधों का कार्य किस कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री के संरक्षण में हुआ अधिकारी का नाम सहित जानकारी देवें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार** है। 10 सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण है। शेष परियोजनायें निर्माणाधीन होने से कोई दोषी नहीं है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार** है। मुआवजा भुगतान के लिए कृषकों के खाता एकत्रित कराना, खातों को बैंक से अभिप्रमाणित कराना एवं पटवारी से कृषकों की पहचान कराना समाचार पत्रों एवं राजपत्र में प्रकाशन की छायाप्रति प्राप्त करने आदि कारणों से भू-अर्जन एवं भुगतान में विलम्ब होना प्रतिवेदित है। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

बिजली के देयकों का सुधार

24. (क्र. 905) कुँवर विक्रम सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यालय अभियन्ता म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि. क.लि. खजुराहो द्वारा कितने कृषक/उपभोक्ताओं के बिजली देयकों का दि. 1.1.13 से प्रश्न दिनाँक तक सुधार किया उनकी कितनी संख्या है? **(ख)** राजनगर विधान सभा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के कितने बिजली बिल देयक अधिक राशि के दिये गये और उनको परेशान किया गया? **(ग)** विभाग द्वारा कृषकों के खेतों पर सिंचाई हेतु बिजली पहुँचाने बावत् कोई कार्य योजना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? **(घ)** विभाग द्वारा क्षेत्रों में बिजली कटौती क्यों की जा रही है, कारण बताये?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. खजुराहो द्वारा दिनाँक 01.01.13 से प्रश्न दिनाँक तक 2177 कृषक उपभोक्ताओं के सहित कुल 6427 उपभोक्ताओं के बिजली देयको में सुधार किया गया है। **(ख)** राजनगर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी उपभोक्ता को जान बूझकर अधिक राशि के विधुत देयक जारी नहीं किये गये है। विद्युत देयक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किये गये हैं तथा ऐसें उपभोक्ता जिनके मीटर बंद /खराब पाये गये हैं उनको विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान अनुसार, उपभोक्ता को पूर्व में जारी 3 माहों के विद्युत देयकों की औसत खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये गये हैं। यदि किसी उपभोक्ता को त्रुटिवश अधिक राशि का बिल जारी हुआ है तो प्रकरण प्रकाश में आने पर उसमें सुधार कर दिया गया है। **(ग)** कृषकों को स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हेतु वर्तमान में कृषक अनुदान योजना लागू है जिसके अंतर्गत स्थाई पंप कनेक्शन हेतु विद्युत लाईन विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिये लघु एवं सीमांत कृषकों (2 हेक्टेयर से कम भूमि धारक) द्वारा रूपये 6500 प्रति हार्स पावर तथा अन्य कृषकों द्वारा रू. 10400 प्रति हार्स पावर की दर से अंश राशि जमा करने पर रू. 1.50 लाख तक के प्राक्कलनों की शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। रू. 1.50 लाख से अधिक राशि का प्राक्कलन होने पर रू.1.50 लाख से अधिक की राशि संबंधित कृषक को जमा करनी होती है। **(घ)** वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में बिजली कटौती नहीं की जा रही है। कृषकों को सिंचाई हेतु 10 घण्टे एवं अन्य उपभोक्ताओं को 24 घण्टे प्रतिदिन बिजली प्रदान की जा रही है। तथापि कतिपय अवसरों पर विद्युत लाईनों/उपकेन्द्रो में आकस्मिक रूप से फाल्ट आने अथवा रखरखाव हेतु आवश्यक होने जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में ही विद्युत प्रदाय प्रभावित होता है किंतु यथाशीघ्र सुधार कार्य/रखरखाव कार्य पूर्ण कर विद्युत प्रदाय सामान्य कर दिया जाता है।

<u>परियोजनाओं में कार्यरत अधिकारी/किसानों के मुआवजा का भुगतान</u>

25. (क्र. 906) कुँवर विक्रम सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जल संसाधन नौगांव अन्तर्गत कितने अधिकारी/कर्मचारी कितनी परियोजनाओं में कार्यरत हैं तथा उनको किन-किन साइडों का प्रभार दिया गया तथा कब से कार्यरत है? सूची देवें? **(ख)** जिले के कितने निर्माण कार्य 01/01/2013 से जून 2015 तक प्रारंभ कराये गये जिनकी प्रगति क्या है? **(ग)** क्या किसानों की मुआवजा राशि लंबित है तथा राशि अब तक भुगतान न होने पर कौन अधिकारी-कर्मचारी दोषी हैं? **(घ)** नहरों के सुधार हेतु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितना व्यय किया गया चैन क्र. सहित समस्त विवरण दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जल संसाधन संभाग नौगांव में 1 कार्यपालन यंत्री, 4 अनुविभागीय अधिकारी एवं 18 उपयंत्री कार्यरत हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार** है। **(ख)** छतरपुर जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। पारित अवार्ड अनुसार राशि भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर को उपलब्ध करा दी गई है। मुआवजा भुगतान की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जानी है। बटांकन, नक्शा तरमीम आदि कारणों से विलंब होता है अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है। **(घ)** प्रश्नांश अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-स" अनुसार** है।

<u>प्रतिनियुक्तियों की समय-सीमा के संबंध में कार्यवाही बाबत्</u>

26. (क्र. 908) कुँवर विक्रम सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर संभाग में स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट में ऐसे कितने अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं जो प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सूची दें? **(ख)** प्रतिनियुक्ति संबंधित गाइड लाईन की प्रति उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** प्रतिनियुक्ति संबंधी निर्देश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट "एक" अनुसार** है।

परिशिष्ट – "दस"

11 के.व्ही. विद्युत लाईन की ऊँचाई

27. (क्र. 939) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मकरोनिया रजाखेड़ी ग्राम पंचायतों में किन-किन रहवासी क्षेत्रों से कितनी ऊँचाई से निकाली गई है? **(ख)** उक्त विद्युत लाईनों के नीचे विगत 01 वर्ष में कितनी दुर्घटनायें हुई है? **(ग)** यदि दुर्घटनायें हुई है तो विभाग द्वारा 11 के.व्ही. विद्युत लाईन की ऊँचाई बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही की गई हैं? **(घ)** उक्त विद्युत लाईनों की ऊँचाई कब तक बढ़ाई जावेगी? समय-सीमा बतावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सागर जिले के मकरोनिया एवं रजाखेड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत ज्योतिनगर, विद्यापुरम, कृष्णानगर, चित्रांश नगर, शंकरगढ़, कोरेगांव, बटालियन शांतिपुरम, रजाखेड़ी, ठाकुर कालोनी, आंनद नगर, दुर्गा नगर, सदभावना नगर, नेहानगर, आदर्श नगर, परमानंद नगर, शिवस्थली आदि रहवासी क्षेत्रों से निकलने वाली 11 के.व्ही. लाईने निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप उर्ध्वाधर (3.7 मीटर) एवं क्षैतिज (1.2 मीटर) दूरी सुनिश्चित करते हुए स्थापित की गई हैं। **(ख)** विगत 01 वर्ष में दिनाँक 21.11.14 को मकरोनिया सागर में एक घातक विद्युत दुर्घटना घटित हुई है। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** में उल्लेखित दुर्घटना मकान मालिक द्वारा पूर्व से स्थापित विद्युत लाईन के नीचे बिना अनुमति के मकान का निर्माण करने के दौरान घटित हुई है जिस बाबत उन्हें नोटिस भी दिया गया था। अत: पूर्व से विद्यमान मानक स्तर के अनुरूप स्थापित की गई लाईन की ऊँचाई बढ़ाने/लाईन शिफ्टिंग का कार्य तकनीकी रूप से साध्य होने एव संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमानुसार इस हेतु तैयार किये गये प्राक्कलन की राशि जमा करने के उपरांत ही किया जाना संभव है। **(घ)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ग)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान 11 के.व्ही. लाईनों की ऊँचाई बढ़ाई जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र विकास निधि के स्वीकृत कार्य की एजेंसी

28. (क्र. 967) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अन्य योजनाओं की तरह विधान सभा क्षेत्र विकास निधि से ग्रामीण क्षेत्रों के स्वीकृत कार्य की कार्य एजेन्सी सीधे सरपंच ग्राम पंचायत को नहीं बनाये जाने का क्या कारण है? **(ख)** विधान सभा क्षेत्र विकास निधि से ग्रामीण क्षेत्र के स्वीकृत कार्यों की कार्य एजेन्सी जनपद पंचायत एग्रीमेंट कराकर संबंधित सरपंच से कार्य कराती है जिससे कार्य में काफी विलम्ब होता है तो क्या विकास को गति देने के लिये अन्य योजनाओं की तरह कार्य ऐजेन्सी सीधे संबंधित ग्राम पंचायत को बनाया जावेगा? **(ग)** यदि हाँ, तो उक्त आदेश कब तक जारी कर दिये जावेगें? समय-सीमा बताएं? **(घ)** यदि नहीं तो उसका क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका 2013 की कंडिका 2.2 का पालन करते हुये 2.7 में क्रियान्वयन एजेन्सी का निर्धारण मा. विधायक के परामर्श से ही किया जाने का प्रावधान है। **(ख)** आदेश क्रमांक एफ 11-29/2006/23/योआसां दिनाँक 26.09.2006 अनुसार मा. विधायक की सहमति से विभागीय प्रणाली का अनुसरण करते हुये रूपये 5.00 लाख तक के निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराये जाते हैं। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश **(क) (ख)** अनुसार।

सतना जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कापर तार की जगह नई केबिल खींची जाना

29. (क्र. 972) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जनवरी 2012 से विद्युत कंपनी द्वारा सतना जिले के शहरी क्षेत्रों में पुरानी एल्युमीनियम कापर तार की जगह नई केविल खींची गई है या नये लौह पोल लगाये गये है? यदि हाँ, तो कौन सी योजना के तहत कार्य किया गया है? इसमें कितने किलोमीटर कार्य कराने हेतु स्वीकृत की गई थी? **(ख)** क्या स्वीकृति के अनुसार उक्त योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कितनी एल्यूमीनियम/कापर तार एवं लौह पोल निकाले गये है और उनका उपयोग कहाँ किया गया है? कितना विद्युत मंडल के भंडार में वापस किया गया है? **(ग)** क्या जिले में स्वीकृत उक्त कार्य पूर्ण किये गये है? या अभी बाकी है, तो कब तक पूर्ण किये जायेंगे और उक्त कार्य में गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का उपयोग किया गया है या नहीं? विलंब से कार्य किये जाने पर अधिकारी कर्मचारी के ऊपर क्या कार्यवाही की जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, सतना जिले के शहरी क्षेत्र में आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना एवं नॉन आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत पुरानी एल्युमीनियम/कॉपर तार की जगह नई केबिल तथा नये पोल लगाये गये हैं। इसमें कुल 439.757 कि.मी. एल.टी.लाईन का कार्य करने हेतु स्वीकृति दी गयी थी। **(ख)** कोठी एवं कोटर शहरी क्षेत्र को छोड़कर बाकी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रश्नाधीन शहरी क्षेत्र में पुरानी विद्युत लाईनों से निकाली गई सामग्री एवं क्षेत्रीय भण्डार को लौटायी गई सामग्री का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	शहरी क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य मात्रा (कि.मी.)	निकाली गई सामग्री (कि.ग्रा.)			भण्डार को वापस की गई सामग्री (कि.ग्रा.)		
				एल्युमीनियम का तार	तांबे का तार	लोहा स्क्रेप	एल्युमीनियम का तार	तांबे का तार	लोहा स्क्रेप
1	सतना शहर	आरएपीडी-आरपी	341.367	49779	-	171361	39049	--	165571
2	मैहर शहर	आरएपीडी-आरपी	48.36	11549	-	3205	11224	--	1532
3	सतना कस्बाई क्षेत्र (उचेहरा	नॉन आरएपीडी-आरपी	50.03	8220	910	-	7590	910	--

	रामपुर बघेलान, कोटर, कोठी)							
कुल योग		439.757	69618	910	174566	57863	910	167103

उक्तानुसार पुरानी विद्युत लाईनों से निकाली गई सामग्री का पुन: उपयोग नहीं किया गया है। शेष सामग्री क्रमश: भंडार को वापस की जा रही है। **(ग)** कोठी एवं कोटर शहरी क्षेत्र में स्वीकृति अनुसार आंशिक कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रश्नाधीन शेष शहरी क्षेत्रों में स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष कार्य सितम्बर-15 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है। उक्त सभी कार्यों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग किया गया है। कोठी एवं कोटर शहरी क्षेत्रों में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय स्तर पर संसाधनों एवं सामग्री की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराए जा रहे हैं, अत: विलम्ब के लिए किसी के दोषी होने अथवा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सतना जिले में उपभोक्ताओं के आधार पर नये कार्यालय की व्यवस्था

30. (क्र. 973) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन के नियमानुसार यह निर्धारित किया गया है कि कुल कितने विद्युत उपभोक्ताओं के होने पर वितरण केंद्र उपसंभाग या संभाग बनाये जाते हैं या उनमें कितने कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है? **(ख)** क्या सतना जिले के समान उपभोक्ता होने पर अन्य जिलों में कई नये वितरण केंद्र, उप संभाग और संभाग बनाये गये हैं परंतु सतना जिले में क्यों नहीं बनाये गये। सतना जिला और रीवा जिले में कुल उपभोक्ता श्रेणीवार कितने है और उनसे कितना-कितना राजस्व प्रतिमाह प्राप्त होता है? **(ग)** क्या वर्तमान में सतना जिले के समान ही उपभोक्ता होने पर दूसरे जिलों में नये वितरण केंद्र, उप संभाग या संभाग खोले गये है, तो सतना जिले में कब तक उपभोक्ता के आधार पर नये कार्यालयों की व्यवस्था की जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं। **(ख)** एवं **(ग)** जी नहीं, सतना जिले के समान उपभोक्ता होने पर नहीं अपितु भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश, उपभोक्ताओं की संख्या, राजस्व प्राप्ति, विद्यमान उपकेन्द्र एवं लाईनों का विस्तार तथा प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता आदि को देखते हुए वितरण केन्द्र, उप संभाग तथा संचालन एवं संधारण संभाग बनाए जाने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार सतना जिले हेतु भी यथासमय परीक्षण कर निर्णय लिया जा सकेगा, जिस हेतु वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सतना एवं रीवा जिले में श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या एवं उनसे प्राप्त राजस्व का माह अप्रैल, 2015 का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रूपए में)

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	जिला सतना		जिला रीवा	
		उपभोक्ता (संख्या)	मासिक राजस्व प्राप्ति	उपभोक्ता (संख्या)	मासिक राजस्व प्राप्ति
1	घरेलू	266287	874.32	203935	567.65
2	गैर घरेलू	20918	478.36	16650	254.24
3	वाटर वर्क्स	893	35.19	395	5.71

4	सड़क बत्ती	159	77.72	157	17.41
5	औद्योगिक	3515	157.72	1899	82.92
6	कृषि	69836	1064.47	45508	1137.18
7	उच्च दाब उपभोक्ता	89	5590.66	37	380.80

अवैध उत्खनन पर कार्यवाही

31. (क्र. 986) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में हाईवे-टुलेन फोरलेन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण में किन-किन कंपनियों ने गिट्टी-मुरम-रेत खनन की अनुमति वर्ष 2011 से 2014 तक प्राप्त की? ब्यौरा क्या है? **(ख)** कितनी रोड निर्माण कंपनियों के विरूद्ध अवैध खनन की कितनी व कौन-कौन सी शिकायतें उक्त अवधि में प्राप्त हुई? ब्यौरा क्या है? **(ग)** शिकायतों पर शासन ने अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की? ब्यौरा दें? **(घ)** क्या सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांचे की गई है एवं कितनी जांचे अब तक लंबित है? ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर दर्शित है। **(ख)** मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, भोपाल के विरूद्ध ग्राम आम्बा, तहसील सैलाना से अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी। **(ग)** शिकायत के आधार पर मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के विरूद्ध अपर कलेक्टर न्यायालय रतलाम में अवैध उत्खनन के प्रकरण दर्ज किए गए है, जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर** है। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित एकमात्र शिकायत की जाँच कर अवैध उत्खनन के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नहरों में पक्कीकरण/मरम्मतीकरण

32. (क्र. 1004) श्री विजयपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत कितने वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनायें संचालित हैं? नाम सहित जानकारी देवें? साथ ही क्या कोई नई सिंचाई परियोजना स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो प्रस्तावित परियोजनायें कब तक पूर्ण कर ली जावेंगी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में पूर्व से संचालित सिंचाई परियोजनाओं की नहरें क्या क्षतिग्रस्त हैं एवं कच्ची है? यदि हैं, तो कितनी? नाम सहित जानकारी देवें? **(ग)** यदि हैं, तो इनके मरम्मत हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? परियोजनावार जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में क्षतिग्रस्त कच्चे नहरों को पक्के नहरों (लाईनिंग) में परिवर्तन हेतु क्या कोई योजना प्रस्तावित है? यदि है, तो प्रस्तावित योजना कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महाविद्यालयीन सेवा के प्राचार्य प्राध्यापको को यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर राशि का भुगतान

33. (क्र. 1021) श्री हर्ष यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों को यूजीसी वेतनमान का लाभ दिया गया है किंतु अभी तक उसकी एरियर की राशि का भुगतान नहीं किया गया है? कारण बतावें? **(ख)** क्या प्रदेश में यूजीसी वेतनमान का लाभ सेवा निवृत्त प्राचार्यों को दिया गया है किंतु यूजीसी वेतनमान के एरियर की राशि का एकमुश्त भुगतान नहीं किए जाने के क्या

कारण है जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी स्वत्वों को एकमुश्त भुगतान किया जाना है? **(ग)** क्या प्रदेश में अन्य अधिकारी/कर्मचारी को छठवें वेतनमान के लाभ देने के लिए आदेशों में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को एरियर की राशि एकमुश्त भुगतान करने के आदेश दिए गए थे, यदि हाँ, तो उन्हीं आदेशों के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपने सेवानिवृत्त प्राचार्यों को यूजीसी वेतनमान पर लंबित एरियर राशि का एकमुश्त भुगतान के आदेश कब तक जारी किए जावेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। एरियर राशि की प्रथम किश्त का भुगतान राज्य शासन द्वारा अपने स्रोतों से किया गया है। शेष 80 प्रतिशत केन्द्रांश राशि, भारत सरकार से प्राप्त होने पर भुगतान की जा सकेगी। **(ख)** दिनाँक 31/01/2006 के पश्चात् सेवानिवृत प्राचार्यों को छठवें यूजीसी वेतनमान का लाभ दिया गया है शेष एरियर राशि का भुगतान भारत सरकार से 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति होने पर किया जा सकेगा। **(ग)** जी हाँ। प्रदेश में सेवानिवृत अन्य अधिकारी/कर्मचारियों को छठवें वेतनमान एवं उसकी एरियर राशि का भुगतान राज्य शासन के निर्देशानुसार हुआ है किन्तु यूजीसी वेतनमान प्राप्त सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारियों को शेष एरियर राशि का भुगतान भारत सरकार से 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति होने पर किया जा सकेगा।

ग्रीन कार्ड धारकों को नियुक्ति में दो वर्ष की आयु सीमा में छूट

34. (क्र. 1069) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दो बच्चों के बाद नसबंदी आपरेशन कराने पश्चात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दंपत्ति को जारी किये गये ग्रीनकार्ड में दंपत्ति को होने वाले लाभों में यह भी उल्लेखित है कि ग्रीनकार्ड धारक को नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट एवं आरक्षण में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी? **(ख)** क्या उपरोक्तानुसार छूट, संविदा नियुक्तियों, सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायक जैसी नौकरियों हेतु भी लागू है? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। ग्रीनकार्ड धारकों को शासकीय विभागों एवं शासन द्वारा नियंत्रित संस्थानों में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनाँक 11 जनवरी 1985 में पूर्व से है किन्तु आरक्षण में प्राथमिकता प्रदान करने संबधी कोई प्रावधान नहीं है। **(ख)** ग्रीनकार्ड धारकों को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट शासकीय विभागों एवं शासन द्वारा नियंत्रित संस्थानों में सभी सीधी भर्ती के लिए लागू है। यह एक सामान्य निर्देश है, इसमें किसी विभाग/विभागों के पद विशेष के लिए उल्लेख नहीं है।

वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को अटल पेंशन योजना में शामिल किया जाना

35. (क्र. 1149) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश राज्य में 1 जनवरी 2005 व उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन परिभाषित पेंशन योजना लागू है? **(ख)** क्या नवीन परिभाषित पेंशन योजना में शामिल कर्मचारी जिनका प्रान नम्बर जारी हो गया है, और जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है, वे स्वैच्छिक रूप से अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** यदि हाँ, तो इस संबंध में विस्तृत निर्देश क्या शासन द्वारा जारी किए गए है? यदि नहीं तो कब तक जारी किए जाऐंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। **(ख)** अटल पेंशन योजना के प्रावधान अनुसार पात्र अभिदाता किसी भी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य सरकारी सह -अंशदान प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होंगे। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तहसीलदार के विरूद्ध दर्ज प्रकरण पर कार्यवाही

36. (क्र. 1175) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो E.O.W द्वारा नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव व तेन्दूखेड़ा के तत्कालीन तहसीलदार श्री पीयूष दुबे के विरूद्ध दर्ज अपराध क्र. 38/2013 पंजी दिनाँक 09.12.2013 एवं शिकायत क्र. 48/2014 पंजी दिनाँक 10.04.2014 में वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलित है और किस स्तर पर कार्यवाही लंबित है बतावें? **(ख)** उक्त दोनों प्रकरणों की जाँच/विवेचना/परीक्षण/सत्यापन आदि किन के द्वारा कब से किया जा रहा है? प्रकरणों में असाधारण समय लगने के क्या कारण हैं? **(ग)** कब तक उक्त दोनों प्रकरणों में समुचित कार्यवाही कर, चालान पेश किया जाकर, दोषी को दंडित किया जावेगा? स्पष्ट समय-सीमा बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) अपराध क्रमांक 38/2013 वर्तमान में विवेचनाधीन में है एवं शिकायत क्रमांक 48/2014 सत्यापनाधीन है। **(ख)** अपराध क्रमांक 38/2013 पंजीयन दिनाँक 09/12/2013 एवं शिकायत क्रमांक 48/2014 पंजीयन दिनाँक 31/12/2014 के उपरांत प्रकरण की विवेचना/सत्यापन उप पुलिस अधीक्षक श्री एम.एम. तिवारी द्वारा की जा रही थी। श्री एम.एम. तिवारी दिनाँक 31/12/2014 को सेवानिवृत्त होने के उपरांत अपराध क्रमांक 38/2013 की विवेचना एवं शिकायत क्रमांक 48/2014 का सत्यापन निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी को हस्तांतरित की गई है। प्रकरण वृहद स्वरूप के है जिनकी विवेचना/जाँच गतिशील है। **(ग)** विवेचना/जाँच में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरणों का विधिसम्मत निराकरण किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

इंदौर सियागंज क्षेत्र में आबकारी विभाग के भण्डार गृह का संचालन

37. (क्र. 1207) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इंदौर के सियागंज क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) संचालित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो यह भण्डारण गृह कितने वर्गफुट क्षेत्र में फैला हुआ है? **(ख)** प्रश्न **(क)** में उल्लेखित भण्डारण गृह व उसकी भूमि मूल रूप से किसकी संपत्ति है? उक्त भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) को आबकारी विभाग किस दिनाँक से संचालित कर रहा है? **(ग)** क्या प्रश्न **(ख)** में उल्लेखित भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) को वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है अथवा नहीं? यदि उपयोग में लिया जा रहा है तो किसके द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वर्तमान में इन्दौर जिले के सियागंज क्षेत्र में स्थित भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) में विभाग द्वारा भण्डारण नहीं किया जा रहा हैं। भण्डारण गृह का क्षेत्रफल 23780 वर्गफीट है। **(ख)** प्रश्न **(क)** में उल्लेखित भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर पूर्व होल्कर स्टेट से मध्यप्रदेश पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी विभाग को वर्ष 1908 से सौंपा गया। वर्ष 1908 से ही आबकारी विभाग द्वारा उक्त भवन में भण्डारण

गृह (दारू गोडाउन) का माह मई, 2011 तक देशी मदिरा के बॉटलिंग का कार्य संपादित किया जाता रहा था। **(ग)** प्रश्न **(ख)** में उल्लेखित भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) का उपयोग माह जून, 2011 से आबकारी विभाग द्वारा 04 (चार) वृत कार्यालयों का संचालन/वृतों के जप्त मुददेमाल का संग्रहण एवं जिला कार्यालय के अभिलेखों के संधारण में किया जा रहा है।

अनुदान योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर व लाईन विस्तार कार्य

38. (क्र. 1208) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खण्डवा जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के किसानों से अनुदान योजना के तहत लाईन एवं ट्रांसफार्मर हेतु म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी ने राशि जमा कराई है? यदि हाँ, तो कितने किसानों ने राशि जमा की है? **(ख)** अनुदान योजना के अंतर्गत कितने किसानों के खेतों में लाईन विस्तार कार्य पूर्ण कर दिया गया है? कितने किसानों के खेतों में राशि जमा कराने के बाद भी ट्रांसफार्मर व लाईन विस्तार का कार्य नहीं किया गया? इसमें कौन अधिकारी दोषी है? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** जिन किसानों ने राशि जमा कराई है, उनकी कृषिभूमि में सिंचाई हेतु कब तक बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन क्षेत्र में कुल 210 कृषकों ने कृषक अनुदान योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिये स्थाई पम्प कनेक्शन हेतु राशि जमा कराई है। **(ख)** प्रश्नाधीन क्षेत्र में कुल 158 कृषकों के लिए लाईन विस्तार का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं पम्प कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं। 52 कृषकों के सिंचाई पम्पों हेतु लाईन विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य किया जाना शेष है। वितरण ट्रांसफार्मरों की समय पर अनुपलब्धता एवं पहुँच मार्ग सुगम नहीं होने के कारण उक्त कार्य में देरी हुई है। कार्य में विलंब के लिए कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है, अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** पहुँच मार्ग की उपलब्धता (Row) पर एवं वरीयता क्रमानुसार कार्यादेश की तिथि से यथासंभव 150 दिन में लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण कर प्रश्नाधीन शेष कनेक्शन दिये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

राजगढ़ विधानसभा में गोकुलपुरा बांध परियोजना की स्वीकृति

39. (क्र. 1222) श्री अमर सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में जल संसाधन विभाग द्वारा गोकुलपुरा बांध परियोजना कब स्वीकृत हुई? कब पूर्ण की गई? उसकी लागत कितनी थी? कार्य कब पूर्ण किया गया? एजेन्सी का नाम बतावें? **(ख)** क्या उक्त बांध से नहर भी निकाली गई है? **(ग)** यदि हाँ, तो राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में नहर का निर्माण किया गया है? एजेन्सी का नाम, लागत एवं कब पूर्ण किया गया बतावें? **(घ)** यदि नहीं तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है उनका नाम बतावें तथा उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या तथा यदि नहीं तो क्यों नहीं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में गोकुलपुरा परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2006 में दी गई। कार्य वर्ष 2011 में पूर्ण किया गया। परियोजना की लागत रू.568.76 लाख थी। परियोजना के बांध निर्माण की एजेंसी मे. दुर्गा एसोसिएट्स ग्वालियर तथा नहर निर्माण की एजेंसी का नाम श्री गजेंद्र सिंह चौहान चचौड़ा है।

(ख) जी हाँ। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ अंतर्गत ग्राम बांसखेड़ा एवं देहरीकराड़ में बांई तट नहर तथा ग्राम गोकुलपुरा एवं गोरियाखेड़ा में दांयी तट नहर का निर्माण किया गया है। नहर का निर्माण श्री गजेंद्र सिंह चौहान चचौड़ा द्वारा लागत रू. 55.64 लाख में वर्ष 2011 में पूर्ण किया गया है। **(घ)** कार्य के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

राजगढ़ विधानसभा में नवीन विद्युत ग्रीड की स्थापना

40. (क्र. 1224) श्री अमर सिंह यादव : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के नगर खुजनेर एवं राजगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र सवासंड़ा और धनवासकलां तथा खिलचीपुर विकासखण्ड के ग्राम सड़ियाकुआं के आसपास के कई ग्रामों में लम्बी-लम्बी दूरी से पोल लगाये जाकर विद्युत लाईन डालकर विद्युत प्रदाय की जा रही है? **(ख)** यदि हाँ, तो कितनी दूरी से उन्हें विद्युत की जा रही है? **(ग)** क्या इतनी लम्बी दूरी से विद्युत व्यवस्था किये जाने के कारण विद्युत प्रदाय किये जाने से व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे कई दिनों तक तार आदि टूटने के कारण उन्हें विद्युत नहीं मिल पाती है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या उक्त व्यवधान से बचने के लिये खुजनेर नगर में 132 के.वी. का उपकेन्द्र तथा राजगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र सवासंड़ा और धनवासकलां तथा खिलचीपुर विकासखण्ड के ग्राम सड़ियाकुआं में 33/11 के.वी. का उपकेन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि है, तो कब तक? समय-सीमा बतावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं **(ख)** राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के अन्तर्गत खुजनेर नगर को नगर में ही स्थापित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र से निर्गमित शहरी फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। राजगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र सवासंडा को लगभग 17 कि.मी. दूर स्थित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, कालीपीठ से तथा ग्राम धनवासकलां को लगभग 15 कि.मी. दूर स्थित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ (ग्रामीण) से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। खिलचीपुर विकास खण्ड के ग्राम सडियाकुआं एवं आसपास के क्षेत्र को लगभग 14 कि.मी. दूर स्थित 33/11 के.व्ही. खिलचीपुर उपकेन्द्र से निर्गमित फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इन विद्युत लाईनों के पोल निर्धारित मानक अनुसार तय दूरी पर ही लगाए गये हैं। **(ग)** जी नहीं। अपरिहार्य कारणों यथा प्राकृतिक आपदा, आंधी-तूफान आदि के कारण तार टूटने की घटनाओं को छोड़कर प्रश्नाधीन क्षेत्र में सुचारू रूप से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। **(घ)** खुजनेर नगर में 132 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य ए.डी.बी. (सेविंग) योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपकेन्द्र के कार्य को वर्ष 2016-17 के अंत तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस उपकेन्द्र के निर्माण के पश्चात् प्रश्नाधीन क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से और अधिक गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा। आगामी वर्षों में वित्तीय उपलब्धता एवं तकनीकी साध्यता अनुसार आवश्यक होने पर प्रश्नांश में उल्लेखित स्थलों सहित प्रश्नाधीन क्षेत्र के उपयुक्त स्थलों पर 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित किया जा सकेगा, अतः वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना के अंतर्गत सिवनी जिले में राशि स्वीकृति

41. (क्र. 1246) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायक एवं बीमार के

उपचार हेतु कितने आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है? **(ख)** मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से कितने लोगों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है एवं कितने लोगों का उपचार किया गया है? **(ग)** कितने आवेदन वर्तमान में लंबित है? वर्षवार विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

केवलारी विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के लिये राशि की स्वीकृति

42. (क्र. 1247) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केवलारी विधान सभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से स्थान पर्यटक के रूप में विकसित है। अमोदा गढ़ (छुई) वि.खं. सिवनी, सिद्ध घाट वि.खं. केवलारी एवं मढ़गवां वि.खं. धनौरा। **(ख)** यदि हाँ, तो क्या इन क्षेत्रों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु राशि आवंटित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या इन क्षेत्रों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु राशि आवंटित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या यह राशि विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है तथा कब तक कार्य प्रारंभ हो जायेगा यदि नहीं तो क्या शासन समुचित राशि का आवंटन उपलब्ध करायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मंडला जिले में स्वीकृत खनिज पट्टे

43. (क्र. 1255) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिले में पिछले दो वर्षों 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक कितने खनिज पट्टे स्वीकृत किये गये हैं? **(ख)** अलग-अलग मिट्टी, गिट्टी, फर्शी (फाडी) मुरम, रेत, सभी जो मंडला जिले में वर्तमान में संचालित खनिज है के पट्टे की स्वीकृति दी गई है? **(ग)** स्थान का नाम खनिज का नाम एवं रकवा खसरा, हल्का सहित जानकारी देवें? **(घ)** अवैध कारोबारियों के खिलाफ प्रश्नांश **(क)** अवधि में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितना जुर्माना वसूला गया संपूर्ण जानकारी देवें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कोई खनिपट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। इस अवधि में पांच उत्खनिपट्टे स्वीकृत किये गये है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित** है। **(घ)** प्रश्नाधीन अवधि में खनिजों के अवैध परिवहन एवं उत्खनन पर की गई कार्यवाही एवं अर्थदण्ड की संपूर्ण **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' पर दर्शित** है।

अवैध रूप से शराब बिक्री एवं अपकारी प्रकरण के संबंध में

44. (क्र. 1256) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिले की निवास विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी देशी और विदेशी शराब की दुकानें है? स्वीकृत दुकानें कहाँ-कहाँ और किस दिन और रात में कब कितने समय से कितने समय तक संचालित होती है? **(ख)** उक्त स्वीकृत स्थान के अलावा भी कहाँ अलग दुकान संचालित होती है अगर होती है तो कहाँ-कहाँ? **(ग)** अवैध कारोबार करने वालो के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ भी की गई कार्यवाही सहित संपूर्ण जानकारी देवें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है। **संलग्न परिशिष्ट-एक** में वर्णित स्वीकृत एवं संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें शासन द्वारा निर्धारित शुष्क दिवसों एवं प्रशासकीय तथा लोकहित में कलेक्टर द्वारा मदिरा दुकानें बंद करने के आदेश को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 8.30 बजे से खोली जाकर प्रातः 9.30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9.30 बजे से रात्रि में 11.30 बजे तक संचालित की जाती है। **(ख)** परिशिष्ट-एक में उल्लेखित मण्डला जिले की निवास विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत एवं संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के अलावा कहीं भी मदिरा की दुकानें संचालित नहीं है। **(ग)** मण्डला जिले की निवास विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध करोबार करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र में वर्ष 2014-15 की अवधि में अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध 311 आपराधिक प्रकरण कायम किये जाकर 1204 लीटर कच्ची शराब, 27 लीटर देशी मदिरा, 18 लीटर विदेशी मदिरा (स्प्रिट) एवं 07 लीटर बीयर जप्त की गई है। इसी तरह वर्ष 2015-16 की अवधि में माह जून, 2015 तक अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध 61 आपराधिक प्रकरण कायम किये जाकर 188 लीटर कच्ची शराब, 08 लीटर देशी मदिरा, 06 लीटर विदेशी मदिरा (स्प्रिट) एवं 04 लीटर बीयर जप्त की गई है।

परिशिष्ट - "बारह"

शासकीय महाविद्यालयों में चल रहे स्ववित्तीय पाठ्यक्रम

45. (क्र. 1273) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सतना के शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी द्वारा स्ववित्तीय पाठ्यक्रम कितने वर्षों से चलाये जा रहे हैं तथा कितने अतिथि विद्वान कार्यरत हैं? **(ख)** क्या इन पाठ्यक्रमों के लिये सहायक प्राध्यापकों के नियमित पदों का सृजन किया गया है? **(ग)** यदि नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है? यदि करेंगे तो कब तक करेंगे? समय-सीमा बतायें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के लिये सहायक प्राध्यापकों के नियमित पदों का सृजन किये जाने की कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट - "तेरह"

कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना

46. (क्र. 1280) श्री दिव्यराज सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों की सिंचाई सुविधा हेतु कितनी शासकीय संस्थायें स्थापित है व किन-किन स्थानों पर संचालित है क्या कृषकों को सिंचाई हेतु जल प्रदाय किया जा रहा है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में - यदि नहीं तो कब से कृषकों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल रही है, क्या कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदाय न होने के कारण फसल उत्पादन प्रभावित नहीं हो रहा हैं? कृपया स्पष्ट करें कि कृषक और विभाग के बीच में जल कर वसूली हेतु क्या एग्रीमेंट किये जाते है? क्या जलकर उपकर के अतिरिक्त विद्युत देयक में भी कृषकों को अदायगी करने की शर्त रखी गई है? **(ग)** प्रश्न **(क)** के ही संदर्भ में - सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत समुचित सिंचाई सुविधा कृषकों

कब तक प्रदान करायी जायेगी? सिंचाई सुविधा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में क्या कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 10 संथाएं क्रमशः ग्राम हटवा, शाहपुर, मरेला, दुलहरा, रिगारी, पटेहरा, मोहरा, गाढ़ा, बरोली एवं ग्राम जवा में स्थापित है। ग्राम पटेहरा, मोहरा, गाढ़ा, बरोली एवं जवा में उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं बंद होने के कारण सिंचाई नहीं की जा रही है। शेष ग्रामों में कृषकों को सिंचाई हेतु जल प्रदाय किया जा रहा है। **(ख)** उद्वहन सिंचाई परियोजना वर्ष 2014-15 से बंद है। कृषकों को सिंचाई सुविधा न मिलने से फसल उत्पादन प्रभावित होना स्वाभाविक है। जी हाँ। एग्रीमेंट किये जाते है। जी हाँ, राजस्व में अग्रिम आंशिक भुगतान पर विद्युत कनेक्शन की अनुमति की शर्त रखी गई है। **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** द्वारा जारी आदेश अनुसार कृषकों द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण विद्युत विच्छेद है। यदि कृषकगण आदेशानुसार राशि जमा करते हैं तो शासन द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रारंभ किया जा सकता है। **(ग)** कृषकों द्वारा जल कर राशि जमा किए जाने पर ही उद्वहन सिंचाई परियोजना चालू कर पानी दिया जा सकेगा। वैकल्पिक रूप से इन परियोजनाओं की नहरों को त्योंथर बहाव परियोजना में शामिल कर विकसित किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "चौदह"</u>

<u>तकनीकी एवं उच्च शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना</u>

47. (क्र. 1281) श्री दिव्यराज सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने शासकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये है? किन-किन स्थानों में किये गये है? **(ख)** प्रश्न **(क)** के ही संदर्भ में- यदि नहीं तो क्या उपरोक्तानुसार संस्थान स्थापित न होने के कारण उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है? **(ग)** प्रश्न **(क)** के ही संदर्भ में- यदि हाँ, तो क्या युक्त संस्थान स्थापित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक स्थापित होगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) शासकीय कन्या महाविद्यालय एवं शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं हैं। एक प्राइवेट आई.टी.आई. संचालित है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** वर्तमान में विभाग द्वारा ऐसे विकासखण्ड जिनमें पूर्व से कोई शासकीय/प्राइवेट आई.टी.आई. संचालित नहीं हैं, में निजी निवेश से पी.पी.पी. मोड में संस्था स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। सिरमौर में पूर्व से आई.टी.आई. संचालित होने से इस विकासखण्ड में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ करने की वर्तमान में योजना नहीं है।

<u>सिहोरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना</u>

48. (क्र. 1309) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला जबलपुर अंतर्गत विकासखण्ड सिहोरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2010 से दिसंबर 2014 तक कब-कब ज्ञापन प्रस्तुत किये गये? **(ख)** सिहोरा अंतर्गत हरगढ को शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया गया है, जहाँ कुशल युवाओं की जरूरत होती है? कंडिका **(क)** प्रस्ताव अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कब तक शुरू की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) माननीया विधायक महोदया द्वारा दिनाँक 08.12.2012 को माननीय विभागीय मंत्रीजी को तथा दिनाँक 11.10.2014 एवं 29.05.2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं। **(ख)** विभाग द्वारा निर्धारित नीति अनुसार सीहोरा में प्रायवेट आईटीआई संचालित होने से इस विकासखण्ड में शासकीय संस्था प्रारंभ करने की वर्तमान में योजना नहीं हैं।

हिरन जल संसाधन विभाग जबलपुर में कार्यपालन यंत्री की पदस्थापना

49. (क्र. 1310) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा घोषित नीति में 3 वर्ष से अधिक किसी अधिकारी की पदस्थापना एक स्थान पर नहीं रखी जाती? **(ख)** जिला जबलपुर अंतर्गत हिरन जल संसाधन विभाग जबलपुर में कार्यपालन यंत्री कब से पदस्थ हैं? प्रश्नांश **(क)** अवधि बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं हटाया गया, जबकि प्रश्नकर्ता द्वारा भी विधान सभा क्षेत्र में इनके संरक्षण में नहर की घटिया निर्माण की शिकायत करते हुये इन्हें हटाये जाने की मांग की गई थी? कब तक हटा दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। **(ख)** दिनाँक 22.05.2013 से। प्राप्त शिकायत की जाँच प्रमुख अभियंता द्वारा कराई गई। परीक्षण उपरांत कार्यपालन यंत्री को हटाए जाने की आवश्यकता नहीं पाई गई। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

मीसाबंदी को पात्रता अनुसार पेंशन की स्वीकृति

50. (क्र. 1392) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कलेक्टर जबलपुर के पत्र क्रमांक/925/मीसाबंदी/11 दिनाँक 03.02.2011 के तहत डॉ. पवन कुमार अग्रवाल (बंसल) जबलपुर जेल के प्रमाण पत्र अनुसार दिनाँक 04.07.1975 से 25.11.1975 तक 4 माह 21 दिन जबलपुर जेल में तथा 25.11.1975 को ग्वालियर जेल में स्थानांतर के बाद ग्वालियर जेल के प्रमाण पत्र के अनुसार 26.12.1976 तक पैरोल पर रिहा होने तक लगभग 13 माह ग्वालियर जेल में तथा पुन: 06.01.1977 को जबलपुर जेल में उपस्थित होकर 16.01.1977 को ग्वालियर जेल स्थानांतर होकर मीसाबंदी के रूप में ग्वालियर जेल में निरूद्ध रहे? मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश अनुसार दिनाँक 02.02.1977 को ग्वालियर जेल से डॉ. पवन कुमार रिहा हुये? स्पष्ट करें? **(ख)** डॉ. पवन कुमार बंसल लगभग 19 माह मीसाबंदी के रूप में निरूद्ध होने से मध्यप्रदेश राजपत्र भोपाल दिनाँक 4 जनवरी 2012 के नियमों के अंतर्गत 15000/- प्रतिमाह पेंशन की पात्रता होने के बावजूद कलेक्टर जबलपुर द्वारा 10000/- प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत करने का कारण बतायें? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता ने दिनाँक 06.05.2015 को डॉ. पवन कुमार बंसल की सम्मान निधि के संबंध में कलेक्टर जबलपुर श्री एस.एन. रूपला को पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो कलेक्टर जबलपुर ने प्रश्नकर्ता को पत्र की प्राप्ति एवं कार्यवाही से अवगत न कराकर मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4, दिनाँक 06 अगस्त 2012 के आदेश की अवहेलना की? यदि हाँ, तो कलेक्टर के आचरण की जाँच कराकर कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** जबलपुर जिले में ऐसे किन-किन व्यक्तियों को मीसाबंदी को पेंशन इत्यादि की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनके पास मीसा के दौरान जेल में रहने के प्रमाण उपलब्ध नहीं है? उनके नाम, पिता का नाम व पता सहित सूची दें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) केन्द्रीय जेल अधीक्षक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जबलपुर के पत्र दिनाँक 17/12/2008 जबलपुर के अनुसार डॉ. पवनकुमार बंसल केन्द्रीय जेल में दिनाँक 04/07/1975 को प्रवेश हुऐ एवं 26/11/1975 को केन्द्रीय जेल जबलपुर से ग्वालियर स्थानांतरण किया गया। बंदी क्रमांक 2004 पर 6/1/1977 को पैरोल में जेल प्रवेश दिनाँक 15/01/1977 को केन्द्रीय जेल ग्वालियर स्थानांतरण किया गया। जबलपुर जेल में कुल 05 माह 04 दिन जेल में रहें। श्री पवनकुमार बंसल मीसाबंदी के रूप में केन्द्रीय जेल ग्वालियर में निरूद्ध रहें है। बंदी प्रवेश पंजी दिमक द्वारा नष्ट किये जाने से बंदी प्रवेश का प्रवेश दिनाँक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध रिहाई पंजी के अनुसार श्री पवनकुमार बंसल को जिला दण्डधिकारी जबलपुर के आदेश दिनाँक 24/12/1976 के अनुसार 07 दिवस दिनाँक 03/01/1977 तक पेरोल पर छोड़ा गया था, तथा दिनाँक 02/02/1977 को मध्यप्रदेश शासन होम डिपार्टमेन्ट के आदेश क्रमांक 1913/10/मीसा/76 दिनाँक 02/01/1977 के अनुसार मीसा आदेश निरस्त होने से दिनाँक 02/01/1977 को जेल से रिहा किया गया था। **(ख)** डॉ. पवन कुमार बंसल जेल में निरूद्ध अवधि प्रमाणिकता के आधार पर कलेक्टर जबलपुर के आदेश दिनाँक 28/07/2009 के तहत 3000/- रूपये स्वीकृत की गई थी। जिसमें ग्वालियर जेल का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था। इस कारण राज्यपत्र दिनाँक 04/01/2012 के अंर्तगत प्रतिमाह पेंशन 10000/ रूपये स्वीकृत हुई। **(ग)** जी हाँ कलेक्टर जबलपुर द्वारा संशोधित आदेश दिनाँक 19/05/2015 के द्वारा 01/04/2008 से 03/01/2012 तक राशि रूपये 3000/ की जगह संशोधित राशि 6000/ - एवं संशोधित आदेश दिनाँक 23/01/2012 द्वारा मीसा/डी./आई/आर के अधीन 04/01/2012 द्वारा मीसा/ डी./आई/आर के अधीन 04/01/2012 से राशि रूपये 10000/- के जगह संशोधित राशि 15000/- स्वीकृत की गई है एवं आवेदक को सूचित किया गया तथा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर द्वारा प्रश्नकर्ता को की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपास्थित नहीं होता। **(घ)** सूची संलग्न है।

<u>परिशिष्ट - "पंद्रह"</u>

<u>भिण्ड जिले की गोहद तहसील के ग्रामों में अवैध उत्खनन</u>

51. (क्र. 1393) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले की गोहद तहसील के ग्राम डांगपहाड़, बिरखड़ी, कीरतपुरा, झांकरी के अवैध उत्खनन की जाँच हेतु गठित जाँच दल के सदस्य श्री राजेश राठौर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (लहार) नायब तहसीलदार भिण्ड, खनिज निरीक्षक भिण्ड, खनिज सर्वेयर भिण्ड ने दिनाँक 30.07.2014 को कलेक्टर भिण्ड को प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में अवैध उत्खनन, प्रदूषण अनापत्ति के बिना, सीमाचिन्ह एवं मुनारे लगाये बिना, अवैध परिवहन तथा बिना रॉयल्टी रसीद के विस्फोट की स्वीकृत के बिना, अवैध उत्खनन करने का उल्लेख किया है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1067 माह दिनाँक 01.07.2012के आश्वासन के तारतम्य में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी गोहद श्री आर.सी. मिश्रा ने भी माह जनवरी-फरवरी 2014 में अवैध उत्खनन रोकने हेतु कलेक्टर भिण्ड को पत्र लिखे थे? यदि हाँ, तो अभी तक अवैध उत्खनन कराने वाले कलेक्टर भिण्ड के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** 01 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक उपरोक्त ग्रामों से पत्थर, गिट्टी, मुरम के खनन से प्राप्त रॉयल्टी राशि का माहवार विवरण दें? **(घ)** प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाँक 08.06.2015 को मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित पत्र के तारतम्य में एवं

कलेक्टर भिण्ड के द्वारा गठित जाँच दलों ने अवैध उत्खनन संबंधी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी प्रश्न दिनाँक तक अवैध उत्खनन न रोकने का कारण बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। उक्त पत्र के संदर्भ में कलेक्टर (खनिज शाखा) भिण्ड के आदेश क्रमांक क्यू/खनिज/2014/2593 दिनाँक 6.3.2014 से सभी 14 खदाने बन्द की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद के पत्र क्रमांक 910 दिनाँक 30.04.2014 एवं पत्र क्रमांक 954 दिनाँक 6.5.2014 के आधार पर खदानों को पुनः संचालन की अनुमति दिनाँक 23.05.2014 को दी गई। भिण्ड जिले में अवैध उत्खनन/परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए, वित्तीय वर्ष 2012- 13 में 382 प्रकरण, वर्ष 2013-14 में 344 प्रकरण, 2014-15 में 167 प्रकरणों में क्रमशः 1, 53, 97, 320/- रूपये, 99, 01, 804/- रूपये तथा 71, 36, 110/- रूपये अर्थदण्ड के रूप में जमा कराई गई है1 इन कार्यवाहियों से स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन/परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही की गई है। अत/ शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी परिशिष्ट पर संलग्न** है। **(घ)** जी हाँ। प्रश्नांश में अवैध उत्खनन न रोकने का लेख सही नहीं है। दिनाँक 30.07.2014 की जाँच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर, संबंधितों को समक्ष में श्रवण कर कार्यवाही करते हुए खदानों में विभिन्न अनियमिततायें पाये जाने पर आदेश दिनाँक 28.01.2015 से 07 खदाने निरस्त की गई है। प्रश्नांश 'ख' में उल्लेख अनुसार जिले में अवैध उत्खनन/परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "सोलह"</u>

<u>गौण खनिज पर दी गई छूट</u>

52. (क्र. 1402) श्री निशंक कुमार जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम तीन में किस-किस वर्ग को क्या-क्या छूट दी गई है? ग्रामीणों एवं ग्राम के गरीबों को, ग्रामीण कारीगरों को क्या-क्या छूट दी गई है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिये क्या-क्या छूट दी गई है, पृथक-पृथक बतावें? **(ख)** नियम 3 में दी गई छूट के अनुसार ग्रामीणों, ग्राम के गरीबों, ग्रामीण कारीगरों को गौण खनिज के खनन एवं परिवहन से संबंधित क्या-क्या प्रक्रिया निर्धारित की जाकर किस दिनाँक को आदेश निर्देश जारी किए गए हैं? यदि प्रश्नांकित दिनाँक तक भी प्रक्रिया का निर्धारण कर पत्र जारी नहीं किया हो, तो कारण बतावें? **(ग)** मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में किस-किस गौण खनिज की खदान के किस प्रारूप में ब्यौरे दर्ज कर ग्रामीणों को उन पर क्या-क्या अधिकार संहिता के तहत बनाए गए नियमों में दिए है? **(घ)** धारा 234 के तहत बनाए गए निस्तार पत्रक में गौण खनिज के लिये दर्ज ब्यौरे एवं संहिता के अनुसार ग्रामीणों को प्रदत्त अधिकारों को राज्य शासन ने किस आदेश या अधिसूचना के तहत निरस्त किया है, यदि नहीं किया तो खनिज साधन विभाग किन प्रावधानों के तहत उन्हें अमान्य कर रहा है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम (3) के अंतर्गत अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी समिति द्वारा परम्परागत साधनों से कवेलू बर्तन या ईंट बनाने के लिए तथा ग्रामीण कृषकों, ग्रामीण कारीगरों और श्रमिकों के क्रमशः निवास गृहों के निर्माण या मरम्मत या अन्य कृषि कार्यों के लिए एवं अन्य कृषि

कार्यों के लिए गौण खनिज के उत्खनन पर इन नियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ग्राम पंचायतों जनपत पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए संबंधित पंचायतों द्वारा हाथ में लिए गये कार्यों के लिए शासकीय भूमि से गौण खनिज निकालने के लिए इन नियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। **(ख)** मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 (एक) तथा (दो) के तहत छूट प्राप्त व्यक्तियों/वर्गों के संबंध में खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश दिनाँक 10.04.2015 से परिपत्र जारी किये गये है जो की **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर दर्शित** है। **(ग)** संहिता की धारा 234 के तहत नियमों में विस्तृत प्रावधान दिये गये है। जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' में दर्शित** है। **(घ)** जी नहीं। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 के तहत छूट प्रदान किये जाने के प्रावधान है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पावर हाउस की यूनिटों के बंद होने से हानि

53. (क्र. 1403) श्री निशंक कुमार जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी के ताप विद्युत गृहों की किस यूनिट को गत दो वित्तीय वर्षों में किस माह में कितने घण्टे तकनीकी खराबी के कारण बन्द रखा गया कोयले की कमी के कारण बन्द रखा गया एवं रिजर्व शट डाउन के कारण बन्द रखा गया पृथक-पृथक बतावें? **(ख)** उपरोक्त अवधि में म.प्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों की इकाईयों के उपरोक्त कारणों से बंद रहने के कारण कितनी उत्पादन हानि हुई? इस उत्पादन हानि के विरूद्ध कितनी राशि की भरपाई राज्य शासन द्वारा म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को की गई, यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत? **(ग)** गत दो वर्षों में किस निजी कम्पनी से किस दर पर कितनी बिजली क्रय की गई पावर जनरेटिंग कम्पनी की यूनिटों को बन्द रखा जाकर निजी कम्पनी से बिजली क्रय किए जाने का क्या कारण रहा है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी के ताप विद्युत गृहों की यूनिटों को गत दो वित्तीय वर्षों में तकनीकी खराबी, कोयले की कमी एवं रिजर्व शट डाउन के कारण बन्द रखे जाने से संबंधित माहवार, इकाईवार **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** उपरोक्त अवधि में म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों की इकाईयों के तकनीकी खराबी के कारण बंद रहने से लगभग 7919 मिलीयन इकाई, कोयले की कमी के कारण बंद रहने से लगभग 3034 मिलीयन इकाई एवं रिजर्व शट डाउन के कारण बन्द रखे जाने से लगभग 3073 मिलीयन इकाई की उत्पादन हानि हुई। राज्य शासन द्वारा कंपनी को हानि की राशि की भरपाई नहीं की जाती है। **(ग)** मप्रपामैकंलि. द्वारा गत दो वर्षों में निजी कम्पनियों (कैप्टिव एवं गैरपरम्परागत स्त्रोतों के अलावा) से क्रय की गई बिजली की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। बिजली की उपलब्धता मांग की तुलना में अधिक होने पर वितरण कंपनियों एवं उपभोक्ताओं को न्यूनतम दर पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु "मासिक मेरिट ऑर्डर डिस्पेच" के आधार पर जिन विद्युत उत्पादन इकाईयों की वेरियेबल दर अधिक होती है, उन्हें बिना किसी भेद-भाव के बंद कराकर कम वेरियेबल दर वाली विद्युत उत्पादन इकाईयों से बिजली की आपूर्ति कराई जाती है। इस आधार पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र, के निर्देश पर मप्रपाजकंलि की इकाईयों को बंद रखा गया। विद्युत अधिनियम

2003 की धारा (32) के अंतर्गत विद्युत प्रणाली के सुरक्षित संचालन हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र अधिकृत है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

क्योस्क कन्फर्मेशन व ए.टी.पी. मशीन

54. (क्र. 1439) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की सहुलियत के लिये कियोस्क इंर्फमेशन व एनी टाईम पेमेंट मशीन लगाई थी? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर लगाई गई थी? क्या इनका संचालन सुचारू रूप से होकर उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है या नहीं जानकारी स्पष्ट करें? **(ख)** क्या विभाग द्वारा सोनकच्छ विधानसभा में विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से कियोस्क इंफर्मेशन व एटीपी मशीन लगाई गई है? यदि नहीं तो क्यों? क्या भविष्य में सोनकच्छ में उपरोक्त मशीन लगाई जावेगी या नहीं? **(ग)** क्या विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिये लगाई गई लाखों रूपयों की उपरोक्त मशीनें आज तक पड़ी धूल खा रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। मप्रपक्षेविविकंलि इंदौर के क्षेत्रांतर्गत 17 ऐनी टाईम पेमेन्ट मशीन एवं 3 इन्फार्मेशन कियोस्क लगाए गए थे, जिनकी स्थानवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। इनमें से वर्ष 2010-11 में इन्दौर शहर में लगाई गई 8 एवं उज्जैन शहर में लगाई गई 4 एनी टाईम पेमेंट (ए.टी.पी.) मशीने निविदा आमंत्रित कर कमीशन के आधार पर मे. डिजिटल एज स्ट्रेटेजी प्रा. लि. बैंगलोर से लगवाई गई थी किन्तु ठेकेदार द्वारा स्वयं ये सभी मशीनें बंद कर दी गई है। आर.ए.पी.डी.आर.पी. परियोजना के अंतर्गत लगाई गई 5 ए.टी.पी. मशीनें एवं 2 इन्फार्मेशन कियोस्क कार्यशील हैं एवं उपभोक्ताओं को इनकी सुविधा का लाभ मिल रहा है तथा एक इन्फार्मेशन कियोस्क वर्तमान में खराब है। **(ख)** जी नहीं, सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र में इन्फार्मेशन कियोस्क एवं ए.टी.पी. मशीन नहीं लगाई है। आर.ए.पी.डी.आर.पी. परियोजना के अंतर्गत पॉवर फायनेंस कार्पोरेशन नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुदान से उत्तरांश 'क' में उल्लेखित इन्फार्मेशन कियोस्क एवं ए.टी.पी. मशीनें स्थापित की गई हैं। आर.ए.पी.डी.आर.पी. परियोजना में सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, अतः वहाँ उक्त मशीनें स्थापित नहीं हैं। वर्तमान में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में उक्त मशीनें स्थापित किये जाने की कोई कार्य योजना नहीं है। **(ग)** उत्तरांश **(क)** में उल्लेखानुसार 20 ए.टी.पी. मशीन/इन्फार्मेशन कियोस्क में से 12 ए.टी.पी. मशीन/इन्फार्मेशन कियोस्क ठेकेदार कंपनी द्वारा बंद कर दी गई है, 7 ए.टी.पी. मशीन/इन्फार्मेशन कियोस्क वर्तमान में कार्यशील है तथा मात्र एक इन्फार्मेशन कियोस्क खराब है। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के जिम्मेदार होने अथवा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट - "अठारह"

जनभागीदारी योजना अंतर्गत निर्मित रैनबसेरा भवन के निर्माण की जाँच

55. (क्र. 1477) श्रीमती ममता मीना : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कलेक्टर जिला गुना के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 1292-1293 दिनाँक 18.05.2005 से ग्राम केदारपुरा में रेनबसेरा भवन का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत नागनखेड़ी में राशि रू. 3.00

लाख स्वीकृत कर क्रियान्वयन एजेन्सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राघौगढ़ को नियत किया जाकर तत्कालीन सरपंच के फार्म हाउस पर निर्माण कार्य कराया गया है? क्या उक्त रैनबसेरा भवन का उपयोग तत्कालीन सरपंच एवं परिजनों द्वारा किया जा रहा है? **(ख)** क्या ग्राम केदारपुर में रैन बसेरा भवन निर्माण एवं ग्राम पंचायत नादनखेड़ी में जनभागीदारी योजना अंतर्गत स्वीकृत समस्त निर्माण कार्य सार्वजनिक लाभ की दृष्टि से शासकीय भूमि पर ही सम्पादित होने चाहिये थे अथवा तत्कालीन सरपंच के व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति हेतु? **(ग)** ग्राम पंचायत नागनखेड़ी में जनभागीदारी योजना अंतर्गत 2005 से 2013 तक स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों की कार्यवार पृथक-पृथक जाँच हेतु कलेक्टर जिला गुना द्वारा माह अप्रैल 2015 में गठित कमेटी द्वारा क्या जाँच की गई? जाँच कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत नादनखेड़ी में स्वीकृत कार्यों की आज दिनाँक तक जाँच क्यों नहीं की गई? ग्राम पंचायत नागनखेड़ी में जनभागीदारी योजना अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन निर्माण कार्य स्वीकृत कराने वाले तत्कालीन दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों एवं फर्जी मूल्यांकन करने वाले उपयंत्रियों / अनुविभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कब तक एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी? **(घ)** गुना जिले में जनभागीदारी योजना अंतर्गत ग्राम केदारपुरा में रैनबसेरा भवन एवं ग्राम पंचायत नागनखेड़ी में स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों की जाँच हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा माननीय मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र. भोपाल एवं आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी म.प्र. भोपाल को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित पत्रों पर आज दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? अगर विधायक के पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई है तो इसका उत्तरदायी कौन है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। प्रकरण में दिनाँक 29.4.2015 द्वारा जाँच दल गठित कर दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। **(ख)** जनभागीदारी योजना अन्तर्गत सभी कार्य सार्वजनिक कार्य के लाभ के लिए स्वीकृत किये जाते हैं। **(ग)** जाँच प्रचलित है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही निर्भर है। **(घ)** जाँच दल द्वारा जाँच की जा रही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हरसी उच्च स्तरीय नहर सिंध परियोजना की बैठक

56. (क्र. 1574) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनाँक 14.05.2015 को मा. मुख्यमंत्री जी ने हरसी उच्च स्तरीय नहर सिंध परियोजना के संबंध में बैठक की थी? **(ख)** यदि हाँ, तो उस बैठक में क्या-क्या निर्णय हुये थे? कंडिकावार बताये? **(ग)** क्या कंडिका **(क)** अनुसार छूटे हुये गांवों को सम्मिलित किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वीरपुर बांध ग्वालियर को पानी से भरने के संबंध में

57. (क्र. 1575) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वीरपुर बांध सिंधिया रियासत के दौरान निर्मित एक लघु तालाब है एवं इसको पेहसारी ककेटों बांध से भरा जा सकता है? **(ख)** यदि हाँ, तो विभाग की क्या योजना है? **(ग)** वर्तमान समय में इस संबंध में ग्वालियर नगर निगम वार्ड-65 में पेयजल संकट का निराकरण करने हेतु जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही प्रचलित है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। पेहसारी बांध पूर्ण क्षमता तक भरने के पश्चात् सॉक पिकअप वियर, नून पिकअप वियर, रायपुर तालाब एवं मामा का बांध भरा जाना आवश्यक है। पर्याप्त वर्षा के उपरांत बीरपुर बांध को भरा जा सकता है। **(ग)** एवं **(घ)** जल संसाधन विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

बड़वारा वि.स.क्षे. में महाविद्यालयों की स्थापना

58. (क्र. 1593) श्री मोती कश्यप : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वि.स. बड़वारा के अंतर्गत क्षेत्र में वि.ख. ढीमरखेड़ा व कटनी में महाविद्यालयों की स्थापना की दृष्टि से पोषक उ.मा. विद्यालय कहाँ-कहाँ हैं और वर्ष 2015-16 की अवधि में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** क्षेत्र में किन्हीं स्थान पर महाविद्यालय न होने की दशा में जिले के महाविद्यालयों से प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों व उनसे सम्बद्ध ग्रामों की दूरी कितनी है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों एवं उनकी 12वीं कक्षा की छात्र संख्या के आधार पर उमरियापान, ढीमरखेड़ा, सिलौंड़ी एवं देवरीहटाई में कला वाणिज्य महाविद्यालय खोला जाना किन कारणों से आवश्यक नहीं है? औचित्य दर्शावें। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** स्थलों में कब तक महाविद्यालय खोल दिये जावेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं 'दो' अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार** है। **(ग)** वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः नये महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। **(घ)** प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सौर ऊर्जा के घरेलू उपयोग प्रोत्साहित करना

59. (क्र. 1596) श्री मोती कश्यप : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभागीय किन गतिविधियों द्वारा ऊर्जा के किन-किन स्त्रोतों से कहाँ कितनी क्षमता की परियोजना द्वारा कहाँ कितनी क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है व प्रस्तावित है? **(ख)** क्या किन्हीं शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्थाओं के भवनों में किन्हीं प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन व उपभोग किया जा रहा है? विवरण देवें। **(ग)** क्या कृषि और घरेलू उपयोग की सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिये विभाग द्वारा कोई योजना किन्हीं जिलों में संचालित की जा रही है? विवरण देवें। **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के उत्पादन व उपयोग हेतु प्रोत्साहन के लिये विभाग ने उपभोक्ताओं के लिये किस प्रकार की ऋण-अनुदान योजना संचालित की है और किन बैंकों को माध्यम बनाया है? विवरण देवें। **(ड.)** क्या विभाग ने प्रश्नांश **(घ)** का जिलावार कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और जनता को प्रेरित करने हेतु कोई अभियान चलाया है? विवरण देवें।

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के अन्तर्गत सौर, पवन, बायोमास एवं लघुजल परियोजनाओं के द्वारा उत्पादित क्षमता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम अन्तर्गत सौर ऊर्जा स्त्रोत से प्रदेश के विभिन्न हितग्राही संस्थानों में स्वयं के उपयोग हेतु स्थापित कुल 3331.60 कि.वा. क्षमता के संयंत्र स्थापित किये गये हैं, जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। ऊर्जा विकास

निगम लि. द्वारा दूरस्थ विद्युतीकरण कार्यक्रम एवं डी.डी.जी. कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के क्रमशः 594 व 13 अविद्युतीकृत ग्रामों में क्रमशः 1132.9 कि.वा. व 264 कि.वा., कुल 1396.9 कि.वा. क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गये हैं। ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। इसके अतिरिक्त, सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 1764.254 कि.वा. क्षमता के सौर सड़क बत्ती व घरेलू लाईट स्थापित की गई है। सोलर वॉटर पम्पिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग (पेयजल परियोजना के तहत), वन विभाग (वन रोपणियों एवं संरक्षित वनों में) एवं कृषि विभाग (प्रदेश के 25 कृषि फार्मों में प्रदर्शन बाबत) के लिये विभिन्न स्थलों पर वॉटर पम्पिंग के लिये कुल 3725.44 कि.वा. क्षमता के सोलर पेनल स्थापित किये गये है, जिनकी जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। प्रदेश में 36.586 मेगावाट (समतुल्य) के आफग्रिड बायोमास संयंत्रों से स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा कार्यालय में पंजीकृत परियोजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार** है। **(ख)** प्रदेश के शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में स्वयं के उपयोग हेतु स्थापित कुल 3180.60 कि.वा. क्षमता के संयंत्र स्थापित किये गये हैं, जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में समाहित** है। डी.डी.जी. कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों में सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित विद्युत का उपभोग पंचायत एवं शाला भवनों में किया जा रहा है। **(ग)** दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 594 अविद्युतीकृत ग्रामों में प्रकाश व्यवस्था हेतु ग्राम के प्रत्येक घर में एक सोलर होम लाईट माडल-1 की स्थापना की गई है तथा चुने हुये स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना भी की गई है। डी.डी.जी. कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के अविद्युतीकृत ग्रामों में, घरेलू के अतिरिक्त, कृषि व अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु विद्युत व्यवस्था, सौर ऊर्जा के माध्यम से, विद्युत उत्पादन कर की जा रही है। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा डी.डी.जी. कार्यक्रम का विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 एवं प्रपत्र-8 अनुसार** है। वर्तमान में शासन के 25 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में प्रदर्शन के तौर पर सोलर पंपों की स्थापना का कार्य लिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-9 अनुसार** है। **(घ)** बायोमास संयंत्रों की स्थापना हेतु नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना एवं पूंजीगत अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, बायोमास गैसीफिकेशन आधारित विद्युत उत्पादन एवं थर्मल परियोजना हेतु वर्तमान में क्रमशः रू. 2500/- प्रति कि.वा. एवं रू. 668/- प्रति कि.वा. का पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है। **(ड.)** आमजन को प्रेरित करने हेतु जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन किया जा रहा है। इन शॉपस के संचालन से शहरी/ग्रामीणजन, अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जादक्ष संयंत्रों/उत्पादों का क्रय एवं उपयोग कर ऊर्जा की बचत कर रहे हैं।

<u>अटल सरोवर तालाब निर्माण</u>

60. (क्र. 1630) कुंवर सिंह टेकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत अटल सरोवर सिंचाई योजना से ग्राम, गीड़ा, झारा (बचबहरा) एवं ग्राम धुपखड़ में तालाब का निर्माण कब स्वीकृत हुआ था एवं कितनी राशि आवंटित की गई थी? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के संदर्भ में उक्त तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो लागत राशि सहित जानकारी उपलब्ध कराये? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** के संदर्भ में उक्त तालाबों का

निर्माण कार्य अधूरा है? यदि हाँ, तो क्या कारण है, स्पष्ट करें? अपूर्ण तालाबों को पूर्ण कब तक कर लिया जावेगा? समय-सीमा बताये? अभी तक तालाबों का निर्माण अधूरा है तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों? इसके लिये जिम्मेदार कौन है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में तालाबों के निर्माण में निजी जमीनों को अधिग्रहित किया गया है, यदि हाँ, तो जानकारी देवें? यदि नहीं तो क्या तालाबों को पूर्ण करने के लिये जमीनों का अधिग्रहण किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत अटल सरोवर सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रश्नाधीन ग्रामों में कोई तालाब का निर्माण नहीं किया जाना प्रतिवेदित होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

132 KVA विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति

61. (क्र. 1631) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी जिले के अंतर्गत ग्राम मड़वास में 132 के.व्ही.ए. क्षमता की विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति की गई है? यदि हाँ, तो स्वीकृति वर्ष एवं लागत राशि कितनी है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के संदर्भ में उक्त सब स्टेशन को स्थापित किये जाने हेतु माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के द्वारा शिलान्यास किया गया था? यदि हाँ, तो कब किया गया है बतायें? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** के संदर्भ में उक्त सब स्टेशन को स्थापित किये जाने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, यदि की गई है तो पूर्ण जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांक **(क)** के संदर्भ में उक्त सब स्टेशन को स्थापित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों? कब तक सब स्टेशन को स्थापित कर दिया जावेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सीधी जिले के अंतर्गत ग्राम मड़वास में 132 के.व्ही. क्षमता का विद्युत सबस्टेशन का कार्य वर्ष 2013-14 स्वीकृत है। उक्त कार्य वित्तीय संस्था जे.आई.सी.ए. (जायका) से ऋण प्राप्त कर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी वर्तमान में अनुमानित लागत लगभग रू. 30.87 करोड़ है। **(ख)** जी हाँ, उक्त विद्युत सबस्टेशन को स्थापित किये जाने हेतु ग्राम मड़वास में ऊर्जा मंत्री द्वारा शिलान्यास दिनाँक 21.02.2014 को किया गया था। **(ग)** उक्त सबस्टेशन को स्थापित किये जाने हेतु ग्राम मड़वास में भूमि का चयन कर उसे म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के पक्ष में आवंटित करा लिया गया है एवं वित्तीय संस्था जे.आई.सी.ए. (जायका) से ऋण स्वीकृति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** उत्तरांश **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में उक्त सबस्टेशन स्थापित करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। सब-स्टेशन वित्तीय वर्ष 2018-19 तक स्थापित किए जाना संभावित है।

इंदौर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को प्राप्त सुविधाएं

62. (क्र. 1650) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर जिले में कितने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज है, प्रश्न पूछे जाने तक कितने स्वतंत्रता सेनानी जीवित है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों को अन्य प्रदेशों की तरह शासकीय सुविधाओं में विशेष आरक्षण/सुविधा दिये जाने की मांग स्वतंत्रता सेनानी करते आये हैं? यदि हाँ, तो इनके द्वारा क्या-क्या मांग शासन से की जाती रही है व शासन स्तर पर कौन-कौन सी

मांगों को पूर्ण किया जा चुका है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों की कितनी मांगों को प्रदेश शासन ने स्वीकृत कर लागू की गई है व कितनी मांगों पर विचार किया जा रहा है एवं कब तक स्वीकृत की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) इंदौर जिले में 720 स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के नाम दर्ज है। 297 स्वतंत्रता संग्राम सैनानी जीवित है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

देशी व विदेशी शराब दुकानों को खोलने के नियम

63. (क्र. 1651) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में देशी व विदेशी शराब दुकानों को खोलने हेतु निश्चित दूरी व उस क्षेत्रफल की जनसंख्या का आंकलन किया जाता है? यदि हाँ, तो इंदौर जिले में वर्तमान में कितनी देशी व विदेशी शराब दुकाने संचालित है व कितनी-कितनी दूरी व जनसंख्या का आंकलन कर इन्हें खोला गया है, (दूरी/जनसंख्यावार) सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रदेश में देशी व विदेशी शराब दुकानों को शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल व रहवासी क्षेत्र से निश्चित दूरी पर खोला जाता है? यदि हाँ, तो कितनी दूरी पर इसे खोलने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड तैयार किए गए है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** अनुसार इंदौर जिले में कई शराब दुकानें (जैसे राजमोहल्ला चौराहा, कालानी नगर, महू नाका लालबाग के सामने, राजेन्द्र नगर एक्सटेशन आदि) मंदिर, शैक्षणिक संस्थान व रहवासी क्षेत्र से निर्धारित दूरी के अंदर संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करावें व इसके लिये प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रदेश में देशी व विदेशी शराब दुकानों को शैक्षणिक संस्था व धार्मिक स्थल से निश्चित दूरी पर खोला जाता है। लेकिन रहवासी क्षेत्र से दूरी के संबंध में कोई नियम/प्रावधान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में नहीं है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 42 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य प्रयोग के नियम-1, (1) **(ख)** के अनुसार परिसर में मदिरा उपभोग के लिये फुटकर विक्रय की मदिरा दुकानें इस प्रयोजन हेतु परिभाषित किसी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था से 50 मीटर या अधिक दूरी पर स्थित हो। **(ग)** इन्दौर जिले की कोई भी मदिरा दुकान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य प्रयोग के नियम-1, (1) **(ख)** के अनुसार परिसर में मदिरा उपभोग के लिये फुटकर विक्रय की मदिरा दुकानें इस प्रयोजन हेतु परिभाषित मंदिर, शैक्षणिक संस्थान से नियमानुसार निर्धारित दूरी के अंदर संचालित नहीं हो रही है। रहवासी क्षेत्र से दूरी के संबंध में कोई नियम/प्रावधान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में नहीं है।

महाविद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृत

64. (क्र. 1687) श्री रामलाल रौतेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर के जैतहरी कस्बे में किस वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है? वर्तमान में महाविद्यालय में कुल कितने पद सृजित है तथा सृजित पद के विरूद्ध कितने कार्यरत हैं? **(ख)** महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र संख्या क्या है, तथा अध्यापन कार्य किस स्थान पर होता है?

क्या उक्त महाविद्यालय में भवन बनाने की योजना है? यदि हाँ, तो भवन की स्वीकृति एवं निर्माण कब तक हो जाएगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) अनूपपुर के जैतहरी में शासन के आदेश क्रमांक 21-3/2012/38-2 दिनाँक 02.06.2012 द्वारा महाविद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल सहित 09 पद तथा अशैक्षणिक कर्मचारियों के 10 पद स्वीकृत हैं। शैक्षणिक वर्ग में 02 तथा अशैक्षणिक वर्ग में 01 कर्मचारी कार्यरत है। शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक प्राध्यापक के पद पर 05, क्रीड़ा अधिकारी के पद पर 01 तथा ग्रंथपाल के पद पर 01 अतिथि विद्वान कार्यरत हैं एवं सत्र 2015-16 हेतु अतिथि विद्वानों के आमंत्रण की प्रक्रिया प्रचलन में है। **(ख)** महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 151 है। वर्तमान में महाविद्यालय शासकीय नवीन कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल जैतहरी, जिला अनूपपुर में अल्पकालिक व्यवस्था अंतर्गत संचालित है। जी हाँ। महाविद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः भवन निर्माण की निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

खंबों एवं तारों का नवीनीकरण

65. (क्र. 1688) श्री रामलाल रौतेल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर/तत्कालीन जिला-शहडोल के विकासखण्ड जैतहरी, अनूपपुर क्षेत्रान्तर्गत राजीब गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किस वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण प्रारंभ किया गया था? योजना प्रारंभ से दिनाँक 30.6.2015 तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर विद्युत प्रवाह किया गया हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्ष से आज तक बिजली खंबा एवं पुराने तारों को कितने बार बदला गया है? क्या वर्तमान में खड़ा हुआ खंबा एवं बिछा हुआ तार वर्तमान क्षमता सहन कर सकता है? यदि नहीं तो, कब तक खंबा एवं तारों का नवीनीकरण किया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-2010 में दिनाँक 18.1.2010 से विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। योजना प्रारंभ से दिनाँक 30.06.2015 तक कुल 219 ग्रामों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा इन ग्रामों मे विद्युत प्रदाय सुचारू रूप से किया जा रहा है। **(ख)** उत्तरांश **(क)** में उल्लेखित अवधि में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रश्नाधीन क्षेत्र में निर्मित विद्युत लाईनों में से आज तक कोई भी विद्युत पोल/तार नहीं बदला गया है। जी हाँ, उक्तानुसार स्थापित विद्युत अधोसंरचना वर्तमान विद्युत भार के अनुरूप है, अतः नवीनीकरण कार्य किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पवन ऊर्जा हेतु भूमि आवंटन

66. (क्र. 1706) श्री अंचल सोनकर : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले के पिपलौदा व जावरा तहसील में विगत 5 वर्षों में किस-किस कंपनी या ऊर्जा विकास निगम द्वारा निजी भूमि क्रय की गई या शासकीय भूमि की मांग की गई व राजस्व विभाग द्वारा किस-किस गांव में किस-किस सर्वे क्र. की कितनी-कितनी भूमि किन-किन शर्तों पर दी गई व कितने-कितने प्रकरण लंबित है? पृथक-पृथक ग्रामवार, सर्वे नंबरवार, कंपनी के नाम सहित विस्तृत

विवरण दें? **(ख)** क्या उक्त भूमियां प्रदान करने के बाद चारागाह हेतु नियमानुसार भूमि शेष बची है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ, किस-किस ग्राम में सर्वे क्रमांक, रकबा सहित विवरण दें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बालगंगाधर तिलक वार्ड में आबकारी विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा</u>

67. (क्र. 1729) श्री अंचल सोनकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर पालिका निगम जबलपुर के अंतर्गत वर्तमान वार्ड बालगंगाधर तिलक वार्ड के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा देशी/अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जाता था जिसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या फैक्ट्री स्थानान्तरित होने के उपरांत उक्त फैक्ट्री की भूमि पर वर्तमान में विभाग का कब्जा है एवं विभाग द्वारा फैन्सिंग करा कर जमीन को सुरक्षित कर लिया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित भूमि का कुल कितना रकबा है? वर्तमान में रिक्त भूमि की कुल कितनी कीमत है? क्या शासन रिक्त भूमि पर आम जनता अथवा शासकीय उपयोग हेतु कोई योजना तैयार कर रही है, तो क्या योजना का विवरण दें? **(ग)** क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश **(क)** की भूमि पर वर्तमान में भू-माफिया एवं आम जनता द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी एवं जिम्मेवार है? **(घ)** क्या शासन भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त करा कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? वर्तमान में प्रश्नकर्ता के निर्वाचन पूर्व जबलपुर क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत ऐसी कितनी शासकीय भूमि है जिन पर भू-माफिया अथवा आम जनता द्वारा अवैध कब्जे कर लिये गये है जिन्हें प्रश्न दिनाँक तक कब्जा मुक्त नहीं किया जा सका?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान बालगंगाधर वार्ड के अंतर्गत, आबकारी विभाग द्वारा देशी मदिरा भाण्डागार भरतीपुर स्थापित होकर संचालित किया जा रहा था, जिसे दिनाँक 06.12.1996 से ग्राम कजरवारा में स्थानांतरित किया जा चुका है। उक्त पूर्व भाण्डागार स्थल की भूमि/भवन लोक निर्माण विभाग की सम्पत्ति होकर इस पर वर्तमान में आबकारी विभाग का कब्जा है। उक्त स्थल बाउंड्रीवॉल से घिरा है। यह बाउंड्रीवाल कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त है, परन्तु फेन्सिंग नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित मद्य भाण्डागार भवन की भूमि का कुल रकबा 3445.26 वर्गमीटर (37071 वर्गफुट) है। वर्तमान गाईडलाईन अनुसार भूमि की अनुमानित कीमत 22, 39, 41, 900/- रूपये है। उक्त रिक्त भूमि पर आम जनता अथवा शासकीय उपयोग हेतु कोई योजना वर्तमान में तैयार नहीं गई है, परन्तु भविष्य की आवश्यकता अनुसार उक्त भूमि का शासन हित में उपयोग किया जा सकेगा। **(ग)** जी हाँ। भवन/भूमि के बहुत समय से रिक्त होने से प्रश्नांश **(क)** में वर्णित भूमि के क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवॉल वाले कुछ भाग पर वर्तमान में लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर अस्थाई निर्माण कार्य कर लिया गया है। इस हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। **(घ)** उक्त भूमि के जिस आंशिक भाग पर अवैध कब्जा है, उसे कब्जाधारियों से मुक्त करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व की सीमा के अंतर्गत ओमती, रांझी में ऐसी कोई शासकीय भूमि नहीं है, जिसमें भू-माफिया एवं आम जनता द्वारा अवैध कब्जा किया गया हो। उक्त पूर्व विधान सभा क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में जो शासकीय भूमि भूभाटक थे, उसमें काबिज

व्यक्तियों को वर्ष 1975-76 में व्यवस्थित कर पट्टे वितरित किये गये हैं एवं विभिन्न वर्षों से झुग्गी-झोपडियों के पट्टे वर्ष 1984 में वितरित किये गये हैं।

सरदारपुर तहसील में अटल ज्योति योजना से विद्युत प्रदाय

68. (क्र. 1746) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले के सरदारपुर तहसील में अटल ज्योति योजना के तहत 24 घण्टे सिंगल फेस विद्युत प्रदाय किया जा रहा है? **(ख)** इस योजना के तहत सरदारपुर तहसील में कितने ग्रामों / मजरे टोलों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हुआ है एवं कितने शेष है? **(ग)** शेष ग्रामों / मजरे टोलों में कब तक विद्युतीकरण की क्या योजना है एवं ये कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) धार जिले की सरदारपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में अटल ज्योति अभियान के तहत् घरेलू उपयोग हेतु आकस्मिक व्यवधानों को छोडकर तीन फेज पर 24:घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। **(ख)** अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि फीडरों को 10 घण्टे व गैर-कृषि फीडरों को 24 घण्टे विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराया जाना था तथा इसके अंतर्गत किसी प्रकार के अधोसंरचना विकास के कार्य नहीं किये जाने थे। तथापि धार जिले की सरदारपुर तहसील के 193 ग्रामों एवं 693 मजरों/टोलो में से सभी 193 ग्रामों एवं 176 मजरों/टोलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 517 मजरों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य शेष हैं। **(ग)** सरदारपुर तहसील में 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शेष 517 मजरों/टोलों के विद्युतीकरण के कार्य हेतु कार्यादेश दिनाँक 22.11.2014 से मेसर्स यूबीटेक प्रा.लि. फरीदाबाद को जारी किया गया है। उक्त कार्य ठेकेदार कंपनी द्वारा निविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रभावी दिनाँक 18.02.2015 से 24 माह, अर्थात दिनाँक 17.02.2017 तक पूर्ण किया जाना है।

चंदेरी को पर्यटन स्थल घोषित किया जाना

69. (क्र. 1751) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चन्देरी को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने के लिये मध्यप्रदेश के आठ नगरों में शामिल किया गया है? **(ख)** इस हेतु चन्देरी में पर्यटन का समुचित विकास हो इसके लिये पर्यटन विकास निगम द्वारा क्या-क्या नई योजनायें बनाई गई हैं एवं बनाई जा रही हैं? **(ग)** क्या चन्देरी से इंदौर तथा खजुराहो से इंदौर व्हाया भोपाल तथा चन्देरी होते हुए पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित सुपर लग्जरी वोल्वो बसों को संचालित करने का कोई विचार है? क्या यह पर्यटकों की सुविधा एवं पर्यटन की विकास की दृष्टि से बहुत आवश्यक है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। चंदेरी में ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय महत्व के 30 स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। **(ख)** डेस्टीनशन डेवलेपमेंट ऑफ चंदेरी की योजना राशि रू. 473.48 लाख की स्वीकृत है जिसके अंतर्गत चंदेरी में विभिन्न विकास कार्य संपादित किये जा रहे है। **(ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी

70. (क्र. 1752) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चन्देरी स्थित शासकीय माधव महाविद्यालय में प्राचार्य समिति कला विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं कराई गई? जबकि महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 400 के लगभग है? **(ख)** क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चन्देरी भ्रमण के दौरान विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं प्रारंभ की गई थी एवं जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया था कि महाविद्यालय में प्राध्यापकों की पूर्ति शीघ्र की जाएगी किन्तु आज दिनाँक तक महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य सहित एक ग्रंथपाल एवं दो लिपिक कार्यरत हैं? **(ग)** यदि हाँ, तो उक्त महाविद्यालय में नियमित प्राध्यापकों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? समय-सीमा बतावें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) प्राचार्य के पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है तथा स्वीकृत सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से विज्ञापन दिनाँक 09.07.2014 को जारी हो चुका है। जैसे ही प्राचार्य की पदोन्नति होती है एवं लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होते ही महाविद्यालय के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जावेगी। **(ख)** जी हाँ। आदेश क्रमांक 21-2/2012/38-2 दिनाँक 02.06.2012 के द्वारा महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। प्राध्यापक पदों की पूर्ति के संबंध में उत्तर "क" में स्थिति स्पष्ट है। **(ग)** लोक सेवा आयोग से प्राध्यापक की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में होने से रिक्त पदों की पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का संचालन

71. (क्र. 1822) श्रीमती संगीता चारेल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना सैलाना विधानसभा क्षेत्र में संचालित है? यदि हाँ, तो योजना के स्वरूप का विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त योजना में कितने मजरो टोलों में विद्युतीकरण संपन्न हुआ? कृपया सूची उपलब्ध करावें? **(ग)** सैलाना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत योजना में लाइनों के खंबे व तार कब लगाये गये वर्तमान में विद्युत प्रदाय व विद्युत देयकों की क्या स्थिति है? **(घ)** सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने निजी व शासकीय ट्रांसफार्मर लगे हैं, क्या लगे हुए ट्रांसफार्मर पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो विभाग कोई प्रभावी कदम उठाने जा रहा है? ग्रिड पर भार कितना है? उपलब्ध ग्रिड पर्याप्त है? लोड शेडिंग का विवरण देवें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण तथा विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरों/टोलों/बस्तियों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य कर उक्तानुसार विद्युतीकृत क्षेत्रों में नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। **(ख)** सैलाना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उक्त योजना में अब तक 133 मजरों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ग)** राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सैलाना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विद्युत अधोसंरचना विकास का कार्य दिनाँक 14.08.2014 से किया जा रहा है। वर्तमान में समस्त घरेलू फीडरों पर 24:00 घण्टे तथा सिंचाई फीडरों पर 10:00 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। फ्लेट रेट कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को वर्ष में दो बार छ: माही बिल जारी किये जाते है जिनका भुगतान माह अप्रैल एवं अक्टूबर में किया जाना होता है। अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार मासिक रूप से बिल जारी किये जा रहे है। **(घ)**

सैलाना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 17 निजी एवं 1860 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वितरण ट्रांसफार्मर लगे हुए है जो कि पर्याप्त हैं तथापि संभावित भार वृद्धि के दृष्टिगत 22 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाने का कार्य स्वीकृत है जिसे रबी सीजन के पूर्व पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे। सैलाना विधानसभा क्षेत्र में 33/11 के.व्ही. के कुल 10 उपकेन्द्र स्थापित है। इन उपकेन्द्रों पर 13X5 एम.व्ही.ए. एवं 7X3.15 एम.व्ही.ए. क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित है तथा उपलब्ध ग्रिड क्षमता पर्याप्त है। 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों पर विद्युत भार की स्थिति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। भविष्य के विद्युत भार प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए दो स्थानों क्रमशः कोटडा एवं करीया में नवीन 5 एम.व्ही.ए. क्षमता के 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्र स्वीकृत है, जिनमें से कोटडा उपकेन्द्र का कार्य पूर्णता की ओर है एवं करीया उपकेन्द्र का कार्य प्रारंभ किया जाना है। आकस्मिक व्यवधानों को छोड़कर गैर-कृषि फीडरों पर 24:00 घण्टे एवं कृषि फीडरों पर 10:00 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है तथा लोड शेडिंग नहीं की जा रही है।

शा. महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं शैक्षणिक अमले की पूर्ति

72. (क्र. 1829) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में कुल कितने महाविद्यालय कहाँ-कहाँ संचालित हो रहे हैं? जिले के किस महाविद्यालय में कितनी दर्ज संख्या है? महाविद्यालयवार जानकारी प्रदाय करें? **(ख)** क्या जिले में संचालित महाविद्यालयों में पर्याप्त शैक्षणिक अमला नहीं है? जिले में कौन-कौन से विद्यालय में किस-किस विषय के प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं, तथा कहाँ-कहाँ प्राचार्य के पद भी रिक्त हैं? क्या पानसेमल में लंबे समय से प्राचार्य का पद रिक्त है? **(ग)** यदि हाँ, तो इनकी पदपूर्ति हेतु शासन स्तर पर क्या प्रस्ताव है? यहां पर कब तक पदपूर्ति कर दी जावेगी? समय-सीमा स्पष्ट करें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) बड़वानी जिले में कुल 07 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं, जिनके स्थानों की सूची के साथ ही दर्ज छात्र-संख्या महाविद्यालयवार **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। शैक्षणिक अमला पर्याप्त है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। जी हाँ। नियमित प्राचार्यों की कमी के कारण शासकीय महाविद्यालय पानसेमल में प्राचार्य के पद विरुद्ध प्रभारी प्राचार्य नियुक्त है, जिससे प्राचार्य का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। **(ग)** शैक्षणिक संवर्ग के सभी रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है, सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग से विज्ञापन दिनाँक 09.07.2014 को जारी हो चुका है। जिन स्थानों पर प्राचार्य पद की पूर्ति होना है, उस हेतु पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

जल संसाधन विभाग की लंबित योजनाएं

73. (क्र. 1834) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में जल संसाधन विभाग की कौन-कौन सी योजनाऐं स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लंबित है? तथा कितनी योजनाओं की DPR तैयार होकर शासन स्तर पर लंबित है? **(ख)** विधान सभा क्षेत्र पानसेमल की कौन-कौन सी योजनाएं शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु

विचाराधीन है तथा कब तक ये स्वीकृत होगी? समय-सीमा बतावें? कौन-कौन सी योजनाएं बड़वानी जिले की कब से लंबित है? लंबित होने के कारण क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र पानसेमल एवं बड़वानी जिले की कोई योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

<u>दहेज प्रकरण के अन्तर्गत श्री प्रशांत सिंह परिहार कनिष्ठ अभियंता को निलम्बित किया जाना</u>

74. (क्र. 1838) श्री राम लल्लू वैश्य, श्री नीलेश अवस्थी : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रशांत सिंह परिहार आत्मज श्री शीवेन्द्र सिंह परिहार कनिष्ठ अभियंता म.प्र. पा.ज.कं.सं.गा.ताप .विद्युत केन्द्र मंगठार के विरूद्ध अपराध क्र.273/013 धारा 489 अ 323, 294, 506, 34 के भा.दं.वि. एवं 3/4 दहेज प्रताड़ना का मामला न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पाली न्यायालय में विचाराधीन है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अपराध में क्या प्रशान्त सिंह 29.10.2013 से 21.12.2013 तक न्यायिक हिरासत में जिला जेल उमरिया में बंद था? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में क्या विभाग द्वारा प्रशांत सिंह को निलंबित किया गया था? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)**, **(ग)** के संबंध में बतायें कि प्रशांत सिंह को विद्युत उत्पादन केन्द्र मंगठार विभाग द्वारा बहाल करते हुए पुनः नियमित सेवा में लिया गया एवं स्थानान्तरण विद्युत परियोजना सिरमौर किया गया था जहाँ से पुनः स्थानान्तरित कर वापस मंगठार पाली लाया गया है क्या सत्य है? **(ड.)** प्रश्नांश **(क)**, **(ख)**, **(ग)** एवं **(घ)** के परिप्रेक्ष्य में प्रशांत सिंह को कब तक सेवा से पृथक/निलंबित किया जायेगा? समय-सीमा बतायें अगर नहीं किया जायेगा तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ पुलिस सहायता केन्द्र मंगठार थाना-पाली जिला-उमरिया (म.प्र.) एवं उप अधीक्षक उप जेल उमरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री प्रशांत सिंह परिहार आत्मज श्री शीवेन्द्र सिंह परिहार कनिष्ठ अभियंता म.प्र.पा.जं.कं.लि. सं.गां.ता.वि.गृह. मंगठार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 278/13 धारा 498/A, 294, 323, 506 B, 34 IPC एवं 3, 4 दहेज प्रतिरोध अधिनियम का मामला न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पाली में विचाराधीन है। **(ख)** जी हाँ। पुलिस सहायता केन्द्र मंगठार थाना पाली जिला-उमरिया म.प्र. एवं उप अधीक्षक उप जेल उमरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री प्रशांत सिंह परिहार, कनिष्ठ अभियंता, म.प्र.पा.जं.कं.लि. सं.गां.ता.वि.गृह. मंगठार दिनाँक 29.10.2013 से 21.12.2013 तक न्यायिक हिरासत मे उप जेल उमरिया में बंद थे। **(ग)** जी हाँ। विभाग द्वारा श्री प्रशांत सिंह परिहार, कनिष्ठ अभियंता को निलंबित किया गया था। **(घ)** जी हाँ। श्री प्रशांत सिंह परिहार, कनिष्ठ अभियंता द्वारा उनकी गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका (15775/2013) में पारित निर्णय दिनाँक 18.12.2013 द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के उपरांत उनका निलंबन समाप्त कर उन्हें पुनः नियमित सेवा में लिया गया। निलंबन अवधि में जल विद्युत गृह सिरमौर में पदस्थ किये जाने के उपरांत उनका स्थानांतरण सं.गां.ता.वि.गृह. बिरसिंहपुर किया गया था, जिसे आदेश दिनाँक 16/7/2015 द्वारा निरस्त किया गया है। **(ड.)** प्रशांत सिंह परिहार कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध परिवारवाद के तहत संस्थित प्रकरण क्रमांक 278/2013 न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पॉली में वर्तमान में विचाराधीन है। न्यायालयीन प्रकरण में उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध होने एवं दोषी पाए जाने पर प्रशांत सिंह परिहार को सेवा से पृथक करने संबंधी कार्यवाही विभागीय नियमानुसार की जा सकेगी।

सीधी जिलान्तर्गत उपयंत्री की बर्खास्तगी

75. (क्र. 1839) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** यह कि श्री के.एन. गुप्ता उपयंत्री लोअर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी में कब से पदस्थ है, क्या उन्हें किन्ही कारणों से पदच्युत किया गया है, यदि हाँ, तो क्यों कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराये? **(ख)** क्या यह सत्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार किसी भी तरह के बगैर उनके संज्ञान के कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ, तो फिर क्या कारण है कि श्री गुप्ता को बिना कोर्ट के संज्ञान के पदच्युत किया गया? **(ग)** क्या यह भी सत्य है कि श्री गुप्ता को आज दिनाँक तक किसी भी प्रकार के आरोप पत्रादि नहीं सौंपे गये जबकि विभाग के अन्य पत्र डाक द्वारा उनके घर भेजे जा रहे है, क्या यह व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित कार्य प्रतीत नहीं होता है? **(घ)** क्या श्री गुप्ता के अलावा अन्य उपयंत्री भी चिकित्सा अवकाश पर रहे है? यदि हाँ, तो फिर श्री गुप्ता को ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित क्यों माना गया है, जबकि अन्य का मेडीकल स्वीकार कर लिया गया है, यह कि श्री गुप्ता 28.10.2014 को अवकाश के बाद उपस्थित हुये तब कार्यपालन यंत्री का दिनाँक 07.09.2014 का पत्र श्री गुप्ता को क्यों नहीं सौंपा गया, इसमें किसकी गलती है व इसके लिये क्या दण्ड किया जायेगा या फिर बाद में पिछली तारीख में बलपूर्वक आदेश जारी कराये गये स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) दिनाँक 30.05.2014 से। जी हाँ। उपस्थिति सूचना प्रस्तुत करने के उपरांत बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से अनुपस्थिति रहने के कारण। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। मा. न्यायालय का निर्णय दिनाँक 20.04.2015 प्राप्त होने पर अनुपालन में पदच्युति आदेश मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन स्थगित किया गया। **(ग)** जी हाँ। श्री गुप्ता को आरोप पत्रादि सौंपने हेतु विभाग द्वारा समस्त संभव प्रयास किए गए किंतु उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। जी नहीं। **(घ)** जी हाँ। श्री गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अवकाश आवेदन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार न होने के कारण। अन्य का आवेदन नियमानुसार प्राप्त होने के कारण। कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रकरण में दिनाँक 07.09.2014 को कोई पत्र जारी नहीं किया गया। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जी नहीं।

परिशिष्ट - "बीस"

शाजापुर जिले की काली सिंध वृहद परियोजना की स्वीकृति

76. (क्र. 1847) श्री कुँवरजी कोठार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शाजापुर जिले की कालीसिंध वृहद परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जा चुकी है? यदि हाँ, तो स्वीकृति आदेश की प्रति देवे? **(ख)** वर्तमान में म.प्र. में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की प्रति हेक्टेयर लागत क्या है? परियोजनावार जानकारी देवे तथा कालीसिंध वृहद परियोजना की वर्तमान में प्रति हेक्टेयर लागत क्या है? **(ग)** उक्त योजना के निर्माण से कौन-कौन से जिले के कौन-कौन से ग्राम में कितने हेक्टेयर सिंचाई होगी? लाभान्वित जिले के ग्रामों के नाम तथा सिंचित रकबे की जानकारी देवे? **(घ)** उक्त योजना के पानी भराव क्षेत्र के द्वारा देवास जिले के कितने ग्रामों के कितने रकबे में सिंचाई का लाभ होगा? ग्रामवार सिंचाई रकबे की एवं भंडारित जल का उपयोग औद्योगिक एवं पेयजल हेतु कितना पानी सुरक्षित रखा गया है? उसका लाभ

कौन से जिले को होगा? **(ड.)** उक्त योजना के निर्माण हेतु परियोजना किस स्तर पर लंबित है? लंबित रखने का कारण एवं उसके निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

झाबुआ जिले में नवीन बैराज का निर्माण

77. (क्र. 1852) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** झाबुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन बैराज के निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे? उक्त प्रस्तावों में वर्तमान तक कितने बैराज स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है? **(ख)** शासन द्वारा बैराज निर्माण किये जाने के संबंध में कोई योजना बनाई गई है? **(ग)** यदि बनाई गई है तो झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में बैराज की स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग)** जी नहीं। वेबसाइट पर दर्ज चिन्हित परियोजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जी नहीं। जी नहीं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

ताप विद्युत परियोजनाओं का संचालन

78. (क्र. 1882) श्री नीलेश अवस्थी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र.शासन पावर जनरेटिंग कंपनी की कौन-कौन सी ताप विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र या एन.टी.पी.सी को बेचने अथवा संयुक्त उपक्रम के तौर पर संचालित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कौन सी बिजली परियोजनाओं को कब-कब किसको बेचने की योजना है प्राथमिकता क्रम में सूची देवें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कारणों से म.प्र.पावर जनरेंटिग कंपनी की ताप विद्युत ईकाइयों को रिजर्व सेट डाउन के नाम पर महीनों, सेट डाउन के नाम पर महीनों तक बंद रखा जा रहा है एवं निजी प्रायवेट विद्युत परियोजनाओं से विद्युत खरीदी जा रही है? **(ग)** यदि हाँ, तो किन-किन परियोजनाओं से बिजली खरीदी जा रही है? विद्युत परियोजना के नाम, स्थापित क्षमता, स्थान का नाम कंपनी का नाम बतावें? इन विद्युत इकाइयों से किस-किस दिनाँक से बिजली खरीद प्रारंभ की गई? खरीदी दिनाँक से प्रश्न दिनाँक तक औसतन कितने मेगावाट/मिलियन यूनिट में प्रतिमाह कितनी बिजली खरीदी गई एवं प्रति यूनिट बिजली की खरीद दर क्या रही एवं बिजली खरीदी पर कुल कितनी रकम दी गई? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर में यदि नहीं, तो यह बतलावें कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की वर्तमान समय में कितनी मेगावाट की कितनी विद्युत इकाइयां क्रियाशील है एवं कितनी किन कारणों से कब से बंद है? इन बंद ईकाइयों का कब सुधारकर प्रारंभ किया जावेगा? एवं यहां पर अन्य नवीन ईकाइयां स्थापित की जावेंगी? उत्तर में यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. शासन की मप्रपाजकंलि. की किसी भी ताप विद्युत परियोजना को निजी क्षेत्र या एन.टी.पी.सी. को बेचने की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि वर्तमान में मप्रपाजकंलि के सतपुडा ताप विद्युत गृह, सारनी को मप्रपाजकंलि एवं एन.टी.पी.सी. के

मध्य एक संयुक्त उपक्रम बनाकर संचालित एवं विस्तारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं। मप्रपाजकंलि के किसी भी विद्युत गृह को बेचने की कोई योजना नहीं है, अतः प्राथमिकता सूची का प्रश्न ही नहीं उठता। **(ख)** जी नहीं। बिजली की मांग की तुलना में उपलब्धता अधिक होने पर वितरण कंपनियों एवं उपभोक्ताओं को न्यूनतम दर पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु "मासिक मेरिट ऑर्डर डिस्पेच" के आधार पर, जिन ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों की वेरियेबल दर अधिक होती है, उन्हें बिना किसी भेद-भाव के बंद कराकर उससे कम वेरियेबल दर वाली ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों से बिजली की आपूर्ति कराई जाती है। तत्संबंधी निर्देश राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समय समय पर जारी किये जाते हैं, जो कि विद्युत अधिनियम की धारा (32) के द्वारा अधिकृत है। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में जानकारी अपेक्षित नहीं है। **(घ)** दिनाँक 15.7.2015 की स्थिति में मप्रपाजकंलि. के संजय गांधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर की 500 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक 5 क्रियाशील है। इस विद्युत गृह की 210 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक- 2, 3 एवं 4 दिनाँक 23.05.2015 से एवं 210 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक-1 को दिनाँक 31.05.2015 से बिजली की मांग की तुलना में उपलब्धता अधिक होने से "मासिक मेरिट ऑर्डर डिस्पेच" के आधार पर रिजर्व शट-डाउन में बंद रखा गया है। उल्लेखित है कि उपरोक्त इकाईयाँ सुधार कार्य हेतु बंद नहीं की गई है, अतः ईकाईयों को सुधारकर प्रारंभ किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बिरसिंहपुर में नवीन इकाईयों की स्थापना के संबंध में ग्राम पोड़ी बिरसिंहपुर में 1x500 या 2x500 मेगावाट क्षमता की इकाईयों की स्थापना हेतु सर्वेक्षण करवाया गया है एवं सलाहकार नियुक्त कर प्री-फिजीबिलिटी रिर्पोट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। चूंकि परियोजना बहुत ही प्रारंभिक स्थिति में है, अतः स्थापना की तिथि बताना संभव नहीं हैं।

औंकारेश्वर परियोजना की नहर निर्माण

79. (क्र. 1924) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** औंकारेश्वर परियोजना की नहर से वर्ष 2015-16 की रवी सिंचाई हेतु कितने हेक्टर भूमि का लक्ष्य रखा गया है? तहसीलवार बतावें? **(ख)** उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु मुख्य नहर एवं सहायक माईनर नहरों के निर्माण क्या पूर्ण हो चुका है, यदि नहीं तो कितना शेष है तथा कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? **(ग)** क्या कुछ स्थानों पर नहर निर्माण में गुणवत्ता की कमी पाई गई है, यदि हाँ, तो उसे कब तक दुरस्त करा लिया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु मुख्य नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सहायक माइनर नहरों के निर्माण कार्य में नर्मदा नदी से 02 कि.मी. परिधि में आने वाली माइनर नहरों का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गठित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की टीम के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में लंबित है। सिर्फ चतुर्थ चरण अंतर्गत उपरोक्त लक्ष्य हेतु वितरण शाखाओं का 20 प्रतिशत कार्य शेष है, जो माह नवम्बर 2015 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बाईस"

कनिष्ट यंत्री कार्यालय का मनमाने ढंग से स्थान परिवर्तन

80. (क्र. 1932) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा भीकनगाँव के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत जनता की कार्य सुगमता की दृष्टि से ग्राम अंजनगाँव में कनिष्ट यंत्री म.प्र.वि.म. का कार्यालय निर्धारित किया गया है? हां तो क्या अंजनगाँव ग्राम में वर्तमान में नियमित कार्यालय का संचालन हो रहा है? **(ख)** यदि नहीं तो कौन से शासन के आदेश के आधार पर उक्त कार्यालय का स्थान परिवर्तित कर भीकनगाँव से संचालन किया जा रहा है? आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे? **(ग)** क्या अधिकारियों द्वारा अपनी कार्य सुगमता के लिए शासन द्वारा निर्धारित स्थान अंजनगाँव पर कार्यालय कनिष्ट यंत्री द्वारा न संचालन करते हुए भीकनगाँव तहसील स्तर से इसका संचालन किया जा रहा है? क्या यह गम्भीर अनियमितता नहीं है? इसके लिए दोषी अधिकारियों पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** क्या पुन: शासन द्वारा निर्धारित स्थान अंजन गाँव से कार्यालय का संचालन किया जावेगा? हाँ तो समयावधि बतावें नहीं तो उचित कारण देवें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) तत्कालीन मुख्य अभियंता (संचा/संधा) म.प्र.विद्युत मंडल जबलपुर के आदेश क्रमांक 08-01/स्था./केएनडी/2619 जबलपुर दिनाँक 07.03.1988 के द्वारा तत्कालीन भीकनगाँव (ग्रामीण) वितरण केन्द्र का विभाजन कर ग्राम अंजनगाँव में नवीन वितरण केन्द्र का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अंजनगाँव में वर्तमान में उक्त वितरण केन्द्र कार्यालय का संचालन नहीं हो रहा है। **(ख)** उक्त वितरण केन्द्र कार्यालय का स्थान परिवर्तित कर भीकनगाँव से संचालित करने के लिए शासन का कोई आदेश नहीं है। **(ग)** उत्तरांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में अंजनगाँव वितरण केन्द्र के तहत तत्समय 36 ग्राम सम्मिलित किये गये थे। इन ग्रामों में से वितरण केन्द्र के प्रमुख ग्राम दौड़वा, पछाया, खेरदा, रोशिया एवं अन्य 15 ग्रामों के निवासियों को अंजनगाँव हेतु देशगांव से भीकनगाँव होते हुए लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ती तथा साथ ही सड़के नहीं होने से आवागमन के साधन भी सुलभ नहीं थे। इसके अलावा ग्राम में कार्यालय संचालन हेतु मूलभूत सुविधाएं यथा-कार्यालय भवन, कर्मचारियों के लिए आवास भवन, कैश कलेक्शन रेमिटेन्स हेतु बैंक एवं दूरभाष सुविधा आदि भी उपलब्ध नहीं थीं। इस स्थिति में उपभोक्ताओं की आवागमन संबंधी समस्याओं, अंजनगाँव में कार्यालय संचालन हेतु उक्तानुसार उल्लेखित कठिनाईयों तथा उपभोक्ताओं की मॉग को दृष्टिगत रखते हुए वितरण केन्द्र कार्यालय का संचालन अंजनगाँव के स्थान पर भीकनगाँव से किया गया था एवं वर्तमान में भी उक्त कार्यालय का संचालन भीकनगाँव से ही किया जा रहा है। जी नहीं, यह अनियमितता नहीं है, तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वितरण केन्द्र कार्यालय का संचालन भीकनगाँव से ही किया जाना युक्तियुक्त पाया गया था। अत: किसी के दोषी होने अथवा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। **(घ)** उत्तरांश **(क)** में उल्लेखित आदेश के अनुसार गठित अंजनगाँव वितरण केन्द्र कार्यालय के संचालन हेतु वर्तमान में भी परिस्थितियॉ अनुकुल नहीं हैं। मुख्य ग्रामों की अंजनगाँव से दूरी एवं पर्याप्त भवन सुविधा के अभाव में, उपभोक्ताओं की सुविधा के दृष्टिगत अभी पूर्व से चल रही व्यवस्था जारी रखना ही उपयुक्त पाया गया है।

<u>बैतूल जिले में निर्मित डेमों की पक्की नहरों का निर्माण</u>

81. (क्र. 1936) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में कितने डेम निर्मित हैं? क्या उन सभी डेमों में पक्की नहर बनी हुई है?

(ख) यदि नहीं तो पक्की नहर बनाये जाने हेतु शासन ने कोई योजना बनाई है? **(ग)** यदि योजना बनी हुई है तो विधानसभा क्षेत्र भैंसदेही के डेमों पर कब तक पक्की नहर बनाई जावेगी? समय-सीमा बताएं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) बैतूल जिले में 133 बांध निर्मित हैं। जी नहीं। **(ख)** जिन परियोजनाओं में रूपांकन के अनुसार सिंचाई नहीं हो रही है उनमें भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार की आर.आर.आर. योजना के अंतर्गत बांधों के सुधार एवं नहरों में लाइनिंग कार्य किया जाता है। **(ग)** भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में नहरों के लाइनिंग का कार्य पूर्ण है। प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण कोई परियोजना विचाराधीन नहीं हैं। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना का शट-डाउन

82. (क्र. 1943) श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजस्व सरकार द्वारा म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी में संजय गांधी ताप परियोजना की अच्छी स्थिति में होते हुए चार 210 मेगावाट की विद्युत इकाईयों को लगभग दो माह से अधिक समय से रिजर्व शट-डाउन के नाम पर बंद करवा कर रखा गया है? यदि हाँ, तो कारण बतायें एवं क्या अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना की दो 120 मेगावाट की इकाईयों तकनीकी खराबी के कारण लगभग छः माह से बंद है, कब तक प्रारंभ होगी या नहीं इसका कारण बतायें? **(ख)** क्या प्रदेश को पूर्व वर्षों से वर्तमान में अधिक दरों पर कोयला जबरन प्रदान किया जा रहा है? विशेष तौर से संजय गांधी ताप विद्युत गृह हेतु? यदि हाँ, तो वर्ष जून 2013 से मई 2014 तक एवं वर्ष जून 2014 से मई 2015 तक के सभी माहों की जानकारी, प्रति टन कोयला की राशि, कुल कितना कोयला प्राप्त, ताप विद्युत, गृहवार, माहवार, वर्षवार बतायें? **(ग)** संजय गांधी ताप विद्युत गृह को महगा कोयला प्रदान कर मंहगी बिजली उत्पादित हो रही है एवं निजी विद्युत परियोजनाओं से सस्ती बिजली के नाम पर खरीदी जा रही है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के संजय गांधी ताप विद्युत गृह की इकाईयाँ अच्छी स्थिति में हैं तथा सुचारू रूप से कार्य करने हेतु सक्षम है एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देश पर इस विद्युत गृह की 210 मेगावाट क्षमता की चार इकाईयाँ (इकाई क्रमांक 2, 3 एवं 4 दिनाँक 23.05.2015 से एवं इकाई क्रमांक 1 दिनाँक 31.05.2015 से) रिजर्व शटडाउन में बंद है। वस्तुतः बिजली की मांग की तुलना में उपलब्धता अधिक होने पर "मासिक मेरिट ऑर्डर डिस्पेच" के आधार पर जिन इकाईयों की वेरिएबल दर अधिक होती है, उन्हें बंद कराकर कम वेरिएबल दर वाली इकाईयों से बिजली प्राप्त की जाती है। म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अमरकंटक ताप विद्युत गृह क्रमांक-2, की 120-120 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक 3 एवं 4 तकनीकी खराबी के कारण क्रमशः दिनाँक 12.01.2015 एवं दिनाँक 30.04.2014 से बंद हैं। इकाई क्रमांक-3 को दिनाँक 12.01.2015 को टरबाईन के वाइब्रेशन एवं एक्सेनट्रिसिटी बढ़ने के कारण बंद किया गया था। विस्तृत जाँच में पाया गया कि इस इकाई की टरबाईन के एच.पी., आई.पी. एवं एल.पी. रोटर उपयोग योग्य नहीं है। इकाई क्रमांक-4 दिनाँक 30.04.2014 से बंद है, जिसे पुनः संचालित करने हेतु प्रयास किये गये। जाँच में पाया गया कि इस इकाई की टरबाईन के एच.पी. एवं आई.पी. रोटर बेंड हैं। अतः उपयोगी नहीं है। उपरोक्त दोनों इकाईयाँ लगभग 37/38 वर्ष से क्रियाशील थी एवं अपना अनुमानित

जीवनकाल (सामान्यतः 25 वर्ष) पूर्ण कर चुकी है। इकाईयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कर, इसे सुधारने अथवा इन इकाईयों को बंद कर इनके स्थान पर नई इकाई स्थापित करने के संबंध में सलाहकार/विशेषज्ञ के माध्यम से कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण कराया जाने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक निर्णय लिया जावेगा। **(ख)** जी नहीं, प्रदेश के म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सहित देश के सभी विद्युत उत्पादक एवं अन्य कंपनियों को देसी कोयले का प्रदाय केन्द्र सरकार की कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है। कोयला प्रदाय अनुबंध की शर्तों के अनुसार मप्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड उक्त निर्धारित दरों पर ही कोयला कंपनियों से देसी कोयला लेती है। इसे जबरन प्रदाय नहीं कहा जा सकता है। इसमें संजय गांधी ताप विद्युत गृह भी शामिल है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिनाँक 27.02.2011 से प्रभावशील कोयले की उच्च "ए" एवं "बी" ग्रेडों की दरों में अप्रत्याशित तौर पर क्रमशः 167 एवं 177 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई थी। तब से म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को अन्य ग्रेड के साथ प्राप्त हो रहे उच्च ग्रेड के कोयले के कारण आर्थिक भार पड़ा है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर, म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का एक मात्र विद्युत गृह है जहाँ "ए" एवं "बी" ग्रेड के समकक्ष विभिन्न उच्च जी.सी.व्ही. बैंड (जी-3 से जी-5) का महंगा कोयला वर्तमान में प्रदाय किया जा रहा है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह को "ए" एवं "बी" ग्रेड का कोयला कम प्रतिशत में प्रदाय किये जाने हेतु राज्य शासन एवं कंपनी द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। जून 2013 से मई 2014 एवं जून 2014 से मई 2015 तक म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विभिन्न ताप विद्युत गृहों में प्रदाय किये गये कोयले की मात्रा एवं प्रति टन मूल्य, विद्युत गृहवार एवं माहवार तथा विद्युत गृहवार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग)** संजय गांधी ताप विद्युत गृह हेतु कोयला प्रदाय अनुबंध के अनुसार एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तय की गई दर पर कोयला प्रदाय किया जाता है। उत्तरांश **(क)** में उल्लेखानुसार विद्युत की मांग से उपलब्धता अधिक होने की स्थिति में 'मेरिट आर्डर डिस्पेच' के आधार पर कम वेरियेबल दर वाली इकाई से बिजली की आपूर्ति की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को कम दर पर विद्युत की आपूर्ति की जा सके। इसी आधार पर बिजली प्राप्त करने हेतु इकाई का चयन किया जाता है, इसमें राज्य क्षेत्र या निजी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

<u>प्रदेश में सौर उर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाएं</u>

83. (क्र. 1958) श्री रामनिवास रावत : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन निजी कंपनियों से कितनी-कितनी उत्पादन क्षमता की सौर उर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के एम.ओ.यू. कब-कब हस्ताक्षरित किए? इनमें से किन-किन परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हुआ? कौन-कौन सी इकाईयों में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है? कौन-कौन सी परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है कब तक विद्युत उत्पादन प्रारंभ करा दिया जावेगा? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार जिन कंपनियों द्वारा एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए हैं? क्या उनके द्वारा जमीन क्रय की गई है अथवा शासन द्वारा उन्हें जमीन किराये/लीज पर दी गई है? यदि किराए/लीज पर दी गई है, तो कंपनियों द्वारा किस दर से किराया/लीज रेंट लिया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** की अवधि अनुसार सोलर उर्जा उत्पादन इकाईयों से कितने मिलयन यूनिट बिजली किस दर पर क्रय की गई, निम्न विवरण सहित बतावें :

क्रमांक कंपनी का नाम, स्थान, क्षमता (मेगावाट में), बेची गई विद्युत की मात्रा (मिलियन यूनिट में), दर प्रति यूनिट, कुल राशि, की जानकारी वर्षवार बतावें? साथ ही श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में स्थापित किए गए सौर ऊर्जा परियोजना हेतु रिन्यू पावर लिमिटेड का शासन के साथ हुए बिजली क्रय एवं अन्य अनुबंधों की जानकारी उपलब्ध करावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से आज दिनाँक तक 64 निजी कम्पनियों से 'लेटर आफ कमिटमेंट' हस्ताक्षरित किये गये, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। उक्त 64 कम्पनियों में से 6 कम्पनियों द्वारा परियोजना स्थापित की गई व विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त, 12 कम्पनियों की परियोजना प्रक्रियाधीन है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** मेसर्स वेलस्पन सोलर म.प्र.प्रा.लि. को ग्राम भगवानपुरा, डिकेन व पडलिया, तहसील-सिंगौली, जिला-नीमच में परियोजना स्थापना उपयोग हेतु 758.65 एकड़ (307.023 हेक्टेयर) राजस्व भूमि नीति प्रावधान अनुसार नि:शुल्क आवंटित की गई है। **(ग)** स्थापित 6 परियोजनाओं में से वेलस्पन सोलर म.प्र.लि. ने रू.8.05 प्रति यूनिट की दर पर म.प्र. पावर मेनेजमेंट क.लि. से बिजली क्रय अनुबंध किया है और उनके द्वारा विद्युत प्रदाय की जा रही है। शेष 5 परियोजनाओं के विकासकों द्वारा तृतीय पक्ष को परस्पर निर्धारित दर पर विद्युत प्रदाय की जा रही है। रिन्यू एनर्जी (टी एन) प्रा.लि. द्वारा तहसील-विजयपुर, जिला-श्योपुर में स्थापित 50 मेगावाट सौर संयंत्र का बिजली क्रय अनुबंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है एवं भूमि उपयोग अनुज्ञा अनुबंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

<u>निर्वाचन क्षेत्र निधि से प्रस्तावित कार्यों की कार्य एजेंसी नियुक्त किया जाना</u>

84. (क्र. 1960) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन निर्देशानुसार विधान सभा क्षेत्र विकास निधि के कार्यों को स्वीकृत कर विधायक की सहमति से कार्य एजेंसी नियुक्त किए जाने के प्रावधान है? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा 3 जनरेटर स्वीकृत कर कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत नियुक्त किए जाने हेतु पत्र दिया था, किंतु कलेक्टर द्वारा कार्य स्वीकृति लंबित कर एम.पी.एग्रो को कार्य एजेंसी बनाया गया? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 3220 दिनाँक 24.02.2015 द्वारा सोलर लाइट स्वीकृत कर कार्य एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित इंदौर को नियुक्त किए जाने बाबत् लिखा किंतु आज दिनाँक तक स्वीकृति अपेक्षित है? जबकि अन्य जिलों में उक्त कार्य के लिये प्रस्तावित एजेंसी को नियुक्त किया है जैसे ग्वालियर, दतिया आदि जिलों में? क्या शासन स्वीकृति आदेश जारी करने के निर्देश जारी करेगा या अन्य जिलों में समान कार्य स्वीकृत कर एजेंसी बनाने के लिये कलेक्टरों को उत्तरदायी ठहरायेगा? **(ग)** क्या शासन निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत कार्यों को वर्गीकृत कर संभावित एजेंसियां नियुक्त किए जाने आदि के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करेगा, जिससे कलेक्टरों व विधायकों के बीच कार्य स्वीकृति में विलंब को रोका जा सके?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। तदोपरांत कार्य एजेंसी एम.पी.एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन श्योपुर को नियत किये जाने का अनुशंसा पत्र प्राप्त होने पर एम.पी.एग्रो को कार्य एजेन्सी नियुक्त किया गया। जी हाँ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शी निर्देश एवं परिपत्र में उक्त संस्था को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त

किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। स्वीकृति आदेश जारी करने के नियम समस्त मध्यप्रदेश में समान रूप से लागू हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद पंचायत घट्टिया में हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार

85. (क्र. 1973) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला उज्जैन की जनपद पंचायत घट्टिया के ग्राम बनड़ा से ग्राम कलेसर के बीच का मार्ग, बनड़ा पंचायत द्वारा जनभागीदारी की राशि से कितनी बार बनाया गया है? कलेसर से बनड़ा के बीच तक कितने किलोमीटर मार्ग कलेसर पंचायत के द्वारा जनभागीदारी से कितनी बार स्वीकृति लेकर बनाया हे? **(ख)** क्या ग्राम बनड़ा में विधायक निधि 2012-13 से सांस्कृतिक भवन का निर्माण नियत स्थान पर किया गया है? इस पर कितनी राशि खर्च की है? **(ग)** क्या एक मार्ग का कई बार निर्माण कराने एवं सांस्कृतिक भवन की बगैर निर्माण के राशि निकालने पर पंचायत सचिव के खिलाफ निलंबन एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) ग्राम पंचायत बनड़ा द्वारा मार्ग का निर्माण एक बार तथा ग्राम पंचायत कलेसर द्वारा कलेसर से बनड़ा काकड़ तक एक किलोमीटर मार्ग का निर्माण एक ही बार कराया गया है। **(ख)** सांस्कृतिक भवन का निर्माण स्वीकृत स्थल पर ही प्रारम्भ किया गया है। निर्माण सामग्री क्रय हेतु राशि रूपये 1.50 लाख खर्च की गई है। **(ग)** जनभागीदारी योजनान्तर्गत मार्ग का निर्माण एक ही बार कराया गया है। राशि के आहरण उपरांत भी कार्य प्रारंभ न कराये जाने तथा कार्य का मूल्यांकन नहीं आने की जाँच हेतु एक समिति गठित की गई है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही निर्भर है।

तहसील मुख्यालय जीरापुर में आई.टी.आई. की स्थापना

86. (क्र. 1978) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. सरकार द्वारा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर आई.टी.आई. खोलने का निर्णय ले रखा है? क्या, अगर हां तो राजगढ़ जिले में किस-किस तहसील मुख्यालय पर आई.टी.आई. खोली गई है व कहाँ पर आई.टी.आई. नहीं खोली गई है? **(ख)** क्या जीरापुर तहसील मुख्यालय पर आई.टी.आई. खोलने हेतु राजस्व विभाग से तकनीकी शिक्षा विभाग ने जमीन मंजूर कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया है? **(ग)** अगर जमीन आवंटित है तो विभाग कब तक आई.टी.आई. खोलने का आदेश जारी कराकर आई.टी.आई. की कक्षाऐं चालू करा देवेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं। विभाग की नीति के अनुसार प्रथमत: ऐसे ब्लॉक जिसमें कोई शासकीय/प्रायवेट आर्इटीआई नहीं हैं, में पीपीपी मोड के अंतर्गत आईटीआई स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। राजगढ़ जिले की राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ तथा ब्यावरा तहसील में आईटीआई संचालित हैं। जीरापुर एवं पचौर में आईटीआई संचालित नहीं हैं। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत् आईटीआई की स्थापना के लिये नीति के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

शासकीय महाविद्यालय जीरापुर में संचालित संकाय

87. (क्र. 1980) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शा. महाविद्यालय जीरापुर में किन-किन संकाय की कक्षाएं संचालित है? क्या स्व वित्तीय

आधार पर भी कक्षाएँ संचालित हैं? क्या स्ववित्तीय आधार पर वाणिज्य संकाय की कक्षा भी संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो किस सन् से? **(ख)** वाणिज्य संकाय की कक्षा को शासन स्तर पर कब तक स्वीकृत की जावेंगी, और उसके अनुरूप पद स्वीकृत भी कब तक कर दिये जावेंगे? **(ग)** शासकीय महाविद्यालय जीरापुर में सभी संकायों में कितने छात्र-छात्रायें अध्ययनरत है? महाविद्यालय में कितने पद प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत हैं? क्या छात्र संख्या के हिसाब से स्वीकृत पद पर्याप्त है? अगर पर्याप्त नहीं है, तो छात्र संख्या के हिसाब से पद स्वीकृत किये जावेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) शासकीय महाविद्यालय, जीरापुर में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय संचालित है। जी हाँ। स्ववित्तीय आधार पर वाणिज्य संकाय सन् 2000-01 से संचालित है। **(ख)** वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों का सुदृढीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अत: इस कारण वाणिज्य संकाय खोले जाने में कठिनाई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** शासकीय महाविद्यालय, जीरापुर में संकायवार अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार** है। स्वीकृत पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार** है। जी नहीं। पदों की भर्ती संबंधी कार्यवाही लोक सेवा आयोग स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "तेईस"

राज्य प्रशासनिक सेवा के स्वीकृत पद

88. (क्र. 1987) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा संभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर) के कितने पद स्वीकृत है? उनमें से कितने पद रिक्त है? जिलेवार जानकारी दें? **(ख)** क्या सीधी एवं सिंगरौली जिले में राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के कारण शासन का काम ठप्प हो गया है? **(ग)** सीधी एवं सिंगरौली जिले में राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) रीवा संभाग के जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए स्वीकृत/रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

स.क्रं.	जिला	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद
01	रीवा	11	02
02	सतना	12	02
03	सीधी	10	03
04	सिंगरौली	09	04

(ख) जी नहीं। **(ग)** सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

जनजातीय विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु प्रावधान

89. (क्र. 1988) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से प्रावधान किये गए हैं? **(ख)** 2010-11 से अब तक कितने विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए भेजा गया है? सूची उपलब्ध करायें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। प्रदेश में संचालित किये जा रहे विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण की सुविधा के साथ अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रावधान है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा पोस्टमैट्रिक छात्रवृति एवं विदेश अध्ययन छात्रवृति के प्रावधान किये गए हैं। जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2011 से अब तक विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विभाग द्वारा चयनित उम्मीदवारो की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

मलेनी नदी एंव चंबल नदी पर सिरीज ऑफ स्टापडेम की योजना

90. (क्र. 1993) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विगत वर्षों में रतलाम जिला अंतर्गत मलेनी एवं चंबल नदी पर सिरीज ऑफ स्टापडेम (श्रृखंलाबद्ध स्टापडेम) बनाए जाने की कार्य योजना बनाई गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त बनाई गई कार्ययोजना क्या शासन/विभाग को विगत वर्षों में स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया गया था? **(ग)** उपरोक्त नदियों पर सीरिज ऑफ स्टापडेम की कार्ययोजना को क्षेत्र में क्रियान्वित किये जाने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? **(घ)** साथ ही क्या विगत वर्षों में जिला पंचायत द्वारा उक्त योजना को नाबार्ड के माध्यम से किये जाने हेतु प्रस्ताव किया था? यदि हाँ, तो नाबार्ड अथवा अन्य शासन मद से उक्त योजना का क्रियान्वयन कब किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क), (ख) एवं **(ग)** जी हाँ। चिन्हित परियोजनाओं की साध्यता रिपोर्ट **संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ"अनुसार** विभागीय वेबसाइट पर दर्ज है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। **(घ)** जी हाँ। जिला पंचायत द्वारा उक्त परियोजनाओं को नाबार्ड के माध्यम से प्रस्तावित किया था। उक्त परियोजनाएं भू-जल पुनर्भरण योजना के अंतर्गत नहीं होने के कारण केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा वापिस किया जाना प्रतिवेदित है। वर्तमान में परियोजनाओं की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "चौबीस"

जावरा नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति

91. (क्र. 1994) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जावरा नगर के आसपास लगने वाले लगभग चार सौ - पांच सौ ग्रामों सहित आलोट, ताल, बड़ावदा, पिपलौदा, जावरा नगर सहित किसी भी स्थान पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? **(ख)** क्या रतलाम जिला काफी बड़ा होकर जावरा नगर जिले का मध्य केन्द्र एवं सैकड़ों ग्राम के छात्र-छात्राओं का एकमात्र शैक्षणिक कार्य हेतु मुख्य केन्द्र है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या विगत कई वर्षों से

क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों जनता एवं हजारों छात्र-छात्राओं द्वारा जावरा नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किये जाने की मांग लगातार की जा रही है? **(घ)** क्या उच्च शिक्षा से वंचित क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज की जावरा नगर में प्रारंभ किये जाने की कार्ययोजना पर शासन/विभाग स्वीकृति प्रदान कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से **(घ)** जी नहीं।

खारक परियोजना अंतर्गत भुगतान

92. (क्र. 2013) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खारक परियोजना, भगवानपुरा के जी शेड्युल ऑफ रेट के आधार पर ठेकेदार को खारक तालाब की मुख्य दीवार में आज तक कितनी मात्रा की काली एवं पीली मिट्टी डालने का भुगतान किया गया तथा इस भुगतान में काली एवं पीली मिट्टी के परिवहन की दूरी एवं राशि कितनी है मिट्टीवार बताये? **(ख)** खरगोन जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले 05 वर्षों में कितने प्रोजेक्ट/कार्य प्रस्ताव बनाकर शासन की स्वीकृति हेतु किस अधिकारी के माध्यम से भेजे गये? इनमें से कितने कार्य स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित है कार्यवार सूची देवें? कुंदा नदी पर बैराज डेम की सीरीज हेतु भेजे गये प्रस्ताव की जानकारी भी देवें? **(ग)** खारक तालाब की मुख्य दीवार के मध्य में स्टीमेंट/प्रोजेक्ट अनुसार कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाना था? क्या उस मिट्टी का उपयोग किया गया? काली मिट्टी का उपयोग कितना प्रस्तावित था, उतनी मिट्टी उपयोग में लाई गई? काली मिट्टी की जगह पीली मिट्टी का उपयोग किस दिनाँक से किया गया? पीली मिट्टी का परीक्षण कब कराया, रिपोर्ट कब प्राप्त हुई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) खारक परियोजना के बांध निर्माण में आई शेड्यूल के आधार पर ठेकेदार को प्रश्न दिनाँक तक 7, 88, 722.70 घ.मी. मात्रा की मिट्टी के लिए रू.4, 33, 71, 861.27 का भुगतान किया गया है। बांध में डाली गई मिट्टी में काली एवं पीली मिट्टी का कोई आयटम आई शेड्यूल में नहीं है और न ही उनका अलग से दरें अनुबंधित हैं। उपयोग में लाई गई मिट्टी की परिवहन सहित स्वीकृत दर रू.54.99 प्रति घ.मी. के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। दूरी हेतु अलग से प्रावधान नहीं है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में 10 परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है। स्वीकृत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में कुंदा नदी पर प्रस्तावित बैराज की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **(ग)** खारक बांध के हार्टिंग जोन में प्राक्कलन एवं मापदण्ड अनुसार सी.आई. श्रेणी की मिट्टी का उपयोग किया जाना है एवं तदनुसार उपयोग किया जाना प्रतिवेदित है। अनुबंध अनुसार आई शेड्यूल में काली मिट्टी के नाम से कोई उपयोगी मिट्टी का वर्गीकरण सम्मिलित नहीं होने से काली मिट्टी के स्थान पर पीली मिट्टी के उपयोग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। मिट्टी का परीक्षण शासकीय पोलीटेक्नीक खण्डवा से कराया गया एवं रिपोर्ट दिनाँक 16.11.2012 को प्राप्त हुई।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

जिला सिंगरौली में जलाशयों एवं नहरों का संरक्षण

93. (क्र. 2040) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सिंगरौली के अन्तर्गत स्थित जलाशयों एवं नहरों के रख-रखाव व मरम्मत के लिए शासन की क्या योजना है तथा प्रतिवर्ष इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि व्यय की जा रही है? एवं इन जलाशयों व नहरों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? **(ख)** यदि इनका रख-रखाव व मरम्मत कार्य ठीक से नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी अधिकारी कौन है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** सिंगरौली जिले के अंतर्गत निर्मित जलाशयों के शीर्ष कार्य के रखरखाव का दायित्व विभाग को तथा नहरों की मरम्मत एवं रखरखाव का दायित्व म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम-1999 के तहत जल उपभोक्ता संथाओं सौंपा गया है। जिले में स्थित जलाशयों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष रू.2.55 लाख तथा नहरों के रखरखाव पर रू.5.75 लाख व्यय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभागीय अनुरक्षण मद से योजना के बांध एवं नहर पर आवश्यक मरम्मत पर रू.18.00 लाख व्यय किया गया है। जलाशय एवं नहरों की वर्तमान भौतिक स्थिति संतोष जनक होने तथा रखरखाव एवं मरम्मत कार्य प्राप्त आवंटन के अनुरूप ठीक होने से कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

100 सीटर कन्या छात्रावास की स्वीकृति

94. (क्र. 2052) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/462/26/आउशि/निर्माण/शा.-6/15 दिनाँक 09 मार्च 2015 के परिपालन में प्राचार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा द्वारा पत्र दिनाँक 13.04.2015 से 100 सीटर कन्या छात्रावास की स्वीकृति के संबंध में लोक निर्माण विभाग से मूल प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, ब्लूप्रिंट नक्शा आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर संचालक, (वित्त) कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल को प्रेषित किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव अनुसार शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा के परिसर में 100 सीटर कन्या छात्रावास निर्माण स्वीकृति के संबंध में प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** उपरोक्तानुसार क्या शासन ब्यावरा शासकीय महाविद्यालय परिसर में 100 सीटर कन्या छात्रावास निर्माण की स्वीकृति इसी अनुपूरक बजट में प्रदान करेगा? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा द्वारा महाविद्यालय परिसर में सेमीनार हॉल, अतिरिक्त कक्ष एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु विधिवत प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्तावें की स्वीकृति हेतु प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई अथवा कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। किन्तु राज्य योजना आयोग की चेकलिस्ट अनुसार लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) से तकनीकी स्वीकृति, ब्लूप्रिंट नक्शा, चाहे गये, जो अप्राप्त हैं। **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** निर्माण कार्य के संबंध में पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं।

पर्यटन/धार्मिक स्थलों का विकास

95. (क्र. 2053) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या 43 (क्रमांक 550) दिनाँक 20 फरवरी 2015 के उत्तर में बताया गया था कि विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के धार्मिक स्थान घरेलु पशुपतिनाथ मंदिर एवं पार्वती नदी के मध्य स्थित प्राचीन आश्रम व शिवालय तीर्थस्थल घोघराघाट एवं श्री अंजनीलाल मंदिर धाम ब्यावरा सहित तीनों स्थलों के विकास हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन है? तो क्या उपरोक्तानुसार प्रस्तावों के परीक्षणोपरांत प्रश्न दिनाँक तक उक्त वर्णित स्थलों के विकास हेतु कोई कार्यवाही की गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक विकास हेतु प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। ब्यावरा जिले के घोघरा टापू स्थित मंदिर परिसर में विकास कार्य एवं घरेलू पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में विकास कार्य हेतु क्रमशः रू. 20.00 लाख, रू. 40.00 लाख कुल रू. 60.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति पर्यटन विभाग के स्वीकृति प्रदान की जाकर दोनों कार्यों की निविदायें आमंत्रित की गई है। **(ख)** जी हाँ। प्रश्नांश 'क' अनुसार कार्यवाही की गई है।

नगर निगम सीमा में खदानों की स्वीकृति एवं संचालन

96. (क्र. 2072) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम क्षेत्र में खदानों की स्वीकृति के वर्तमान में क्या नियम लागू है एवं नगरीय सीमा में खदान संचालन हेतु, किन-किन शासकीय विभागों की अनापत्ति, सहमति एवं सम्मतियों तथा अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में बताये कि नगर पालिक निगम, कटनी सीमा एवं दस किलोमीटर के दायरा क्षेत्र में कौन-कौन से खनिज की किन-किन खदान स्वामियों एवं संचालकों की कितने-कितने रकबे की कहाँ-कहाँ खदानें स्वीकृत एवं वर्तमान में संचालित हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में इन खदानों के अनियमितितापूर्ण स्वीकृति एवं संचालन के संबंध में नागरिकों द्वारा विभाग, स्थानीय राजस्व विभाग एवं नगर पालिक निगम, कटनी को शिकायतें की गई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों की जाँच में क्या पाया गया एवं क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** से **(ग)** के संदर्भ में बताये कि नगरीय सीमा में बिना समुचित अनुमतियों के अनियमितितापूर्ण खदानों के संचालन का कौन-कौन दोषी एवं जिम्मेदार है? क्या विभाग इन अनियमितिताओं पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नगर निगम सीमा में खदान स्वीकृति के संबंध में वर्तमान में पृथक से कोई नियम नहीं है। वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार खदान के संचालन हेतु माईनिंग प्लान/माईनिंग स्कीम वन एवं पर्यावरण अनुमति/ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्मति की आवश्यकता होती है। **(ख)** प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शित** है। **(ग)** प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में दर्शित** है। **(घ) संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शित** खदाने नियमानुसार स्वीकृत है। संचालित खदाने प्रचलित नियमों के अनुसार माईनिंग प्लान/ माईनिंग स्कीम एवं वन एवं पर्यावरण अनुमति/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्मति प्राप्त अवधि में खदानों में खनन संक्रियाऐ किये जाने के फलस्वरूप किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की निर्धारित क्षमता से अधिक कनेक्शन

97. (क्र. 2073) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा खंम्बों में लगाये जाने वाले एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कितने अधिकतम कनेक्शन दिये जा सकते है? **(ख)** क्या कटनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कटनी नगरपालिका क्षेत्र में ठेकेदार को फायदा पहुँचाने के लिए नियम विरूद्ध तरीके से अनेक स्थानों पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में निर्धारित संख्या से ज्यादा कनेक्शन दिये गये हैं? जिसके कारण शार्ट सर्किट एवं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तथा केबल में आग लगने की घटनाएँ हुई है और इससे खंम्बों में विद्युतप्रवाह आ जाने से जन एवं पशु की भी हानि हुई है? यदि हाँ, तो जबाबदार ठेकेदार एवं अधिकारियों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? **(ग)** कटनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कटनी नगर पालिका क्षेत्र में कितने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में निर्धारित संख्या से अधिक कनेक्शन दिये गये है एवं कब तक इसे सुधारते हुए निर्धारित संख्या में कनेक्शन की व्यवस्था कर दी जावेगी? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ग)** के संबंध में म.प्र.वि.मं. कटनी के नोडल अधिकारी ने ठेकेदार द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाने एवं कनेक्शन कार्य की जाँच एवं सत्यापन किया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रान्तर्गत निम्नदाब लाईन के खम्बों में लगाये गये प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अधिकतम सिंगल फेज के 09 तथा थ्री फेज के 03 कनेक्शन प्रदान किये जा सकते हैं। **(ख)** जी नहीं। कटनी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कटनी नगर पालिका क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से उत्तरांश **(क)** में उल्लेखित निर्धारित संख्या से ज्यादा कनेक्शन प्रदान नहीं किये गये हैं तथा शार्ट सर्किट, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एवं केबल में आग लगने एवं जनधन की हानि से संबंधित कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** कटनी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कटनी नगर पालिका क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से निर्धारित संख्या से अधिक कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। यदि किसी पोल पर दिये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या अधिक होती है तो उसके लिए अलग से नया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाकर कनेक्शन निर्धारित अधिकतम संख्या के अंदर ही प्रदान किये जाते हैं, अतः तत्संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। **(घ)** जी हाँ, कटनी वृत्त में पदस्थ नोडल अधिकारी (आरएपीडीआरपी) पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने ठेकेदार द्वारा लगाये गये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एवं प्रदाय किये गये कनेक्शनों की संख्या की जाँच एवं सत्यापन किया है।

विद्युत बिल की एडवांस जमा राशि

98. (क्र. 2086) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्रामीण क्षेत्र में कुएं एवं ग्रामों हेतु विद्युत बिल की कितने माह की राशि एडवांश में जमा कराई जा रही है? **(ख)** ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने पर दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बकाया बिल की कितने प्रतिशत राशि जमा करवाई जा रही है? क्या बिल की राशि जमा करवाने का प्रतिशत निर्धारित किया गया है? **(ग)** यदि किसी गांव में कुल कनेक्शन में से 51 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं के विद्युत बिल जमा होने पर क्या 49 प्रतिशत या उससे भी कम उपभोक्ता के बिल बकाया होने पर पूरे गांव की विद्युत विच्छेद कर दी जाएगी या खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा? यदि ऐसा कोई नियम हो तो बतावें? **(घ)** सुवासरा विधान सभा में ऐसे कितने ट्रांसफार्मर बन्द पड़े हैं

या विद्युत विच्छेद कर रखे हैं? जिस गांव में 51 प्रतिशत या उससे अधिक उपभोक्ताओं ने बिल की राशि जमा कर रखी है? नाम बतावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु सिंचाई पंप कनेक्शनों के लिए फ्लेट रेट योजना अन्तर्गत छः माही विद्युत देयक अग्रिम रूप से जारी किये जाते हैं। सिंचाई कनेक्शनो को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह विद्युत देयक जारी किये जाते हैं। **(ख)** जला/खराब वितरण ट्रांसफार्मर बदलने हेतु, उस ट्रांसफार्मर से सम्बद्ध उपभोक्ताओं पर कुल बकाया राशि के विरूद्ध निम्नानुसार राशि जमा करवाई जाती है - 1 यदि कुल बकाया राशि रू. 25, 000/- या उससे कम है तो - शत प्रतिशत राशि, 2 यदि बकाया राशि रू. 25000/- से अधिक एवं रू. एक लाख से कम है तो - न्यूनतम रू. 25000/- अथवा कुल बकाया का 50 प्रतिशत जो भी अधिक हो 3 यदि बकाया राशि रू. एक लाख से अधिक है तो - कुल बकाया राशि का 50 प्रतिशत **(ग)** कुछ विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल की राशि बकाया होने पर सम्पूर्ण गांव का विद्युत प्रदाय विच्छेदित नहीं किया जाता तथापि ट्रांसफार्मर खराब होने अथवा जल जाने पर उत्तरांश "ख" में दर्शाए अनुसार बकाया राशि उक्तानुसार जमा होने पर ट्रांसफार्मर बदला जाता है। **(घ)** उत्तरांश **(ख)** में दर्शाए गए प्रावधानों अनुसार विद्युत बिल की बकाया राशि जमा होने के उपरांत प्रश्नाधीन क्षेत्र में कोई भी जला/खराब ट्रांसफार्मर बदलने हेतु शेष नहीं है।

अजा. वर्ग एवं गरीबों को मुफ्त विद्युत प्रदाय

99. (क्र. 2087) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों एवं अजा. वर्ग के व्यक्तियों को कितने यूनिट तक घरेलू उपयोग हेतु विद्युत मुफ्त है? **(ख)** क्या इन व्यक्तियों को शासन द्वारा प्राप्त फ्री प्रति यूनिट के उपर विद्युत खर्च करने पर बिल विभाग द्वारा प्रतिमाह दिया गया है या नहीं? **(ग)** यदि इन्हें फ्री प्रति यूनिट से उपर विद्युत खर्च का बिल विगत कितने वर्षों में नहीं दिया गया तो इसका क्या कारण है? **(घ)** वर्तमान समय में बी.पी.एल. एवं अनुसूचित जाति वर्ग को पुराने विद्युत के बिल जो नहीं दिये गए उनकी वसूली की जा रही है इसका दोषी कौन है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को घरेलू उपयोग हेतु प्रतिमाह 25 यूनिट तक की विद्युत निःशुल्क प्रदाय की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं एवं ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के उपभोक्ता जो कि गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उन्हें निःशुल्क विद्युत प्रदाय का प्रावधान नहीं है। **(ख)** उत्तरांश **(क)** में दर्शाए अनुसार केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उपभोक्ताओं को 25 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क विद्युत प्रदाय की पात्रता है तथा इन उपभोक्ताओं को 25 यूनिट प्रतिमाह से अधिक विद्युत उपभोग करने पर नियमानुसार विद्युत बिल दिया जा रहा है। **(ग)** एवं **(घ)** उत्तरांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

दमोह जिले में बांध निर्माण

100. (क्र. 2111) श्री प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दमोह जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम-सगरा-कुसमी-सगोनी पहुँच मार्ग पर बंधी

बांध का निर्माण कराया गया है? बांध निर्माण के दौरान पूर्व निर्मित मार्ग का लगभग 1 कि.मी. से अधिक हिस्सा जल भराव क्षेत्र की डूब में आया था? क्या डूब में आये मार्ग का मुआवजा लोक निर्माण विभाग को दिया गया था? यदि हाँ, तो कितना, यदि नहीं तो विभागीय सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था? बांध निर्माण के पूर्व संचालित यातायात को यथावत रखने हेतु वैकल्पिक मार्ग पर विचार किया गया था, यदि हाँ, तो बतलावें यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** बंधी बांध की पार के ऊपर से डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग कितनी चौड़ाई का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मार्ग निर्माण ऐजेंसी द्वारा जल संसाधन विभाग से सहमति अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया गया था? क्या विभाग ने इस संबंध में कोई पत्राचार लोक निर्माण विभाग से किया था? यदि हाँ, तो उसका विवरण देवें? **(ग)** क्या बंधी बांध की पार पर से प्रश्न दिनाँक तक यात्री वाहन एवं भारी वाहनों का आवागमन संचालित हो रहा है? यदि हाँ, तो पार के दोनों तरफ यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या रेलिंग स्थापित है? यह किसकी जिम्मेदारी है? **(घ)** क्या बंधी बांध की पार के ऊपर से संचालित भारी वाहन एवं यात्री वाहन के आवागमन पर रोक लगाने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग से पत्राचार किया गया था? यदि हाँ, तो उसका विवरण उपलब्ध करावें? यात्री वाहन बंद हो जाने से वहां के एवं आसपास के ग्रामवासियों ने आवागमन हेतु बंद बस के संचालन के लिए क्या कलेक्टर दमोह को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे? यदि हाँ, तो उनका प्रश्न दिनाँक तक क्या निराकरण किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। जी हाँ। डूब में आये मार्ग का मुआवजा लोक निर्माण विभाग को नहीं दिया गया था। सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया गया। बांध निर्माण के पूर्व संचालित यातायात को यथावत रखने हेतु वैकल्पिक मार्ग पर विचार विमर्श हुआ था, जिसके लिए 1.62 हे. भूमि अर्जित की जा चुकी है। **(ख)** बंधी बांध की पार के ऊपर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है। लोक निर्माण विभाग से पत्र दि.03.10.2012 द्वारा अनुमति चाही गई, परन्तु विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी गई। जी हाँ। किये गये पत्राचार की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ/ब/स/द" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। बंधी बांध की पार से प्रश्न दिनाँक तक भारी वाहन संचालित हो रहे है। बांध के दोनों तरफ रैलिंग स्थापित नहीं है। जनहित को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक आवश्यक सुरक्षित उपाय कर यात्री बस संचालन की अनुमति कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के पत्र दिनाँक 25.11.2014 के द्वारा क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी सागर को दी गई है। सुरक्षित यातायात की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। **(घ)** जी नहीं। यात्री वाहन बंद हो जाने से आवागमन हेतु बस संचालन के लिए मान.प्रश्नकर्ता का पत्र कलेक्टर जिला दमोह के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ था। यात्रियों की असुविधा एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए यात्री बस संचालन की अनुमति क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी सागर को आवश्यक सुरक्षित उपाय करने सहित दिनाँक 25.11.2014 द्वारा प्रदान की गई है।

नगर पालिका क्षेत्र में आई.टी.आई./पॉलीटेकनिक कॉलेज की स्थापना

101. (क्र. 2142) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा नगर पालिका स्तर पर आई.टी.आई./पॉलीटेकनिक कॉलेज खोलने की योजना हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया बुजुर्ग में आई.टी.आई./पॉलीटेकनिक कॉलेज खोलने हेतु योजना लंबित है? **(ग)** यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं **(ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण

102. (क्र. 2153) श्री अशोक रोहाणी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले में रेत का अवैध रूप से उत्खनन करने/परिवहन व भंडारण से संबंधित कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं एवं कितनी-कितनी मात्रा में रेत को जब्त किया गया है? वर्ष 2013-14 से 2014-15, अक्टूबर 2014 तक की माहवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में खनिज विभाग के किन-किन अधिकारियों ने कब-कब कहाँ-कहाँ पर छापे की कार्यवाही कर कितनी-कितनी मात्रा में रेत को जब्त किया है तथा इस जब्त रेत को कब, किसे कहाँ पर सुपुर्द किया गया? जब्त रेत की सुरक्षा के क्या उपाय किये गये? यदि नहीं तो क्यों? कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी मात्रा में जब्त की गई? रेत की कब कितनी राशि में नीलामी की गई? **(ग)** प्रश्नांकित पंजीकृत किन-किन प्रकरणों में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? किन-किन प्रकरणों में न्यायालय में चालान कब प्रस्तुत किया गया तथा किन-किन प्रकरणों में राशि अधिरोपित की गई और किन-किन प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड की कितनी-कितनी राशि की कब वसूली की गई? किन-किन प्रकरणों में कितनी-कितनी राशि की वसूली नहीं की गई एवं क्यों? **(घ)** प्रश्नांकित किन-किन प्रकरणों में किस दर से पेनाल्टी की कितनी-कितनी राशि का निर्धारण कर कितनी-कितनी राशि की वसूली की गई तथा किन-किन प्रकरणों में कितनी-कितनी राशि की वसूली नहीं की गई है? **(ड.)** क्या शासन प्रश्नांश **(क)** में रेत का अवैध रूप से उत्खनन/परिवहन/भंडारण की जाँच कराकर इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ए', 'बी' एवं 'सी' पर दर्शित है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'बी' एवं 'सी' पर दर्शित** है। जप्त की गई रेत की सुरक्षा के उद्देश्य से सुपुर्दगी की कार्यवाही की गई है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'बी' दर्शाये अनुसार** अवैध उत्खनन के संबंध में 3 प्रकरणों में समझौता राशि वसूल किये जाने के कारण नीलामी की कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नीलामी की कार्यवाही नहीं की गई है। **(ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ए' में दर्शित अनुसार** अवैध परिवहन के समस्त प्रकरणों में अर्थदण्ड आरोपित कर जमा कराया गया है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'बी' में दर्शित अनुसार** कुछ अवैध उत्खनन के प्रकरणों में अर्थदण्ड की राशि आरोपित कर जमा कराई जा चुकी है। शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसी प्रकार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'सी' के कॉलम 9 और 10 में दर्शाये अनुसार** कारणों से अवैध भण्डारण के समस्त प्रकरण विचाराधीन / प्रक्रियाधीन हैं, उक्त कारण से वसूली की कार्यवाही का अभी प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ए', 'बी' एवं 'सी' से स्पष्ट** है कि गौण खनिज रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के विरूद्ध नियमित रूप से कार्यवाही की गई है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिलिका का उत्खनन

103. (क्र. 2154) श्री अशोक रोहाणी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले में सिलिका के खनन की कहाँ-कहाँ पर स्वीकृत खदाने संचालित हैं? ग्राम का नाम, पटवारी हल्का नंबर, खसरा नंबर व रकबा सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में जिला

प्रशासन व खनिज विभाग को सिलिका का अवैध रूप से उत्खनन व परिवहन करने से संबंधित किस स्तर से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन शिकायतों की जाँच कब, किससे कराई गई? यदि नहीं तो क्यों? वर्ष 2014-15 की जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांकित **(क)** में सिलिका का अवैध रूप से उत्खनन के परिवहन को रोकने हेतु कब-कब, किन-किन अधिकारियों ने किन-किन खदान क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया है और कब किस-किस पर क्या कार्यवाही की गई? बतलावें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में तिलवारा, चरगवाँ रोड पर स्थित गंगई गाँव के आस-पास वन विभाग की जमीन से सिलिका का अवैध रूप से उत्खनन व परिवहन और रॉयल्टी की चोरी रोकने हेतु जिला प्रशासन व खनिज विभाग ने कब, किस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। **(ख)** प्रश्नानुसार प्रश्नावधि कोई भी शिकायत प्रकाश में नहीं आई है। अतः प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु मैदानी अमले द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। सिलिका सेन्ड के अवैध उत्खनन/परिवहन का कोई प्रकरण संज्ञान में न आने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नाधीन क्षेत्र में सिलिका का कोई अवैध उत्खनन/परिवहन नहीं पाया गया। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "सत्ताईस"</u>

<u>निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में स्वीकृत राशि</u>

104. (क्र. 2159) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014-15 में विधानसभा क्षेत्र मण्डला की म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में कितनी राशि स्वीकृत एवं कितनी जारी की गयी तथा कितनी शेष बची है? नियत समय में प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात् देयक कोषालय मण्डला में प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति लगाकर वापस कर दिये गये? **(ख)** यदि हाँ, तो विधायक निधि के देयक एवं स्वेच्छानुदान के देयक में क्या आपत्ति कोषालय मण्डला द्वारा लगायी गयी? **(ग)** क्या म.प्र. शासन के वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 499/डी.एम.सी./चार/2015 भोपाल दिनाँक 29.03.2015 की कण्डिका दो में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के देयक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि तत्कालीन कोषालय अधिकारी मण्डला द्वारा स्वेच्छानुदान के देयक में पांच लाख से अधिक एवं विधायक निधि के देयक में वित्त विभाग की अनुमति नहीं, की टीप देकर देयक वापस कर दिये गये? **(घ)** म.प्र. शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कोषालय अधिकारी पर क्या और कब तक कार्यवाही की जायेगी? एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की अवैधानिक तरीके से लेप्स राशि कब तक जारी कर दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) रू. 77.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है तथा इसमें से रू. 38, 41, 195/- की राशि निर्माण कार्य हेतु जारी की गई है। जिला कोषालय मण्डला द्वारा देयकों पर आपत्ति लगाने के कारण शेष बची राशि रू. 38, 58, 805/- लेप्स हो गई। **(ख)** यह आपत्ति लगाई गई कि राशि जमा किये जा रहे बैंक खातों के संचालन हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति देयक में संलग्न कीजिए। **(ग)** जी हाँ। अधिकांश भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद नाम से खाते खोले जाने के कारण कोषालय द्वारा

आपत्ति लगाकर देयक वापस किया गया। **(घ)** अनुपूरक बजट में उक्त राशि का प्रावधान रखा गया है। राशि प्राप्त होने पर आवंटित की जावेगी। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

थॉवर बांध का पानी बालाघाट जिले को दिया जाना

105. (क्र. 2164) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मण्डला जिले के थॉवर बांध का पानी बालाघाट जिले को दिया जा रहा है, जिससे जिले के किसान पानी से वंचित है? म.प्र. शासन के किस आदेश के पालनार्थ बालाघाट जिले को पानी दिया जा रहा है? **(ख)** क्या बालाघाट जिले अंतर्गत डूंठी बांध में विशेष परिस्थितियों में पानी देने हेतु कमांड एरिया भीमगढ़ बांध छपरा जिला सिवनी को सुनिश्चित किया गया है? यदि हाँ, तो भीमगढ़ बांध से पानी देने के बजाय थॉवर बांध से पानी दिया जाना कहाँ तक न्यायोचित है? **(ग)** थॉवर बांध से डूंठी बांध बालाघाट को पानी देने के लिये क्या म.प्र. शासन के आदेश तथा नियम प्रक्रिया का पूर्णत: पालन किया गया है? क्या यह सही है कि इस प्रकार पानी देने की प्रक्रिया हेतु संभागायुक्त की अध्यक्षता में जल वितरण कमेटी प्रस्ताव बनाकर देती है कि किस-किस जिले का पानी कहाँ-कहाँ दिया जावे, जिस पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन पश्चात् मा. मुख्यमंत्री आदेश जारी करते हैं, क्या यह प्रक्रिया का पालन किया गया है, बतायें? **(घ)** क्या जिन क्षेत्रों से पानी दिया जा रहा है, उक्त क्षेत्र में पेयजल संकट तो व्याप्त नहीं है, इसका परीक्षण विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो इस घोर अनियमितता के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो गंभीर पेयजल संकट वाले क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध न कराकर अन्यत्र पानी दिया जाना कहाँ तक न्यायोचित है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधानसभा क्षेत्र बीना अंतर्गत स्वीकृत सिंचाई परियोजना

106. (क्र. 2177) श्री महेश राय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत कितनी लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गयी है? **(ख)** यदि हाँ, तो ग्राम देवल की लघु सिंचाई परियोजना की प्रश्न दिनाँक तक क्या स्थिति है? **(ग)** देवल की लघु सिंचाई परियोजना में क्या तकनीकी परेशानी आ रही है, अवगत कराने का कष्ट करें? **(घ)** यदि हाँ, तो पुन: सर्वे कराने का क्या प्रावधान है और अभी तक क्यों नहीं किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग)** देवल लघु सिंचाई परियोजना में डूब भूमि अधिक होने के कारण परियोजना असाध्य पाई गई। पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

गोटेगांव विधानसभा में ज्यादा एच.पी. के विद्युत बिलों की वसूली

107. (क्र. 2185) डॉ. कैलाश जाटव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों के किसानों को 3 एच.पी. की स्वीकृत क्षमता होने के बाद भी 5 एच.पी. के बिल एवं इसी तरह 5 एच.पी. की जगह 8 एच.पी. के बिल दिये जा रहे है? इसका आधार क्या है? **(ख)** यदि ये बिल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान अनियमितता के कारण दिये

गये हैं, तो क्या निरीक्षण पंचनामा किसानों की उपस्थिति में हस्ताक्षर लेकर बनाये जाते हैं? यदि नहीं, तो किस हिसाब से ये बिल दिये जा रहे हैं? **(ग)** क्या पानी की मोटरपंप पर 3 एच.पी. लिखे होने के बाद भी निरीक्षण मशीन द्वारा 5 एच.पी. एवं 5 एच.पी. की मोटरपंप को 7 एवं 8 एचपी बताया जाता है? इसमें निरीक्षण मशीन की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है? **(घ)** क्या निरीक्षण मशीन की गुणवत्ता परीक्षण केंद्रों (लेबोरेट्रीज) से कराई जाती है? यदि हाँ, तो कब-कब कराई गई थी? जानकारी प्रदान करें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, किसानों के सिंचाई पम्पों के भार का सत्यापन करने के उपरांत पाये गए भार के अनुरूप बिल दिए जा रहे हैं। **(ख)** सिंचाई पम्प कनेक्शनों के पम्प स्थल का निरीक्षण संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाता है। तदोपरान्त पंचनामा बनाया जाता है एवं मौके पर उपस्थित रहने वाले किसानों से पंचनामें पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं तथा पाये गये वास्तविक भार के अनुसार बिल जारी किए जा रहे हैं। **(ग)** कृषक उपभोक्ताओं के यहाँ स्थापित मोटर पम्प भार का मौके पर उपस्थित किसानों की उपस्थिति में ही निर्धारित गुणवत्ता/मानक के टॉन्ग टेस्टर/एनर्जी मीटर से सत्यापन किया जाता है, अतः प्रश्न नहीं उठता। **(घ)** मानक प्रयोगशाला से प्रमाणित टॉन्ग टेस्टर/एनर्जी मीटर द्वारा ही भार का सत्यापन किया जाता है।

<u>गोटेगांव विधानसभा में विद्युत मीटर स्थापना</u>

108. (क्र. 2186) डॉ. कैलाश जाटव : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान तक ऐसे कितने गांव है, जिनका विद्युत सेपरेशन हो चुका है एवं कितने गांव अभी बाकी हैं, सूची उपलब्ध करायें? **(ख)** राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किन-किन गांवों में कितने-कितने मीटर कनेक्शन किये गये हैं एवं इनमें से कितनों में विद्युत प्रवाहित हो रही है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** अनुसार यह योजना केवल विद्युत विहीन ग्रामों के लिये है? यदि हाँ, तो पूर्व से विद्युतीकृत गांवों के बी.पी.एल. कार्डधारियों के लिये एक बत्ती कनेक्शन की क्या योजना है? **(घ)** क्षेत्र में विद्युत मेंटनेंस विगत कई वर्षों से नहीं हुआ है? विद्युत मेंटनेंस का कार्य कब-कब होना चाहिये?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में 78 ग्रामों में फीडर विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 302 ग्रामों में कार्य किया जाना शेष है। ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमशः प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' में दर्शाए अनुसार** है। **(ख)** राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत ग्रामवार दिये गये मीटरयुक्त कनेक्शनों की संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' में दर्शाए अनुसार** हैं। इन सभी ग्रामों/कनेक्शनों को नियमानुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। **(ग)** रा.गा.ग्रा.वि.यो. में अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत करने एवं विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाली बसाहटों/मजरों/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण करते हुये सभी श्रेणी के बी.पी.एल.हितग्राहियों को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किया जाना है। विद्युतीकृत ग्रामों के बी.पी.एल. हितग्राहियों को भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में बी.पी.एल. कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। **(घ)** प्रश्नाधीन क्षेत्र में विद्युत मेन्टेनेन्स का कार्य लगभग 2 माह पूर्व दिनाँक 06.05.15 से 14.05.15 के दौरान किया गया है। विद्युत मेन्टेनेन्स का कार्य सामान्यतः वर्ष में दो बार मानसून पूर्व (अप्रैल से मई माह के दौरान) एवं मानसून पश्चात्

(अक्टूबर एवं नवम्बर के दौरान), कराया जाता है। इसके अलावा भी विशेष परिस्थितियों में अधिक विद्युत व्यवधान, तकनीकी खामियां पाये जाने पर आवश्यकतानुसार विद्युत लाईनों/उपकरणों का मेन्टेनेन्स किया जाता है। उक्तानुसार ही प्रश्नाधीन क्षेत्र में प्रतिवर्ष मेन्टेनेन्स के कार्य कराए जा रहें हैं।

<u>बालाघाट जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य</u>

109. (क्र. 2226) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में विषयांकित योजना के जो काम GVPF कंपनी को दिये गये थे, उन कामों को कब तक पूरा किया जाना था? इन कंपनी द्वारा जो काम अधूरे है, उन कार्यों की विस्तृत जानकारी दें? **(ख)** क्या उक्त कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या यह ठेका अन्य कंपनी को दिया जाएगा या अधूरे कामों को विभागीय स्तर पर किया जाएगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत बालाघाट जिले में मेसर्स जी.व्ही.पी.आर.इंजीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद (GVPF कंपनी नहीं) को टर्न-की आधार पर दिये गये विद्युतीकरण के कार्यों को दिनाँक 20.11.2010 तक पूर्ण किया जाना था। मेसर्स जी.व्ही.पी.आर.इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा जो कार्य अधूरे छोड़े हैं, उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं। **(ख)** जी हाँ, 11 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत मेसर्स जी.व्ही.पी.आर. इंजीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद को बालाघाट जिले हेतु दिया गया कान्ट्रेक्ट अवार्ड दिनाँक 19.06.2015 को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में यह कान्ट्रेक्ट किसी अन्य कंपनी को नहीं दिया गया है अपितु शेष बचे कार्यों को विभागीय स्तर पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तदुपरांत भी जो कार्य शेष रहेंगे, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में किया जावेगा।

<u>खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने में होने वाला व्यय</u>

110. (क्र. 2227) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खराब हुए ट्रांसफार्मर की मरम्मत कराने के बाद ट्रांसफार्मर खराब न होने की गारंटी की अवधि क्या होती है? गारंटी पीरियड में खराब हुए ट्रांसफामरों को लाने ले जाने में जो परिवहन का खर्च होता है क्या उस खर्च को ट्रांसफार्मर सुधारने वाली कंपनियां वहन करती हैं या विद्युत वितरण कंपनियों को उसका व्यय वहन करना पड़ता है? **(ख)** चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित कार्यों के लिये प्रश्न दिनाँक तक हुए परिवहन व्यय की जानकारी कृपया दें? **(ग)** यदि ट्रांसफार्मर सुधारने वाली कंपनियों परिवहन व्यय नहीं देती तो क्या आगामी अनुबंधों की शर्तों में परिवहन व्यय ट्रांसफार्मर सुधारने वाली कंपनियों से लेने संबंधी शर्त रखने पर क्या शासन विचार करेगा ताकि ट्रांसफार्मर अच्छी गुणवत्ता के साथ सुधारे जा सके?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) खराब हुए ट्रांसफार्मर को सुधरवाने के बाद उस सुधारे गए ट्रांसफार्मर की गांरटी अवधि वितरण ट्रांसफार्मर हेतु 18 माह तथा पॉवर ट्रांसफार्मर हेतु 24 माह है। गांरटी अवधि में ट्रांसफार्मर खराब होने पर ट्रांसफार्मरों को क्षेत्रीय भण्डार से सुधारकर्ता कंपनी की फैक्टरी तक ले जाने एवं क्षेत्रीय भण्डार तक वापस करने पर लगने वाला परिवहन व्यय, ट्रांसफार्मर सुधारने वाली कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। **(ख)** उत्तरांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में गांरटी अवधि में

ट्रांसफार्मर फेल होने पर सुधार हेतु ट्रांसफार्मर का परिवहन, ट्रांसफार्मर सुधारने वाली कंपनी द्वारा किया जाता है, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नहीं, अतः प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** उत्तरांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बरगी से रानी अवंती बाई सागर बांध तक की सड़क निर्माण

111. (क्र. 2248) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नर्मदा घाटी विकास विभाग की ग्राम बरगी राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 से रानी अवंतीबाई सागर बांध स्थल तक सड़क निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गयी? उक्त सड़क का निर्माण अब तक प्रारंभ क्यों नहीं हो सका? उक्त जर्जर सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा? सड़क के निर्माण की अवधि क्या निर्धारित है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) नर्मदा घाटी विकास विभाग की ग्राम बरगी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 से रानी अवंती बाई लोधी सागर बांध स्थल तक सड़क निर्माण की तकनीकी स्वीकृति दिनाँक 30/08/2013 को प्रदान की गई। सड़क निर्माण हेतु अभी तक 07 बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। 04 बार एक भी निविदा प्राप्त नहीं होने, एक बार पूर्व अर्हता में निविदाकार के अनर्हितित होने एवं दो बार प्रचलित दरों से अधिक दरे प्राप्त होने के आधार पर निविदा निरस्त होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। निविदा स्वीकृत होने पर ही कार्य प्रारंभ हो सकता है। अतः अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

बेलखेड़ी माईनर का निर्माण

112. (क्र. 2249) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रानी अंवतीबाई सागर परियोजना बाई तट नहर की बेलखेड़ी माइनर के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गयी? इसके निर्माण की अवधि क्या थी? उक्त माइनर नहर की कुल लंबाई कितनी है? एवं कितने रकबे की सिंचाई की जानी थी? उक्त माइनर से अभी कितने रकवे की सिंचाई हो पा रही है एवं किसानों की कहाँ तक पानी दिया जा रहा है? **(ख)** उपरोक्त बेलखेड़ी माइनर के निर्माण की कितनी निविदाएं कितनी-कितनी राशि की किन-किन ठेकेदारों की स्वीकृत की गयी है? उक्त ठेकेदारों को निर्माण कार्य हेतु कार्यवार, आयटमवार अब तक कितना भुगतान किया गया? बेलखेड़ी माईनर का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं होने के लिए कौन दोषी है? उक्त माइनर का शेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बांयी तट नहर की बेलखेड़ी माइनर की निविदा स्वीकृति दिनाँक 31/05/2003 को प्रदान की गई थी। अनुबंध के अनुसार इसके निर्माण की अवधि 21 माह वर्षाकाल सहित निर्धारित थी, विभाग द्वारा ठेकेदार को दिनाँक 31/08/2008 तक समयावृद्धि प्रदान की गई थी, तथा ठेकेदार द्वारा नहर का निर्माण समय पर पूरा न कर पाने के कारण कार्य का ठेका दिनाँक 22/12/2008 को समाप्त कर दिया गया। बेलखेड़ी माइनर की लम्बाई 15.00 कि.मी. है एवं इस नहर द्वारा कुल 1941 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई का प्रावधान है। कार्य पूर्ण करने हेतु 12 बार निविदा का आमंत्रण किया जा चुका है, किन्तु निविदाकारों द्वारा भाग नहीं लेने के कारण कार्य अपूर्ण है, फलस्वरूप सिंचाई नहीं हो पा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** बेलखेड़ी नहर निर्माण के लिये मेसर्स ए.पी.आर. कन्स्ट्रक्शन कंपनी

हैदराबाद की निविदा स्वीकृत की गई थी एवं राशि रूपये 1596.99 लाख का अनुबंध किया गया था। "**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है**" बेलखेड़ी नहर के अपूर्ण कार्य के लिये विभाग द्वारा 12 बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, किन्तु निविदाकारों द्वारा भाग नहीं लेने के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण है, अतः अपूर्ण कार्य हेतु कोई दोषी नहीं है। उक्त माइनर का शेष निर्माण कार्य निविदा प्राप्त होने के उपरांत पूर्ण हो सकेगा।

पवैया बांध व समधन तलैया बांध का कार्य पूर्ण किया जाना

113. (क्र. 2269) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले की हटा विधानसभा अंतर्गत पवैया बांध व समधन तलैया बांध कितनी राशि से किस कार्य एजेंसी द्वारा बनाया गया था? **(ख)** क्या पवैया बांध जो वर्धा के पास है न तो पिचिंग की गई, न नहरें निकली? इसी प्रकार क्या समधन तलैया बांध का किसानों को लाभ मिल रहा है? **(ग)** उक्त बांधों का कार्य पूर्ण कराने जाने हेतु संबंधित एजेन्सियों को निर्देश प्रदान करेंगे एवं विलंब के लिये संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों, कार्य एजेन्सियों पर कार्यवाही करेंगे?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार** है। जी नहीं। पवैया बांध में पिचिंग कार्य पूर्ण है एवं नहरें बनी होना प्रतिवेदित है। दोनों बांधों के कार्य पूर्ण हैं एवं किसानों को नहर द्वारा सिंचाई लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

महिला विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में

114. (क्र. 2290) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय सागर में अध्ययनरत 6000 छात्रायें हैं तथा महाविद्यालय में सीट न होने से 4000 छात्राओं को स्वाध्यायी के रूप में अध्ययन करना पड़ रहा है? क्या संख्या के दृष्टिगत इस क्षेत्र में महिला विश्व विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता हैं? **(ख)** सागर संभागीय मुख्यालय पर उच्च शिक्षा को शैक्षणिक स्थिति के दृष्टिगत महिल वि.वि स्थापना की मांग निरंतर की जा रही है? क्या शासन शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुये क्षेत्र सागर में महिला वि.वि. स्थापित करने पर विचार करेगी? **(ग)** क्य म.प्र. में महिला वि.वि. नहीं हैं एवं राष्ट्रीय मूल्यांक एवं प्रत्यायन समिति द्वारा शासकीय कन्या उत्कृष्ट महाविद्यालय सागर को 'ए' ग्रेड प्रदत्त किया गया है साथ ही प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में यह पांचवे स्थान पर है? शासन ने उच्च संस्थानों से जोड़ने के लिए इस महाविद्यालय को एक करोड़ राशि का अनुदान प्रदत्त किया गया? वर्तमान में कन्या महाविद्यालय को 15 एकड भूमि भी आवंटित है? इन सुविधाओं के दृष्टिगत क्या शासन बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिला वि.वि. खोलने पर विचार करेगी? **(घ)** प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के सागर नगर प्रवास के दौरान सागर नगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट कन्या महाविद्यालय को महिला विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकृष्ट किया था? जिस पर उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था? इस संबंध में प्रश्नांश दिनाँक तक क्या प्रगति हुई है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। वर्तमान में पूर्व से संचालित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता विकास करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः सागर में महिला विश्वविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। **(ग)** जी हाँ। प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। वस्तुस्थिति से संबंधित को अवगत कराया गया।

सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापकों के वेतन निर्धारण में विसंगति

115. (क्र. 2312) श्री विश्वास सारंग : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2011 से 2013 के मध्य सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापकों के वेतन निर्धारण में हुई विसंगति दूर करने के लिए उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी? यदि हाँ, तो कमेटी को भोपाल स्थित शासकीय महाविद्यालयों में किस तरह की विसंगति दिखाई दी? क्या उसे प्रश्न दिनाँक तक दूर कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कारण दें? नियम बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त कितने प्राध्यापकों का प्रश्न दिनाँक तक परिवीक्षा अवधि समाप्त कर दी गई है? कितने प्राध्यापकों को बिना परिवीक्षा अवधि समाप्त किए वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा रहा है? कितनों को इस लाभ से वंचित रखा गया है? नाम सहित बतायें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत तय अवधि में परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं होने के कारण समय पर वेतनवृद्धि न मिलने से प्राध्यापकों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है? क्या उसकी भरपाई की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? कारण दें? नियम बतायें? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उस पर कोई कार्रवाई की जायेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिकारी/कर्मचारी की सामान्य सेवा शर्तों की जानकारी

116. (क्र. 2313) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन के अधीनस्थ सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी की सामान्य सेवा शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय की जाती है? यदि हाँ, तो सामान्य परिस्थितियों में म.प्र. शासन के अधीन किसी भी विभाग के राजपत्रित अधिकारी की परिवीक्षा अवधि कितने दिनों में समाप्त कर दिये जाने का प्रावधान है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत एक अधिकारी का उसी विभाग के उच्च पदों पर म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने की स्थिति में उस अधिकारी को दोबारा परिवीक्षा अवधि में रखा जायेगा या कालावधि में? क्या इन परिस्थितियों में वह वरिष्ठ वेतनवृद्धि पाने का हकदार है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या उच्च शिक्षा में सीधी भर्ती के द्वारा चयनित एवं कार्यरत प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? कारण दें? यदि हाँ, तो कब दिनाँक दें? जिन प्राध्यापकों की सेवा अवधि 20 वर्षों से भी अधिक है और पद रिक्त हैं फिर भी उन्हें स्थायी नहीं किए जाने का कारण क्या है? क्या विभाग उन्हें स्थायी किए जाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-8 के अनुसार। नियम की **प्रति परिशिष्ट पर संलग्न** है। **(ख)** जी हाँ। पूर्व पद

पर स्थायी होने पर स्थानापन्न हैसियत से सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिए वेतन निर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "तीस"

220 के.व्ही. सब स्टेशन की स्थापना

117. (क्र. 2327) श्री दुर्गालाल विजय : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिला मुख्यालय पर 220 के.व्ही. सबस्टेशन की स्थापना का कार्य किस दिनाँक को स्वीकृत किया इसका निर्माण कब तक प्रारंभ कराया जावेगा व कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा यदि नहीं तो कब तक इसकी स्वीकृति प्रदान की जावेगी? **(ख)** क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान तक विद्युत सप्लाई सबलगढ़ स्थित 220 के.व्ही. सबस्टेशन से की जाती रही हैं, इस कारण क्षेत्र में विद्युत एवं वोल्टेज की समस्या निरंतर बनी रहती हैं? **(ग)** क्या शासन श्योपुर क्षेत्र की उक्त समस्याओं के मद्देनजर श्योपुर में उक्त 220 के. व्ही. के सबस्टेशन की स्थापना हेतु प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार कराकर इसे यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा व कब तक यदि नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) श्योपुर जिला मुख्यालय पर 220 के.व्ही. सबस्टेशन की स्थापना का कार्य स्वीकृत नहीं है, अतः वर्तमान स्थिति में कार्य की स्वीकृति, प्रारंभ एवं पूर्णता संबंधी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। तथापि भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत 13वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत श्योपुर में 220 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। **(ख)** श्योपुर में स्थापित 132 के.व्ही.उपकेन्द्र को विद्युत सप्लाई सबलगढ़ 220 के.व्ही. उपकेन्द्र से दो 132 के.व्ही.फीडरों के माध्यम से की जाती है, एवं इस उपकेन्द्र में वोल्टेज निर्धारित सीमा में रहता है। अतः वोल्टेज की समस्या नहीं है। **(ग)** वर्तमान में 132 के.व्ही. उपकेन्द्र श्योपुर की क्षमता 130 एम.व्ही.ए. है एवं इस पर संबद्ध विद्युत भार 104 एम.व्ही.ए. अंकित किया गया है। 132 के.व्ही. श्योपुर उपकेन्द्र के समीप ही 40 एम.व्ही.ए. क्षमता के 132 के.व्ही. उपकेन्द्र बड़ोदा को ऊर्जीकृत कर जून 2015 में विद्युत भार लिया जा चुका है, जिससे श्योपुर के 132 के.व्ही. उपकेन्द्र से संबद्ध विद्युत भार में कमी आई है। अतः वर्तमान में तकनीकी आधार पर श्योपुर में 220 के.व्ही. उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं होने के कारण निर्माण संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि श्योपुर उपकेन्द्र से और अधिक गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु सबलगढ़ 220 के.व्ही. उपकेन्द्र में 2X33 एम.व्ही.ए.आर.कैपेसिटर बैंक ऊर्जीकृत किये जा चुके है एवं श्योपुर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र में 33 एम.व्ही.ए.आर. कैपेसिटर बैंक का कार्य प्रगति पर है, जिसके आगामी रबी सीजन के पहले पूर्ण होने की संभावना है।

शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी में भवन व अन्य सुविधाएँ

118. (क्र. 2344) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय में किन-किन संकायों की कक्षाएं संचालित की जा रही है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में क्या संचालित कक्षाओं में छात्र संख्या के मान में अध्यापक कार्य हेतु पर्याप्त कक्षों की व्यवस्था है, भवन आदि है तथा क्या समय-समय पर विद्यार्थीयों के मार्गदर्शन हेतु विभिन्न संगोष्ठियों व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है, किन्तु उसके लिए महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या के मान से सेमीनार हॉल नहीं होने से खुले मैदान में ऐसे कार्यक्रमों का आयेाजन करना पड़ता है? **(ग)** क्या शासन उक्त कन्या

महाविद्यालय में भवन के साथ-साथ सेमीनार हॉल का भवन एवं अध्यापन कार्य हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) सिवनी जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिवनी में कला एवं वाणिज्य की कक्षाएं संचालित हैं। विज्ञान संकाय की कक्षायें प्रारंभ करने की स्वीकृति पत्र क्र. एफ-21-1/2014/38/2 दिनाँक 01.10.2014 के द्वारा दी गई है। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। **(ग)** महाविद्यालय पुराने जेल विभाग की भूमि/भवन में संचालित है। भूमि/भवन महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित नहीं हुई है। भूमि/भवन महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित होने के पश्चात् ही निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

119. (क्र. 2345) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में विभाग की कौन-कौन सी नवीन सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव विभाग स्तर पर लंबित है? क्या सिवनी जिले के छपारा विकासखंड में भीमगढ़ बांध पर जलवर्धन योजना/परियोजना की स्वीकृति के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है, यदि हाँ, तो किस स्तर पर लंबित है तथा स्वीकृति में क्या वैधानिक परेशानी है? यदि कोई परेशानी नहीं है तो उक्त परियोजना कब तक प्रारंभ कर दी जायेगी? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में प्रस्तावित परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है, जिसकी राशि बढ़ाये जाये हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव पुनः शासन की ओर भेजा गया है? यदि हाँ, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? **(ग)** उक्त परियोजना की स्वीकृत से कौन-कौन से ग्रामवासी लाभांवित होगें? ग्रामवार जानकारी देवें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग)** सिवनी जिले के अंतर्गत विभागीय वेबसाइट में दर्ज चिन्हित परियोजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। छपारा विकासखण्ड में भीमगढ़ बांध पर कोई भी जलवर्धन परियोजना विचाराधीन नहीं है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "इकतीस"

पोलीटेक्निक महाविद्यालय में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति

120. (क्र. 2373) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जतारा में पोलीटेक्निक महाविद्यालय किस वर्ष में खोला गया था तथा उक्त महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कौन था तथा वर्तमान में प्राचार्य कौन है? **(ख)** क्या महाविद्यालय संचालित होने के दिनाँक से अभी तक कितने अतिथि विद्वान शिक्षण कार्य हेतु रखे गये तथा इनको रखे जाने का शासन से कौन सा नियम निर्धारित है? किन-किन समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे गये कौन सी वर्ष में कितने पद रिक्त थे? शासन से कितना मानदेय निर्धारित किया गया? **(ग)** क्या वर्तमान में पदस्थ प्राचार्य कभी भी संस्था पर नहीं मिलते? क्या ऐसे प्राचार्य की जाँच करायेगें? यदि हाँ, तो समयावधि बतायें यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) वर्ष 2011 में खोला गया था। तत्समय श्री ओ.पी. मिश्रा, मूल पद व्याख्याता गणित को प्रभारी प्राचार्य के पद पर विभाग द्वारा दिनाँक 25.08.12 को पदस्थ किया गया था। वर्तमान में भी श्री ओ.पी. मिश्रा, प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत् है। **(ख)** महाविद्यालय संचालित होने के दिनाँक से रखे गये अतिथि विद्वानों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	**वर्ष**	**रिक्त पद**	**अतिथि विद्वान की संख्या**
1.	2011-12	13	04
2.	2012-13	13	07
3.	2013-14	13	09
4.	2014-15	13	11

विभाग के आदेश क्रं./एफ 1-2/2004/42/1, दिनाँक 09 जून, 2004 के अंतर्गत रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों को रखने का प्रावधान है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। महाविद्यालय द्वारा विज्ञापन आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय बाणगंगा रोड विज्ञापन शाखा भोपाल को विज्ञापन प्रसारण हेतु भेजे जाते है, जिन्हें विज्ञापन शाखा विज्ञापित करती है, शासन द्वारा प्रतिकाल खण्ड 275/- रूपये निर्धारित है। विज्ञापित पद महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार निकाले गये, वर्तमान सत्र 2015-16 के लिए सिविल इंजी. 05 पद, इलेक्ट्रानिक्स 05 पद तथा फिजिक्स केमिस्ट्री एवं कम्युनिकेशन स्किल क्रमशः 01-01 पद कुल 13 पद विज्ञापित किये गये। **(ग)** वर्तमान में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य शासकीय कार्यों हेतु मुख्यालय से बाहर की अवधि को छोड़कर बाकी समय महाविद्यालय में उपस्थित रहते है। अतः जाँच कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "बतीस"</u>

<u>राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत कार्य</u>

121. (क्र. 2376) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगापुर विधानसभा क्षेत्र-47 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली, लगाये जाने का कार्य कितने ग्रामों में अभी शेष है? वे कौन से ग्राम है क्या कारण है कि अभी तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं कराया तथा इस विलंब के लिये कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है? क्या ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? **(ख)** क्या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जनपद पंचायत बल्देवगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदौरा के जंगल खेरा, में खंबे भी नहीं लगाये गये और विद्युत कनेक्शन भी नहीं किये फिर हितग्राहियों को बिजली के बिल थमा दिये, क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतायें यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? **(ग)** प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित उन बिलों को निरस्त खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण ग्रामों में की गई विद्युतीकरण की जाँच करायेगें? **(घ)** क्या खरगापुर विधानसभा के ऐसे कई ग्राम हैं, जहाँ अभी तक कार्य नहीं हुआ क्या उक्त कार्य पूर्ण करायेंगे? यदि हाँ, तो समयावधि बतायें यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्य योग्य 166 ग्राम विद्युतीकृत हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में

प्रश्नाधीन क्षेत्र के 38 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरो/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है, जिसका विवरण **संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** है। उक्त योजना के अंतर्गत कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा निविदा की शर्तों के अनुसार योजना के कार्य प्रारंभ करने की प्रभावी तिथि 16.02.15 है। अतः विलम्ब होने या किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने/कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। **(ख)** प्रश्नांश में उल्लेखित ग्राम जंगल खेरा में 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत खम्बे खड़े कर तार खीच कर तथा ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किए जाने के बाद ठेकेदार एजेंसी में. रोहिणी इलेक्ट्रिकल्स, मुम्बई द्वारा 12 हितग्राहियों के विद्युत कनेक्शन हेतु कार्य पूर्ण किये गये। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आर.एम.एस. में उक्त 12 कनेक्शनों की प्रविष्टि किये जाने से उपभोक्ता को देयक जारी होने लगे थे। किंतु विद्युत प्रदाय की टेस्टिंग के दौरान 11 के.व्ही. लाईन में तकनीकी खराबी के कारण ट्रांसफार्मर फेल हो गया था, जिसे सुधार कर वर्तमान में विद्युत प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है तथा जो देयक जारी किये गऐ थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित 12 उपभोक्ताओं के विद्युत देयक जिनकी कुल राशि रू. 18049/- है, नियमानुसार निरस्त कर दिये गये हैं। जी हाँ, विधानसभा के क्षेत्र के सम्पूर्ण ग्रामों में विद्युतीकरण कार्यों की जाँच नोडल अधिकारी (रागांग्राावियों) द्वारा की जा रही है एवं यदि कोई अन्य ऐसा प्रकरण प्राप्त होता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** उत्तरांश **(क)** में दर्शाए अनुसार खरगापुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत 38 विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरों/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य किया जाना शेष है, जिसे पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 15.02.2017 हैं।

<u>परिशिष्ट - "तैंतीस</u>"

<u>जावरा तथा पिपलौदा में पवन ऊर्जा की स्थापना</u>

122. (क्र. 2402) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जावरा एवं पिपलौदा विकासखण्ड जिला रतलाम में जिन पहाड़ी भूमियों एवं अन्य स्थानों पर पवन ऊर्जा के टॉवर लग रहे है? वहां पर पहुँचने एवं टावर खड़ा करने के लिए किस-किस कंपनी या संस्था ने जो पहुंच मार्ग बनाए है उनकी लंबाई-चौड़ाई बताते हुए, बताने का कष्ट करें कि उनके द्वारा कितना-कितना घन मीटर मुरम, मिट्टी, पत्थर या अन्य रेत, गिट्टी का उपयेग किया गया व क्या उपयोग की नियमानुसार अनुमति ली गई? यदि हाँ, तो अनुमति की प्रति उपलब्ध कराते हुए उपयोग किये गये खनिज की मात्रा बताने का कष्ट करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** से संबंधित खनिज विभाग द्वारा किस-किस कंपनी से कितनी-कितनी रायल्टी की राशि कब-कब ली गई? यदि नहीं ली गई तो क्यों? व किस-किस कंपनी पर कितनी-कितनी राशि लेना शेष है व कब तक वसूल कर ली जावेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>स्वेल माइन्स से कर वसूली</u>

123. (क्र. 2411) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कटनी जिले की स्वेल माइन्स पर वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में केंद्रीय एवं प्रवेश कर वेट कर एवं अन्य के रूप में राशि 1, 07, 97, 13, 805/- अंकन (एक अरब सात करोड़

सन्तान्वे लाख तेरह हजार आठ सौ पांच) बकाया है? उक्त फर्म किस अधिकारी/कर्मचारी के प्रभार में थी? समय रहते उक्त अधिकारियों ने राशि न वसूलने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को निलंबित कर उच्च स्तरीय जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्या कारण बताएं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की राशि वसूली हेतु फर्म की चल/अचल संपत्ति क्या-क्या है, बताऐं तथा उसकी शासकीय बोली क्या निर्धारित की गई है एवं उक्त फर्म की चल-अचल संपत्ति का मूल्यांकन कब कितना किसके द्वारा किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** की राशि वसूलने के लिये किसको दायित्व सौंपा गया है, उसके द्वारा फर्म की चल/अचल संपत्ति की वसूली क्यों नहीं की गई, कारण सहित बताएं? **(घ)** उक्त के अतिरिक्त प्रश्न दिनाँक तक किस-किस फर्म पर कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है? विवरण दें। अभी तक राशि वसूल न होने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) कटनी स्थित स्वेल माइंस पर वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में 1, 29, 28, 44, 211/- शब्दों में (एक अरब उनतीस करोड़ अठ्ठाईस लाख चंवालीस हजार दो सौ ग्यारह) बकाया है। वर्षवार एवं अधिनियमवार बकाया राशियों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ए अनुसार** है। उक्त फर्म सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी वृत्त के प्रभार में थी। लंबित बकाया राशि की वसूली हेतु व्यवसायी की चल-अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए बकाया राशि के विरूद्व बकायादार की कुर्कशुदा सम्पत्ति का निर्वर्तन/नीलामी नहीं करने के निर्देश दिये गये थे। इसी अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 27794/2014 मे पारित निर्णय दिनाँक 28.10.14 से बकायादार की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही स्थगित की गई है। बकाया राशि की वसूली के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार समय पर वसूली कार्यवाहियाँ की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में बकायादार की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"बी" अनुसार** है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 27794/14 में पारित निर्णय दिनाँक 28.10.14 से बकायादार की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही स्थगित की गई है। **(ग)** प्रशनांश **(क)** की राशि वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा यथासमय अपेक्षित कार्यवाहियाँ की गई है। माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में तथा मान. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 27794/14 में पारित निर्णय दिनाँक 28.10.2014 से बकायादार की नीलामी की कार्यवाही स्थगित की गई है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सी अनुसार** है। वसूली के संबंध में नियमानुसार समय समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई। प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मतदाता सूची में अनियमितता की जाँच

124. (क्र. 2412) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1202 दिनाँक 19.06.2015 को लिखकर ग्राम अमगवां, तहसील रीठी जिला कटनी के निवासी जितेंद्र अग्रवाल का पत्र संलग्न कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं काटने में अनियमितताएं की शिकायत

की गई है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कटनी एवं कलेक्टर कटनी को भी की गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो कब तक की जायेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विद्युत सब स्टेशनों में फीडर सेप्रेशन बाबत्

125. (क्र. 2428) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राघौगढ़ विकास खण्ड में कुल कितने सब स्टेशन हैं? कृपया उनकी सूची उपलब्ध करायें? **(ख)** उनमें से कितने सब स्टेशनों में फीडर सेप्रेशन हो चुका है व कितने में शेष है? **(ग)** शेष सब स्टेशनों में कब तक फीडर सेप्रेशन हो जायेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राघौगढ़ विकासखण्ड में कुल 15 नंबर 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापित है, जिनकी सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** राघौगढ़ विकास खण्ड के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रवार फीडर विभक्तिकरण के कार्यों की स्थिति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** राघौगढ़ विकास खण्ड के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण के कार्य टर्नकी आधार पर ठेकेदार एजेंसी मेसर्स ऐस्टर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किये जा रहे थे, परन्तु कांट्रेक्ट की शर्तों के अनुसार समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण नवम्बर 2014 में कांट्रेक्ट निरस्त कर दिया गया है। शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः वर्तमान में शेष कार्य पूर्णता की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

कांडा कार्य निर्माण में अनियमितता

126. (क्र. 2436) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छतरपुर जिले के अंतर्गत बरियारपुर वायी नहर परियोजना के द्वारा कराये गये कांडा का निर्माणकार उप नहर में संथा (जल उपभोक्ता समिति) द्वारा जो नाली निर्माण एवं उपनहर के निर्माण कार्यों में भारी अनियमिततायें की गई है? **(ख)** क्या उक्त उपनहरों में जो नाली निर्माण कार्य कराया गया उसमें मटेरियल घटिया एवं रेत मिट्टी मिली हुई उपयोग की गई? जिससे उक्त कांडा कार्य बनते ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? **(ग)** उक्त क्षतिग्रस्त एवं टूटफूट हुए उपनहर, नाली निर्माण का भुगतान किया गया है कि नहीं? यदि हाँ, तो क्या भुगतान राशि वापिस की जावेगी? अथवा पुनः उपनहर या नाली का निर्माण संथा के ठेकेदारों से तुड़वाकर किसी अन्य योग्य ठेकेदारों से बनवाई जावेगी? **(घ)** उक्त कार्यों में लापरवाही बरतने वाली संथा, अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** जी नहीं। लघु संरचना होने के कारण सिंचाई के दौरान कुछ स्थानों पर नाली क्षतिग्रस्त होना प्रतिवेदित है जो स्वाभाविक है। **(ग)** एवं **(घ)** संथाओं द्वारा बनाई गई नालियों का भुगतान संथा अध्यक्षों द्वारा किया गया है। भुगतान राशि वापिस नहीं की जाएगी। काली मिट्टी के स्ट्रेटा वाली नहरों में दरारें आने के कारण टूटी फूटी क्षतिग्रस्त नालियों में सभी आवश्यक सुधार कार्य रबी सिंचाई के पूर्व संथाओं के माध्यम से कराया जाएगा। अतः संथा एवं अधिकारियों पर कार्यवाही की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

खदानों के उत्खनन की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति

127. (क्र. 2437) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले के चन्दला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2005 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी खदानों से कितना उत्खनन किया गया? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर किन-किन प्रकार के खनिज उत्खनित किये जाते हैं? खदानों के नाम, स्थान, संचालकों के नाम तथा कितनी-कितनी जमीन का आवंटन किया गया है? **(ख)** क्या खनिजों के प्रोसेसिंग, शुद्धिकरण, फिनिशिंग करायी जाती है? यदि हाँ, तो कहाँ करायी जाती है, फिनिशिंग प्लाट खदान से कितनी दूरी पर होना चाहिये? शासन के नियम सहित जानकारी उपलब्ध कराये? **(ग)** क्या म.प्र. शासन द्वारा स्थानीय निवासियों को खदानों के संचालन हेतु रोजगार दिया जाता है? यदि हाँ, तो विकासखंड लवकुशनगर एवं गौरिहार में समस्त खनिज खदानों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? खदानवार लोगों के नाम, पता सहित बतावें? क्या उक्त मजदूरों के बीमा कराये गये है? यदि हाँ, तो कब से यदि नहीं तो कब तक कराये जायेंगे? **(घ)** क्या खनिज संचालकों द्वारा खदानों की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति ली गयी है? यदि हाँ, तो किन संचालकों द्वारा ली गयी है? यदि नहीं तो क्या इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में डायस्पोर/पायरोफिलाइट का एक खनिपट्टा, ग्रेनाइट खनिज के 21 तथा पत्थर (क्रेशर द्वारा गिट्टी निमार्ण हेतु) खनिज के 11 उत्खनिपट्टे स्वीकृत है। प्रश्नाधीन अवधि में उक्त एक खनिपट्टे में लगभग 3689 टन पायरोफिलाइट ग्रेनाइट के 21 उत्खनिपट्टे में लगभग 163825.436 घन मीटर एवं पत्थर के 11 उत्खनिपट्टे में लगभग 90576 घन मीटर खनिज का उत्खनन किया गया है। प्रश्न की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित** है। **(ख)** ग्रेनाइट खनिज के एक उत्खनिपट्टेधारी द्वारा ग्राम मडवा तहसील चन्दला में ग्रेनाइट खनिज का कटिंग एवं पॉलिसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। शेष ग्रेनाइट खनिज के उत्खनिपट्टधारियों द्वारा ग्रेनाइट खनिज के ब्लॉक की पॅालिसिंग एवं फिनिशिंग हेतु अन्यत्र भेजे जाते है। खनिजों की प्रोसेसिंग, शुद्धिकरण तथा फिनिशिंग के संबंध में प्रचलित खनिज नियमों में प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा खदानों का संचालन नहीं किया जाता। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित** की गई है। उल्लेखित स्वीकृतियां तत्समय प्रचलित प्रावधान/वर्तमान में प्रचलित प्रावधान के अंतर्गत की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

टेकनपुर हर्सी कैनाल रोड को लोक निर्माण विभाग में हस्तांतरण बाबत्

128. (क्र. 2451) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जून-जुलाई 2014 के अता. प्रश्न संख्या 2080 दिनाँक 8 जुलाई 2013 के उत्तर में बताया गया था कि टेकनपुर हर्सी कैनाल रोड को जल संसाधन विभाग से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण हेतु 25/06/2014 को पत्र भेजा गया है लोक निर्माण विभाग से जानकारी अपेक्षित है? तो क्या अभी तक कोई प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या स्पष्ट करें? उक्त दिनाँक के बाद जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त रोड को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने हेतु और क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? **(ख)** यदि लोक निर्माण विभाग उक्त रोड को अपने अधीन लेने में रूचि नहीं ले रहा तो

क्या विभाग इस खस्ताहाल रोड का निर्माण जल संसाधन विभाग से ही करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 2 ग्वालियर द्वारा उनके पत्र दिनाँक 28.6.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल से दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी। लोक-निर्माण विभाग से दिशा-निर्देश अपेक्षित है। जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त सड़क का उपयोग नहर के निरीक्षण के लिए किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध आवंटन से मरम्मत कार्य किया जाता है। उक्त सड़क लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त कारणों से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

अनुपयोगी वाहन पर व्यय वाहन क्र.एमपी 02 -905

129. (क्र. 2475) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला योजना एवं सांख्यिकीय विभाग भिण्ड में शासकीय वाहन पर कौन वाहन चालक पदस्थ हैं विगत पांच वर्षों से वाहन पर मरम्मत किस एजेंसी द्वारा करवाई गई? कितना भुगतान नगद/चेक/ई-पेमेंट द्वारा किया गया? **(ख)** क्या यह सत्य है कि वाहन चालक से आवक जावक का कार्य करवाया गया है? यदि हाँ, तो वाहन किसके द्वारा चालाया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित वाहन पर विगत पांच वर्षों में कितना डीजल/पेट्रोल किस पेट्रोल पंप द्वारा भरवाया गया? कितना भुगतान नगद/चेक/ई पेमेन्ट द्वारा किया गया? लॉग बुक किस स्तर के अधिकारी द्वारा भरी गई? **(घ)** क्या सत्य है कि प्रश्नांश **(क)** में वर्णित वाहन अनुपयोगी हैं अमरम्मत योग्य हैं? यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क) (ख)** और **(ग)** में फर्जी तरीके से कार्य किया गया? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई जानकारी दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) श्री सलीम अहमद। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। **(ख)** जी हाँ। कर्मचारी की कमी होने के कारण कार्य सुविधा की दृष्टि से वाहन चालक से अपने कार्य के साथ साथ आवक-जावक का भी कार्य कराया गया। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। लॉग बुक जिला योजना अधिकारी द्वारा भरी गई है। **(घ)** दिनाँक 06.12.2014 तक वाहन का शासकीय कार्य हेतु उपयोग किया गया है। वर्तमान में वाहन खराब स्थिति में है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

चामुण्डा माता मंदिर के लिये चंबल नदी पर स्टाप डेम निर्माण

130. (क्र. 2508) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा नगर में चामुण्डा माता मंदिर के लिये चंबल नदी पर स्टाप डेम कब स्वीकृत किया गया था? क्या नगर पालिका नागदा द्वारा लिखित में जल आवर्धन योजना के लिये डेम बनाने का आवेदन दिया था? **(ख)** यदि डेम स्वीकृत है, तो स्टाप डेम का कार्य अब तक चालू क्यों नहीं हुआ? **(ग)** उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) दिनाँक 07.08.2007 को रू.41.25 लाख। जी हाँ। **(ख)** निविदा स्वीकृति उपरांत न्यूनतम निविदाकार द्वारा अनुबंध नहीं करने के कारण दिनाँक

02.02.2010 को निविदा निरस्त करते हुए निविदाकार की धरोहर राशि जब्त की गई। मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 16.09.2010 को नागदा नगर की पेयजल योजना के लिए चंबल नदी पर जल आवर्धन योजना की, की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा जल संसाधन विभाग के प्रस्तावित बैराज स्थल के समीप अन्य योजना प्रस्तावित कर उनके विभाग से जल आवर्धन योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है। नागदा बैराज का कार्य उक्त जल आवर्धन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्टाप डेम के डूब में आने के कारण चालू नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। **(ग)** उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में उक्त परियोजना की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

देहगुड जलाशय हेतु भू-अर्जन

131. (क्र. 2568) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निर्माणाधीन देहगुड़ जलाशय में कुल कितनी भूमि का अर्जन किया गया है एवं किन-किन गांवों में कितनी जमीन डूब में आई है? **(ख)** देहगुड़ जलाशय में डूब में आने वाली भूमि के पटवारी हल्के के अनुसार जमीन की राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित की गई शासकीय दर जिस पर रजिस्ट्री की जाती है, वह दर क्या है? **(ग)** इस जलाशय में डूब में आने वाली जमीन का मुआवज़ा प्रकरण का निर्धारण किस नियम से किया गया है? नियमों का उल्लेख किया जावे? **(घ)** क्या किसानों को जिस दर पर शासन द्वारा रजिस्ट्री की फीस (स्टांप ड्यूटी) दी जाती है, उस दर से मुआवज़ा का भुगतान किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) देहगुड़ जलाशय में बांध हेतु 281.429 हे. एवं नहर हेतु 36.684 हे. सहित कुल 318.11 हे. भूमि का अर्जन किया गया है। बांध के डूब क्षेत्र में आमाडोह की 9.034 हे. ग्राम धारणी की 49.925 हे. ग्राम सेमझिरा की 205.805 हे. एवं ग्राम देहगुड़ की 16.665 हे. भूमि डूब में आई है। **(ख)** देहगुड जलाशय के डूब में आने वाली भूमि की दर राजस्व विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की है:-

ग्राम	प्रति हेक्टर दर		कलेक्टर गाइड लाइन का वर्ष
	सिंचित	असिंचित	
आमाडोह	3, 04, 000	1, 52, 000	2011-12
धारणी	5, 58, 000	2, 29, 000	2011-12
सेमझिरा	4, 22, 400	2, 11, 200	2011-12
देहगुड	3, 12, 000	1, 56, 000	2011-12

(ग) देहगुड़ जलाशय में डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा निर्धारण भू-अर्जन अधिनियम-1894 के अनुसार किया जाना प्रतिवेदित है। **(घ)** ग्राम सेमझिरा की जमीन का मुआवजा कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर तथा ग्राम आमाडोह, धारणी एवं देहगुड़ की जमीन का भुगतान बिक्री छांट की दर से किया जाना प्रतिवेदित है।

देहगुड जलाशय का निर्माण

132. (क्र. 2569) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जल संसाधन विभाग में देहगुड जलाशय का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, जलाशय पर स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि कितनी है? उक्त निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? **(ख)** जलाशय का निर्माण कार्य क्या रात्रि कालीन एवं दिन में संपादित कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा किस अनुविभागीय अधिकारी एवं किस उपयंत्री को रात्रिकालीन कार्य एवं दिन में कार्य संपादन तथा तकनीकी मार्गदर्शन हेतु तैनात किया गया था? **(ग)** श्रम विभाग के नियमानुसार रात्रिकालीन कार्य कराया जाना क्या नियमानुसार है? यदि नहीं, तो रात्रि के समय किस अधिकारी के आदेश के तहत उक्त कार्य कराया जा रहा था एवं उस अधिकारी पर अनुचित कार्य कराये जाने के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** क्या ठेकेदार के द्वारा तैनात सुपरवाईजर की कार्य स्थल पर मिट्टी में दबने से उसकी मौत हो गई थी? विभाग द्वारा एवं निर्माण एजेंसी द्वारा उस पीड़ित परिवार को क्या सहायता की गई, यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैध उत्खनन पर कार्यवाही व रायल्टी वसूल किया जाना

133. (क्र. 2608) पं. रमेश दुबे : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छिन्दवाड़ा जिले में कितनी अवधि के लिए शासकीय भूमियों/निजी भूमियों के कितने रकबे पर कितनी रायल्टी दर से पत्थर उत्खनन की लीज प्रदाय की गयी है? **(ख)** दी गयी लीज पर प्रति माह कितनी रायल्टी शासन को प्राप्त होनी है? क्या यह रायल्टी नियमित तौर पर शासन को प्राप्त हो रही है? यदि नहीं तो रायल्टी वसूल करने के क्या प्रावधान है और नियमित तौर पर रायल्टी जमा नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही का क्या प्रावधान है? अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? किन-किन से कितनी रायल्टी कब से वसूल होना शेष है? **(ग)** विगत दो वर्षों में अवैध रूप से पत्थर उत्खनन के कहाँ-कहाँ से कितने मामले प्रकाश में आये हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** क्या शासन की जानकारी में यह बात है कि मोहखेड़, परासिया एवं चौरई में खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बिना लीज के पत्थर का उत्खनन कर रेल्वे लाईन बिछाने वाले ठेकेदारों को एवं पेंच व्यपवर्तन के बांध निर्माण व नहर निर्माण के ठेकेदारों को अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्या शासन रेल्वे लाईन बिछाने में लगी गिट्टी एवं पेंच व्यपवर्तन बांध व नहर निर्माण में लगी गिट्टी की प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में जाँच करवाकर अवैध रूप से परिवहन कर सप्लाई करने वाले खनन माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची तीन में पत्थर खनिज की रायल्टी की दरें अधिसूचित हैं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित** है। **(ख)** लीजवार प्रतिमाह रायल्टी प्राप्त होने का लक्ष्य निर्धारित नहीं है। लीज क्षेत्र से खनिज निकलने पर रायल्टी प्राप्त हो रही है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विगत 02 वर्षों में अवैध रूप से पत्थर उत्खनन के मामले ग्राम खकराचौरई, चिमठआ, सीतापार, सावरवानी, चन्दनवाड़ा, कलकोटी में प्रकाश में आए हैं। उनके विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण तैयार कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में निराकरण हेतु प्रेषित किए गए हैं। **(घ)**

प्रश्नांकित स्थानों में अवैध रूप से पत्थर के उत्खनन की शिकायतें कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा छिंदवाड़ा को प्राप्त नहीं हुई हैं। मोहखेर, परासिया चौरई में समय-समय पर निरीक्षण के दौरान खनिज अमले द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज किए जाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' में दर्शित** हैं।

उज्जैन में विमानतल का उन्नयन

134. (क्र. 2661) डॉ. मोहन यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उज्जैन में आगामी सिंहस्थ हो दृष्टिगत रखते हुए विमानतल उन्नयन की कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें? **(ख)** क्या धार्मिक नगरी उज्जैन में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में यात्रीगण हवाई जहाज एवं हेलिकॉप्टर से आते हैं, जिसके कारण पुलिस लाईन से लेकर महाकाल मंदिर तक उक्त अति विशिष्ट अतिथियों को लाने ले जाने में पूरे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है? यदि हाँ, तो ऐसे में क्या महाकाल मंदिर के पास में सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए विमान लेंडिंग की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। **(ख)** जी नहीं, इस संबंध में समुचित व्यवस्था की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सीहोर जिले के नसरूल्लागंज शहर में संचालित आई.टी.आई.

135. (क्र. 2692) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नसरूल्लागंज शहर में शासन द्वारा आई.टी.आई. संचालित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या इस वर्ष नसरूल्लागंज आई.टी.आई. में छात्रों को प्रवेश दिया गया? यदि हाँ, तो कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया एवं कितना शिक्षण शुल्क इन छात्रों से लिया गया? **(ख)** क्या शुल्क लेने के बाद उन्हें प्रबंधन की ओर से रसीद दी गई? क्या प्रवेश एवं रसीद देने के बाद छात्रों को शिक्षा देने के बजाय प्रवेश निरस्त करते हुए शुल्क वापिस किया गया? **(ग)** यदि हाँ, तो इस गंभीर लापरवाही का दोषी कौन है? क्या दोषियों पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। जी हाँ। 109 छात्रों को प्रवेश दिया गया एवं रूपये 1500/- प्रति छात्र की दर से शुल्क लिया गया। **(ख)** जी हाँ। 05 छात्रों द्वारा संस्था में प्रवेश लेने के उपरांत च्वाईस फीलिंग, 02 छात्रों द्वारा प्रवेश के उपरांत उच्च प्राथमिकता वाले व्यवसाय में अपग्रेडेशन का विकल्प चुनने एवं 02 छात्रों द्वारा त्रुटिपूर्ण विकल्प भरने के कारण प्रवेश निरस्त किया गया। छात्रों की स्वंय की त्रुटि होने से शुल्क वापसी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जले बिजली ट्रांसफार्मरों को बदलना

136. (क्र. 2693) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में घरेलू एवं कृषि उपयोग के बिजली के ट्रांसफार्मरों के जलने पर उन्हें बदलकर नए ट्रांसफार्मर देने के क्या प्रावधान है? ट्रांसफार्मर जलने एवं उसके बदले में लगाए जाने वाले नए ट्रांसफार्मर के बीच के समय में जब बिजली प्रदाय उस ट्रांसफार्मर से बंद रहती है, उस दौरान के बिलों की अदायगी का क्या

प्रावधान है? **(ख)** जब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाता तब तक के बिलों की अदायगी के क्या नियम है? **(ग)** क्या विभाग उस दौरान के दिए गए बिजली बिलों पर रियायत देगी? यदि हाँ, तो कितनी एवं कितने समय के लिये रियायत देगी? **(घ)** क्या समय पर बिल देने वाले उपभोक्ताओं को भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलने का नुकसान उठाना पड़ता है? यदि हाँ, तो ऐसे उपभोक्ताओं को विभाग कैसे बिजली प्रदाय करेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रदेश में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों के जलने/खराब होने पर उन्हें शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क मौसम (माह अक्टूबर से जून) में तीन दिवस एवं वर्षा ऋतु (माह जुलाई से सितम्बर तक) में 7 दिवस में बदलने का प्रावधान है। जले/खराब ट्रांसफार्मरों को उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में बदले जाने पर उपभोक्ता को विद्युत देयक में किसी प्रकार की छूट दिये जाने का प्रावधान नहीं है। **(ख)** फेल ट्रांसफार्मर को निर्धारित अवधि में बदले जाने पर विद्युत बिल के भुगतान हेतु अलग से कोई नियम नहीं है। **(ग)** विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु जारी विनियमनों अनुसार ही उपभोक्ताओं को प्रदाय की जाने वाली विद्युत गुणवत्ता पेनल्टी/रियायत दिये जाने आदि संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं तथा यह कार्य विभाग/राज्य शासन के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। अतः प्रश्न नहीं उठता। **(घ)** विद्युत बिल की राशि का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में कतिपय अवसरों पर विद्युत प्रदाय से वंचित होना पड़ सकता है तथापि ऐसे उपभोक्ताओं को यथासंभव वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्युत प्रदाय करने के प्रयास किये जाते हैं।

मिनी आई.टी.आई. की स्थापना

137. (क्र. 2709) श्री माधो सिंह डावर : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या चंद्रशेखर आज़ाद नगर (भाबरा) जिला अलीराजपुर (तत्कालीन जिला झाबुआ) में वर्ष 2002 में मिनी आई.टी.आई. खोलने की घोषणा की गई थी? क्या उक्त घोषणा के पालन में मिनी आई.टी.आई. प्रारंभ करने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? यदि हाँ, तो क्या? **(ख)** क्या शासन द्वारा उक्त आई.टी.आई. हेतु भूमि आवंटित कर दी गई थी? यदि हाँ, तो कब? इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या उक्त आई.टी.आई. के लिये वर्ष 2006-07 में पद भी स्वीकृत किये जा चुके थे? यदि हाँ, तो कितने? **(घ)** अभी तक मिनी आई.टी.आई. प्रारंभ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी? आई.टी.आई. कब तक प्रारंभ की जावेगी? क्या आई.टी.आई. प्रारंभ नहीं किये जाने से बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षित करने के कार्य में रूकावट नहीं हो रही है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) जिला अलीराजपुर में मिनी आईटीआई खोलने की घोषणा वर्ष 2002 में न की जाकर वर्ष 1996 में की गई। **(ख)** भाबरा जिला अलीराजपुर में मिनी आर्इटीआई खोलने के लिये दिनाँक 05.08.1997 को तीन एकड़ भूमि का आवंटन कलेक्टर, झाबुआ द्वारा किया गया हैं। भवन उपलब्ध न होने के कारण संस्था प्रांरभ नहीं की जा सकी। **(ग)** जी नहीं। वर्ष 1998 में पद स्वीकृत किये गये हैं। **(घ)** वर्तमान में मिनी आईटीआई स्थापना की योजना नहीं हैं। भाबरा, कट्टीवाड़ा तथा उदयगढ़ विकासखण्ड में पीपीपी मोड में आईटीआई की कार्यवाही प्रचलन में हैं।

ग्रामों में बिजली व्यवस्था

138. (क्र. 2715) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हरदा जिले में शासन योजनानुसार 24 घण्टे ग्रामों में बिजली उपलब्ध है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से ग्राम बाकी है, क्यों? ग्रामों में 24 घण्टे बिजली न उपलब्ध कराने पर शासन द्वारा क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं? **(ख)** हरदा जिले में वनांचल ग्रामों में कितने घण्टे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है? बिजलीविहीन ग्राम कौन-कौन से हैं, की सूची उपलब्ध करायें तथा बिजली विहीन ग्रामों में कब तक बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी? समय-सीमा बतायें? **(ग)** हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नौसर के ग्राम खारी तथा खेड़ी टप्पर में कब तक बिजली व्यवस्था हो जायेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। **(ख)** हरदा जिले में सोलर ऊर्जा से विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित 10 ग्रामों को छोड़ कर शेष सभी वनांचल ग्रामों सहित प्रश्नाधीन क्षेत्र में कतिपय अवसरों पर प्राकृतिक आपदा, आँधी तूफान आदि के कारण आए आकस्मिक व्यवधान, रखरखाव हेतु आवश्यक होने जैसी स्थितियों को छोड़कर गैर-कृषि फीडरों पर 24 घंटे एवं कृषि फीडरों पर 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित 10 ग्रामों की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। इन ग्रामों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने का कार्य केन्द्र शासन से स्वीकृति एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार नवीन एंव नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा किया जायेगा, जिस हेतु वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नौसर में खारी नामक कोई ग्राम नहीं है तथापि इस नाम से ग्राम पंचायत आमा के अन्तर्गत ग्राम मनासा का मजरा-टोला है जिसमें लगभग 18 टप्पर बने हैं एंव ग्राम पंचायत नौसर में स्थित खेड़ीटप्पर मजरा-टोला है जिसमें लगभग 09 टप्पर निर्मित हैं। इन मजरों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य आगामी वर्षों में उपलब्ध योजना में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा सकेगा, जिस हेतु वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

शिक्षकों को प्राप्त वेतन/भत्ते

139. (क्र. 2716) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनाँक 07.01.14 एवं 15.01.15 के तारतम्य में अशासकीय कॉलेज के शिक्षकों को शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के समान वेतन भत्ते एवं 2000 से एरियर्स की राशि 5 समान किश्तों में दी जावेगी? **(ख)** अनुदान प्राप्त कॉलेजों के कुल शिक्षक 350 है, जबकि शासकीय कॉलेजों में रिक्त पद 3000 है? शासकीय कॉलेजों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। **(ख)** शासकीय महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश महाविद्यालयीन शैक्षणिक सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम 1990 के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही प्रचलित है।

शास. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के नियम

140. (क्र. 2731) श्री अरूण भीमावद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति हेतु अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य करने हेतु क्या नियम बनाये है? **(ख)** शाजापुर जिले में कितने लिपिक अपने मूल विभाग से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर है तथा कितने समय से कार्य कर रहे है? **(ग)** यदि लिपिक प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो इनके मूल विभाग का कार्य कौन कर रहा है तथा इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? **(घ)** शाजापुर जिले में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे लिपिकों को कब तक अपने मूल विभाग के लिए कार्य मुक्त किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। **(ख)** 01 लिपिक कलेक्टोरेट शाजापुर से दिनाँक 12 अप्रैल 2013 से प्रतिनियुक्ति पर है। **(ग)** प्रतिनियुक्त के कारण रिक्त पद का कार्य अन्य लिपिक द्वारा किये जाने से उक्त पद का कार्य प्रभावित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर।

<u>परिशिष्ट - "सैंतीस"</u>

<u>माँ नर्मदा एवं सहायक नदियों के प्रदूषण पर रोक</u>

141. (क्र. 2754) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माँ नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से किन-किन सहायक नदियों सहित राज्य की सीमा तक कितने किलोमीटर बहती है उसके तटवर्ती शहर कौन-कौन से है? **(ख)** माँ नर्मदा के घाटों की रेत नीलामी से प्रतिवर्ष क्या आय प्राप्त होती है तथा नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शासन की क्या-क्या योजना है तथा बजट प्रावधान क्या है? **(ग)** माँ नर्मदा के किनारे बसे शहरों, ग्रामों, उद्योगों द्वारा प्रदूषित किये जाने, गंदे नालों का पानी माँ नर्मदा में मिलने से रोकने हेतु शासन क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है? **(घ)** माँ नर्मदा के प्रमुख घाटों पर सार्वजनिक शौचालय, कचरा, डिस्बा की व्यवस्था, पन्नी मुक्त करने हेतु शासन क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) माँ नर्मदा नदी मध्यप्रदेश में अपने उदगम स्थल से 39 मुख्य सहायक नदियों सहित राज्य की सीमा तक 1077 कि.मी. प्रवाहित होती है। इसके बाद म.प्र. एवं महाराष्ट्र की सीमा पर 35 कि.मी. बहती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है।** म.प्र. में नर्मदा नदी के तटवर्ती शहर 13 है। तटवर्ती शहरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख)** खनिज साधन विभाग द्वारा जिलावार प्राप्त रायल्टी का विवरण संधारित रखा जाता है, घाटवार/नदीवार नहीं। अतः घाटवार/नदीवार जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। कुछ जिलों में रेत की खदाने नीलाम की जाती है एवं कुछ जिले में म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा उन्हें स्वीकृत रेत के उत्खनन पट्टों के रेत निकासी/विक्रय हेतु ठेके भी स्वीकृत किये गये है प्रदेश में वर्ष 2014-15 मे विभिन्न जिलों में रेत गौण खनिज से जिलावार प्राप्त खनिज राजस्व आय का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।** नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा योजना बनाई जा रही है तथा बजट प्रावधान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में शौचालय निर्माण के लिये 1852.692 लाख का प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार** किया गया है। **(ग)** नर्मदा नदी के तट पर स्थित 12 शहरों में गंदे नालों का पानी माँ नर्मदा नदी में मिलने से रोकने हेतु नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा योजना बनाई जा

रही है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देवरी में खंदारी नाले पर यह कार्य करा रहा है। **(घ)** नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जारी किये गये है। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

विद्युतीकरण की योजनायें

142. (क्र. 2755) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जुलाई 2015 की स्थिति में विद्युत विहीन ग्राम मजरा-टोला के विद्युतीकरण की कौन-कौन सी योजनायें संचालित है तथा क्या-क्या मापदण्ड शर्तें है इसमें विधायक/सांसदों की क्या-क्या भूमिका है? **(ख)** रायसेन एवं देवास जिले में विद्युत विहीन ग्रामों की सूची दें, तथा इनके विद्युतीकरण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही हैं? कब तक इनका विद्युतीकरण होगा? **(ग)** उक्त जिलों में कहाँ-कहाँ 132 के.व्ही. उपकेन्द्र तथा 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के प्रस्ताव लंबित है तथा क्यों? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के सब स्टेशन तथा मजरा-टोला ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु 1 जनवरी 14 से प्रश्न दिनाँक तक मान. मंत्री तथा विभाग को किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जुलाई-2015 की स्थिति में अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों/टोलों के विद्युतीकरण हेतु संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को केन्द्र शासन द्वारा दिसम्बर 2014 में आरंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित कर लिया गया है। योजना में अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरों/टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण करने तथा सभी श्रेणी के बी.पी.एल.हितग्राहियों को नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन देने का प्रावधान है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया था। पूर्व में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित इस समिति में क्षेत्र के माननीय प्रभारी मंत्री एवं माननीय सांसद द्वारा नामांकित एक-एक प्रतिनिधि, तथा माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रखना निर्धारित थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला समिति का पुनर्गठन कर इस समिति का गठन जिले के वरिष्ठतम माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें जिले के अन्य माननीय सांसद उपाध्यक्ष तथा जिले के माननीय विधायक सदस्य हैं। उक्त समिति दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हेतु सलाह देने एवं मॉनिटरिंग का कार्य करेगी। **(ख)** रायसेन जिले में 4 अविद्युतीकृत ग्राम है। सघन वन बाधित होने के कारण इन ग्रामों का नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है। उक्त ग्रामों की सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। विद्युतीकरण का उक्त कार्य केन्द्र शासन से स्वीकृति एवं वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप किया जा सकेगा, जिस हेतु वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में देवास जिले में केवल 1 ग्राम खिवनी बुजुर्ग अविद्युतीकृत है जो कि खिवनी अभ्यारण्य के वन क्षेत्र में स्थित है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ग्राम की आबादी को अन्यत्र विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अत: इस ग्राम के विद्युतीकरण की आवश्यकता नहीं है। **(ग)** रायसेन एवं देवास जिलों में नवीन 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। रायसेन जिले के ग्राम गांधी में नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य दीनदयाल

उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्रतीक्षित है। देवास जिले के अन्तर्गत अगरदा, आलोरी, दंठा, गुराडियाकला, खोकरिया, कुपगांव, पितावली एवं राजोदा ग्रामों में नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत तथा आरटीओ कालूखेडी (देवास सिटी) का निर्माण कार्य एसएसटीडी योजना 2015-16 में प्रस्तावित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्रतीक्षित है। एसएसटीडी योजना अन्तर्गत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप किया जा सकेगा। **(घ)** रायसेन एवं देवास जिलों के लिए अति उच्चदाब उपकेन्द्र हेतु 01.01.2014 से प्रश्न दिनाँक तक मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को माननीय मंत्री तथा सांसद/विधायकों का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्नांश 'ग' के सन्दर्भ में सब-स्टेशन तथा ग्रामों/मजरों/टोलों के विद्युतीकरण हेतु दिनाँक 01.01.2014 से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त माननीय मंत्री/सांसद महोदय के पत्रों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। प्रश्नांश 'ग' के सन्दर्भ में माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय का एक पत्र दिनाँक 10.12.2014 जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबंधित है, प्राप्त हुआ है। इस पत्र में माननीय विधायक द्वारा ग्राम पाण्डुतालाब, नारायणपुरा, मालागांव, गोदना, वाल्या एवं पोटला में नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। इन सभी उपकेन्द्रों के प्रस्ताव तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाये गये। इसी पत्र में माननीय विधायक महोदय द्वारा अ.ज.जा. बस्तियों के विद्युतीकरण के बाबत् भी लेख किया गया है। इन बस्तियों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। केन्द्र शासन से योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर कार्य किये जा सकेंगे।

<u>परिशिष्ट - "अड़तीस"</u>

<u>वक्फ सम्पत्ति का विनिमय करने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही</u>

143. (क्र. 2787) श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कार्यालय मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2418/उ.स./मु.स./2015 दिनाँक 15 अप्रैल, 2015 के माध्यम से तत्कालीन कलेक्टर जिला विदिशा के विरूद्ध विदिशा जिले में स्थित वक्फ सम्पत्ति की अवैध एवं नियम विरूद्ध विनिमय का आदेश जारी कर वक्फ बोर्ड को 8 करोड़ की वित्तीय हानि पहुंचाने के मामले में कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे? **(ख)** यदि हाँ, तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त पत्र पर तत्कालीन कलेक्टर जिला विदिशा के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>3 वर्षों से पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण</u>

144. (क्र. 2788) श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाने एवं कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु 3 वर्ष पश्चात् अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने का प्रावधान / नीति है? **(ख)** यदि हाँ, तो यह अवगत करावें कि कौन-कौन आईएएस., आईपीएस. भोपाल के एवं भोपाल कलेक्टर व संभागायुक्त कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी है जो विगत 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर लगातार पदस्थ है उनके नाम,

पद व विभाग सहित बतावें? **(ग)** क्या कुछ आईपीएस. अधिकारी ऐसे है जो लंबे समय से भोपाल में पदस्थ होने के पश्चात् कुछ समय के लिए अन्यत्र स्थानान्तरित किए गए थे लेकिन पदोन्नति प्राप्त कर पुन: भोपाल में पदस्थ किए गए है? यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन अधिकारी है उनके नाम, पद व विभाग सहित बतावें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में पद परिवर्तन कर पुन: भोपाल में पदस्थ करने से प्रावधान / नीति का उल्लंघन करने वाले कौन-कौन है तथा उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 की कंडिका 8.7 में यह प्रावधान है कि जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानांतरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जावे। **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश में भोपाल में पदस्थापना के संबंध में अवधि तथा इकाई निश्चित न होने के कारण उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। **(घ)** उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विद्युत शुल्क का भुगतान

145. (क्र. 2792) श्री संजय उइके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के उच्चदाव उपभोक्ता सर्विस क्रमांक के-42 मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलांजखण्ड के द्वारा माह मई 1990 से जुलाई 2007 तक की विद्युत शुल्क की राशि 33,12,00, 000/- का भुगतान कर दिया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो किस दिनाँक को भुगतान किया गया एवं भुगतान दिनाँक तक कितनी ब्याज की राशि शेष थी और आज दिनाँक तक कितना ब्याज की राशि शेष है? **(ग)** क्या विद्युत शुल्क की मूल राशि जमा कराने के पश्चात् ब्याज की राशि लेने विषयक नियम/आदेश है तो उसकी प्रति देवें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। **(ख)** बालाघाट जिले के उच्चदाब उपभोक्ता मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलांजखण्ड द्वारा माह मई 1990 से जुलाई 2007 तक की विद्युत शुल्क की राशि के किये गये भुगतान का दिनाँकवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	दिनाँक	विद्युत शुल्क राशि (रूपये में)
1	30.08.2007	6, 00, 00, 000
2	18.09.2007	6, 50, 00, 000
3	30.10.2007	5, 00, 00, 000
4	30.11.2007	3, 12, 40, 000
5	30.12.2007	3, 12, 40, 000
6	30.01.2007	3, 12, 40, 000

7	30.02.2007	3, 12, 40, 000
8	30.03.2007	3, 12, 40, 000
	योग	**33, 12, 00, 000**

प्रश्नाधीन उपभोक्ता पर जुलाई 2007 की स्थिति में, विद्युत शुल्क पर ब्याज की बकाया राशि रू. 121.87 करोड़ थी जिसे गणना में हुई त्रुटि को सुधार कर रू. 70.09 करोड़ निर्धारित किया गया था। ब्याज की उक्त राशि रू. 70.09 करोड़ के भुगतान पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनाँक 19.11.2008 द्वारा रोक लगाई गई है। **(ग)** जी हाँ, नियम/आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "उनतालीस"</u>

<u>रेत के खदान को समाप्त किया जाना</u>

146. (क्र. 2796) श्री रामपाल सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल जिले के जयसिंहनगर तहसील के ग्राम बराछ के झापर नदी की आराजी खसरा नंबर 247 के जुज रकवा 9.80 एकड़ से रेत उत्खनन के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाँक 22.06.14 तथा 04.04.2015 को कलेक्टर शहडोल को पत्र लिखा गया है। इसी तरह संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को दिनाँक 09.07.14 एवं 08.04.15 को पत्र लिखा गया। यदि हाँ, तो उपरोक्त संबंध में क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** क्या क्षेत्रवासियों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय म.प्र. शासन, भोपाल को संबंधित ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर के माध्यम से दिनाँक 17.04.15 एवं दिनाँक 11.05.15 को दिया जाकर दिनाँक 21.05.15 को धरना प्रदर्शन रेत खदान जनहित में बंद करने हेतु ग्राम बराछ में किया गया है? उपरोक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रश्नकर्ता द्वारा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. शासन भोपाल को दिये गये पत्र दिनाँक 8.4.15 के परिप्रेक्ष्य में संप्रेषित जानकारी क्रमांक 8792/शिकायत/न.क्र.15/2015 दिनाँक 02-06-15 द्वारा कलेक्टर खनिज शाखा जिला शहडोल का पत्र क्रं.19/20F/2015/699 दिनाँक 27 अप्रैल 2015 संप्रेषित की गई है, जिसमें संचालनालय भौमिकी तथा खनिज कर्म. म.प्र. शासन का पत्र क्रं./4875-92/खनिज/विविध/न.क्र.205/2015 दिनाँक 31.03.2015 के परिप्रेक्ष्य में 30.06.15 तक अनुज्ञा बढ़ाये जाने की बात कही गई है किन्तु उपरोक्त पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त खदान की नीलामी 31.03.15 के बाद की अवधि के लिये नीलामी की गई है। अनुज्ञा बढ़ाया जाना अवैध है। संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र के विषय में माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनाँक 27.06.2014 एवं 04.04.2015 से कलेक्टर शहडोल को लेख किया गया है। इसी तरह माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल को दिनाँक 09.07.2014 एवं 08.04.2015 को पत्र लिखे गए हैं। उपरोक्त चारों पत्रों की प्रतियां सहपत्रों सहित **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर** है। उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर** है। **पुस्तकालय में रखे क्रमशः परिशिष्ट 'स', 'द', ई एवं 'ई' संलग्न** हैं जिनका उल्लेख उक्त परिशिष्ट 'ब' में किया गया है। **(ख)** जी हाँ। प्रश्नाधीन ज्ञापन के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रश्न है इस संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि - प्रश्नाधीन घोष विक्रय खदान बराछ खनिज रेत हेतु

नियमानुसार सिया से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् समस्त देय राशियां जमा कराकर नियमानुसार खदान संचालित करायी जा रही है। ज्ञापन एवं शिकायत में दर्शाये गये बिन्दुओं के संबंध में पूर्व में कई बार जाँच करायी जा चुकी है। जाँच पश्चात् शिकायत के बिन्दु सत्य न पाये जाने के कारण खदान का कार्य बंद नहीं किया गया है। इस खदान को बंद कराने से जहाँ राजस्व की हानि होती, वहीं क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की संभावना बनी रहती। प्रश्नाधीन खदान जयसिंहनगर एवं ब्यौहारी क्षेत्र में रेत की एकमात्र खदान है, जिससे शहडोल, सतना, रीवा क्षेत्र में रेत की आपूर्ति होती है। **(ग)** यह सही है कि माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र दिनाँक 08.04.2015 के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के प्रश्नाधीन पत्र दिनाँक 02.06.2015 के साथ कलेक्टर खनिज शाखा शहडोल का प्रश्नाधीन पत्र दिनाँक 27.04.2015 संलग्न प्रेषित करते हुए माननीय प्रश्नकर्ता को जाँच में पाए गए तथ्यों से अवगत कराया गया है। कलेक्टर खनिज शाखा शहडोल के प्रश्नाधीन पत्र दिनाँक 27.04.2015 में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के प्रश्नाधीन पत्र दिनाँक 31.03.2015 एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के प्रश्नाधीन पत्र दिनाँक 30.06.2015 का उल्लेख करते हुए खदान की अवधि 31.07.2015 तक पूर्व अनुबंध की शर्तों एवं ठेका धन में 10 प्रतिशत की राशि वृद्धि कर प्रदान की गई है का उल्लेख है। खदान की अवधि नियमानुसार बढ़ाई गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायत खापा अंतर्गत विद्युतीकरण

147. (क्र. 2820) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नरसिंहपुर जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत खापा अंतर्गत अटल ज्योति विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरे छोड़े जाने संबंधी पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रेषित किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा अनुशंसित एवं अधीक्षण अभियंता (संचारण/संधारण) वृत्त नरसिंहपुर को अग्रेषित सरपंच ग्राम पंचायत खापा का प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र प्राप्त हुआ था। **(ख)** उक्त पत्र के तारतम्य में ग्राम खापा के 4 टोलों का फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 100 के.व्ही.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित कर इन टोलों में अटल ज्योति अभियान के प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। ग्राम के 2 अविद्युतीकृत टोलों के विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित किया गया है जिसकी स्वीकृति केन्द्र शासन से प्रतीक्षित है।

स्टाप डेम का निर्माण

148. (क्र. 2823) श्री सुदेश राय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सीहोर विधान सभा क्षेत्र 159 के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में किन-किन स्थानों पर एवं कितनी लागत से स्टाप डेमों को निर्माण किया गया है स्थान सहित नाम बतावें? **(ख)** कुल कितने स्टाप डेमों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है या कितने अपूर्ण है यदि अपूर्ण है तो अपूर्ण होने के क्या कारण हैं और कब तक निर्माण कार्यों को पूरा करा लिया जायेगा? **(ग)** उक्त स्टापडेमों का निर्माण कार्य किन-किन मदों से किया गया है? पृथक-पृथक स्टाप डेम का विवरण कुल लागत राशि मद तथा निर्माण एजेंसी का नाम बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग)** सीहोर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नाधीन वर्षों में निर्मित स्टाप डेम की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "चालीस"

पावर सब स्टेशन की स्थापना

149. (क्र. 2826) श्री सुदेश राय : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विकासखण्ड सीहोर जिला सीहोर के ग्राम खण्डवा में विभाग द्वारा पावर सब स्टेशन की स्थापना की जाना है यदि हाँ, तो इसकी कितनी क्षमता होगी तथा इसकी स्थापना से कितने ग्रामों को क्या-क्या लाभ होगा? **(ख)** क्या पावर सब स्टेशन की स्थापना हेतु विभाग द्वारा टेंडर जारी किये गये है? यदि हाँ, तो कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा तथा इसको कितने समय में पूर्ण किया जावेगा तथा इसकी कुल लागत कितनी होगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विकास खंड, सीहोर के खण्डवा ग्राम में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना ए.डी.बी.-III योजनांतर्गत की जाना है। उक्त प्रस्तावित उपकेन्द्र में 5 एम.व्ही.ए. क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना किये जाने का प्रावधान है। उक्त उपकेन्द्र की स्थापना से ग्राम कचनारिया, पलासी, धामनखेड़ा, सरखेड़ा, खण्डवा एवं आसपास के क्षेत्रों में किसानों को अपेक्षाकृत अधिक गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा। साथ ही उक्त उपकेन्द्र की स्थापना से निकटस्थ स्थित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, खजूरीकलां को भी भार राहत दी जा सकेगी। **(ख)** जी हाँ। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश दिनाँक 24.01.2014 को मेसर्स अग्रवाल पॉवर प्रायवेट लिमिटेड भोपाल को जारी किया जा चुका है। सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है। निविदा शर्तों के अनुसार ठेकेदार कंपनी द्वारा मोबीलाइजेशन एडवांस प्राप्त करने की दिनाँक 03/02/2014 से 18 माह की अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना है। कार्य की अनुमानित लागत लगभग रू. 142 लाख है।

ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में पदस्थ कुल सचिव की प्रतिनियुक्ति

150. (क्र. 2862) श्री अजय सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में पदस्थ वर्तमान कुल सचिव की सेवाएं मूलतः किस विभाग की है तथा उनका मूल पद क्या है? **(ख)** यदि वे प्रतिनियुक्ति पर है तो किस दिनाँक से सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली गई है? क्या उनके पास कुल सचिव के पद के लिए उपयुक्त अर्हताएं/पात्रता है? **(ग)** यदि दो वर्ष के अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर है तो इतनी लम्बी अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर क्यों रखा गया है? **(घ)** क्या शासन द्वारा इनकी प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने का आदेश करने के बाद उसे निरस्त कर दिया गया? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में पदस्थ कुलसचिव की सेवाएं मूलतः उच्च शिक्षा विभाग की हैं तथा उनका मूलपद प्राध्यापक है। **(ख)** म.प्र. राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 के प्रावधान अनुसार उनकी सेवाएं कुलसचिव के पद पर आदेश क्रमांक एफ-1-4/2010/38-3, दिनाँक 26.04.2010 से प्रतिनियुक्ति पर ली गई है। जी हाँ। **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-14/06/3/एक, दिनाँक 29.02.2008 द्वारा जारी निर्देशानुसार दो वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

नवीन डेम व तालाब की स्वीकृति

151. (क्र. 2869) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा कार्यों की साध्यता सूची तैयार की गई है? यदि हाँ, तो शाजापुर जिले की साध्यता सूची में कौन-कौन से डेम व तालाब है? **(ख)** वर्ष 2014-15 में शाजापुर जिले में कौन-कौन से डेम व तालाब स्वीकृत किये गये है? **(ग)** क्या वर्ष 2015-16 में नवीन डेम व नवीन तालाब स्वीकृत किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) शाजापुर जिले में चिन्हित परियोजनाओं की साध्यता रिपोर्ट विभागीय वेबसाइट पर दर्ज है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग)** जी नहीं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

नवीन आई.टी.आई. की स्थापना

152. (क्र. 2870) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में कुल कितने शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं? क्या उज्जैन संभाग में सभी विधान सभा क्षेत्रों में आई.टी.आई. संचालित हैं, यदि नहीं तो कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र में आई.टी.आई. नहीं है? **(ख)** वर्ष 2014-15 में उज्जैन संभाग में कहाँ-कहाँ नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किये गये तथा वर्ष 2015-16 में कहाँ-कहाँ प्रारंभ किये जायेंगे? **(ग)** क्या कालापीपल में आई.टी.आई. खोलने की लम्बे समय की मांग को पूर्ण करते हुये नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) मध्यप्रदेश में कुल 191 शासकीय आईटीआई संचालित हैं। विधानसभा क्षेत्र आगर, कालापीपल, सोनकच्छ, हाटपिपल्या, तराना, घटिया एवं जावरा में शासकीय आईटीआई संचालित नहीं हैं। **(ख)** वर्ष 2014-15 में उज्जैन संभाग में कोई नवीन आईटीआई प्रारंभ नहीं की गई। वर्ष 2015-16 में 01 आईटीआई रतलाम जिले के बाजना में प्रारंभ की गई हैं। **(ग)** वर्तमान में कालापीपल में शासकीय आईटीआई की स्थापना की कोई योजना नहीं हैं।

खरगोन नहर उद्वहन योजना का क्रियान्वयन

153. (क्र. 2876) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत SBD के आधार पर कितनी योजनाएं प्रारंभ हुई? इनमें SBD, Turn-key contract volumeII, SectionIII स्पेशल कंडीशन ऑफ कांटेक्ट की कंडिका 4.3.1 वाले पृष्ठ की प्रमाणित प्रति देवें। इस कंडिका में संशोधन के अधिकार किसे है एक ही जैसी योजना के लिए इसके अलग-अलग प्रक्रिया निर्धारण हो सकती है क्या? **(ख)** उपरोक्त **(क)** अनुसार कंडिका 4.3.1 में खरगोन उद्वहन नहर योजना में the contpactor is free to change the concept and design""""" पंक्ति लिखी है? क्या N.V.P.A. की अन्य योजनाओं में भी लिखी है यह पंक्ति अनुबंध में किस बैठक में जोडी गई उसकी दिनाँक? इसका कारण भी बतावें? **(ग)** इस नहर योजना में ठेकेदार को कब कितनी पेनल्टी लगाई गई इसकी कितनी वसूली की गई, कितनी वसूली किस कारण शेष है? कंडिका 115 के तहत रनिंग बिलों से पेनल्टी क्यों नहीं वसूली गई? कारण बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा स्वीकृत SBD के आधार पर प्राधिकरण अंतर्गत 24 निर्माण कार्य प्रारंभ किये गये है। SBD Tern - Key contract Volume-II, Section IV स्पेशल कंडीशन ऑफ कान्ट्रेक्ट की कंडिका 4.3.1 की प्रमाणित प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। यह कंडिका कार्य के स्वरूप के आधार पर निर्धारित है तदनुसार कार्य निर्धारण करने वाला अधिकारी सक्षम है। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। यह पंक्ति कंडिका 4.3.1 Irrigation facility at outlet remains the same and recurring cost are reduced को ध्यान में रखकर ठेकेदार की अतिरिक्त लागत की दावेदारी को अमान्य करने हेतु प्रावधानित की गई है। अन्य कार्यों के निविदा में यह पंक्ति नहीं लिखी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के अनुरूप वित्तीय प्रगति न होने के कारण द्वितीय छः माही प्रगति की समीक्षा बैठक दिनाँक 30/01/2013 एवं चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम छः माही प्रगति की समीक्षा बैठक दिनाँक 05/08/2014 के आधार पर राशि रोकी गई है, जिसके विरूद्ध ठेकेदार द्वारा अनुबंध की कंडिका 70 के अंतर्गत आपत्ति उठाई गयी है, जिसपर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कंडिका 115 के तहत रनिंग बिलों से अभी तक रूपये 1.50 करोड़ की राशि ठेकेदार के चलित देयक से रोकी गई है, जिसका समायोजन ठेकेदार द्वारा उठाई गई आपत्ति के निराकरण के बाद हो सकेगा।

परिशिष्ट - "बयालीस"

महिदपुर वि.स. क्षेत्र के काजीखेड़ी जलाशय को पूर्ण किया जाना

154. (क्र. 2879) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर वि.स. क्षेत्र के अंतर्गत काजीखेड़ी जलाशय जिसकी लागत 273.60 लाख रू. है जो 18-08-2012 को पूर्ण किया जाना था एवं 30.06.15 तक समयावधि बढ़ाने के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ के लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी? **(ख)** इसकी निर्माण एजेंसी विद्याश्री इंफ्रास्ट्रक्चर ग्वालियर पर कार्यवाही कब तक कर इसे ब्लेक लिस्टेड कर दिया जाएगा? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार अगर इसकी लागत बढ़ी तो किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों से यह वसूल की जावेगी एवं उन पर विभागीय कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** यह निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा, किसके द्वारा होगा? समय-सीमा बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) निर्मित काजीखेड़ी जलाशय एवं नहरों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य विज्ञाश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर भोपाल को राशि रू. 273.80 लाख का दिया गया। जी हाँ। कार्य 18.08.2012 तक पूर्ण किया जाना था। दिनाँक 30.06.2014 तक समयवृद्धि स्वीकृत होने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। प्रस्तावित कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्यहित में दिनाँक 30.09.2015 तक समयवृद्धि दी जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दिनाँक 30.09.2015 की स्थिति में संपादित कार्य एवं शेष कार्य का आंकलन कर गुण-दोष के आधार पर अनुबंध में निहित प्रावधान अनुसार निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। **(ख)** निर्माण एजेंसी विज्ञाश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर भोपाल द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर अनुबंध में निहित प्रावधान अनुसार ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ग)** कार्य की वर्तमान लागत नहीं बढ़ेगी एवं अनुबंध अनुसार नियत राशि में ही कार्य पूर्ण कराया जाना प्रतिवेदित होने से अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की स्थिति नहीं है। **(घ)** निर्माण कार्य दिनाँक 30.9.2015

तक पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है एवं वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य अनुबंधित निर्माण एजेंसी विज्ञाश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर भोपाल द्वारा ही पूर्ण किया जाएगा। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

चंबल कमाण्ड एरिया से किसानों को असुविधा

155. (क्र. 2893) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुरैना जिले में विभाग द्वारा ऐसा कृषि क्षेत्रफल भी चंबल कमाण्ड एरिया में सम्मिलित कर लिया गया है, जहाँ पर सिंचाई हेतु विभाग का पानी कभी पहुंचता ही नहीं है? **(ख)** चंबल कमाण्ड एरिया घोषित करने का आधार क्या है और यह मुरैना जिले में कब से घोषित किया गया है? इस एरिया में रह रहे कृषक अपने निजी साधन कुंआ आदि से अपनी कृषि भूमि की सिंचाई करते है तो क्या उन पर नहर आपसी का शुल्क वसूला जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? **(ग)** क्या शासन के कृषि के क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण बहुउद्देशीय योजना बलराम तालाब निर्माण में चंबल कमाण्ड एरिया बाधक बन रहा है? बलराम तालाब निर्माण में चंबल कमाण्ड एरिया होने की वजह से स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती? यदि हाँ, तो कृषकों का दोष क्या है? **(घ)** जौरा विधानसभा क्षेत्र में कितना कृषि क्षेत्र चंबल कमाण्ड एरिया घोषित किया गया है? राजस्व ग्रामों की सूची प्रदान की जावे? क्या शासन अपने स्तर पर पुनः सर्वे का कार्य कर चंबल कमाण्ड एरिया को संशोधित कर ऐसे किसानों को जो अपने स्वयं के कुँआ से सिंचाई करते है नहर आपसी से मुक्त किया जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। **(ख)** नहर प्रणाली के रूपांकन के समय उपलब्ध जल एवं सुविधायुक्त सिंचाई उपलब्ध कराना कमाण्ड क्षेत्र विकास के चयन का आधार होता है। मध्य भारत काल में चंबल घाटी विकास योजना के निर्माण के परिकल्पना के अंतर्गत मुरैना जिले के ग्रामों की कृषि योग्य भूमि 1, 68, 086 हे. को चंबल कमाण्ड एरिया के अंतर्गत वर्ष 1960-65 में सम्मिलित किया गया। कमाण्ड क्षेत्र में निजी सिंचाई साधन से सिंचाई किए जाने की स्थिति में म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931 के अध्याय 1 प्राथमिक नियम की कंडिका 50 के अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र में नहर के पानी द्वारा भू-जल स्तर बढ़ने का लाभ मिलने से जल कर वसूलने का प्रावधान है। **(ग)** जी नहीं। सामान्यतः बलराम तालाब का निर्माण चंबल कमाण्ड एरिया से बाहर किया जा रहा है जिन्हें जल संसाधन विभाग द्वारा तत्समय अनुज्ञा प्रदान की गई है। चंबल कमाण्ड एरिया में अंतिम छोर तक नहर से पानी पहुंचने के कारण इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। **(घ)** चंबल कमाण्ड क्षेत्र अंतर्गत जौरा विधानसभा क्षेत्र की 136 ग्रामों की 28, 303 हे. कृषि योग्य भूमि आती है। राजस्व ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र अ, ब, स" अनुसार** है। जी नहीं। चंबल नहर प्रणाली का निर्माण पूर्ण होने तथा सुदृढ़ीकरण कार्य होने से चंबल कमाण्ड एरिया के अंतिम छोर तक सिंचाई किए जाने की स्थिति में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

महाविद्यालय शिवपुरी में रिक्त पदों की पूर्ति

156. (क्र. 2897) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पत्र क्र.एफ 21-1/2013/38-2 भोपाल दिनाँक 25/08/2013 म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री के करैरा भ्रमण के दौरान भी महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के स्वीकृति के निर्देश दिये थे, लेकिन प्रश्न प्रस्तुत दिनाँक तक प्र.शा.तक एवं प्र.शा.परि. के पद

आज तक रिक्त है? जबकि महाविद्यालय में प्रयोग शाला भी बन चुकी है व संबंधित उपकरण भी उपलब्ध है, परन्तु इन रिक्त पदों की पूर्ति के अभाव में शैक्षणिक कार्य अवरूद्ध है? **(ख)** क्या शासन के नीति निर्देश के तहत उपरोक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन ने कोई गाइड लाईन निर्मित की है? क्या संबंधित महाविद्यालय करैरा जिला शिवपुरी को भी गाइड लाईन के अनुसार प्राचार्य को भी अवगत करा दिया गया है? **(ग)** क्या संबंधित प्राचार्य को उपरोक्त नियुक्तियां की पूर्ति हेतु आदेश/दिये जा चुके हैं? यदि नहीं तो क्यों? कब तक आदेश/निर्देश दिये जाकर उल्लेखित पदों की पूर्ति कर दी जावेगी? निश्चित अवधि बतावें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ, प्रयोगशाला तकनीशियन तथा प्रयोगशाला परिचारक के पद रिक्त हैं, जो संविदा/आऊट सोर्स के हैं, पद पूर्ति के अभाव में सम्बंधित विषयों के अतिथि विद्वानों द्वारा प्रायोगिक कार्य कराने से शैक्षणिक कार्य अवरुद्ध नहीं हुआ है। **(ख)** जी हाँ। संविदा/आऊट सोर्स के पदों की पूर्ति हेतु समुचित निर्देश जारी किये जा रहे हैं। **(ग)** जी नहीं। संविदा/आऊट सोर्स के पदों की पूर्ति हेतु नीति निर्धारण हो चुका है, शीघ्र ही पद पूर्ति की जाएगी। इस हेतु निश्चित तिथि बताना जाना संभव नहीं है।

पुरातत्व स्थलों का उन्नयन

157. (क्र. 2898) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परि.अता.प्र. संख्या क्र.94 (क्र.3506) दिनाँक 15 जुलाई 2014 तारांकित प्रश्न के उत्तर **(क)** में बताया गया कि विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी में पुरातत्व स्थलों को आवंटित राशि जिला शिवपुरी से पुरातत्व कार्यों को प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण स्मारकों के कार्यों को उन्नयन विकास एवं पुनरक्षण कार्यों की राशि नहीं दी गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में स्मारकों के रख-रखाव हेतु प्रस्ताव जिला स्तर से किस अधिकारी द्वारा भेजने के नियम है व प्रस्ताव न भेजने हेतु संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** संदर्भित प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर में (विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा) हेतु 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में करैरा फोर्ट के अनुरक्षण एवं विकास कार्य हेतु रूपये 01 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है, उत्तर दिया है, तो क्या प्रस्तावित राशि प्राप्त हो चुकी है? व विकास कार्य प्रारम्भ कर दिये गये है? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें? व प्रस्तावित राशि कब तक स्वीकृत की जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिये जावेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ. करैरा किले के अनुरक्षण विकास के प्रस्ताव अप्रैल 2010 से जून 2014 की अवधि में प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति जारी नहीं की गई है. **(ख)** पुरातत्व संचालनालय अंतर्गत प्रत्येक जिला स्तर अधिकारी कार्यरत नहीं है. अतः तत्संबंधी नियम/संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही संबंधी जानकारी निरंक है. **(ग)** करैरा किला राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित नहीं है, फिर भी स्थल के ऐतिहासिक महत्व हो देखते हुए 13वें वित्त आयोग अंतर्गत करैरा किले के अनुरक्षण के लिए राशि रू. एक करोड़ प्रस्तावित की गई है. भारत सरकार से प्रस्तावानुसार राशि प्राप्त होने पर, शासन से स्वीकृति ली जाकर, कार्य प्रारंभ किया जाना संभव होगा.

मुरैना में अवैध रेत उत्खनन

158. (क्र. 2902) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा चम्बल नदी रेत के भंडारण, क्रय-विक्रय करने हेतु प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है, इसके उपरांत ही विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में अधिकांश निर्माण कार्यों के दौरान शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों एवं फर्मों/एजेंसियों तथा आम जनता द्वारा चंबल नदी के रेत का उपयोग किया जाता है। क्या खनिज अधिकारी मुरैना द्वारा विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना के क्षेत्रान्तर्गत विगत 1 वर्ष से किस ग्राम व ग्राम पंचायत में अवैध रेत से संबंधित कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों कारण है? स्पष्ट करें तथा कब तक की जावेगी? निश्चित समय-सीमा बताई जावे? **(ग)** क्या शासन द्वारा खनिज विभाग मुरैना को प्रतिमाह/प्रतिवर्ष अवैध खनिज का परिवहन/भंडारण आदि से संबंधित कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्ष के लक्ष्य निर्धारण से अवगत करावें तथा खनिज विभाग मुरैना द्वारा विगत 3 वर्ष से निर्धारित लक्ष्य के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। जिले में टास्क फोर्स (खनिज, वन, पुलिस एवं राजस्व) द्वारा जिले में संयुक्त रूप से रेत के खनन/परिवहन पर सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में संयुक्त जाँच के दौरान विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी में वन अपराध के 15 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर** है। **(ख)** यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। **(ग)** वस्तुस्थिति यह है कि प्रशासकीय दृष्टि से खनि अधिकारी के लिए 15 प्रकरण एवं खनिज निरीक्षक के लिए 10 प्रकरण इस प्रकार कुल 25 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने का निर्धारण किया गया है परन्तु संपूर्ण जिले के लिए शासन द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के प्रकरण पकड़ने के लिए ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। मुरैना जिले में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015 में अब तक अवैध उत्खनन के 20 प्रकरण, अवैध परिवहन के 402 प्रकरण एवं अवैध भण्डारण के 23 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर कार्यवाही की गई है। उक्त प्रकरणों में से अवैध उत्खनन के 05 प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा रूपये 843920/- एवं अवैध परिवहन के सभी प्रकरणों में रूपये 8906100/- अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किया जा चुका है। शेष अवैध उत्खनन के शेष प्रकरण एवं अवैध भण्डारण के 23 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

वि.स. क्षेत्र दिमनी में संचालित ट्रान्सफार्मर

159. (क्र. 2903) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी में कुल कितने ट्रांसफार्मर संचालित/स्थापित है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में सभी ट्रांसफार्मर कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो कितने-कितने, किन-किन कारणों से बंद है व उन्हें कब तक चालू (प्रारंभ) कर दिया जावेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी में कुल 2730 ट्रांसफार्मर संचालित/स्थापित हैं। **(ख)** जी नहीं, उत्तरांश **(क)** में उल्लेखित ट्रांसफार्मरों में से कुल 74 ट्रांसफार्मर कार्य नहीं कर रहे हैं। उक्त 74 ट्रांसफार्मरों में से 70 ट्रांसफार्मर में से संबद्ध शतप्रतिशत उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल की राशि बकाया है। इन 70 ट्रांसफार्मरों में से 37 ट्रांसफार्मर बकाया राशि होने के कारण उतार लिये गये हैं, 3 ट्रांसफार्मर खराब हैं, जिनसे संबद्ध सभी उपभोक्ताओं पर विद्युत

बिल की बकाया राशि होने के कारण इन्हें बदला नहीं गया है तथा 30 ट्रांसफार्मरों पर बकाया राशि होने के कारण लाईन के जम्पर काट दिये गये है। नियमानुसार बकाया राशि के भुगतान के पश्चात् ही इन ट्रांसफार्मरों से विद्युत प्रदाय चालू किया जा सकेगा। 2 ट्रांसफार्मरों पर कोई कनेक्शन नहीं है, उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन लेने पर इन ट्रांसफार्मरों को चालू कर दिया जावेगा। शेष 2 ट्रांसफार्मर संबंधित 11 के.व्ही. लाईन टूटने के कारण बंद है, तत्संबंध में भूमि संबंधी विवाद होने के कारण प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है, जिसका निराकरण होने पर नियमानुसार विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा।

डिण्डौरी जिलान्तर्गत स्वीकृत बांध

160. (क्र. 2919) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** डिण्डौरी जिले में सिंचाई हेतु कहाँ-कहाँ, बांध एवं डायवर्सन बनाया गया है? कृपया बांध का नाम, डायवर्सन का नाम, स्वीकृति दिनाँक, स्वीकृति राशि, कार्य प्रारम्भ, दिनाँक, वर्तमान में कार्य की स्थिति, वर्तमान तक व्यय राशि, प्राक्कलन अनुसार सिंचाई की रकवा, वर्तमान में सिंचित रकवा बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार कौन-कौन से बांध एवं डायवर्सन से सिंचाई हो रही है एवं कौन-कौन से नहीं हो रही है? अगर सिंचाई नहीं हो रहा है तो उसका कारण बतावें? कौन दोषी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** डिण्डौरी जिले के अंतर्गत चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार** है। ढोंढ परियोजना का गेट खराब होने तथा शूट फाल क्षतिग्रस्त होने के कारण सिंचाई नहीं हो रही है। इसके सुधार हेतु कार्यपालन यंत्री को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

लम्बे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों का स्थानांतरण

161. (क्र. 2942) श्रीमती ललिता यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग में कार्यरत उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री तथा अधीक्षण यंत्री के स्थानान्तरण की क्या प्रक्रिया है? शासन के नियम सहित स्थानान्तरण नीति बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में ऐसे कितने अधि./कर्म. हैं जो छतरपुर के मूल निवासी के साथ-साथ पदस्थापना स्थान भी यही है? उनके नाम, पदस्थापना दिनाँक सहित बतायें? **(ग)** लम्बे समय से एक ही जिले में पदस्थापना से क्या विकास कार्यों में इन लोगों का विशेष योगदान है तो क्या? अगर नहीं तो लम्बे समय से तैनात इन लोगों को कितने दिवस में स्थानान्तरित किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विभाग में कार्यरत उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री तथा अधीक्षण यंत्री के स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार किये जाते है। स्थानांतरण नीति 2015-16 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। तालाबों एवं नहरों के निर्माण तथा रखरखाव में विशेष योगदान रहा है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

सतपुडा ताप विद्युत गृह सारणी को N.T.P.C को सौंपा जाना

162. (क्र. 2999) श्री चैतराम मानेकर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में पावर जनरेटिंग कंपनी के कितने पावर प्लांट है? उनकी उत्पादन क्षमता कितनी हैं? अलग-अलग विस्तृत जानकारी दें **(ख)** क्या सतपुडा ताप विद्युत गृह सारणी को N.T.P.C को सौंपा जा

रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? **(ग)** क्या सारनी पॉवर हाऊस की उत्पादन क्षमता कम हो गई है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण रहे है? **(घ)** क्या सारणी की इकाईयों का समय पर नवीनीकरण किया गया है? यदि हाँ, तो ईकाईयों का उत्पादन क्यों प्रभावित हुआ?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. में म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के 4 ताप विद्युत गृह एवं 9 जल विद्युत गृह हैं एवं एक जल विद्युत गृह, पेंच जल विद्युत गृह, तोतलाडोह जिला नागपुर में है, जिसका संचालन एवं संधारण म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों की कुल उत्पादन क्षमता 4320 मेगावाट एवं मध्यप्रदेश में स्थित जल विद्युत गृहों की कुल उत्पादन क्षमता 755 मेगावाट है, जिसमें पेंच जल विद्युत गृह की 160 मेगावाट उत्पादन क्षमता सम्मिलित नहीं है। म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप एवं जल विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता का विस्तृत विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुडा ताप विद्युत गृह, सारनी को एन.टी.पी.सी. को सौंपने की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि सतपुड़ा ताप विद्युत गृह का उत्पादन पी.एल.एफ. मानकों के सापेक्ष न होने के कारण विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन बढ़ाने तथा पी.एल.एफ. में सुधार लाने हेतु म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं एन.टी.पी.सी. के मध्य एक संयुक्त उपक्रम के माध्यम से इसे संचालित तथा विस्तारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। **(ग)** जी नहीं। वर्तमान में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी की उत्पादन क्षमता 1142.50 मेगावाट से बढ़कर 1330.00 मेगावाट हो गई है। **(घ)** जी नहीं। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी की इकाईयों में वृहद नवीनीकरण कार्य नहीं किये गये हैं। अपितु वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक आवश्यकताजनित नवीनीकरण के कार्य ही 1X200 मेगावाट एवं 3X210 मेगावाट क्षमता की इकाईयों में कराये गये हैं। आवश्यकताजनित नवीनीकरण के कार्यों के फलस्वरूप इन इकाईयों की कार्यक्षमता में सुधार परिलक्षित हुआ है।

<u>परिशिष्ट - "तैंतालीस</u>"

भाग - 3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बांधों की मरम्मत पर व्यय

1. (क्र. 49) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के रीठी बहोरीबन्द विकासखंड के अंतर्गत वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक बांधों और लाइनिंग की मरम्मत में कुल कितनी राशि व्यय की गई है? पृथक-पृथक बांधवार बताएं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के बांधों और लाइनिंग के मरम्मत में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी लागत से कराये गये है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** और **(ख)** में राशि का उपयोग हुआ है तो कितना अधिक क्षेत्रफल सिंचित हुआ और लाइनिंग कार्य पूर्ण होने पर कितना सिंचित रकवा में बढ़ोत्तरी हुई है? **(घ)** बांध में इतनी अधिक राशि व्यय करने के बाद बांध के फूटने से शासन को हुई क्षति की जाँच क्या कराई गई? जाँच में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** जल संसाधन संभाग कटनी द्वारा रीठी, बहोरीबंद विकासखण्ड अंतर्गत वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक बांधों और लाइनिंग में कराई गई मरम्मत की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (घ)** वर्ष 1917 में निर्मित गोरहाबंधा बांध अत्यधिक वर्षा के कारण दिनाँक 03 सितम्बर 2013 को क्षतिग्रस्त होना प्रतिवेदित है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् दिए गए निर्देश अनुसार क्षतिग्रस्त भाग का सुधार कार्य वार्षिक मरम्मत अंतर्गत रू.11.98 लाख व्यय किया जाकर मार्च 2015 में कराया गया। जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट – "चौवालीस"

भवनविहीन महाविद्यालयों के लिये राशि की स्वीकृति

2. (क्र. 50) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शासकीय महाविद्यालय है। कौन-कौन सी संकाय के है और उनके लिये क्या पर्याप्त प्राध्यापक हैं या नहीं? यदि नहीं तो कब तक प्रतिपूर्ति की जावेगी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** महाविद्यालय में से कितने महाविद्यालय भवन विहीन हैं, क्या भवन विहीन महाविद्यालयों के लिये कोई राशि स्वीकृत हुर्इ है? यदि हाँ, तो कितनी राशि कब से स्वीकृत है? यदि नहीं तो कब तक स्वीकृत की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** भवनविहीन महाविद्यालय का भवन कब निर्मित करा दिया जावेगा बताएं? नहीं तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) कटनी जिले में बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय महाविद्यालय स्लीमनाबाद एवं शासकीय महाविद्यालय बहोरीबंद है, जिनमें कला संकाय है। जी नहीं। अध्यापन व्यवस्था संबंधी स्वीकृत/कार्यरत रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** शासकीय कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनाँक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है। पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** कटनी जिले के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय महाविद्यालय बहोरीबंद भवनविहीन है। जी नहीं। उक्त महाविद्यालय को भूमि प्राप्त हो चुकी है। भवन निर्माण हेतु

प्राचार्य/निर्माण एजेन्सी से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट – "पैंतालीस</u>"

<u>ऊर्जा विभाग में अधिकारियों की अनियमितता</u>

3. (क्र. 276) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन इंदौर संभाग में विद्युत कंपनियों में 1 जनवरी 2011 के पश्चात गबन, अनियमितता के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? गबन की राशि स्थान, आरोपियों के नाम एवं पद सहित जानकारी देवें? दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या अधिकांश प्रकरणों में प्रकरण उजागर होने के काफी समय बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं की गई यदि हाँ, तो क्यों? **(ग)** उक्त सभी प्रकरणों में निरीक्षण की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों की थी? क्या उनके द्वारा समय-सीमा में निरीक्षण किया गया? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या अधिकांश प्रकरणों में गबन के दोषियों में बिलिंग व अन्य कार्य करने वाली ठेका कंपनियों के कर्मचारी भी सम्मिलित पाए गए है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का विचार रखती है हां तो कब तक?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर के अंतर्गत दिनाँक 01.01.2011 से अब तक उज्जैन एवं इन्दौर राजस्व संभाग में गबन/अनियमितता के क्रमशः 23 एवं 02 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। गबन की राशि, स्थान, आरोपियों के नाम पद एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है**। **(ख)** जिन प्रकरणों में अपचारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गबन की राशि विभाग में जमा करा दी गई एवं उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है तथा इन प्रकरणों में एफ.आई.आर. (पुलिस कार्यवाही) नहीं की गई। शेष प्रकरणों में एफ.आई.आर. (पुलिस कार्यवाही) की गई हैं। **(ग)** गबन के उल्लेखित प्रकरणों में निरीक्षण की जिम्मेदारी संबंधित वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी एवं संबंधित संचालन/संधारण संभाग के कार्यपालन यंत्री की थी, जिनके नाम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है**। जी हाँ, समय-सीमा में संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के कारण ही वित्तीय अनियमितता की जानकारी संज्ञान में आई। **(घ)** जी नहीं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

<u>जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों को पुरस्कार वितरण</u>

4. (क्र. 277) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा 1 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस श्रेणी के पत्रकारों को एवं किस-किस नाम के पुरस्कारों को देने के लिये चयनित किया गया? पत्रकारों को पुरस्कार देने के लिए बनाए गए समस्त नियम, आदेशों की जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** दिनाँक 01 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन पत्रकारों द्वारा किस श्रेणी के पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पृथक-पृथक आवेदन जनसंपर्क विभाग में प्रस्तुत किए गए? उक्त पत्रकारों के नाम, पते, पुरस्कार की श्रेणी तथा विवरण, आवेदन का दिनाँक एवं आवेदन पत्र की छायाप्रतियां वर्षनुसार उपलब्ध करावें? **(ग)** उक्त संभाग में दिनाँक 01 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक तक पत्रकारों को दिए गए विभिन्न पुरस्कारों के लिए पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आलेख/समाचार जिन पर चयन

कमेटी/जूरी सदस्यों द्वारा विचार कर पुरस्कार का चयन किया गया? उक्त आलेख/सामाचार की छायाप्रति तथा चयनित पत्रकार की जानकारी नाम व पते सहित देवें? **(घ)** उक्त पत्रकारों को पुरस्कार चयन के लिए जूरी सदस्य/चयन समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई एवं उक्त चयन समिति में शामिल पत्रकारों के नाम व पते बैठक में ली गई प्रोसिडिंग की छायाप्रति पृथक-पृथक पुरस्कारों के लिए वर्षवार उपलब्ध करावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) वर्ष 2010 से 2014 तक उज्जैन संभाग के 07 पत्रकारों को पुरस्कार के लिये चयनित किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'क' अनुसार है**। नियम **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ख' अनुसार है**। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ग' अनुसार है**। **(ग)** नियमानुसार जूरी प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त उपयुक्त पत्रकारों का चयन करने के लिये सक्षम है। चयनित पत्रकारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'क' अनुसार है**। **(घ)** बैठक दिनाँक 13 मार्च 2015 को आयोजित की गई। जूरी सदस्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'घ' अनुसार है**।

कृषकों द्वारा बिजली बिल जमा न किये जाने पर कार्यवाही

5. (क्र. 298) श्री जतन उईके : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कृषकों द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रावाधान है? **(ख)** क्या बकायदार कृषकों के रबी फसल की सिंचाई की जा रहे विद्युत कनेक्शन विच्छेद किये जाने तथा कार्यरत मोटरपंप जप्त की जाकर सिंचाई व्यवस्था अवरूद्ध किये जाने के भी प्रावधान किये गये है? **(ग)** विगत एक वर्ष में तहसील पांढुर्णा के कितने कृषकों के रबी सिंचाई के विद्युत कनेक्शन विच्छेद किये गए है? तथा कितने मोटर पंप जप्त किये गये हैं? **(घ)** उपरोक्त कृत्य से कृषकों को होने वाले नुकसान के लिए क्या कोई अधिकारी/कर्मचारी अथवा शासन जिम्मेदार है? फसल सूखने पर कृषक की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) निर्धारित अवधि में विद्युत देयक जमा नहीं होने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के तहत् विद्युत देयक जमा करने हेतु सूचना पत्र दिया जाता है जिसके 15 दिवस के उपरांत विद्युत लाईन विच्छेदन की कार्यवाही का प्रावधान है। तदुपरांत भी विद्युत बिल जमा नहीं किये जाने पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व वसूली की कार्यवाही की जाती है। **(ख)** बकायादार कृषक उपभोक्ता को सूचना देने के पश्चात भी बिजली का बिल जमा नहीं किये जाने पर विद्युत संयोजनों को विच्छेदित किया जाता है तथा भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस प्रदान कर आर.आर.सी./ कुर्की की कार्यवाही की जा सकती है। **(ग)** विगत एक वर्ष में पांढुर्णा तहसील के अंतर्गत विद्युत बिल की बकाया राशि वाले 2759 विद्युत पंप उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गये हैं तथा 39 बकायादार उपभोक्ताओं के मोटर पंप जप्त किये गये हैं। **(घ)** उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल की राशि जमा नहीं करने के कारण विद्युत कनेक्शन विच्छेदन एवं कुर्की की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अत: किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

इूब क्षेत्र में प्रभावित लोगों का पुनर्वास

6. (क्र. 343) श्री सचिन यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सरदार सरोवर बांध के इूब क्षेत्र में हजारों आदिवासी, किसान, मजदूर, मछुआरों को वैकल्पिक जमीन,

आजीविका, पनुर्वास, बसाहट में भूखण्ड आदि मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सभी के लिये कर दी गई है? नहीं तो कारणों का उल्लेख करें? **(ख)** क्या पुनर्वास कार्यों में अनियमितताएं हुई है, हां तो कितनी शिकायतें किस-किस प्रकार की कब-कब प्राप्त हुई और उक्त शिकायती प्रकरण किस-किस संस्थाओं में कार्यवाही हेतु विचाराधीन है और इसमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी लिप्त है? पद नाम सहित जानकारी दें? **(ग)** उक्त प्रकरणों में शासन एवं प्रशासन स्तर पर कार्यवाही प्रतिवेदन एवं पुनर्वास कार्यों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्रश्न दिनाँक तक की समयावधि में बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। सरदार सरोवर परियोजना के नवीन बैकवाटर लेवल के अनुसार डूब क्षेत्र के कुल प्रभावित 21808 विस्थापित परिवारों को नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिबुनल अवार्ड (NWDTA) अनुसार उनकी पात्रतानुसार पुनर्वास के लाभ दिये गये है। इनमे से 5535 विस्थापित परिवारों को गुजरात राज्य में तथा 16273 विस्थापित परिवारों को मध्यप्रदेश में पुनर्वास संबंधी लाभ दिये गये हैं। प्रभावित विस्थापित परिवारों की पुनर्बसाहट हेतु 88 पुनर्वास स्थल विकसित कर उनमें सभी मूलभूत नागरिक सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। पुनर्वास कार्यों के अंतर्गत कतिपय विस्थापितों के द्वारा वैकल्पिक भूमि क्रय करने बाबत फर्जी रजिस्ट्रीयां कराई गई है। इस पर शासन द्वारा 281 प्रकरणों में FIR कराई गई थी। तत्संबंध में नर्मदा बचाओं आंदोलन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के समक्ष एक जनहित याचिका डब्ल्यू पी 14765/2007 दायर की गई थी, जिसमें विस्थापितों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराये जाने की शिकायत थी। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही पर दिनाँक 03/03/2008 को स्थगन आदेश जारी किया तथा दिनाँक 21/08/2008 को संपूर्ण प्रकरण की जाँच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एस.एस.झा की अध्यक्षता में एक न्यायिक जाँच आयोग गठित करने का आदेश किया गया। न्यायिक जाँच आयोग (माननीय झा आयोग) द्वारा अभी भी जाँच का कार्य किया जा रहा है। जाँच आयोग की अंतिम रिर्पोट प्रस्तुत होने पर जाँच आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण एवं अन्य विधि सम्मत कार्यवाही संभव होगी। **(ग)** उत्तरांश "क" एवं "ख" अनुसार।

पर्यटन गतिविधयों के लिये भूमि लीज पर दी जाना

7. (क्र. 537) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन गतिविधियों हेतु भूमि लीज पर दी जाती हैं, यदि हाँ, तो इन गतिविधियों के नाम तथा इस हेतु लीज अवधि व लीज प्राप्त करने हेतु पात्रता का विवरण बताया जायें? **(ख)** क्या ओरछा तहसील में भी विभाग द्वारा इन पर्यटन गतिविधियों के लिये कोई भूमि उपलब्ध कराई जाती है, यदि हाँ, तो 2009 से अब तक किन-किन को यह भूमि आवंटित की गई है? वर्षवार, प्रयोजन वार रकबा की जानकारी साथ में दी जावें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अंतर्गत लीज प्राप्त कर्ताओं द्वारा प्राप्त भूमि में क्या-क्या कार्य कराये जा चुके हैं? प्रत्येक लीज में कराये गये कार्य की वर्तमान स्थिति, निवेश की गई राशि एवं उसके उपयोग के विवरण सहित पृथक-पृथक बताया जावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा लीज पर दी गई भूमियों पर रिसॉर्ट, होटल, बजट होटल, एम्यूजमेंट पार्क, कन्वेंशन सेन्टर, गोल्फ कोर्स, वाटर एवं एडवेंचर आदि गतिविधियों के लिए दी जाती है। लीज अवधी 90 वर्ष की होती है। पारदर्शी

प्रक्रिया की निविदायें आमंत्रित की जाकर अधिकतम राशि का प्रस्तावित देने वाले निवेश को पात्र माना जाता है। **(ख)** जी हाँ। वर्ष 2009 से अब तक श्री बाबूलाल जैन, ऋषीगालव होटल एण्ड रिसॉर्ट को भूमि ग्राम नकटा (ओरछा) जिला टीकमगढ़ रकबा 2.790 हेक्टेयर रिसॉर्ट के निर्माण हेतु दी गई है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के अंतर्गत लीज प्राप्त कर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं, जिन पर लगभग रू. 1.50 करोड़ का व्यय किया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। 1. तीन छोटे कक्षों का निर्माण। 2. छोटा टीनशेड कक्ष। 3. एक छोटा किचन। 4. बरामदा। 5. कालम एवं प्लिंथ (प्लिंथ भरी जाना है।) 6. बाउन्ड्रीवॉल। 7. लैण्ड स्कैप एवं भूमि का विकास। 8. अन्य निर्माण कार्य प्रगति पर।

<u>औसत बिल जारी करने में अनियमितता</u>

8. (क्र. 539) श्री अनिल जैन : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत उपभोग मापने के लिये विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रानिक मीटर लगवाये गये है। यदि हाँ, तो कृपया बतावें कि विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में कितने इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये गये हैं, इनमें से कितने मीटर मानक स्तर के हैं और इन पर कितनी राशि व्यय की गई हैं? **(ख)** क्या इन इलेक्ट्रानिक मीटर की कोई गारंटी अवधि भी है और यदि गारंटी अवधि में अथवा बाद में वह खराब होता है तो फिर उपभोक्ता से यह अपेक्षा क्यों की जाती है कि वह कंपनी कार्यालय जाकर आवेदन प्रस्तुत करें तब मीटर सुधारा या बदलवाया जायेगा अन्यथा तब तक औसत बिलिंग की जाती रहेगी। क्या यह व्यवस्था ठीक है अथवा नहीं। यदि नहीं, तो क्या इस व्यवस्था को बदलने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** का उत्तर यदि नहीं है तो शासन अथवा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा क्षेत्रीय इंजीनियरों को खराब मीटरों सुधरवाये या बदले बिना निरंतर औसत बिल जारी कराने का कार्य कब से बंद कराया जावेगा? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** व **(ग)** के अलावा क्या उपभोक्ताओं की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिये जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से निबटारा करने के लिये शासन द्वारा इंजीनियर्स को निर्देश दिये गये हैं अथवा नहीं यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में कितने उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है? विवरण देवें और यदि नहीं तो क्या शासन इस पर कोई विचार कर रहा है।

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, यह सही है कि घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत उपभोग मापने के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इलेक्ट्रानिक मीटर लगवाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में वित्तीय वर्ष 2013-14 में खराब मीटरों के विरूद्ध 713 एवं नये कनेक्शनों के विरूद्ध 1502 तथा 2014-15 में खराब मीटरों के विरूद्ध 1030 एवं नये कनेक्शनों के विरूद्ध 2564 इलेक्ट्रानिक मीटर लगाए गये हैं। उक्त सभी मीटर मानक स्तर के हैं। प्रश्नाधीन क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में लगाए गये मीटरों की कीमत लगभग 39 लाख रूपये है। **(ख)** इलेक्ट्रानिक मीटर की गारंटी अवधि 5 वर्ष 6 माह होती है। उपभोक्ता परिसर में लगा मीटर यदि गारंटी अवधि में या उसके पश्चात् भी खराब होता है तो नियमानुसार विद्युत कंपनी द्वारा नि:शुल्क बदल दिया जाता है। केवल मीटर जले होने की स्थिति में ही उपभोक्ता द्वारा वितरण कंपनी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार जले मीटर की राशि जमा करने पर मीटर बदला जाता है। वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में कुल 269 इलेक्ट्रानिक मीटर जले थे। मीटर बदलने तक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के प्रावधानों के अनुसार औसत आधार पर बिल दिया जाता है।

(ग) मीटर खराब होने की स्थिति में जब तक मीटर बदल नहीं दिया जाता, तब तक नियमानुसार उस अवधि में औसत बिल जारी किया जाता है। उक्त कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है, अतः इसे बंद करने का प्रश्न नहीं उठता। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' व 'ग' के अलावा उपभोक्ताओं की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से निराकरण करने के लिए शासन द्वारा इंजीनियर्स को दिशा-निर्देश दिये गये हैं। विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में 138 समस्याओं का निराकरण चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है, जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**।

श्योपुर में नवीन गर्ल्स कालेज को खोले जाने के संबंध में

9. (क्र. 581) श्री दुर्गालाल विजय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्योपुर को जिला बने 16 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, उसके बावजूद यहां वर्तमान तक गर्ल्स कॉलेज स्वीकृत होकर संचालित नहीं हो पाया है इसके क्या कारण हैं? **(ख)** क्या श्योपुर जिला आदिवासी बाहुल्य व शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा जिला है इसी कारण यहां की बेटिया गर्ल्स कालेज न होने से इण्टरमिडिएट की शिक्षा पूरी कराने के पश्चात आगे की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या शासन जिला मुख्यालय पर गर्ल्स कॉलेज स्वीकृत कर प्रारंभ कराने पर गंभीरता से विचार करेगा? **(घ)** क्या शासन ने श्योपुर में गर्ल्स कॉलेज खोले जाने हेतु महाविद्यालय प्रबंधन से प्रस्ताव मांगा हैं क्या महाविद्यालय प्रबंधन ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया हैं यदि हाँ, तो कब भेजा? यदि नहीं तो क्या शासन शीघ्र प्रस्ताव मंगवाकर उसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा साथ ही वर्ष 2015-16 के अनुपूरक अथवा वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में इसे शामिल करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। श्योपुर में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव नीतिगत होने से विचाराधीन है। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं। शासकीय अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर में छात्राएं अध्ययन कर सकती है। **(ग)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** गणमान्य नागरिक द्वारा श्योपुर में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग की गयी थी। नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव नीतिगत होने से विचाराधीन है।

श्योपुर जिलान्तर्गत निर्माण कार्य

10. (क्र. 582) श्री दुर्गालाल विजय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जल संसाधन संभाग श्योपुर जिला अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये कार्य/एजेंसी का नाम, स्वीकृत राशि व कार्य पूर्ण करने की अवधि इस हेतु प्राप्त आवंटन/व्यय की जानकारी कार्य/वर्षवार उपलब्ध करावे? **(ख)** उक्त में से कौन 2 से कार्य निर्धारित अवधि में पूर्व हुए कौन-कौन से कार्य निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अपूर्ण/अप्रारंभ पड़े है इन्हें पूर्ण/प्रारंभ कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** उक्त अवधि में उक्त कार्यों में अनियमितताओं एवं कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कितने शिकायती आवेदन प्रमुख सचिव, प्रमुख/मुख्य अभियंता, अधीक्षण/कार्यपालन यंत्री श्योपुर को प्राप्त हुए इन पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या उक्त अवधि में मेन/आवदा केनाल व डिस्ट्रीब्यूटरियों सहित पावती एक्वेडेक्ट पर कराये गये पक्कीकरण कार्य (सीसी वर्क) व केनाल सर्विस रोड के निर्माण में प्राक्कलन को अनदेखा कर घटिया निर्माण सामग्री से गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया नतीजन कई जगह सीसी

उखड़ गई अथवा उसमें दरारे पड़ गई सर्विस रोड पूरी तरह से अनुपयोगी हो चुका है? **(ड.)** यदि नहीं तो क्या शासन प्रश्नांश **(क)** में वर्णित कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधायक स्वेच्छा राशि व जनसंपर्क निधि के भुगतान

11. (क्र. 684) श्रीमती शीला त्यागी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के विधानसभा सदस्यों (विधायकों) द्वारा स्वेच्छा अनुदान राशि वितरण के लिए हितग्राहियों की सूची वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कब-कब जमा की गई क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के सन्दर्भ में कितनी राशि का भुगतान होना रह गया था? उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? क्षेत्रवार जानकारी देवे? जनसंपर्क निधि का भी कब तक भुगतान होगा? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में राशि के भुगतान में विलंब होने का क्या कारण है बताएं तथा यह भी बताएं कि क्या हितग्राहियों के खाते गलत थे? यदि जिनके खाते सही थे तो उनको राशि का भुगतान क्यों नहीं किया है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में कौन अधिकारी दोषी हैं, यदि विभागीय अधिकारियों के बीच सांमजस्य नहीं है तो क्या व्यवस्था की जावेगी, बताएं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-'अ' पर है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013-14 में किसी भी हितग्राही को भुगतान किया जाना शेष नहीं है। वर्ष 2014-15 में 415 हितग्राहियों को राशि रू. 15,83,500/- का भुगतान कोषालय से देयक पारित न होने के कारण नहीं हो सका था। 207 हितग्राहियों राशि रू. 7,90,500/- का भुगतान वर्ष 2015- 16 में आवंटित राशि से किया गया। शेष भुगतान बजट प्राप्त होने पर किया जा सकेगा। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के सन्दर्भ में देयक 24 मार्च 2015 को कोषालय में प्रस्तुत किया गया। दिनाँक 31 मार्च 2015 तक कोषालय से भुगतान नहीं हुआ तथा 4 अप्रैल 2015 को देयक वापस प्राप्त हुआ था। कुछ हितग्राहियों के संसूचित बैंक खाते गलत थे परन्तु सकल देयक की राशि उपरोक्तानुसार वापस होने से सही खाते वालों का भी भुगतान नहीं हो सका। **(घ)** उत्तरांश **(क)** एवं **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में कोई दोषी नहीं है। सभी विभागीय अधिकारियों के मध्य सामंजस्य है।

माननीय सांसद/विधायकों के साथ संलग्न लिपिकों का नियत भत्ता बढ़ाये जाना

12. (क्र. 797) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय सांसदों और विधायकों को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र. एफ ए10-15/94/एक (1) दिनाँक 19 मई 1995 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या इन संलग्न लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 100/- प्रतिमाह यात्रा भत्ता नियत किया गया था? इसके बाद संशोधित आदेश के द्वारा 100/- के स्थान पर 200/- प्रतिमाह यात्रा भत्ता नियत किया गया है? **(ग)** क्या 2005 के संशोधन आदेश को परिवर्तित करते हुए माननीय सांसदों व विधायकों के साथ संलग्न लिपिकों के नियत भत्ता में बदलाव/बढ़ोत्तरी करते हुए प्रतिमाह 200/- के स्थान पर 1000/- करने के आदेश प्रसारित किये जायेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। **(ग)** वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सिंचाई बांधों एवं नहरों के निर्माण लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता

13. (क्र. 813) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र पवई अंतर्गत जनवरी 2009 से मई 2015 तक कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजनाओं को कौन-कौन मद से कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति कब-कब किसके द्वारा प्रदान की गई? **(ख)** उपरोक्त योजनाओं के निर्माण हेतु कब-कब, कौन-कौन से संविदाकारों को किस दर पर कितनी राशि का किस संविदा प्रणाली के तहत कार्यादेश दिया गया किस अधिकारी द्वारा संविदा स्वीकृति तथा कार्यादेश दिया गया है? **(ग)** उपरोक्त योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाओं के बांध शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य कब-कब पूर्ण किये गये तथा कौन-कौन सी योजनाओं में कौन-कौन सा कार्य मौका स्थान पर अधूरा है और क्यों? दोषी ठेकेदारों संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विधानसभा क्षेत्र पवई के अंतर्गत जनवरी 2009 से मई 2015 तक कुल 42 योजनाएं स्वीकृत हुईं। चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है**। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है**। **(ग)** पूर्ण योजनाओं का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है**। 42 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं के कार्य भौतिक रूप से पूर्ण होना प्रतिवेदित है। शेष 16 परियोजनाएं अपूर्ण हैं। निर्माण कार्य में मौका स्थान पर पाई गई कमी को ठेकेदार से पूर्ण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में पाई गई कमी के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सबंधित ठेकेदारों का पंजीयन निलंबित किया गया है।

किसानों को मुआवज़ा वितरण

14. (क्र. 814) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र पवई में जनसंसाधन विभाग की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और नहरों के लिये किसानों से अधिगृहीत भूमि के मुआवज़े संबंधी कुल कितने प्रकरण लंबित है और अब तक कितने किसानों को कुल कितना मुआवज़ा वितरित हो चुका है और कितना मुआवज़ा कितने किसानों को वितरण होना शेष है? **(ख)** किसानों से अधिगृहीत भूमि का मुआवज़ा वितरण में देरी के क्या कारण है और देरी के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? **(ग)** किसानों को उनकी भूमि का मुआवज़ा शीघ्र भुगतान किये जाने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र पवई में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 19 परियोजनाओं के बांध के 16 प्रकरण एवं नहरों के 51 प्रकरण लंबित हैं। अब तक 1717 कृषकों को रू. 4012.52 लाख का मुआवजा वितरित किया गया है। 765 कृषकों को रू. 2884.34 लाख का मुआवजा वितरित होना शेष है। **(ख)** किसानों से अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वितरण में देरी का मुख्य कारण ई-पेमेंट प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कृषकों से खाता नम्बर एकत्रित करना, बैंक से सत्यापन कराना तथा कृषक की पहचान कराना, समाचार पत्रों एवं राजपत्र में प्रकाशन आदि प्रक्रिया के कारण भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान में विलंब होना प्रतिवेदित

है। अतः अधिकारियों पर जिम्मेदारी की स्थिति नहीं है। **(ग)** किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा शीघ्र भुगतान किए जाने के लिए कृषकों से सतत संपर्क कर बैंक खाता नम्बर एकत्रित करना, बैंक खातों का सत्यापन एवं कृषकों की पहचान की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास सतत् चल रहे है।

खातों में राशि जमा नहीं की जाना

15. (क्र. 917) कुँवर विक्रम सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में जनपद कार्यालयों में विगत तीन वर्ष (वर्ष 2012 में जून 2015) की अवधि में विधायक निधि की प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि बैंक खातों में जमा है? अवधि सहित विवरण दें? **(ख)** लम्बे समय तक राशि खातों में जमा रही और वापिस जिला योजना कार्यालय/चालान से शासन खजाने में जमा न किये जाने पर कौन से अधिकारी दोषी हैं? **(ग)** जनपद कार्यालयों में अन्य मद की कितनी राशि अवितरित पड़ी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जिला छतरपुर की 8 जनपद पंचायतों में 1 अप्रैल 2012 से जून 2015 की अवधि में विधायक निधि की 73,62,506/- राशि बैंक खातों में जमा है। वर्ष 2012-13 में 20,96,812/-, 2013-14 में 29,04,660/- वर्ष 2014-15 में 23,61,144/- राशि जनपद पंचायतों के खातों में जमा है। **(ख)** जनपद कार्यालयों में जमा राशि विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों के प्रगतिरत होने पर कारण राशि चालान द्वारा शासन हेड में जमा नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** छतरपुर जिले की 8 जनपद पंचायतों में अन्य मदों की राशि 3,85,34,262/- बैंक खातों में जमा है।

प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

16. (क्र. 951) श्री संजय पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 738, दिनाँक 07.05.2015 को माननीय मंत्री संस्कृत एवं पर्यटन विभाग मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिखकर धूनी आश्रम, खोरा, तह. अजयगढ़ जिला पन्ना को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु लेख किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो कब तक कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** कार्यवाही प्रचलन में है।

हरदा जिले में फूड पार्क स्थापना हेतु भूमि का हस्तांतरण

17. (क्र. 968) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अपने पत्र क्रमांक 694 दिनाँक 20.11.2014 से उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग प्रमुख सचिव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल, कलेक्टर हरदा एवं महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा एवं होशंगाबाद को दी गई थी, जिसमें हरदा जिले के ग्राम सुल्तानपुर में नर्मदा घाटी विकास विभाग के पास उपलब्ध भूमि को हरदा जिले के निकटतम जिले होशंगाबाद के ग्राम कीरतपुर एवं जिलवानी में उद्योग विभाग की भूमि को दोनों विभागों की सहमति से हस्तांतरण किये जाने के संबंध लिखा गया था के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या नर्मदाघाटी विकास विभाग हरदा जिले में उपलब्ध भूमि को जिला होशंगाबाद के ग्राम कीरतपुर अथवा जिलवानी में उद्योग विभाग की उपलब्ध भूमि में से समान भूमि का हस्तांतरण किये जाने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करेगा? **(ग)** यदि हाँ, तो

कब तक उक्त संबंध में निर्णय लिया जावेगा? समय-सीमा बताएं? **(घ)** यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) हरदा जिले के सुल्तानपुर गांव में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग की लैण्ड बैक की 43.884 हेक्टेयर भूमि के बदले उद्योग विभाग की होशंगाबाद जिले के ग्राम कीरतपुर एवं ग्राम जिलवानी की भूमि के अदला बदली के प्रस्ताव पर संचालक, जलग्रहण क्षेत्र उपचार नघाविप्रा आयुक्त (पुर्न/फील्ड) नघविप्रा इन्दौर द्वारा नामांकित अधिकारी एवं उद्योग संचालनालय के अधिकारियों के संयुक्त दल से स्थल निरीक्षण कर भूमि का परीक्षण करवाया गया। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार भूमि कृषि योग्य नहीं होने के कारण प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण की लैण्ड बैंक की भूमि से अदला बदली नहीं की जा सकती है। प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 254/एस.आई 3/ससप/14/195 दिनाँक 17/10/2014 द्वारा आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय भोपाल को अवगत कराया गया कि भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण अदला-बदला नहीं की जा सकती है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है**। प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 254/एस.आई-3/ससप/ 14/246 दिनाँक 10/12/2014 द्वारा माननीय विधायक को उनके पत्र क्रमांक 694 दिनाँक 20/11/2014 के संदर्भ में भी उपरोक्तानुसार अवगत कराया गया है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है**। **(ख)** जी नहीं **(ग)** उत्तरांश क एवं ख के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की लैंड बैंक की भूमि विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटन एवं पुनर्वास के लिए आरक्षित है। उद्योग विभाग द्वारा अदला-बदली हेतु प्रस्तावित ग्राम कीरतपुर एवं जिलवानी की भूमि कृषि योग्य एवं पुनर्वास योग्य नहीं होने से भूमि की अदला-बदली संभव नहीं है।

हरदा जिले में मोरन नदी पर डेम का निर्माण

18. (क्र. 971) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या हरदा जिले की मोरन नदी पर डेम बनवाये जाने की कोई योजना प्रस्तावित अथवा लंबित है? **(ख)** यदि कोई योजना लंबित है तो उसका क्या कारण है? उसका स्थान क्या है? विभाग द्वारा कब तक कार्यपूर्ण करा लिया जावेगा? समय-सीमा बताएं? **(ग)** उक्त डेम बनाने से हरदा जिले का कुल कितना हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग)** हरदा जिले के मोरण्ड नदी पर बांध बनाने की कोई योजना जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

सतना सर्किल के अंतर्गत पुराने सामान की वापसी

19. (क्र. 974) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना सर्किल के अंतर्गत वर्ष 2013 जनवरी से अभी तक कितने शिफ्टिग के कार्यों हेतु एल.टी. लाइन, 11 के.वी. एवं 33 के.वी. लाइन के कार्य आदेश जारी किये गये है? किसमें कितना सामान लगा है और पुराने सामान की क्या व्यवस्था है? **(ख)** क्या शिफ्टिंग के कार्य के वापस सामान को स्टोर में वापस कराया गया है? कितना कराया गया? वापस नहीं किया गया तो क्यों और संबंधितों के ऊपर क्या कार्यवाही की जावेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सतना सर्किल के अंतर्गत वर्ष जनवरी 2013 से अभी तक एल.टी. लाईन शिफ्टिंग के 21, 11 के.व्ही. लाईन के 30 एवं 33 के.व्ही. लाईन के 17 कार्यों के कार्यादेश जारी किये गये हैं। इन कार्यों में 61.98 कि.मी. कण्डक्टर, 8.96 कि.मी. केबिल, 89 आर.एस. ज्वाइस्ट, 368 एच.बीम एवं 8 रेल पोल लगाये गये हैं। पुराने सामान को प्राक्कलन के प्रावधान अनुसार संबंधित क्षेत्रीय भण्डार में वापस किया जाता है। **(ख)** जी हाँ। शिफ्टिंग के जो कार्य पूर्ण हो गये हैं उन कार्यों से निकले, वापस किये जाने योग्य सामान में से 2566.35 कि.ग्रा. एल्युमीनियम कण्डक्टर तथा 13900 कि.ग्रा. लोहा स्टोर में वापिस किया गया है। शेष सामान स्टोर को वापस करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। यदि सामान वापस नहीं किया जाता है तो संबंधितों के ऊपर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जल कर का औद्योगिक उपयोग

20. (क्र. 999) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की कितनी एवं कौन-कौन सी नदियों, तालाबों का जल औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु किन-किन उद्योगों को शासन ने अनुमति दी है? **(ख)** उपरोक्त **(क)** में वर्णित किन-किन उद्योगों से किस दर पर जलकर राशि की वसूली की जा रही है? वर्ष 2013-2014 का वसूली ब्यौरा क्या है? **(ग)** किन-किन उद्योगों से किस कारण से अब तक जलकर वसूला नहीं जा रहा है? क्या उक्त उद्योगों पर सिंचाई अधिनियम लागू नहीं है? **(घ)** क्या करोड़ों रूपये कमाने वाले ग्रेसिम उद्योग के चंबल नदी पर पांच डेम बनाकर भारी मात्रा में जल उपयोग को करमुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो किन प्रावधानुरूप? किस मापदण्ड अनुसार?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बिजली बिलों का विसंगतिपूर्ण वितरण

21. (क्र. 1005) श्री विजयपाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. वि.वि.कं.लि. होशंगाबाद द्वारा विकासखण्ड बाबई में माह अक्टूबर 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कृषि पंप हेतु कितने किसानों को कब-कब, कितने-कितने एचपी के कनेक्शन प्रदान किये गये? **(ख)** क्या प्रश्नांश अवधि में जिन किसानों का 2एचपी का कनेक्शन है उन्हें 5 एच.पी., 5 एचपी कनेक्शन वालों को 8 एच.पी. कनेक्शन का विसंगतिपूर्ण बिल दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? कनेक्शन नियमों की प्रति देते हुये बतायें जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में दिये गये विसंगतिपूर्ण बिलों को कब तक दुरूस्त कर सही बिल प्रदान किये जायेंगे एवं जिन किसानों द्वारा विसंगतिपूर्ण बिलों का भुगतान कर दिया गया है उनकी राशि को कब तक समायोजित कर दिया जायेगा? समयावधि बतायें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के अंतर्गत होशंगाबाद वृत्त के विकासखण्ड बाबई में माह अक्टूबर 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कृषि पंप के 3 एच.पी.के 256, 5 एच.पी.के 310 एवं 7.5 एच.पी.के 48 कनेक्शन, इस प्रकार कुल 614 कनेक्शन प्रदान किये गये हैं, जिनका माहवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है**। **(ख)** जी नहीं, प्रश्नांश अवधि में कृषि उपभोक्ताओं को वास्तविक संबद्ध भार के आधार पर ही बिल दिये गये हैं। मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.38 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं की स्थापनाओं की

क्षमता के निर्धारण/पुनर्निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया है एवं तदनुरूप ही कार्यवाही की गई है, अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता। उक्त नियमों की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है**। **(ग)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। तथापि किसी प्रकरण विशेष में उपभोक्ता से उक्त संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट – "छियालीस"

मुरैना जिले में वाणिज्यकर की वसूली

22. (क्र. 1042) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले में वाणिज्यकर वर्ष 2013, 2014, जून 2015 में कितना प्राप्त हुआ? वर्षवार, राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? **(ख)** जिले में ऐसे पंद्रह व्यवसाइयों, करदाताओं के नाम बताये जावें, जिन पर अत्याधिक कर अधिरोपित हैं, जिनकी वसूली प्राप्त नहीं हो सकी है, नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावें? **(ग)** उक्त कर वसूली हेतु शासन द्वारा वर्जित समय में क्या-क्या प्रयास किये?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मुरैना जिले में वर्ष (केलेण्डर) 2013, 2014 एवं माह जून, 2015 तक प्राप्त वाणिज्यिक कर की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है**। **(ख)** मुरैना जिले के पन्द्रह व्यवसाइयों के नाम, जिन पर अत्यधिक कर अधिरोपित है, जिनकी वसूली प्राप्त नहीं हो सकी, की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है**। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब के कॉलम क्रमांक-4 अनुसार है**।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

वन भूमियों से खनिजों का अवैध उत्खनन

23. (क्र. 1201) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला छतरपुर के राजस्व एवं वन विभाग के वन क्षेत्रों/वन भूमियों में से कितनी खदानों से खनिजों का उत्खनन हो रहा है? **(ख)** उक्तानुसार खदान एवं वनखण्ड का नंबर/खसरा नं. करें? **(ग)** क्या वन क्षेत्र में सर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति तथा उत्खनन अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है, यदि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी प्राधिकृत हैं? **(घ)** छतरपुर जिले में किन-किन अधिकारियों ने पिछले 10 वर्षों में राजस्व विभाग तथा वन विभाग के वन क्षेत्रों/वन भूमियों के संबंध में किस-किस क्षेत्र में सर्वेक्षण या उत्खनन हेतु अनुज्ञप्तियां जारी की है, विवरण प्रदान करें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में दर्शित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित है। (ग) जी हाँ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत अनुमति प्राप्त होने पर खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत मुख्य खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनिपट्टे एवं मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत उत्खनिपट्टे स्वीकृत किये जाते है। स्वीकृति के निर्णय लेने के अधिकार उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में दर्शित है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' में दर्शित है**।

कोलार में कॉलेज की स्थापना

24. (क्र. 1216) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या हुजूर विधानसभा के कोलार क्षेत्र में कॉलेज खोलने का प्रस्ताव लंबित है? **(ख)** यदि हाँ, तो कब तक कॉलेज खुल जाएगा और कॉलेज का भवन कब तक बन जाएगा?कॉलेज में कौन से संकाय खोले जाने प्रस्तावित हैं? **(ग)** क्या लालघाटी (भोपाल) से फंदा के बीच आबादी के हिसाब से नया कॉलेज खोलने के लिए विभाग द्वारा सर्वे कराया गया है, यदि हाँ, तो इसमें अभी तक क्या प्रगति है? क्या कॉलेज खोलना प्रस्तावित है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) हुजूर विधानसभा कोलार क्षेत्र में कॉलेज खोलने के तहत स्थानीय शासकीय बेनजीर विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल को स्थानान्तरित किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। **(ख)** जी हाँ। कॉलेज भवन निर्माण के लिये भूमि आवंटित हो गई है। भवन निर्माण के लिये राशि रूपये 727.14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। निर्माण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नांश "क" में उल्लेखित महाविद्यालय में चल रहे पाठ्यक्रमों को ही पढाया जावेगा। **(ग)** जी नहीं। सर्वे की कोई योजना नहीं है। जी नहीं। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः लालघाटी (भोपाल) फंदा के बीच में नवीन महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति

25. (क्र. 1219) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खण्डवा जिले की मांधाता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों व बसाहटों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत की है? तथा इस योजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी एवं स्वीकृत राशि में कितनी राशि व्यय की गई? **(ख)** क्या स्वीकृति अनुसार किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर विद्युत सप्लाई प्रारंभ कर दी है? किन-किन ग्रामों में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? किन ग्रामों में कार्य अधूरा पड़ा है? कार्य अप्रारंभ एवं अधूरे रहने का क्या कारण है? अधूरे एवं अप्रारंभ विद्युतीकरण कार्यों को कब तक पूरा किया जाएगा? **(ग)** विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि क्या थी? क्या निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने वाली एजेंसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) खण्डवा जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 204 ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले सभी मजरों-टोलों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत है। ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शाए अनुसार है**। साथ ही 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रश्नाधीन क्षेत्र के 181 ग्रामों की 225 बसाहटों के विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत है, जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। उक्त योजनायें सम्पूर्ण जिले के लिए स्वीकृत है विधानसभा क्षेत्रवार नहीं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत खण्डवा जिले के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना (द्वितीय चरण) में राशि रू. 41.88 करोड़ एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में राशि रू. 34.19 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से माह

जून'2015 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना (द्वितीय चरण) में राशि रू. 26.61 करोड़ का व्यय हो चुका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राशि रू. 3.86 करोड़ का व्यय हो चुका है, जो कि मोबीलाईजेशन एवं सामग्री अग्रिम के रूप में टर्न-की ठेकेदार को भुगतान की गई है। **(ख)** उक्त योजना में स्वीकृति अनुसार 10 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। 137 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य अप्रारम्भ है, तथा 57 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। यद्यपि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सघन विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण नहीं हुए है तथापि सभी ग्रामों में विद्युत प्रदाय पूर्व से ही विद्यमान है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य ठेकेदार एजेन्सी मेसर्स जी.ई.आई., भोपाल को दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा समय पर आवश्यक निर्माण सामग्री एवं श्रमिक नहीं लगाये गये, अतः कार्य सम्पादन में विलंब हुआ है। आर.ई.सी.लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण के कार्यों को माह दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उपरोक्तानुसार इस कार्यादेश का कार्य माह दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। **(ग)** 11वीं पंचवर्षीय योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत दिए गए कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्णता अवधि 24 माह थी, जो कि दिनाँक 01.07.2014 को पूर्ण हो चुकी है। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण ठेकेदार एजेंसी मेसर्स जी.ई.आई., भोपाल के देयकों में से निविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप जून 2015 तक रू. 126.76 लाख की राशि काटी जा चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जारी कार्यादेश की कार्यपूर्णता अवधि भी 24 माह है जो कि दिनाँक 13.08.2016 को पूर्ण होगी। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत सर्वे का कार्य प्रगति पर है।

<u>केवलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में जले हुये ट्रांसफार्मर बदले जाना</u>

26. (क्र. 1249) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र केवलारी के किन-किन ग्रामों में ट्रांसफार्मर जले होने की सूचना ग्रामीण जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई है? **(ख)** क्या विभाग द्वारा इन जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदलने या सुधार कराने का प्रयास किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? इसलिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री को कई बार लिखित/मौखिक सूचना देने के बाद भी ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही की जावेगी समय-सीमा बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिवनी जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केवलारी के 33 ग्रामों में ट्रांसफार्मर जले/खराब होने की सूचना ग्रामीण जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2015-16 में दिनाँक 30.6.15 तक दी गई है, जिसकी सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** उत्तरांश **(क)** में उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र केवलारी के सभी जले/खराब हुये ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय-सीमा में बदल दिया गया है। उक्त 33 ग्रामों में ट्रांसफार्मर जलने/ खराब होने की दिनाँक तथा बदलने की दिनाँक का विवरण **संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है**। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

<u>परिशिष्ट – "अड़तालीस</u>"

फीडर सेपरेशन के अंतर्गत कनेक्शन एवं ट्रांसफार्मर लगाये जाना

27. (क्र. 1250) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले के केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत फीडर सेपरेशन का कार्य दिनाँक 1/2/2015 तक कितने ग्राम में किया जा रहा है फीडर सेपरेशन कार्य के अंतर्गत कितने कनेक्शन पर एक ट्रांसफार्मर लगाये जाने के नियम है? प्रश्न तिथि तक किस-किस ग्राम में कितने के.व्ही. के ट्रांसफार्मर लग गये है एवं कितने ग्रामों में ट्रांसफार्मर लगाये जाना है? **(ख)** क्या राज्य शासन की मंशानुरूप ग्रामों में फीडर सेपरेशन कार्य शीघ्र पूर्ण हो, अगर हां तो विधान सभा केवलारी के जिन-जिन स्थानों पर फीडर सेपरेशन के तहत ट्रांसफार्मर कनेक्शनों की संख्या के आधार पर स्वीकृत है उन्हें प्रश्न तिथि तक क्यों नहीं लगाया गया है? कब तक लगाया जायगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिनाँक 01.02.2015 की स्थिति में 128 ग्रामों में फीडर विभक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। फीडर विभक्तिकरण योजना में 25 के.व्ही.ए. क्षमता के नये वितरण ट्रांसफार्मर लगाने एवं वर्तमान में लगे विभिन्न क्षमताओं के वितरण ट्रांसफार्मरों की शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। योजना में ट्रांसफार्मर लगाये जाने के लिए कनेक्शनों की संख्या निर्धारित नहीं है अपितु कनेक्शनों का सम्बद्ध भार ट्रांसफार्मर की क्षमता का 65% होने पर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाना हैं। दिनाँक 10.07.2015 तक 91 ग्रामों में स्थापित किये गये 133 ट्रांसफार्मरों की ग्रामवार एवं क्षमतावार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। शेष 37 ग्रामों में ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना शेष है। **(ख)** जी हाँ। उत्तरांश 'क' में दर्शाए अनुसार, ट्रांसफार्मर कनेक्शनों की संख्या के आधार पर नहीं अपितु सम्बद्ध भार के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं। केवलारी विधानसभा क्षेत्र में फीडर विभक्तिकरण योजना में 185 ट्रांसफार्मरों को लगाये जाने का कार्य स्वीकृत है। उक्त 185 में से 133 ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिये गये है तथा 52 ट्रांसफार्मर लगाये जाने शेष हैं। प्रश्नाधीन कार्य करने हेतु ठेकेदार कंपनी मेसर्स एसटर प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद को टर्न-की आधार पर दिनाँक 10.08.2011 को कार्यादेश जारी किये गये थे किन्तु उक्त ठेकेदार कंपनी द्वारा कार्य में अत्याधिक विलंब करने के कारण उक्त कंपनी को जारी कार्यादेश दिनाँक 09.12.2014 को निरस्त कर दिये गये हैं। शेष कार्य हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके अन्तर्गत स्वीकृति पत्र (लेटर ऑफ एक्सेप्टेन्स) दिनाँक 27.06.2015 को जारी कर दिये गये हैं। नई ठेकेदार कंपनी को कार्यादेश जारी होने पर कार्यादेश की शर्तानुसार प्रभावी तिथि से 18 माह के भीतर शेष कार्य पूर्ण किया जाना है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

जनभागी द्वारा कराये गये कार्य एवं राशि

28. (क्र. 1257) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिले को पिछले दो वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक जनभागीदारी में कितनी राशि तथा कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? **(ख)** स्वीकृत राशि में कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ कराये गये हैं? स्थानवार कार्यवाही जानकारी दे? **(ग)** स्वीकृत राशि तथा जनभागीदारी से दी गई राशि कहाँ से किन लोगों ने दी है? **(घ)** जनभागीदारी (माह में प्राप्त राशि का अनुपात शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा विकास खण्डवार कितना और कैसे होता है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** वर्ष 2014-15 में 77 कार्य हेतु रूपये 438.510 लाख जिसमें शासन अंशदान 303.083 लाख और जन समुदाय की राशि 101.028 लाख तथा वर्ष 2015-16 में 28 कार्य हेतु रूपये 202.68 लाख जिसमें शासन अंशदान रूपये 152.015 लाख और जन समुदाय की राशि रूपये 50.665 लाख स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है**। **(ग)** स्वीकृत राशि में 75 प्रतिशत शासन अंशदान, शेष 25 प्रतिशत जन समुदाय/संस्थाओं द्वारा प्रदाय की गई। **(घ)** अनुसूचित/जनजाति क्षेत्रों में शासन अंशदान 75 प्रतिशत एवं सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत की राशि शासन अंशदान के रूप में प्रदाय करने के नियम है। इस योजना के नियम में ग्रामीण/नगरीय का कोई अनुपात निश्चित नहीं किया गया है।

इंदौर स्थित लाईट एण्ड साउण्ड शो का संचालन

29. (क्र. 1262) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर स्थित लाईट एण्ड साउण्ड शो कब शुरू हुआ था और इसे कब शुरू होना था? **(ख)** उक्त कार्य हेतु कितना बजट अनुमानित था तथा कितना खर्च हुआ एवं कितना और खर्च होना बाकी है? **(ग)** यदि उक्त कार्य में अनुमानित बजट से अधिक खर्च हुआ तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) इन्दौर स्थित लाईट एण्ड साउण्ड शो प्रारंभ नहीं हुआ है। शो तैयार कर ट्रायल शो हुआ है। **(ख)** उक्त कार्य हेतु रू. 1.84 करोड़ का बजट अनुमानित था। वर्तमान तक व्यय रू.1.71 करोड़ हुआ और रू. 12.87 लाख का देयक भुगतान होना शेष है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

म.प्र.शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों की मान्यता

30. (क्र. 1266) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के मान्यता प्राप्त संगठनों की सूची एवं उनके पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करावे? **(ख)** उपरोक्त पदाधिकारियों में से किन-किन पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में छूट का प्रावधान है? **(ग)** उपरोक्त के संदर्भ में इंदौर जिले में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी है जिन्हें स्थानान्तरण में छूट की पात्रता आती है उनके नाम पद और संगठन के नाम सहित सूची उपलब्ध करावे? **(घ)** प्रश्नांश- **(ग)** अन्तर्गत इस वर्ष इस नियम के तहत कितने लोगों ने स्थानान्तरण से छूट प्राप्त की है? वे पदाधिकारी निर्वाचित या मनोनीत है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सहरिया जनजाति के लोगों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति

31. (क्र. 1296) श्री प्रहलाद भारती : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्वालियर संभाग में निवासरत अति पिछड़ी सहरिया जनजाति के लोगों को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी में बिना किसी चयन परीक्षा के सीधे नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार यदि हाँ, तो ग्वालियर संभाग में शासकीय नौकरी प्राप्त करने हेतु अति पिछड़ी सहरिया जनजाति के कितने व्यक्तियों के आवेदन किस-किस पद हेतु 01 जनवरी 2014 से

प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त हुए? जिलावार, नामवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदक नौकरी हेतु पात्र पाये गये व कितने आवेदकों को किस-किस विभाग में नियुक्ति प्रदान की गयी? जिलावार, नामवार, पदवार, विभागवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(घ)** उक्त प्राप्त आवेदनों में से किस-किस व्यक्ति के आवेदन किस-किस कारण से लंबित हैं व उसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं व उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? लंबित प्रकरणों का निराकरण कर संबंधितों को कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी? नामवार, जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनाँक 11 जनवरी, 2010 द्वारा जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहरिया आदिम जनजाति के लोगों को विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी में बिना किसी चयन परीक्षा के सीधी नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान हैं। **(ख)** आयुक्त, ग्वालियर संभाग के कार्यालय अभिलेख अनुसार 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। ग्वालियर जिले में चतुर्थ श्रेणी के 41 एवं तृतीय श्रेणी के 19 कुल 60 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसकी सूची **संलग्न परिशिष्ट "एक" पर है**। जिला शिवपुरी में चतुर्थ श्रेणी के 04 एवं तृतीय श्रेणी के 02 कुल 06 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिसकी सूची **संलग्न परिशिष्ट "दो" पर है**। जिला गुना में सहायक वर्ग-3 हेतु कुल 30 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिला दतिया में वनरक्षक/संविदा शाला शिक्षक पद हेतु 01 आवेदन पत्र एवं भृत्य पद हेतु 01 आवेदन कुल 02 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिला अशोकनगर में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं। **(ग)** आयुक्त, ग्वालियर संभाग के कार्यालय की जानकारी निरंक हैं। जिला ग्वालियर में प्राप्त आवेदनों में से कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, ग्वालियर संभाग क्रमांक- 1 में 12 आवेदकों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "तीन" पर है**। जिला शिवपुरी में कुल 06 आवेदन पत्रों में से चतुर्थ श्रेणी के 04 आवेदक पात्र पाये गये किंतु चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त न होने से नियुक्ति नहीं दी गई हैं। जिला गुना में प्राप्त आवेदनों में से सहायक वर्ग-3 के पद हेतु निर्धारित की गई न्यूनतम योग्यता ना रखने के कारण अपात्र पाये जाने से नियुक्ति प्रदान नहीं की गई हैं। जिला दतिया में शिक्षा विभाग में एक चतुर्थ श्रेणी के पद पर कु. मधु आदिवासी को नियुक्ति प्रदान की गई हैं। जिला अशोकनगर की जानकारी निरंक हैं। **(घ)** आयुक्त, ग्वालियर संभाग के कार्यालय की जानकारी निरंक हैं। जिला ग्वालियर में प्राप्त आवेदनों में से 48 आवेदकों के लिए चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के पद न होने से लंबित हैं जो **संलग्न परिशिष्ट "चार" पर है**। लंबित आवेदन पत्रों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हैं, पद रिक्त होने पर नियमानुसार नियुक्ति दी जा सकेगी जिसके लिए निश्चित समय-सीमा संभव नहीं हैं। जिला शिवपुरी में तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलित होने से लंबित हैं। शीघ्र ही लंबित आवेदनों का निराकरण किया जावेगा। जिला गुना में प्राप्त आवेदनों से एक भी आवेदक की योग्यता सहायक वर्ग-3 पद की न होने के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। जिला दतिया में अनुसूचित जनजाति का पद रिक्त न होने के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। जिला अशोकनगर की जानकारी निरंक हैं।

परिशिष्ट - "पचास"

प्राध्यापकों/प्राचार्यों को स्वीकृत यूजीसी वेतनमान के एरियर के भुगतान

32. (क्र. 1297) श्री प्रहलाद भारती : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों/प्राचार्यों को स्वीकृत यूजीसी वेतनमान के तहत 01.01.2006 से 31.03.2010 तक की अवधि के एरियर का केवल एक तिहाई भुगतान किया गया है, दो तिहाई भुगतान करना अभी भी शेष है? **(ख)** क्या वर्तमान में कार्यरत प्राध्यापकों/प्राचार्यों के साथ उन सेवानिवृत्त/दिवंगत प्राध्यापकों/प्राचार्यों को भी उक्त भुगतान नहीं किया गया है, जबकि सेवानिवृत्त हुए अनेक लोगों को आठ-नौ वर्ष तक हो चुके है? **(ग)** आठ-नौ वर्ष तक से ज्यादा अवधि बीतने के पश्चात् भी सेवानिवृत्त लोगों को भुगतान न किया जाना शासन की किस नीति के तहत सही है? एक और मा. मुख्यमंत्री पेंशनरों सहित सभी कर्मचारियों के हितों के प्रति सदैव सजग रहते है वही उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों/प्राचार्यों को अभी तक देय राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया? **(घ)** उपरोक्त शेष एरियर का भुगतान प्राध्यापकों/प्राचार्यों आदि को कब तक कर दिया जावेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। एरियर राशि की प्रथम किश्त का भुगतान राज्य शासन द्वारा अपने स्रोतों से किया गया है। शेष 80 प्रतिशत केन्द्रांश राशि, भारत सरकार से प्राप्त होने पर भुगतान की जा सकेगी। **(ख)** जी हाँ। यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारी/अधिकारियों के प्रकरणों में समान रूप से ही भुगतान हुआ है। **(ग)** यू.जी.सी. वेतनमान की केन्द्रांश राशि 80 प्रतिशत की पूर्ति ना होने से पूर्ण एरियर राशि का भुगतान नहीं हो सका हैं, राज्य शासन द्वारा अपने सीमित स्रोतों से अभी एक किश्त का भुगतान किया गया है। **(घ)** भारत सरकार से केन्द्रांश की 80 प्रतिशत राशि प्राप्त होते ही शेष किश्तों का भुगतान कर दिया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>टयूबवेल हेतु विद्युत लाईन</u>

33. (क्र. 1321) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** किसान द्वारा खेत में टयूबवेल/कूप निर्माण करने पर किसानों की मांग पर विद्युत लाईन पहुँचाने के क्या नियम हैं विवरण देवें? **(ख)** जिला जबलपुर के विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम एवं जला कटनी के ढीमरखेड़ा विकास खण्ड के ग्राम पौण्डीकला में कितने अस्थाई विद्युत कनेक्शन सिंचाई हेतु दिये जाते हैं? 01/01/2010 से 01/01/2015 तक वर्षवार सूची उपलब्ध करायें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** कनेक्शन की पोल से कितनी दूरी होती है? अत्याधिक दूरी होने पर दुर्घटना की आशंका भी होती है? विद्युत लाईन/पोल क्या नहीं बढ़ाये जाते? कब तक बढ़ाये जावेंगे?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कृषकों द्वारा कृषक अनुदान योजना के अन्तर्गत स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन के लिये आवेदन करने पर सीमांत एवं लघु कृषकों (2 हेक्टेयर से कम वाले भूमि धारक) द्वारा रू. 6500/- प्रति अश्वशक्ति की दर से तथा अन्य कृषकों द्वारा रू. 10, 400/- प्रति अश्वशक्ति की दर से आंशिक राशि जमा करने पर रू. 1.5 लाख तक की राशि वाले प्राक्कलनों में शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। रू. 1.5 लाख से अधिक राशि का प्राक्कलन होने पर रू. 1.5 लाख से अधिक की राशि आवेदक को जमा करनी होती है। कृषक अनुदान योजना में उक्तानुसार राशि जमा करने एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर 30 दिन के अंदर कार्यादेश जारी कर, राइट ऑफ वे उपलब्ध होने पर, कार्यादेश की दिनाँक से 150 दिन में कार्य पूर्ण किये जाने का प्रावधान है। किसानों को तात्कालिक रूप से उनके पंपों के कनेक्शनों के लिये

अस्थाई कनेक्शन प्रदान करने का भी प्रावधान है, जिसके तहत् उन्हें अस्थाई कनेक्शन उनके द्वारा सर्विस वायर एवं सपोर्ट लगाकर दिया जा सकता है। **(ख)** जिला जबलपुर के विकासखण्ड सिहोरा तथा कुण्डम एवं जिला कटनी के विकासखण्ड ढीमरखेड़ा के ग्राम पौण्डीकला में सिंचाई हेतु वर्षवार दिये गये अस्थाई कनेक्शनों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम	वर्ष	दिये गये अस्थाई कनेक्शनों की संख्या		
		सिहोरा वि.खण्ड	कुण्डम वि.खण्ड	ढीमर खेडा वि.खण्ड का ग्राम पौण्डीकला
1	1.1.10 से 31.12.10	3468	653	17
2	1.1.11 से 31.12.11	6865	907	34
3	1.1.12 से 31.12.12	9273	1027	15
4	1.1.13 से 31.12.13	6313	1110	26
5	1.1.14 से 1.1.15	2157	352	28

(ग) अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु कोई अधिकतम दूरी निर्धारित नहीं है। उपभोक्ता अपने खर्चे पर अस्थाई स्पॉट पर इंसुलेटेड तार/केबिल खींच कर कनेक्शन प्राप्त करता है। विद्युत कनेक्शन हेतु सर्विस लाईन डलवाने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होती है, जिसमें उचित क्षमता का इंसुलेटेड तार/केबल उपयोग करने पर दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। अस्थाई पम्प कनेक्शनों हेतु स्थाई लाईन/विस्तार अधोसंरचना विस्तार किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नहर निर्माण की स्वीकृति

34. (क्र. 1371) श्री हरवंश राठौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्राम क्वायला तह. बण्डा जिला सागर में नहर निर्माण के लिए कितनी राशि का प्राक्कलन तैयार किया गया था? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी तक कार्य का कितना मूल्यांकन किया गया है तथा कार्य ऐजेन्सी कौन सी थी? **(ख)** क्या उक्त कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया गया है एवं प्राप्त लागत राशि में से इस मद की कितनी राशि बचत में विभाग के पास है? **(ग)** जिला स्तर से इस नहर के विस्तारीकरण के लिए क्या कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजा गया है? यदि हाँ, तो किस स्तर पर स्वीकृति लंबित है और कब तक स्वीकृति हो जावेगी तथा कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्राक्कलन राशि रू.54.81 लाख। कार्य पूर्ण। कार्य का वर्तमान मूल्यांकन रू.42.42 लाख। निर्माण कार्य वैष्णव कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्वालियर एवं बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी सागर द्वारा किया गया। **(ख)** जी हाँ। विभाग के पास कोई राशि शेष नहीं है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

घोड़ाडोंगरी (बैतूल) में, अवैध शराब दुकानों का संचालन

35. (क्र. 1460) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** घोड़ाडोंगरी (बैतूल) में कितनी शराब के दुकानें संचालित हैं? (चोपना, रानीपुर, पाठर, घोड़ाडोंगरी में देशी मदिरा कौन दे रहा है? **(ख)** ग्राम डुल्हारा (घोड़ाडोंगरी), रानीपुर, चोपना, नारायणपुर, में क्या मदिरा की नये दुकान स्वीकृत हैं यदि हाँ, तो ठेकेदार का नाम देवें? **(ग)** यदि नहीं तो शराब विक्रय क्यों हो रही है? क्या शासन ने आदिवासियों की कच्ची शराब जाँच का ठेका दिया है? **(घ)** क्या म.प्र. आबकारी विभाग शराब माफियाओं की सहायता के लिये है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) घोडाडोगरी (बैतूल) में एक (01) विदेशी मदिरा दुकान वर्ष 2015-16 के लिए स्थापित एवं संचालित है। चोपना, रानीपुर, पाढर एवं घोडाडोगरी में वर्ष 2015-16 के लिये देशी मदिरा की कोई दुकान स्थापित एवं संचालित नहीं है। चोपना, रानीपुर, पाढर एवं घोडाडोंगरी आदि क्षेत्रों में अवैध रूप से देशी मदिरा के निर्माण धारण, परिवहन एवं विक्रय की शिकायतों पर विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की गई है। इन क्षेत्रों में वर्ष 2014-15 में 92 प्रकरण एवं वर्ष 2015-16 में दिनाँक 09.07.2015 तक 35 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं। **(ख)** जी नहीं। ग्राम डुल्हारा (घोडाडोंगरी), रानीपुर, चोपना एवं नारायणपुर में मदिरा की नई दुकान स्वीकृत नहीं है। केवल ग्राम रानीपुर, में एक (01) विदेशी मदिरा दुकान स्थापित व संचालित है। अभिलेख अनुसार यह दुकान वर्ष 2003-04 से देशी मदिरा दुकान के रूप में स्थापित एवं संचालित है तथा वर्ष 2015-16 के लिए उक्त देशी मदिरा दुकान का स्वरूप परिवर्तित कर, इसे विदेशी मदिरा दुकान के रूप में निष्पादन किया गया है। लायसेंसी का नाम श्री अजय शिवहरे पिता श्री मदनलाल शिवहरे निवासी ग्राम मोहना, जिला ग्वालियर है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में वर्णित ग्रामों में मदिरा के अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61 घ में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को देशी मदिरा का विनिर्माण करने की छूट केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए दी गई है। इस प्रकर विनिर्मित की गई देशी मदिरा के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। आदिवासियों के द्वारा स्वयं के लिये निर्मित मदिरा का विक्रय किये जाने पर आबकारी विभाग द्वारा उनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते हैं। **(घ)** जी नहीं।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत बंगला निर्माण

36. (क्र. 1496) श्रीमती ममता मीना : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र. द्वारा जारी मार्गदर्शिका में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कराये जा सकने वाले (अनुमत) कार्यों में बंगला निर्माण कार्य का उल्लेख है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो विधायक निधि से बंगला निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं? **(ख)** गुना जिले में विधायक निधि से वित्तीय वर्ष 2011-12 से कितने बंगला निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है? स्वीकृति हेतु कलेक्टर जिला गुना को प्रस्तुत करने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम स्पष्ट करें? **(ग)** गुना जिले में विधायक निधि से बंगला निर्माण कार्यों की स्वीकृति की शिकायत प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र. भोपाल एवं आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी म.प्र. भोपाल को पूर्व में प्राप्त हुई है अथवा नहीं? अगर प्राप्त हुई हैं

तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** गुना जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत प्राप्त मार्गदर्शिका में बंगला निर्माण कार्य अनुमत न होने के उपरांत भी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने वाले दोषी प्रभारी जिला योजना अधिकारी एवं दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या शासन द्वारा मार्गदर्शिका का उल्लंघन करने वाले दोषी शासकीय सेवकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विधायक निधि की मार्गदर्शिका में बंगला निर्माण का उल्लेख नहीं है। विधायक निधि बंगला निर्माण का कार्य स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। **(ख)** 09 कार्य। निर्माण एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि आदिवासी क्षेत्र के लोग अपनी बैठकों के स्थान को बंगला कहते हैं जो कि टी.एस. के अनुसार चबूतरे पर 04 पिलर खड़े करके छत डाली जाती है। इस प्रकार सार्वजनिक चबूतरा एवं सेड बनवाया गया है जिसे स्थानीय भाषा में बंगला निर्माण कहा जाता है। कलेक्टर को नस्तियाँ प्रभारी जिला योजना अधिकारी डॉ. एस.के. भार्गव, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती राजेश शर्मा एवं स्टेनोग्राफर श्रीमती गंगा देवी चौहान द्वारा नस्तियाँ प्रस्तुत की गई है। **(ग)** जी हाँ। संयुक्त संचालक, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, ग्वालियर द्वारा जाँच की जा रही है। **(घ)** उत्तरांश **(ख)** अनुसार। कोई अनियमितता नहीं हुई। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंजीनियर कॉलेज में स्वीकृत तकनीकी स्टॉफ की पूर्ति

37. (क्र. 1498) श्रीमती ममता मीना : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गुना जिले में संचालित साक्षी इंजीनियर कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट म्याना में कब से संचालित है? उक्त कॉलेज में निर्धारित योग्यता में शिक्षक पदस्थ है? यदि नहीं तो कारण बतावें? **(ख)** क्या साक्षी इंजीनियर कॉलेज म्याना के भवन में ही साक्षी नर्सिंग कॉलेज तथा साक्षी मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर भी संचालित है? एक ही भवन परिसर में तीनों विभागों ने किस नियम से अनुमति दी, जाँच कर पटल पर रखें? **(ग)** क्या साक्षी इंजीनियर कॉलेज में कार्यरत स्टॉफ को घोषित वेतन मान से भी कम वेतन दिया जाता है? किस कालेज में कितना स्टॉफ स्वीकृत है? कितना कार्यरत है? **(घ)** क्या साक्षी इंजीनियर कॉलेज म्याना जिला गुना में निर्धारित योग्यता का स्टॉफ नहीं है? घोषित वेतन मान से कम वेतन दिया जाता है? पढ़ने वाले बच्चों से अधिक फीस ली जाती है तो इसकी जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व कौन का है? क्या कालेज की मान्यता निरस्त करेंगे? क्या जाँच कराकर कानूनी कार्यवाही करेंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से **(घ)** की जानकारी एकत्र की जा रही है।

विधायक विकास निधि के अपूर्ण निर्माणों पर कार्यवाही

38. (क्र. 1594) श्री मोती कश्यप : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में विधायक विकास निधि से विभागीय कार्यालय जिला कटनी में किन दिनांकों को किन ग्राम/ग्राम पंचायतों में कौन से निर्माण कार्य प्रस्तावित किये हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** निर्माण कार्यों में किन्हें निर्माण एजेंसी बनया गया है और उन्हें जिला योजना कार्यालय द्वारा कब कितनी राशि स्थानांतरित की गई है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)**, **(ख)** में से किन-किन कार्यों का निर्माण/पूर्ण/अपूर्ण है और किनका अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है?

(घ) क्या जिन निर्माण एजेंसियों द्वारा राशि का आहरण कर लिया है और निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध किस स्तर से कब किस प्रकार की कार्यवाहियां की गयी है? **(ड.)** क्या प्रश्नांश **(क)** से **(घ)** दोषी निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध पंचायतराज अधिनियम की धारा 40 की कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) निर्माण एजेन्सियों को राशि प्रदाय करने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग)** पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (घ)** जी नहीं। निर्माण एजेन्सियों को समय-समय पर कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया जाता है।

नदियों में स्टापडेम निर्माण कर सिंचाई रकबा में वृद्धि

39. (क्र. 1597) श्री मोती कश्यप : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनाँक 22.08.2012, 14.02.2013 एवं 25.01.2014 द्वारा किन्हीं उद्देश्यों से किन्हीं नदियों-नालों में स्टापडेम-काजवे हेतु कोई प्रस्ताव मा. मुख्यमंत्री जी एवं विभागीय मंत्रीजी को दिये हैं? **(ख)** क्या दिनाँक 14.02.2013 को बड़वारा के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने किसी घोषणा/आश्वासन सहित किन्हीं अधिकारियों को किन्हीं कार्यों के निष्पादन के कोई निर्देश दिये हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** घोषण/आश्वासन की पूर्णता की दिशा में किस स्तर पर किनके द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं और कौन से प्राक्कलन किन स्तर पर किन अवधियों से किन कारणों से लम्बित हैं? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** प्रस्तावित कार्यों की लागत कितनी है और उनसे कितना रकबा सिंचित होना अनुमानित है और किन प्रकार की जनसुविधा सृजित होगी? विवरण देवें? **(ड.)** प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश **(क)** कार्यों को कब तक प्रशासकीय स्वीकृतियां प्रदान कर दी जावेंगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनाँक 14.02.2013 को बड़वारा तहसील मुख्यालय के हितग्राही सम्मेलन में मान. क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिए गए अभ्यावेदन/सूची पर विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के नदी नालों में काजवे/स्टाप डेम निर्माण के प्रस्ताव का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य की संभावना परखने हेतु निर्देश दिए गए। **(ग)** मान. विधायक द्वारा प्रेषित प्रथम सूची में दर्शित 31 कार्यों के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित स्थल अनुपयुक्त पाए जाने पर परियोजनाएं असाध्य पाई गई। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-1" अनुसार है**। द्वितीय सूची में प्रस्तावित कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-2" अनुसार है**। 40 हेक्टर से कम क्षमता वाले परियोजनाओं का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। **(घ)** एवं **(ड.)** प्रथम सूची में दर्शित 31 कार्यों के स्थल अनुपयुक्त पाए जाने पर परियोजनाएं असाध्य पाई गई हैं। द्वितीय सूची में दर्शित कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-2" अनुसार है**। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

गौपद उद्वहन सिंचाई योजना को संचालित किया जाना

40. (क्र. 1633) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिंगरौली जिले के अंतर्गत गौपद उद्वहन सिंचाई योजना वर्तमान में संचालित है? यदि नहीं, तेा क्यों बन्द है? कारण बताये? सिंचाई योजना को इस सत्र में चालू कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बताये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में उक्त सिंचाई योजना के नहरों के मरम्मत हेतु राशि कब से नहीं दी गई है? मरम्मत नहीं होने से सिंचाई नहरे व एक्वाडेक्ट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? क्षतिग्रस्त नहरों व एक्वाडेक्ट के मरम्मत हेतु राशि आवंटित की जावेगी अथवा नहीं? कारण बतायें? यदि राशि स्वीकृत है तो कब तक राशि प्रदान की जावेगी? समय-सीमा बताये? **(ग)** गौपद उद्वहन सिंचाई योजना में कुल कितने विद्युत पम्प लगे हैं? उनमें से कितने सिंचाई पम्प खराब हैं और कब से खराब है? इन पम्पों की मरम्मत कब तक करा ली जावेगी? समय-सीमा बताये? **(घ)** गौपद उद्वहन सिंचाई योजना के इंटेकवेल में सिल्ट (रेत) भर जाती है। सिल्ट रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं? यदि किये गये हैं तो कारगर नहीं है? कारण बताये। सिल्ट रोकने के लिये क्या भावी योजना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सिंचाई बांधों से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण</u>

41. (क्र. 1634) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत बकिया बांध, कौडार बांध, देवरी बांध, बरचर बांध, सेहरा बांध, बैलहा बांध, पौडी बांध, महुवा गांव बांध एवं गोपद उद्वहन सिंचाई योजना से प्रभावित किसानों के जमीनों का मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कितने किसानों को मुआवजा दिया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में कितने किसानों को मुआवजा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? जिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है उन्हें मुआवजा कब तक भुगतान किया जावेगा? समय-सीमा बताये? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में जिन किसानों को मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है, कारण स्पष्ट करें। मुआवजा भुगतान किये जाने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में मुआवजा भुगतान के लिये राजस्व विभाग के अभिलेखों में संधारण/संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। यदि हाँ, तो राजस्व विभाग के अभिलेखों में संशोधन की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? यदि प्रकरण राजस्व विभाग में लंबित है, तो क्यों? कारण बताये। प्रकरण का निपटारा कब तक पूर्ण कर लिया जावे? समय-सीमा बतायें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>तानसेन नगरी बेहट को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने हेतु कार्यवाही</u>

42. (क्र. 1643) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि दिनाँक 27/06/2013 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्वालियर जिले के तानसेन नगरी बेहट को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त संबंध में क्या-क्या कार्यवाही हुई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। निम्न कार्य कराये गये है:- 1. जनसुविधा (टायलेट ब्लॉक महिला/पुरूष) 2. डे-शेल्टर। 3.पाथवे का विकास, मंदिर से नदी तक पार्किंग का विकास। 4. पेंटिंग एवं डिस्टेम्परिंग। 5. रेलिंग (मंदिर एवं सीढियों पर) 6. बैठने हेतु बैंचेस व्यवस्था। 7. मंदिर में टाईल्स फलोरिंग। 8. पानी के कुंड का संरक्षण कार्य। 9. बोर्ड (साइनेजेज)

ग्वालियन जिलान्तर्गत स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना

43. (क्र. 1646) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 14 ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के तानसेन जन्म स्थली बेहट सिद्ध खो, नहाकार तालाब, भदवना, देवगढ़ किला, तसीम खो, काशीबाबा मंदिर विभिन्न स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिये शासन एवं जिले स्तर पर कोई प्रस्ताव प्रश्नकर्ता से प्राप्त हुए? **(ख)** यदि प्रस्ताव प्राप्त हुये है तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। निम्न कार्य कराये गये:- 1. जनसुविधा (टायलेट ब्लॉक महिला/पुरूष) 2. डे-शेल्टर। 3.पाथवे का विकास, मंदिर से नदी तक पार्किंग का विकास। 4. पेंटिंग एवं डिस्टेम्परिंग। 5.रेलिंग (मंदिर एवं सीढियों पर) 6. बैठने हेतु बैंचेस व्यवस्था। 7. मंदिर में टाईल्स फलोरिंग। 8. पानी के कुंड का संरक्षण कार्य। 9. बोर्ड (साइनेजेज)

विद्युत देयकों में सुरक्षा निधि के नाम पर जमा राशि का उपयोग

44. (क्र. 1660) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि के नाम पर विद्युत देयकों में किश्त राशि के रूप में राशि प्राप्त की जाती है? यदि हाँ, तो उक्त सुरक्षा निधि राशि किस आधार पर विद्युत उपभोक्ता से कब-कब प्राप्त की जाती है व विद्युत कम्पनी द्वारा इस राशि को प्राप्त किये जाने का क्या मापदण्ड है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार विद्युत देयक में प्राप्त की जाने वाली सुरक्षा निधि का उपयोग विद्युत कम्पनी द्वारा किस कार्य में किया जाता है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक अयोग (प्रतिभूति निक्षेप) /(पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 (आरजी-17 प्रथम वर्ष 2009) के प्रावधानानुसार वर्तमान में अवस्थित उपभोक्ताओं की विगत वित्तीय वर्ष की खपत के आधार पर माह अप्रैल में सुरक्षा निधि की गणना की जाती है। पुनरीक्षित गणना के अनुसार यदि उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि लेना निकलती है। तो आगामी तीन विद्युत देयकों में किश्त के रूप में उक्त अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि उपभोक्ता से प्राप्त की जाती है। यदि उक्तानुसार गणना की गई पुनरीक्षित सुरक्षा निधि की राशि पूर्व से जमा सुरक्षा निधि से कम होती है तो ऐसी स्थिति में अंतर की राशि को उपभोक्ता के आगामी तीन माह के विद्युत देयकों में समायोजित कर दिया जाता है। **(ख)** सुरक्षा निधि के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग विद्युत कंपनी को कार्यशील पूंजी (वर्किंग केपिटल) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया है।

म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापकों की भर्ती

45. (क्र. 1662) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए जारी किए एक विज्ञापन में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के नियम अनुसार 2009 के पहले पीएचडी करने वालों के लिए नेट या स्लेट अनिवार्य की बाध्यता को अनदेखा कर जारी किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्यों स्पष्ट करें? क्या यूजीसी के नियम अनुसार

2009 के पहले पीएचडी करने वालो को भी सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बनने की पात्रता है? यदि हाँ, तो किस नियमानुसार स्पष्ट करें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गाडरवारा क्षेत्र में सिंचाई की योजना

46. (क्र. 1680) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कोई सिंचाई की योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उसकी अभी तक क्या प्रगति है? **(ख)** किसानों को सिंचाई का लाभ मिले इस हेतु सिंचाई योजना का कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कोई भी सिंचाई परियोजना प्रस्तावित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

क्रेशर मशीन का संचालन

47. (क्र. 1693) श्री रामलाल रौतेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले में कुल कितनी क्रेशर मशीनें संचालित हैं? उपक्रम का नाम, मालिक नाम, पता तथा भण्डारण का लाइसेंस कितने लोगों के पास है? संपूर्ण विवरण देवें? **(ख)** जिले में कुल कितने क्रेशर लगाने एवं भण्डारण के लाइसेंस प्राप्त हेतु आवेदन किए है? नाम, स्थापित करने का स्थान आदि का उल्लेख करें? **(ग)** नवीन क्रेशर स्थापित करने पर किसी अनूसुचित जनजाति वर्ग की भूमि तो प्रभावित नहीं हो रही है? यदि हाँ, तो विभाग क्या कार्यवाही करेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन जिले में 61 क्रेशर मशीने संचालित हैं तथा 61 व्यापारिक अनुज्ञप्ति स्वीकृत हैं। प्रश्न का शेष विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित है**। **(ख)** क्रेशर लगाने हेतु व्यापारिक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के आवेदनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' में दर्शित है**। **(ग)** मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 एवं मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में क्रेशर स्थापना हेतु अनुमति देने का प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अवैध उत्खनन पर वसूली की कार्यवाही

48. (क्र. 1694) श्री रामलाल रौतेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अनूपपुर जिले के तियान नदी पर कुल कितनी रेत खदानें स्वीकृत हुई हैं? स्वीकृत खदानों को किस-किस ठेकेदारों ने उत्खनन हेतु लीज़/पट्टा पर लिया है? ठेकेदार का नाम, खदान का स्थान, आराजी खसरा नं., रकबा नं, रकबा आदि का विवरण देवें? **(ख)** क्या तियान नदी के गोबरीघाट (जैतहरी) में लीज़ प्राप्त रकबा से अधिक में उत्खनन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त खदान का सीमांकन करते हुए अवैध उत्खनन का मूल्यांकन कराते हुए लीजधारी ठेकेदारों के विरूद्ध विधि संगत कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो क्यों? यदि करेंगे तो समय-सीमा बतावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में अनूपपुर जिले में तिपान नदी पर दो रेत खदाने नीलामी में स्वीकृत हुई हैं। प्रश्न की शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है**। **(ख)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

जावरा, पिपलौदा, जिला रतलाम के भू-जलस्तर सुधार हेतु कार्यवाही

49. (क्र. 1707) श्री अंचल सोनकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मंत्री जी ने दिनाँक 10 मार्च, 2011 को विधानसभा में आश्वासन दिया था कि पिपलौदा, जावरा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे नीचे भू-जलस्तर पहुंच गया है? अतः मलेनी, चंबल व रोजडी नदी पर जहाँ भी संभव हो, स्टॉप डेम बनाने का सर्वेक्षण कर स्वीकृति देंगे? **(ख)** उसके बाद सिंचाई विभाग ने कहाँ-कहाँ सर्वेक्षण किस-किस तिथि को किया तथा स्वीकृति दी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। तारांकित प्रश्न क्र. 3724 दिनाँक 10.3.2011 से उद्भूत आश्वासन क्र. 458 का स्वरूप निम्नानुसार है:- ''जितनी भी योजनाएं आपके क्षेत्र में आएंगी सभी का परीक्षण कराकर सारी सातों योजनाओं को हम लेंगे।'' की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "बावन"

रामपुरा तालाब में कृषक की भूमि डूब में जाने से मुआवजा के भुगतान

50. (क्र. 1712) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र नेपानगर के ग्राम शंकरपुराखुर्द में निर्मित रामपुरा तालाब में कृषक मदन नामदेव की कितनी कृषि भूमि डूब में आई है? **(ख)** जिला प्रशासन द्वारा उक्त कृषक की कितनी-कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाकर क्षतिपूर्ति मुआवजा हेतु कितनी-कितनी राशि का आदेश कब-कब पारित किया गया? **(ग)** क्या संबंधित कृषक को पूरी मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया विलंब का कारण बताएं? **(घ)** संबंधित कृषक को मुआवजा राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा? कृपया अवधि बतायें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) ग्राम शंकरपुराखुर्द में निर्मित रामपुरा तालाब में कृषक श्री मदन नामदेव जोशी के खाते की कुल कृषि भूमि 2.16 हेक्टर में से 1.385 हेक्टर भूमि डूब में आई है। **(ख)** भू-अर्जन अधिकारी द्वारा कृषक की प्रश्नांश 'क' में वर्णित भूमि में से 0.53 हे. भूमि का उनके आदेश दिनाँक 05.08.2008 को राशि रू.1,51,811/- का मुआवजा पारित किया जाकर भुगतान किया जा चुका है। भू-अर्जन अधिकारी द्वारा 1.63 हे. भूमि का मुआवजा राशि रू.36,94,135/- का दिनाँक 15.01.2015 को पारित किया जाना प्रतिवेदित है। **(ग)** एवं **(घ)** जी नहीं। दिनाँक 15.01.2015 को पारित अवार्ड अनुसार राशि रू.36,94,135/- का भुगतान नहीं किया गया है। कृषक के खाते की भूमि की जाँच किए जाने पर पाया गया है कि कृषक की कुल 0.855 हे. भूमि अतिरिक्त डूब में आ रही है। अतः जल संसाधन संभाग बुरहानपुर के पत्र दिनाँक 13.01.2015 द्वारा मुआवजा को संशोधित करने हेतु नया प्रस्ताव भू-अर्जन अधिकारी को भेजा जाना प्रतिवेदित होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

इंदौर संभाग के शास. महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

51. (क्र. 1716) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर संभाग में कुल कितने शासकीय महाविद्यालय है? उक्त महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद भरे है एवं कितने पद रिक्त है? कृपया कॉलेजवार विषयवार जानकारी देवें? **(ख)** ऐसे कितने महाविद्यालय है, जहॉं स्वीकृत पदों से अधिक प्राध्यापक/सहा.प्राध्यापक पदस्थ है? **(ग)** क्या उक्त महाविद्यालयों के अतिशेष प्राध्यापक/ सहा.प्राध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय, जहॉं बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, पदस्थ किया जावेगा? यदि हॉं तो कब तक?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) इन्दौर संभाग में कुल 50 शासकीय महाविद्यालय हैं। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। **(ख)** प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। **(ग)** जी हाँ। पदांकन की प्रक्रिया प्रचलन में होने से निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

एस.डी.एम. बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया का स्थानांतरण

52. (क्र. 1725) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बिरसिंहपुर, पाली जिला-उमिरया में वर्तमान में एस.डी.एम. कौन एवं कब से पदस्थ है? क्या इनका स्थानांतरण शासन द्वारा किया गया है? **(ख)** जिले के अंतर्गत तहसील में एस.डी.एम. को पदस्थ रहने की कितने वर्ष की समयावधि शासन द्वारा निर्धारित की गई है? **(ग)** क्या वर्तमान में बिरसिंहपुर पाली में पदस्थ एस.डी.एम. की समय-सीमा पूर्ण हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या उनकी पदस्थापना अन्यत्र की जावेगी? **(घ)** क्या रेत के अवैध उत्खनन को संरक्षण देने के संबंध में उमरिया जिले में पदस्थी के दौरन इनके विरूद्ध कोई शिकायत आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त हुई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) श्री मिलिन्द नागदेवे, डिप्टी कलेक्टर, दिनाँक 22.10.2012 से पदस्थ हैं। जी हाँ। **(ख)** ऐसी कोई समयावधि निर्धारित नहीं हैं। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के आलोक में प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। शेष उत्तरांश 'क' अनुसार। **(घ)** जानकारी एकत्र की जा रही है।

जनहित के कार्यों हेतु विभाग/शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाना

53. (क्र. 1730) श्री अंचल सोनकर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 97 पूर्व जबलपुर के अन्तर्गत जनहित में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने विद्युत संबंधी कार्य संपादित किये गये विवरण दें? **(ख)** क्या म.प्र.रा.वि. मण्डल शहर जबलपुर द्वारा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त जनहित के कार्यों जैसे पोल शिफ्ट करना, आम जनता के घरों के ऊपर से विद्युत लाईन को अलग करवाना आदि कार्यों के संपादन हेतु विभाग द्वारा विधायक विकास निधि अथवा आम जनता से विभाग में राशि जमा करवाने के उपरांत ही कार्यों को संपादित किया जाता है? क्या राशि जमा करवाने के शासन के नियम है एवं वर्तमान में विभाग को शासन द्वारा जनहित के कार्य हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों बतावें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** सत्य है तो विभाग द्वारा आम उपभोक्ता से विद्युत देयकों के माध्यम से जो राशि रख रखाव एवं अन्य कार्यों हेतु ली जाती है उसका कहाँ-कहाँ, किस-किस कार्य में उपयोग किया जाता है? क्या शासन आम गरीब उपभोक्ता के जनहित कार्यों हेतु कोई ठोस

योजना तैयार कर आम जनता को राहत पहुँचायेगी जिससे पोल शिफ्ट करना, घरों के ऊपर से विद्युत लाइन का अलग करना अदि कार्य किये जा सकें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) निर्वाचन क्षेत्र क्र. 97 पूर्व जबलपुर के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत कुल 22 अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा 3.75 कि.मी. 11 के.वी. विद्युत लाईन लगाने, एस.टी.एन योजना के अंतर्गत 11 अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा 100 के.व्ही.ए. से 200 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के 3 कार्य, विधायक निधि से विद्युतीकरण के 1 कार्य के अंतर्गत 200 के.व्ही.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना, 0.1 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन एवं 0.25 कि.मी. निम्नदाब लाईन के विस्तार का कार्य तथा आदिम जाति कल्याण विभाग की योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के 01 कार्य में 0.6 कि.मी. निम्नदाब लाईन का विस्तार कर अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती के विद्युतीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। उक्त कार्यों का विवरण, **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। वर्ष 2015-16 में अद्यतन स्थिति में प्रश्नाधीन क्षेत्र में किये गये विद्युत संबंधी कार्यों की जानकारी निरंक हैं। **(ख)** जी हाँ। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवश्यक कार्यों जैसे-पोल शिफ्ट करना घरों के ऊपर से विद्युत लाईनों को शिफ्ट करना आदि कार्यों के सम्पादन हेतु नियमानुसार विधायक विकास निधि या संबंधित आवेदक से विभाग में राशि जमा करवाने के उपरांत ही कार्यों को सम्पादित किया जाता हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 177 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय के लिये दिनाँक 20.9.2010 को अधिसूचित विनियमों की धारा 63 के अनुसार पूर्व से स्थापित पोल/विद्युत लाईन की शिफ्टिंग का कार्य तकनीकी रूप से साध्य होने पर आवेदक के व्यय पर किया जाता है। शासन द्वारा पोल शिफ्ट करना, लाईनों के नीचे मकान बना लेने के कारण घरों के ऊपर से जा रही विद्युत लाइनों को शिफ्ट करना आदि कार्यों को सम्पादित करने हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती अपितु ऐसे कार्यों हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है जो व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक हित में हों। **(ग)** उपभोक्ताओं से प्राप्त विद्युत देयकों की राशि का विद्युत प्रदाय के कार्यों हेतु यथा-विद्युत की आवश्यकतानुसार खरीदी, गुणवत्ता पूर्ण विद्युत प्रदाय करने हेतु विद्यमान विद्युत प्रणाली के रख-रखाव इत्यादि कार्यों में व्यय किया जाता है। उत्तरांश **(ख)** में दर्शाए अनुसार राज्य शासन द्वारा व्यक्तिगत कार्यों हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती अपितु सार्वजनिक हित की योजनाओं/कार्यों के लिये राशि उपलब्ध कराई जाती है, अन्य कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। पोल/लाईन शिफ्ट करने के कार्य उत्तरांश **(ख)** में उल्लेखानुसार आवेदक के व्यय पर ही किये जाने के नियम हैं।

<u>परिशिष्ट - "तिरेपन</u>"

<u>2013, 2014, 2015 तक शराब की दुकानों का संचालन</u>

54. (क्र. 1749) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013, 2014, 2015 तक की अवधि में धार/झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलो में शराब बिक्री हेतु कितनी दुकानें निर्धारित थी तथा ये दुकानें किसके नाम थी? **(ख)** क्या इन जिलों में शराब बिक्री की निर्धारित दुकानों के अलावा अवैध शराब बिक्री की भी दुकानें चल रही है? यदि हाँ, तो कितनी? **(ग)** उपरोक्त अवधि में इन जिलों में अवैध शराब बिक्री के कितने प्रकरण दर्ज किए गए उनके नाम

बताएं? तथा कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये तथा कितने प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किये जाने शेष है? यदि शेष है तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जिला धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर में वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 की अवधि में शराब बिक्री हेतु निर्धारित मदिरा दुकानें निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2013 (2013-14)	वर्ष 2014 (2014-15)	वर्ष 2015 (2015-16) (दिनाँक 30.06.2015 तक)
1	धार	95	95	95
2	झाबुआ	33	33	33
3	अलीराजपुर	19	19	19

उपरोक्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसियों का नाम क्रमशः **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक/दो/तीन अनुसार है**। **(ख)** जी नहीं। जिला धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर में शराब बिक्री निर्धारित दुकानों के अलावा अवैध शराब बिक्री की कोई दुकानें नहीं चल रही हैं। उक्त के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उपरोक्त अवधि अर्थात् वर्ष 2013, 2014 एवं वर्ष 2015 में दिनाँक 30 जून, 2015 तक मदिरा के अवैध निर्माण, धारण एवं परिवहन से संबंधित जिला धार में कुल 9921 प्रकरण, जिला झाबुआ में कुल 2704 प्रकरण एवं जिला अलीराजपुर में कुल 1130 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। जिलावार पंजीबद्ध प्रकरणों में अभियुक्तों के नाम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने व न्यायालय में चालान प्रस्तुत न किये जाने (लंबित रहने) का विवरण क्रमशः **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार/पांच/छः अनुसार है**। पंजीबद्ध प्रकरणों में कुछ प्रकरणों में अपराध की विवेचना जारी रहने/अनुसंधान शेष रहने के कारण न्यायालय में उनका चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

सरदारपुर नहर के 14 ग्रामों में खरमौर अभ्यारण्य के कारण भूमि विक्रय पर रोक

55. (क्र. 1750) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले के सरदारपुर तहसील के 14 ग्रामों में खरमौर अभ्यारण्य के कारण जमीन की क्रय/विक्रय पर रोक लगी थी? यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** क्या शासन द्वारा उपरोक्त अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले सरदारपुर तहसील के 14 ग्रामों में भूमि के क्रय/विक्रय पर रोक समाप्त करने के निर्देश कलेक्टर जिला धार को दिए हैं? यदि हाँ, तो कब? **(ग)** क्या शासन के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर जिला धार द्वारा सरदारपुर तहसील के इन 14 ग्रामों की भूमि के क्रय/विक्रय की अनुमति दी जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? शासन के निर्देशानुसार क्रय/विक्रय की अनुमति कब से प्रारंभ की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। खरमौर अभ्यारण्य, सरदारपुर वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2410-दस-3-83, दिनाँक 04 जून 1983 से अधिसूचित होकर अभ्यारण्य अंतर्गत 14 गांव सम्मिलित हैं। अधिसूचना अंतर्गत आने वाले 14 ग्रामों के निवासियों, किसानों की निजी कृषि एवं भवन भूमि पर वन्यप्रणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 20 अनुसार क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध है। वर्तमान में खरमौर अभ्यारण्य सरदारपुर के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों द्वारा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 24 (सी) के तहत् अपने परम्परागत अधिकारों का उपयोग किया

जा रहा हैं। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। खरमौर अभ्यारण्य, सरदारपुर के अंतर्गत आने वाले 14 राजस्व ग्रामों के संबंध में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार समस्त अभ्यारण्यों में स्थित निजी भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगी हुई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकार समिति की सलाह पर मध्यप्रदेश में स्थित संरक्षित क्षेत्रों में आने वाले ग्रामों के संबंध में एक योजना तैयार की गई है, जिसमें खरमौर अभ्यारण्य सरदारपुर भी शामिल है। योजना में सरदारपुर अभ्यारण्य में स्थित 14 ग्राम अभ्यारण्य की सीमा से रि-एलायमेंट द्वारा बाहर किया जाना भी प्रस्तावित है। इस संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित हलफनामा, माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाना संभव है। अत: सरदारपुर अभ्यारण्य अंतर्गत आने वाली भूमियों उसके संबंध में कोई अधिकार, वसीयत एवं उत्तराधिकार के अलावा अर्जित नहीं किये जा सकते हैं। इसका आशय यह है कि अभ्यारण्य के क्षेत्र में आने वाली भूमि को अधिनियम में अधिसूचित करने के पश्चात् वसीयत एवं उत्तराधिकार को छोड़कर सभी प्रकार के संव्यवहारों पर पूरी तरह से रोक है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान प्रभावी होने से, शासन द्वारा पूर्वोक्त स्थिति में क्रय/विक्रय की अनुमति के संबंध में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से प्राप्त राशि

56. (क्र. 1761) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोकनगर जिले में विगत एक वर्ष में मुख्यमंत्री स्वैच्छा अनुदान मद से आर्थिक सहायता एवं बीमारी के उपचार हेतु कितने आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए? **(ख)** मुख्यमंत्री स्वैच्छा अनुदान मद से कितने लोगों को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई व कितने आवेदन वर्तमान में लंबित हैं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति

57. (क्र. 1774) श्री अनिल जैन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के कितने शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के कुल कितने पद स्वीकृत भरे और रिक्त है? टीकमगढ़ जिले में ये पद कब से रिक्त है? कॉलेजवार जानकारी कारण सहित दी जावें? **(ख)** क्या शासन द्वारा समस्त प्रकार के प्रयास किये जाने के बावजूद शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के पदों पर स्थाई नियुक्तियां नहीं हो पा रही है? यदि हाँ, तो इस स्थिति के निर्मित होने के पीछे कौन जिम्मेदार है उनके नाम, पदनाम बताये और यदि नहीं तो क्या-क्या प्रयास शेष रह गये है? जिन्हें शासन करने जा रहा है, जिससे कि नियुक्तियां हो सकेगी? **(ग)** क्या टीकमगढ़ जिले में कार्यरत सभी स्थाई प्राचार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है और ये सभी पद रिक्त हो गये है? यदि हाँ, तो इन पदों पर स्थाई या प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति के लिये शासन द्वारा क्या पहल की जा रही है और कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी? समय-सीमा बतावें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जी नहीं। स्नातकोत्तर/स्नातक प्राचार्यो की पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** शेष

प्रश्नांश का उत्तर "ख" अनुसार। पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में होने से नियुक्ति की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चउवन"

भूमि पूजन/लोकार्पण

58. (क्र. 1782) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा विभिन्न शासकीय योजनांतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का प्रारंभ के पूर्व भूमिपूजन एवं पूर्णता उपरांत स्थानीय/वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों/ पदाधिकारियों से लोकार्पण आदि किये जाने का प्रावधान कार्य की स्वीकृति में ही निर्धारित रहता है, अथवा नहीं? **(ख)** यदि हाँ, तो धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नवीन स्वीकृत एवं उक्त अवधि में पूर्ण कार्यों का भूमिपूजन/लोकार्पण किन-किन पदाधिकारियों से करवाया गया है, समस्त कार्यों की कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**।

परिशिष्ट - "पचपन"

कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति

59. (क्र. 1785) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति में क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देना निर्धारित है, लेकिन शासन के अधिकांश विभागों में विभाग प्रमुखों द्वारा क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसाओं को दरकिनार कर कार्यसुविधा का बहाना बनाकर यहां से वहां कर्मचारियों का पदस्थ कर दिया जाता है? **(ख)** क्या शासन इस पर कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो विगत 05 वर्षों में कार्यसुविधा की दृष्टि से बगैर अनुशंसा वाले स्थानांतरण कब तक निरस्त करेगा समयावधि बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विद्युत वितरण व बिलों में अनियमितता

60. (क्र. 1792) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन की समस्त ग्रामों को फीडर सेपरेशन से जोड़ने की कार्यवाही के तहत धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में कार्य शेष हैं? क्षेत्र के मानबयडा आदि ग्रामों में काफी समय से बिजली प्रदाय नहीं होने के बावजूद वहां के ग्रामीण उपभोक्ताओं को किस आधार पर 3000-4000 के बकाया बिजली बिल दिये जा रहे हैं, कारण बतावें? **(ख)** फिडर सेपरेशन से वंचित ग्रामों को कब तक जोड़कर नियमित विद्युत प्रदाय प्रारंभ कर दिया जावेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत म.प्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर के इन्दौर (संचा/संधा) वृत्त के 73 ग्रामों एवं धार (संचा/संधा) वृत्त के 27 ग्रामों, इस प्रकार कुल 100 ग्रामों में फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत कार्य होना शेष है। उक्त ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है**। धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र का मानबयड़ा ग्राम, धामनोद शहर वितरण केन्द्र के अंतर्गत आता है एवं इस ग्राम तथा आस-पास के ग्रामों में 24:00 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इन ग्रामों में कुछ

उपभोक्ताओं ने जून-2013 के पश्चात् विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया है तथा इन उपभोक्ताओं की बकाया राशि में वृद्धि होकर अब उनके देयकों की राशि रूपये तीन हजार से चार हजार तक हो चुकी है। **(ख)** जिन ग्रामों में फीडर विभक्तिकरण का कार्य नहीं हुआ है, उनमें भी मिक्स फीडर के माध्यम से नियमित 24:00 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। तथापि फीडर विभक्तिकरण के शेष कार्य दिसंबर-2015 तक पूर्ण करना संभावित है।

रीजेंट नियर की फैक्ट्री द्वारा उत्पादन

61. (क्र. 1843) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के मक्सी में रीजेंट नियर की कोई फैक्ट्री है? यदि हाँ, तो उसके द्वारा वर्ष 2014-15 में कितना उत्पादन किया गया एवं उसको कहाँ-कहाँ विक्रय किया गया फर्म का नाम प्रो./पार्टनर के नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे? **(ख)** उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले कच्चे मटेरियल के रूप में किस-किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? उसे कहाँ से खरीदा गया? **(ग)** क्या उक्त वर्णित कंपनी के द्वारा उत्पादित मटेरियल की कोई गाड़ी बगैर प्रपत्र (परमिट एवं बिल आदि) के पकड़ी गई थी, जिसमें एक डायरेक्टर की गिरफ्तारी भी की गई थी, यदि हाँ, तो अन्य डायरेक्टरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? **(घ)** उक्त प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही की गई और यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जायेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। वर्ष 2014-15 में इकाई द्वारा कुल 15252531.00 बल्क लीटर बीयर का उत्पादन किया गया। इकाई द्वारा उत्पादित मदिरा (बीयर) को मध्यप्रदेश के शासकीय मद्य भाण्डागारों में एवं मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों को निर्यात तथा फर्म का नाम प्रो./पार्टनर की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है**। **(ख)** उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले मटेरियल के रूप में जो (बार्ले माल्ट) राईस फ्लैक्स, शक्कर तथा हॉप्स का उपयोग किया जाता है। उक्त कच्चा मटेरियल जिन स्थानों से खरीदा गया है उसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार है**। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छप्पन"

क्रेसर/पत्थर लीज शिथिल कर आवंटन

62. (क्र. 1845) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दतिया जिले में कुल कितने क्रेसर/पत्थर/मुरम/रेत की लीज स्वीकृत है? लीज का खसरा नं./स्थान/संस्था का नाम सहित विकास खण्ड वार जानकारी उपलब्ध कराये? इनमें से किन-किन पर कार्य प्रारंभ स्थापित/प्रगतिरत है एवं किन-किन पर प्रारंभ नहीं हुआ है? **(ख)** कंडिका **(क)** में उल्लेखित कितने क्रेसर/पत्थर लीज को शासन के निर्देशानुसार पर्यावरण अनुमति है एवं कितने क्रेसर/पत्थर लीज शिथिल है जिन पर क्रेसर नहीं लगे हैं? **(ग)** अभी तक कितने क्रेसर/पत्थर खदानों को कितनी-कितनी राशि के रायल्टी कट्टे उपलब्ध कराये गये हैं एवं कितने खदान पट्टेधारियों द्वारा डेड रेन्ट कब से कब तक का जमा कर दिया है? कब से नहीं किया गया है? **(घ)** कितनी बंद पड़ी खदानों के लिये जिन पर क्रेशर नहीं लगे हैं उन्हें कितनी राशि के रायल्टी कट्टे उपलब्ध कराये गये हैं? यह जानकारी प्रश्नकर्ता द्वारा खनिज अधिकारी दतिया से पत्र क्र./2014-15/98 दि. 09.03.2015 द्वारा चाही गई थी जो आज दिनाँक तक अप्राप्त है? कब तक जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्न में उल्लेखित खनिजों में से क्रेशर द्वारा गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर एवं रेत की लीजें स्वीकृत हैं। स्वीकृत लीजों के संबंध में चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' के कॉलम 8 एवं 9 पर दर्शित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' के कॉलम 10 व 11 पर दर्शित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' के कॉलम 10 व 12 पर दर्शित है।** कलेक्टर खनिज शाखा जिला दतिया द्वारा माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी दिनाँक 14.07.2015 को उपलब्ध करा दी गई है।

मीसाबंदी पेंशन प्रकरण

63. (क्र. 1846) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 19 मार्च 2015 को पूछे गये अता. प्रश्न क्र. 4489 के उत्तर में कहा गया था कि श्री गुलाब चन्द्र अग्रवाल के मीसाबन्दी पेंशन प्रकरण में दिनाँक 09.03.2015 को शाखा-प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक म्यूनिसपल चौक दतिया को पत्र लिखा गया है? **(ख)** क्या आज दिनाँक तक इस प्रकरण में कोई सुधार नहीं हुआ है? कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे? **(ग)** क्या संबंधित व्यक्ति की उम्र लगभग 85 वर्ष है उसके बाद भी उक्त व्यक्ति को लगातार बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जिससे उसे शारीरिक व मानसिक पीड़ा पहुँची है? यदि हाँ, तो इस प्रकरण को कब तक निराकृत किया जायेगा एवं प्रकरण को लंबित रखने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी, जानकारी उपलब्ध कराई जावे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। **(ग)** प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र हेतु सिंचाई व्यवस्था

64. (क्र. 1874) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नावार्ड आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत किन-किन वृहद एवं लघु सिंचाई योजनाओं के कार्य स्वीकृत किये गये है? कार्य का नाम, स्वीकृत लागत, स्वीकृत दिनाँक सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या खरगोन सिंचाई उद्वहन अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों को छोड़कर सिंचाई का पानी अन्य जगह पर ले जाया गया है? **(ग)** क्या आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत भीकनगांव जनपद क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई हेतु घोडवा ग्राम कि पहाडी/घाटी कटिंग कर इंदिरा सागर मुख्य नहर का पानी सिंचाई हेतु नवीन योजना प्रस्तावित हो सकती है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** का उत्तर हां है तो कब तक कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे? समयावधि बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) भीकन गाँव विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा सागर वृहद परियोजना की रतनपुरा एवं पछाया वितरण प्रणाली का कार्य तथा खरगोन उद्वहन नहर के स्टेज-1 का कार्य आता है। यह परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ योजना (AIBP) एवं नाबार्ड से वित्त पोषित/स्वीकृत है। इंदिरा सागर परियोजना की संपूर्ण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 4604.52 करोड़ की दिनाँक 19/12/2014 को प्राप्त हुई है। **(ख)** जी नहीं। खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत 152 ग्राम लांभावित है, जिसमें आदिवासी बाहुल्य ग्राम भी शामिल है। **(ग)** जी नहीं। भीकनगाँव जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोडवा इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर के निर्धारित लेवल से उच्च स्तर पर स्थित होने से पहाडी काटने के बाद भी मुख्य नहर का पानी बहाव नहर द्वारा

सिंचाई हेतु ले जाना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है। अतः नवीन योजना प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। **(घ)** उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पत्रों के जवाब के संबंध कार्यवाही</u>

65. (क्र. 1887) श्री नीलेश अवस्थी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 19-76/2007/1-4 दिनाँक 17.08.2009 का आशय क्या है? क्या यह वर्तमान समय में लागू है? यदि हाँ, तो इसकी छायाप्रति देवें? **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा 1 अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनाँक तक जिला कलेक्टर जबलपुर जिला पंचायत सी.ई.ओ. जिला आबकारी लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री आर.ई.एस, महाप्रबंधक सड़क विकास प्राधिकरण एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपत पंचायत मझौली तथा पाटन को किस-किस संदर्भ में कौन-कौन से पत्र कब-कब प्रेषित किये गये? जबलपुर जिले के संदर्भ में जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** में उल्लेखित किन-किन पत्रों का क्या जवाब, कब दिया गया एवं कितने पत्रों का जवाब किन कारणों से लंबित है? क्या पत्रों के जवाब न देने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) उत्तरांश क एवं ख के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>धार जिला अंतर्गत संचालित देशी/विदेशी शराब की दुकानें</u>

66. (क्र. 1907) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिला अंतर्गत कितनी देशी एवं विदेशी शराब की दुकाने संचालित है? वर्तमान में इन दुकानों में आबकारी विभाग द्वारा कितनी दुकानों के ठेके (नीलामी पद्धति से) प्रदान किये गये है? ग्रामवार, विकास खण्डवार बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में विगत एक वर्ष में आबकारी विभाग द्वारा कितने लायसेंसधारी ठेकेदारों को ठेके प्रदान किये गये है? इनमें से कितने अवैध ठेकेदार है? इन ठेकेदारों के विरूद्ध विभाग द्वारा कितने प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं इनके विरूद्ध विभाग द्वारा कब चालान पेश किए गए? यदि नहीं, तो क्यों इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? **(ग)** इन दुकानों में कितनी मात्रा में शराब भण्डार करने की अनुमति है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) आबकारी विभाग, जिला धार के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 हेतु 68 देशी मदिरा दुकान एवं 27 विदेशी मदिरा की कुल 95 दुकानें संचालित हैं। वर्ष 2015-16 के लिये 05 देशी मदिरा दुकानों का स्वरूप परिवर्तित कर, उन्हें विदेशी मदिरा दुकानों के रूप में निष्पादित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष 2015-16 में इन 68 देशी मदिरा एवं 27 विदेशी मदिरा की कुल 95 दुकानों का निष्पादन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनाँक 21.01.2015 के नीति निर्देश अनुसार जिला समिति द्वारा टेण्डर के माध्यम से किया गया है। उपरोक्तानुसार निष्पादन उपरांत ठेकेदार (सफल टेण्डरदाता) के पक्ष में वर्ष 2015-16 के लिये मदिरा दुकानों का लायसेंस स्वीकृत किया गया है। धार जिले में संचालित मदिरा दुकानों की ग्रामवार, विकासखण्डवार

सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में आबकारी विभाग, जिला धार द्वारा विगत वर्ष 2014-15 में घोषित आबकारी नीति अनुसार नवीनीकरण एवं टेण्डर के माध्यम से 73 देशी मदिरा एवं 22 विदेशी मदिरा इस प्रकार कुल 95 मदिरा दुकानों का आवंटन संबंधित 95 ठेकेदारों (लायसेंसियों) को किया गया। इनमें से कोई भी ठेकेदार (लायसेंसी) अवैध नहीं है। वर्ष 2014-15 में इन लायसेंसियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं लायसेंस की शर्तों, इत्यादि नियम/निर्देशों के उल्लघंन करने पर कुल 3742 विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर विभागीय निराकरण किया गया है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अनुसार विभागीय प्रकरण शमनीय होने से, इन समस्त प्रकरणों में समक्ष प्राधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण का नियमानुसार निराकरण किया गया है। विभागीय अभिलेखों के अनुसार आबकारी विभाग, जिला धार द्वारा वर्ष 2014-15 की अवधि में किसी भी मदिरा दुकान के लायसेंसी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने से चालान पेश किये जाने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। अतः अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में मदिरा के भंडारण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "सत्तावन"</u>

<u>जले हुये विद्युत ट्रांसफार्मर को बदला जाना</u>

67. (क्र. 1925) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ऊर्जा विभाग के जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मर को कितने दिन में बदले जाने का नियम/प्रक्रिया क्या है? **(ख)** जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु लाने-ले जाने की क्या व्यवस्था है? **(ग)** जले हुये ट्रांसफार्मर निर्धारित समय अवधि पर नहीं बदले जाते उसके लिये कौन दोषी है? जिससे किसान की फसल का नुकसान होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसान की फसल के नुकसान की भरपाई करने की विभाग की कोई योजना है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) ट्रांसफार्मर खराब होने पर किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होते ही जला/खराब ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। सामान्यतः मैदानी अधिकारियों के पास बदलने हेतु अतिरिक्त इम्प्रेस्ट ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते हैं एवं तदनुसार प्राक्कलन स्वीकृत कर वितरण कंपनी द्वारा जले/खराब ट्रांसफार्मर के स्थल पर बदलने हेतु ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिया जाता है। कतिपय अवसरों पर मैदानी अधिकारियों के पास ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित क्षेत्रीय भण्डार से ट्रांसफार्मर प्राप्त कर बदलने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध ट्रांसफार्मर से खराब ट्रांसफार्मर को बदल कर खराब ट्रांसफार्मर सुधार कार्य हेतु संबंधित क्षेत्रीय भण्डार को वापस कर दिया जाता है। जला/खराब वितरण ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 24 घण्टे में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुखे मौसम (अक्टूबर से जून) में 3 दिन तथा वर्षाकाल (जुलाई से सितम्बर) में 7 दिन में बदले जाने की समय-सीमा निर्धारित है। **(ख)** खराब ट्रांसफार्मर के स्थान पर अच्छे ट्रांसफार्मर को लगाने के लिये परिवहन की व्यवस्था वितरण कंपनी द्वारा की जाती है। इसके लिए वितरण कंपनी द्वारा उप संभाग स्तर/विद्युत सेवा केन्द्रों पर वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। **(ग)** सामान्यतः खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समयावधि में बदल दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्युत प्रदाय चालू कर दिया जाता है।

मात्र ऐसे खराब ट्रांसफार्मरों को नहीं बदला जाता, जिनसे सम्बद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार विद्युत देयक की बकाया राशि जमा नहीं की गई हो। अतः तत्संबंध में किसी के दोषी/जिम्मेदार होने अथवा नुकसान की भरपाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

बैतूल जिले के विद्युत विहिन ग्रामों में स्वीकृत कार्य

68. (क्र. 1939) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में विगत 5 वर्षों में कौन-कौन सी योजना से विद्युत विहिन ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किए गए? **(ख)** क्या योजनान्तर्गत कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** कार्य समय-सीमा में नहीं कर पाने पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) बैतूल जिले में विगत 5 वर्षों में सुपरविजन चार्ज अंशदायी योजना में 14 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये है ग्रामवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** उत्तरांश **(क)** में उल्लेखित सुपरविजन चार्ज अंशदायी योजना में स्वीकृत 14 ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य समय-सीमा में पूर्ण किये गये हैं। **(ग)** एवं **(घ)** उत्तरांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

बैतूल जिले में निर्मित डेमों की मरम्मत

69. (क्र. 1940) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में कितने डेम निर्मित है? इनमें से कितने डेम टूट-फूट चुके हैं? **(ख)** टूट-फूट हुए डेमों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए है? **(ग)** यदि हाँ, तो भैंसदेही विधानसभा के डेमों का कार्य क्यों प्रारंभ नहीं किया गया है? **(घ)** उक्त डेमों की मरम्मत कब तक की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) बैतूल जिले में 133 बांध निर्मित हैं। कोई भी बांध टूटा-फूटा होना प्रतिवेदित नहीं है। **(ख)** बांधों की सामान्य मरम्मत हेतु शासन से प्रतिवर्ष अनुरक्षण मद में प्राप्त आवंटन से आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य करा लिया जाता है। विशेष मरम्मत कार्य को भारत सरकार की आर.आर.आर. एवं ई.आर.एम. मद में सम्मिलित कर क्रियान्वित किया जाता है। **(ग)** एवं **(घ)** भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांधों के विशेष मरम्मत के प्रकरण शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

भैरवनाथ मंदिर पर्यटन स्थल हेतु समिति का गठन

70. (क्र. 1944) श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के गुढ के पास स्थित भैरव नाथ मंदिर जो पर्यटन स्थल घोषित किया गया था या नहीं? यदि हाँ, तो इसमें शासन द्वारा कोई समिति का गठन किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो उस समिति का क्या नाम है एवं किसकी निगरानी में संचालित हैं तथा दर्शनार्थियों द्वारा जो चढ़ावा (रूपया) प्राप्त होता है उसकी राशि कहाँ जाती है या किस खाते में जमा होती है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** से यदि खाते में राशि जमा होती है तो वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक कितनी राशि जमा हुई एवं वह राशि कहाँ-कहाँ खर्च हुई, उसके आय-व्यय का ब्यौरा वर्षवार देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** से यदि समिति

शासन द्वारा नहीं गठित की गई है तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, जो समिति गठित करके राशि का गबन कर रहे हैं या नहीं? यदि हाँ, तो शासन उन व्यक्तियों के खिलाफ जाँच व दण्डात्मक कार्यवाही करेगा, यदि नहीं तो कारण बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता

71. (क्र. 1967) श्री रामनिवास रावत : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन के विज्ञापनों में मान. मुख्यमंत्री, मान. ऊर्जा मंत्री एवं ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जा रही है कि वर्तमान में प्रदेश की विद्युत इकाईयों की स्थापित क्षमता 14000 मेगावाट है क्या यह प्रदेश की स्थापित क्षमता, प्रदेश शासन की स्थापित क्षमता, केंद्रीय अंश एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा स्थापित प्रदेश में प्रदेश से बाहर स्थापित क्षमता का आवंटन अंश मिलाकर है? प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी की ताप एवं जल विद्युत ग्रह एवं राज्य शासन के संयुक्त क्षेत्र के जल विद्युत ग्रहों का विवरण स्थान, क्षमता राज्य का अंश भी बतावें? साथ ही इसी क्रम में निजी कंपनियों की स्थापित क्षमता का विवरण बतावें एवं केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्र का विवरण बतावें? **(ख)** प्रदेश में निजी स्थापित विद्युत उत्पादन इकाईयों, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन इकाईयों एवं राज्य के बाहर स्थापित इकाईयों में म.प्र. सरकार का क्या पूंजी अंश है? यदि नहीं, तो इन इकाईयों को म.प्र. सरकार अपना आधिपत्य बताकर अपने प्रदेश की स्थापित विद्युत क्षमता में क्यों शामिल कर बता रही है? क्या आवंटन उपलब्धता को अपनी स्थापित क्षमता बताना संवैधानिक रूप से सही है? **(ग)** क्या भविष्य में राज्य सरकार द्वारा मात्र प्रदेश द्वारा स्वयं बनाई गई विद्युत इकाईयों से विद्युत उत्पादन का विवरण समाचार पत्रों, टी.व्ही. चैनलों एवं अन्य माध्यमों से बताया जावेगा? क्या पूर्व में असत्य जानकारी देने वाले एवं असत्य विज्ञापन छपवाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, राज्य क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं अन्य विद्युत उत्पादन संयंत्रों में राज्य का अंश मिलाकर वर्तमान में प्रदेश हेतु कुल 15400 मेगावाट की उपलब्ध क्षमता है। 15400 मेगावाट की कुल उपलब्ध क्षमता में म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप एवं जल विद्युत गृहों की कुल क्षमता, संयुक्त क्षेत्र के जल विद्युत गृहों, केन्द्रीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादन संयंत्रों से प्रदेश को दीर्घ अवधि हेतु आवंटित अथवा विद्युत क्रय अनुबंध के तहत् अनुबंधित अंश सम्मिलित है। प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप एवं जल विद्युत गृहों के स्थान, क्षमता एवं उनमें राज्य के अंश संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र एवं अन्य विद्युत उत्पादन संयंत्रों के विवरण भी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** निजी क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन संयंत्रों में म.प्र.सरकार की कोई अंश पूंजी नहीं है। इन विद्युत उत्पादन संयंत्रों पर संबंधित विकासकों का आधिपत्य है तथापि इन संयंत्रों से प्रदेश हेतु आवंटित अंश अथवा वह अंश जिस हेतु दीर्घकालीन अवधि हेतु विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित किया गया है, प्रदेश की कुल उपलब्ध क्षमता में सम्मिलित रहता है। सामान्यत: निजी क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों के विकासक विद्युत संयंत्रों की स्थापना राज्यों को बिजली उपलब्ध करने के लिए ही करते हैं एवं इन संयंत्रों से राज्य को आवंटित अंश अथवा विद्युत क्रया अनुबंध अनुसार मात्रा को राज्य की उपलब्ध क्षमता में सम्मिलित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि निजी,

केन्द्रीय क्षेत्र अथवा राज्य के बाहर स्थापित इकाईयों में राज्य में अंश को क्रय करने हेतु दीर्घकालीन अवधि 20 से 30 वर्ष हेतु, विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित हैं। अनुबंध अवधि में विद्युत के इस अंश पर राज्य का उसी प्रकार का अधिकार/आधिपत्य रहता है जैसा कि राज्य के स्वामित्व में स्थापित विद्युत उत्पादन संयंत्र की विद्युत पर रहता है। विद्युत के इस अंश में एवं राज्य में स्थापित इकाई से उपलब्ध विद्युत में कोई अन्तर नहीं रहता है। अतः इस आधार पर उपलब्ध क्षमता दिखाया जाना सही है। **(ग)** राज्य हेतु उपलब्ध विद्युत क्षमता में राज्य क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं अन्य विद्युत उत्पादन संयंत्रों से राज्य को दीर्घ अवधि हेतु आवंटित अंश को मिलाकर ही जानकारी दी जाती है। जो कि उत्तरांश **(ख)** में दर्शाए अनुसार सही है, अतः इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किये जाने का औचित्य नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में कोई असत्य जानकारी नहीं दी गई है, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट - "उनसठ"

राजगढ़ जिले में फीडर सेफरेशन योजना के कार्य

72. (क्र. 1983) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले में फीडर सेफरेशन योजना का काम कब स्वीकृत किया गया था? **(ख)** उक्त योजना का काम चालू करने का आदेश किस दिनाँक को दिया गया था व किस कम्पनी को दिया गया था? **(ग)** प्रश्न दिनाँक तक उक्त कंपनी द्वारा कितने ग्रामों में कार्य कराया गया हैं एवं कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है कार्य की स्थिति क्या है? **(घ)** कितने ग्रामों में कार्य होना शेष है तथा कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राजगढ़ जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना का कार्य दिनाँक 08.07.2011 को स्वीकृत किया गया था। **(ख)** उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य कराए जाने के लिये कार्यादेश राजगढ़ संभाग हेतु दिनाँक 05.08.2011 को मेसर्स एस्टर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को तथा ब्यावरा एवं नरसिंहगढ़ संभाग हेतु दिनाँक 09.08.2011 को मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, मुम्बई को दिया गया था। **(ग)** मेसर्स एस्टर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा कुल 563 ग्रामों में से 109 ग्रामों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं 454 ग्रामों में कार्य अभी शेष है। मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड मुम्बई द्वारा 449 ग्रामों में से 166 ग्रामों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं 283 ग्रामों में कार्य अभी शेष है। **(घ)** मेसर्स एस्टर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा कराये गये कार्यों में से 454 एवं मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, मुम्बई द्वारा कराये गये कार्यों में से 283 इस प्रकार कुल 737 ग्रामों का कार्य होना शेष है। कार्य में अत्याधिक विलंब करने के कारण दिनाँक 25.11.2014 को मेसर्स एस्टर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद एवं दिनाँक 08.06.2015 को मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, मुम्बई को जारी कार्यादेश निरस्त कर दिए गए हैं। शेष कार्य हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः शेष कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

73. (क्र. 1990) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के कितने महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य पदस्थ हैं? जिलेवार जानकारी दें? **(ख)** प्राध्यापक पद से स्नातक प्राचार्य एवं स्नातक प्राचार्य से स्नातकोत्तर प्राचार्य पद पर पदोन्नति कब

तक कर दी जावेगी? **(ग)** प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के कितने पद रिक्त है? **(घ)** सीधी एवं सिंगरौली जिले के महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापना की पूर्ति कब तक की जावेगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रचलित भर्ती नियम अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर प्राचार्य पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक के 449 पद, सहायक प्राध्यापक के 2946 पद, ग्रंथपाल के 269 पद एवं क्रीड़ाधिकारी के 262 पद रिक्त हैं। **(घ)** प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन दिनाँक 09.07.2014 को जारी किया जा चुका है। जैसे ही चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होगी, तो अन्य महाविद्यालयों के साथ-साथ सीधी एवं सिंगरौली जिले में महाविद्यालयों के रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी। पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "साठ"</u>

<u>जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभागीय कार्यों के लंबित प्रस्ताव</u>

74. (क्र. 2004) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जावरा नगर पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील में शासन/विभाग एवं विद्युत वितरण कंपनी के समक्ष क्षेत्रीय ग्रिड निर्माण, क्षमता वृद्धि, मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव लंबित है? **(ख)** यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानो पर क्या-क्या कार्य प्रस्तावित होकर किये जाने हेतु लंबित पड़े है? **(ग)** क्या फीडर सेपरेशन के बावजूद अनेक ग्रामों में विद्युत सुविधा से नई आबादियों मजरे टोले वंचित होकर वहां पर विद्युत प्राप्त नहीं होती है? **(घ)** यदि हाँ, तो प्रश्नानुसार **(क) (ख)** एवं **(ग)** अनुसार शासन/विभाग विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाहियां की जाकर कब तक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवस्था प्रदान की जाएगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कृषक अनुदान योजना के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के कार्य नहीं किये जाने हैं तथापि प्रश्नाधीन क्षेत्र में प्रश्नाधीन उल्लेखित अन्य योजनान्तर्गत नए 33/11 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि के कार्य प्रस्तावित/प्रगति पर हैं। **(ख)** जावरा नगर में कोई कार्य प्रस्तावित होकर लंबित नहीं है। जावरा तहसील में ग्राम पिपलौदी में 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र ए.डी.बी.योजना में स्वीकृत है तथा नवीन 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र सेजावता का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत प्रस्तावित है। पिपलोदा तहसील में 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र मामटखेड़ा का कार्य ए.डी.बी.योजना में स्वीकृत है, 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र धामेड़ी का कार्य एसएसटीडी योजना 2014-15 में स्वीकृत है। नवीन 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र रीछा देवडा, बडायला माताजी एवं मचून के कार्य एस.एस.टी.डी. योजना वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित है तथा विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र हतनारा में अतिरिक्त 5 एम.व्ही.ए. क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत प्रस्तावित है। **(ग)** फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य नहीं किए जाने हैं, अत: प्रश्न नहीं उठता। **(घ)** जावरा तहसील के अन्तर्गत ग्राम पिपलौदी में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का

कार्यादेश मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल्स कॉन्ट्रेक्टर एण्ड मेन्युफेक्चर, सांगली को दिया गया है, कार्य प्रगति पर है एवं जून-2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। पिपलौदा तहसील में 33/11 केवी उपकेन्द्र मामंटखेडा का कार्यादेश मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल्स कांन्ट्रेक्टर एवं मेन्यूफेक्चर सांगली को दिया गया है। कार्य प्रगति पर है एवं जून 2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। ग्राम धामेड़ी में नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का कार्यादेश मेसर्स श्रीराम स्विचगियर रतलाम को दिया गया है, कार्य प्रगति पर है एवं मई-2016 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। एस.एस.टी.डी.योजना वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र रीछा देवड़ा बडायला माताजी एवं मचून के कार्य वित्तीय उपलब्धता अनुसार किये जाने संभव हो सकेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र सेजावता का कार्य तथा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र हतनारा में अतिरिक्त 5 एम.व्ही.ए. क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य केन्द्र शासन से योजना की स्वीकृति उपरांत वित्तीय उपलब्धता अनुसार किये जा सकेंगे।

शासकीय महाविद्यालय जावरा एवं उत्कृष्ट विद्यालय जावरा में खेल स्टेडियन की स्वीकृति

75. (क्र. 2007) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भगतसिंह शासकीय महाविद्यालय जावरा एवं म.जा.उ.मा.वि. उत्कृष्ट विद्यालय जावरा में युवा खिलाडियों हेतु बड़े-बड़े खेल मैदान की काफी रिक्त भूमियां रिक्त पडी है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त स्थानों हेतु लगातार संपूर्ण क्षेत्र के खिलाडियों द्वारा उक्त स्थानों पर स्टेडियम निर्माण की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या शासन/विभाग को लगातार इस हेतु मेरे द्वारा कई बार मांग पत्र भेजे गये है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाडियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु स्टेडियम उक्त दोनों स्थानों पर निर्माण किये जाने की स्वीकृति विभाग द्वारा दिये जाने की तैयारी कर ली गई है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ। भगतसिंह शासकीय महाविद्यालय, जावरा में खेल मैदान की भूमि है। शेष प्रश्नांश स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बंधित है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** माननीय विधायक के मांग पत्र के अनुक्रम में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-23/03/2015/38-2, दिनाँक 25.02.2015 के साथ संलग्न सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की टीप प्राप्त हुई थी, जिसके परिपालन में प्राचार्य से खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव मंगाया गया है। **(घ)** महाविद्यालय से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजट तथा निर्माण कार्य की योजना सीमा उपलब्ध होने पर विचार कर यथोचित कार्यवाई की जाएगी।

खरगोन जिले में कपास व्यापारियों की संख्या

76. (क्र. 2022) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले के पिछले 2 वर्षों में कपास व्यापारियों के द्वारा विभाग में देय जानकारी में से कपास/कपास गठानों के क्रय एवं विक्रय की मात्रा एवं राशि की सूची व्यापारी/फर्म के नाम, टीन क्रमांक सहित वर्षवार देवें? **(ख)** ध्रुव इंटरप्राईजेस सेगाव की शिकायत प्रकरण में जाँच कार्य की वर्तमान स्थिति बतायें? विभाग में कुल कितने जाँच प्रकरण लंबित हैं? **(ग)** जिले में कुल कितने व्यापारी विभाग में टिन क्रमांक सहित दर्ज है? कितने व्यापारी सालाना आय/व्यय लेखा प्रस्तुत करते है? कितने व्यापारी लेखा प्रस्तुत नहीं कर रहे है उन व्यापारियों के विरूद्ध की गई/ की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी देवें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) कपास/कपास गठानों के क्रय एवं विक्रय की मात्रात्मक जानकारी संधारित नहीं की जाती है। खरगौन जिले में व्यापारी/फर्म के नाम, टीन क्रमांक सहित विक्रय की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** मेसर्स ध्रुव इंटरप्राईजेश सेगाँव की शिकायत के संबंध में जनपद पंचायत सेगाँव से दिनाँक 20-04-2015 को प्राप्त जानकारी का मिलान व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्रों से किया गया, जिसमें वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के प्रकरण (पूर्व में स्वकर निर्धारित) में व्यवसाई द्वारा क्रय-विक्रय कम बताया गया, अतः प्रकरण में धारा 21 (1) में पुनः कर निर्धारण हेतु संस्थापित किया गया है, व्यवसाई को कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी किए गए हैं। जिले में कुल 7 शिकायत प्रकरण लंबित है। **(ग)** जिले (वृत्त) में कुल 5281 व्यवसाई पंजीकृत हैं। एक करोड़ से अधिक टर्नओवर के व्यवसाईयों को सालाना आय/व्यय का लेखा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वृत्त के 762 व्यवसाईयों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। शेष 4519 व्यवसाईयों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यवसाईयों को स्व कर निर्धारण का लाभ नहीं दिया गया है एवं कर निर्धारण की कार्यवाही करते हुए, त्रुटिकर्ता प्रत्येक व्यवसाई पर रू. 10, 000/- तक की शास्ति आरोपित की जाती है।

खनिज खदानों का अवैध उत्खनन

77. (क्र. 2037) श्री सतीश मालवीय : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में विगत तीन वर्षों में कितनी खदानों (रेत, मुरम, गिट्टी, पत्थर आदि) की नीलामी की गई एवं कितना राजस्व प्राप्त किया गया? कितनी खदानों का सीमांकन किया गया? खदानों के नाम तथा किन व्यक्तियों द्वारा खदान ली गई उनके नाम सहित सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या नीलाम की गई खदानों में से उत्खनन का कार्य नीलामी के निर्धारित रकबे व सर्वे नंबर से अधिक दूसरे सर्वे नंबर एवं रकबे में अवैध उत्खनन जिला खनिज अधिकारियों की सांठ-गांठ से किया जा रहा है? शासन इस पर क्या कार्यवाही करेगा? **(ग)** क्या नीलाम की गई खदानों को आवास एवं पर्यावरण विभाग से बगैर एन.ओ.सी. के ही भारी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है? बगैर एन.ओ.सी. प्राप्त किये खदानों के अवैध उत्खनन के लिये कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? शासन इन पर क्या कार्यवाही करेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' और 'ब' पर दर्शित है। नीलाम में स्वीकृत की गई समस्त खदानों पर संबंधित ठेकेदारों द्वारा 'सिया' से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत न करने के कारण खदानों के सीमांकन व कब्जे की कार्यवाही नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्नाधीन जिले में नीलाम की गई खदानों के निर्धारित रकबे एवं सर्वे नं. में अवैध उत्खनन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। जिले में जिन ग्रामों में अवैध उत्खनन के प्रकरण प्रकाश में आये है उनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' में दर्शित है।** अवैध उत्खननकर्ताओ के विरूद्ध कुल 53 प्रकरण सक्षम न्यायालय में दर्ज किये गये है। जिनमें से 26 प्रकरणों का निराकरण हो गया है। शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रचलित है। चुंकि उपरोक्तनुसार अवैध उत्खनन के प्रकरण पर कार्यवाही की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ब्यावरा का भवन निर्माण

78. (क्र. 2062) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ब्यावरा के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? **(ख)** क्या उक्त भवन निर्माण कार्य हेतु प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय किया गया है? यदि हाँ, तो क्या प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** उपरोक्तानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ब्यावरा को नवीन निर्मित भवन में कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं। निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर हैं। भवन निर्माण के लिये पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण विचाराधीन हैं। **(ख)** जी नहीं। सक्षम वित्तीय समिति की बैठक उपरांत ही पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो सकेंगी। **(ग)** समयावधि बताना संभव नहीं हैं।

विद्युत वितरण उपकेन्द्र की स्थापना

79. (क्र. 2063) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत ग्राम लखनवास जो उपमहाप्रबंधक कार्यालय म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमिटेड नरसिंहगढ़ के कार्यक्षेत्र में आता है? यदि हाँ, तो लखनवास क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को लेकर आऐ दिन कृषक एवं विद्युत उपभोक्ताओं को लगभग 30-35 कि.मी. की परिधि से विद्युत उपवितरण केन्द्र नरसिंहगढ़ आना पड़ता है? **(ख)** क्या लखनवास क्षेत्र की विद्युत बिलों की वसूली भी इसी कारण प्रभावित होकर समय पर बिलों का भुगतान उपभोक्ता नहीं कर पाते है? **(ग)** क्या विभाग उपरोक्तानुसार उपभोक्ताओं की परेशानियों के दृष्टिगत तथा विद्युत आपूर्ति के सुचारू संचालन एवं राजस्व वसूली में सुविधा को देखते हुये लखनवास में विद्युत वितरण उपकेन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, ग्राम लखनवास नरसिंहगढ़ (ग्रामीण) वितरण केन्द्र के अंतर्गत आता है, जिसकी वितरण केन्द्र के मुख्यालय से दूरी लगभग 25 कि.मी. है। प्रश्नाधीन क्षेत्र के कृषकों एवं अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधी कार्यालयीन कार्य हेतु नरसिंहगढ़ ग्रामीण वितरण केन्द्र में आना होता है किंतु विद्युत संबंधी समस्या के निदान हेतु ग्राम लखनवास में लाईन कर्मचारी पदस्थ है, जो मुख्यालय लखनवास में निवास कर विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण करते हैं। **(ख)** जी नहीं। लखनवास क्षेत्र में पदस्थ लाईन स्टाफ के अतिरिक्त वितरण केन्द्र नरसिंहगढ़ (ग्रामीण) कार्यालय से अन्य कर्मचारी भी समय-समय पर एवं साप्ताहिक बाजार के दिनों में क्षेत्र में कैम्प लगाकर विद्युत बिलों का भुगतान प्राप्त करने का कार्य एवं उपभोक्ताओं की विद्युत बिल संबंधी समस्याओं का निराकरण करते हैं। साथ ही ग्राम लखनवास में स्थित डाक घर में भी विद्युत बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। **(ग)** उत्तरांश 'क' एवं 'ख' अनुसार लखनवास क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण एवं राजस्व संग्रहण की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अतः प्रश्नाधीन क्षेत्र में विद्युत वितरण केन्द्र की स्थापना का कार्य विचाराधीन नहीं है।

जन्म/मृत्यु एवं विवाह पंजीयन

80. (क्र. 2078) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग की सेवाओं को म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत शामिल कर, निर्धारित समय-सीमा में सेवायें प्रदान किये जाने का प्रावधान है एवं यह योजना कब प्रारंभ हुई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में नगर पालिक निगम, कटनी में विभाग की, जन्म/मृत्यु एवं विवाह पंजीयन सेवाओं का पदाभिहीत अधिकारी कौन है? क्या इन सेवाओं के आवेदन कार्यालय में सीधे तौर पर भी प्राप्त किये जाते हैं? यदि हाँ, तो आवेदनों का कितना शुल्क निर्धारित है, आदेशों की प्रति देवें? क्या कार्यालय में सीधे तौर पर प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन दर्ज किया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? एवं किस शासकीय सेवक के डिजिटल हस्ताक्षर से आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में विभाग की इन सेवाओं के लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से एवं कार्यालय नगर पालिक निगम, कटनी में सीधे तौर पर, योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनाँक तक, कितने प्राप्त हुये? इन आवेदनों के निराकरण की नियत अवधि क्या थी? इन आवेदनों में से कितने आवेदनों का निराकरण किया गया? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** के संदर्भ में, इन सेवाओं का निराकरण समयावधि में ना करने, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने का कौन-कौन जिम्मेदार है, इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों बतायें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। दिनाँक 10.4.2013 को अधिसूचना एवं दिनाँक 23.5.2014 को निर्देश जारी किये गये। **(ख)** स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है**। जी हाँ। डिजीटल हस्ताक्षर लागू नहीं। **(ग)** जन्म-2853, मृत्यु-1258 एवं विवाह पंजीयन के 206 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण समय-सीमा में किया गया। विभिन्न सेवाओं के लिए पृथक-पृथक समयावधि निर्धारित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है**। **(घ)** अपील का प्रावधान है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा लगाये गये नवीन खंभो की दूरी</u>

81. (क्र. 2079) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा कटनी नगरीय क्षेत्र में पुराने खंभो के स्थान पर लगाये गये नवीन खंभो के मध्य की दूरी नियमानुसार कितनी निर्धारित है एवं विशेष परिस्थितयों में इस दूरी को कितना बढ़ाने का प्रावधान है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में बतायें कि आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना अन्तर्गत क्या पुराने खंबो के स्थान पर लगाये गये नवीन खंबो में उपरोक्त प्रावधानों का पालन किया गया है यदि नहीं तो क्यों?और इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? क्या निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर लगे नवीन खंबो की दूरी में निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुधार कार्य करा कर प्रावधानों का पालन किया जावेगा? **(ग)** आर.ए.पी. डी.आर.पी. योजना के तहत निकाली गयी सामग्री (खंभे, तार इत्यादि) क्या ठेकेदार द्वारा विभाग को वापस जमा की गई हैं? यदि हाँ, तो बताये कितनी सामग्री जमा की गई है? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत प्राक्कलन एवं निष्पादित अनुबंध के विपरीत किये गये कार्यों एवं विभागीय तौर पर अनियमितताओं की अनदेखी का कौन-कौन जिम्मेदार है? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी, यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नगरीय क्षेत्र में लाईनों में दो खंभो के मध्य की दूरी क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करती है तथापि निम्नदाब लाईनों हेतु अधिकतम दूरी 50 मीटर एवं उच्चदाब लाईनों हेतु 70 मीटर निर्धारित है। **(ख)** जी हाँ, निर्धारित दूरी का पालन किया गया है।

प्रश्नांश **(क)** के सन्दर्भ में पुराने खंभों के स्थान पर लगाये गये नवीन खंभों में भी उपरोक्त प्रावधानों का पालन किया गया है, अतः कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। **(ग)** जी हाँ, आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत् निकाली गई सामग्री (खंभे, तार इत्यादि) ठेकेदार द्वारा क्षेत्रीय भण्डार जबलपुर में जमा कराई गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	मात्रा
1	आयरन स्क्रेप (लौह अपशिष्ट)	99669 कि.ग्रा.
2	तार (सभी साईज के)	90811 कि.ग्रा.
3	वितरण ट्रांसफार्मर	29

(घ) उत्तरांश **(ख)** एवं **(ग)** में दर्शाए अनुसार कटनी शहर में स्वीकृत प्राक्कलन एवं निष्पादित अनुबंध के अनुसार ही कार्य किये गये हैं एवं किये गये कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। अतः किसी के जिम्मेदार होने या कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत नहरों का निर्माण

82. (क्र. 2125) श्री प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दमोह जिले के विकासखंड जबेरा के ग्राम हरदुआ सुम्मेरसिंह एवं पटी महाराजसिंह के कृषकों की भूमि के सिंचित रकबा में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से नहरों के निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हाँ, तो स्वीकृति दिनाँक एवं स्वीकृत राशि तथा व्यय हुई राशि तथा निर्माण एजेंसी का नाम, पता बतलावें? **(ख)** क्या विगत वर्ष विभाग की अनदेखी तथा अनियमितताओं के कारण किये गये घटिया निर्माण से नहरे पहली ही बारिश में अनेक जगह से ध्वस्त हो गई थी? क्या निर्माण एजेंसी को स्वीकृत राशि का भुगतान किया जा चुका है, यदि हाँ, तो कितना? **(ग)** नहरों के घटिया निर्माण संबंधी शिकायतें किसान संघ के ब्लाक अध्यक्ष एवं अन्य द्वारा समय-समय पर जिला एवं वरिष्ठ अधिकारियों को की गई थी? यदि हाँ, तो जिलास्तरीय अधिकारी द्वारा स्थल की जाँच कब-कब की गई है? यदि नहीं की गई तो उसका क्या कारण रहा है? क्या शासन स्वतंत्र एजेंसी से नहरों के घटिया निर्माण की जाँच करावेगा, यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) ग्राम पटी महाराजसिंह के कृषकों की भूमि की सिंचाई हेतु पटी महाराजसिंह जलाशय योजना के शेष निर्माण कार्य की स्वीकृति बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत जारी की गई थी। प्रश्नांश में उल्लेखित परियोजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** जी नहीं। गत वर्ष वर्षा के कारण हरदुआ पौड़ी जलाशय योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन नहर के आंशिक भाग में लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसका सुधार कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा ही किया गया है। निर्माण एजेंसी को अनुबंध की शर्तो के अनुसार रू.76.24 लाख का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। पटी महाराजसिंह जलाशय के नहरों में कोई क्षति नहीं हुई है। **(ग)** जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - "इकसठ"

दमोह जिले में तालाबों के माध्यम से सिंचाई

83. (क्र. 2127) श्री प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से तालाब हैं जिनसे नहरों के माध्यम से फसलों की सिंचाई की जाती है? प्रत्येक तालाब से कृषि सिंचित भूमि का रकबा, लाभांवित होने

वाले खातेदार कृषकों की संख्या तथा ग्रामों के नाम बतलावें? **(ख)** इन तालाबों से निकलने वाली नहरों के लिए वर्ष 2008 से अभी तक कितनी-कितनी राशि कितनी बार मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई है, नहरवार बतलावें? **(ग)** कृषकों से प्रश्नांश **(ख)** में दर्शायी अवधि के दौरान कितना सिंचाई कर वसूल किया गया है तथा कितनी वसूली हेतु राशि शेष है? **(घ)** सिंचाई योजनाओं/जलाशयों की नहरों से सिंचाई कर की वसूली का प्रभाव कब से किन-किन उपयंत्रियों/अमीनों के पास है, उपसंभागवार बतलावें? नहरों से सिंचाई कर की कितनी सिंचाई क्षेत्र की जमाबंदी किसने पारित नहीं करायी है एवं क्यों? शासन को कितने राजस्व की क्षति हुई है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं की गई है, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**। **(ख)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**। नहरों से सिंचाई कर की सभी जमाबंदी पारित की जाना प्रतिवेदित होने से कोई भी दोषी नहीं है। शासन को राजस्व की क्षति नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

अवैध शराब की बिक्री

84. (क्र. 2144) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा कितनी देशी/अंग्रेजी शराब दुकान एवं उप दुकान स्वीकृत हैं? **(ख)** विभाग द्वारा नरयावली विधानसभा क्षेत्र में विगत 01 वर्ष में अवैध शराब बिक्री के कितने छापे डाले गये एवं कितने प्रकरण बनाये गये? **(ग)** पंजीकृत किये गये प्रकरणों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) आबकारी विभाग द्वारा नरयावली विधानसभा क्षेत्र में देशी मदिरा की 11 एवं विदेशी मदिरा की 05 दुकानें स्वीकृत है। विभाग द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की कोई उप दुकान स्वीकृत नहीं की गई है। **(ख)** आबकारी विभाग सागर द्वारा नरयावली विधान सभा क्षेत्र में विगत 01 वर्ष (दिनाँक 01.06.2014 से 30.06.2015 तक) अवैध शराब बिक्री विनिर्माण एवं चौर्यनयन पर नियंत्रण हेतु कुल 180 स्थानों पर छापे डाले गये। उक्त छापों में 173 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34 के अंतर्गत पंजीबद्ध किये गये। शेष 07 स्थानों पर कोई अवैध गतिविधि न पाये जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये गये। **(ग)** पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों को विभिन्न माननीय न्यायालयों में नियमानुसार प्रस्तुत किया गया हैं।

टूरिस्ट मेगा सर्किट प्रोजेक्ट

85. (क्र. 2155) श्री अशोक रोहाणी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर को पर्यटन हब बनाने हेतु केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली ने टूरिस्ट मेगा सर्किट प्रोजेक्ट के लिए कब, कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी है एवं इसकी कार्यावधि क्या है? **(ख)** प्रश्नांकित प्रोजेक्ट में चिन्हित किन-किन स्थलों में कितनी-कितनी राशि के कौन-कैन से विकास कार्य कराना स्वीकृत/प्रस्तावित हैं तथा इसके लिए कब-कब कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है एवं कितनी राशि किन कार्यों में व्यय हुई? वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांकित प्रोजेक्ट के लिए कब, किसे निर्माण एजेन्सी बनाया गया एवं एजेन्सी को कब कार्यादेश जारी किया गया तथा एजेन्सी ने कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से

विकास कार्य कराये हैं एवं कौन-कौन से विकास पर कब से अपूर्ण व अप्रारंभ हैं एवं क्यों? दोषी एजेन्सी पर शासन ने कब क्या कार्यवाही की? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में प्रस्तावित लेजर-शो एक्टीविटी भेड़ाघाट में लाईट एवं साउण्ड शो व बरगी में एडवेंचर स्पोर्टस के विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितना कार्य शेष है? उक्त कार्य किस एजेन्सी ने कराया है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश 'क' के संबंध में जानकारी निरंक है। पर्यटन विभाग द्वारा अन्य मद से प्राप्त राशि के द्वारा कराये गये कार्य **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**।

परिशिष्ट - "बासठ"

स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति

86. (क्र. 2156) श्री अशोक रोहाणी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. के अधीनस्थ लेखा सेवा के अलिपिकीय वर्गीय एवं अन्य किस-किस श्रेणी के स्वीकृत कौन-कौन से कितने-कितने पद रिक्त हैं? इसमें सीधी भर्ती पदोन्नति व बैकलाग के कितने-कितने पद हैं? शासन ने इन रिक्त पदों की भर्ती हेतु कब क्या कार्यवाही की है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में जिला स्तरीय कोषालयों एवं अन्य वित्तीय कार्यालयों में स्वीकृत पदीय संरचना के तहत सीधी भर्ती के कौन-कौन से कितने पद रिक्त हैं एवं क्यों? इन रिक्त पदों की कब तक पूर्ति की जावेगी? इसके लिये शासन ने कब क्या निर्देश दिये हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना में स्वीकृत पदीय संरचना के तहत स्वीकृत कौन-कौन से कितने रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कब क्या कार्यवाही की गई है एवं किन-किन रिक्त पदों की भर्ती की गई है तथा शेष कितने रिक्त पदों की कब तक भर्ती की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। सीधी भर्ती के रिक्त 201 अधीनस्थ लेखा सेवा के पदों की व्यापम द्वारा दिनाँक 05.04.2015 को परीक्षा का आयोजन किया गया हैा व्यापम से मेरिट सूची उपलब्ध होने पर संचालनालय द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी। संवर्ग में बैकलाग पद रिक्त नहीं है। संवर्ग में पदोन्नति कोटे में रिक्त पद होने का कारण निर्धारित अर्हतादायी सेवापूर्ण होने वाले शासकीय सेवक उपलब्ध न होना है। सहायक ग्रेड-3 के रिक्त 115 पदों के प्रस्ताव व्यापम को प्रेषित किये जा चुके हैं।भृत्य के रिक्त पदों को अनुकम्पा के माध्यम से भरने हेतु संचालनालय द्वारा दिशा -निर्देश अधीनस्थ कार्यालय को जारी किये गये हैं। **(ख)** जानकारी प्रश्नांश **(क)** के तहत **संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है**। **(ग)** अधीनस्थ लेखा सेवा के कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना अंतर्गत पद स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

क्रीड़ा अधिकारियों का नियम विरूद्ध स्थानांतरण

87. (क्र. 2165) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में कितने शासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर माहविद्यालयों में क्रीड़ा अधिकारी पदस्थ हैं? कुल संख्या बतायें? **(ख)** वर्तमान में कितने क्रीड़ा अधिकारियों का स्थानांतरण

किया गया है, संख्या बतायें? **(ग)** क्या म.प्र. शासन की स्थानांतरण नीति के तहत 20 प्रतिशत स्थानांतरण ही किये जा सकते हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान सत्र में किये गये स्थानांतरण 20 प्रतिशत से अधिक हैं और म.प्र. शासन की स्थानांतरण नीति का खुला उल्लंघन करने वाले विभाग पर क्या कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** क्या शासन 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण को विधि सम्मत करने के लिये किये गये स्थानांतरण निरस्त करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) मध्यप्रदेश में शासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कुल 91 क्रीड़ा अधिकारी पदस्थ हैं। **(ख)** कुल 51 क्रीड़ाधिकारियों के स्थानांतरण किये गये हैं। **(ग)** जी हाँ। स्थानांतरण शासन द्वारा जारी नीति वर्ष 2015-2016 के प्रावधानों के अनुसार किये गए हैं। वस्तुस्थिति के संदर्भ में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उत्तर "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

कॉलोनाईजर द्वारा नहर पर कब्जा किया जाना

88. (क्र. 2168) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिले में नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना कब कितनी राशि से स्वीकृत की गयी? इसकी लम्बाई, चौड़ाई एवं सिंचित रकबा बतायें? **(ख)** उक्त नहर पर कॉलोनाईजर द्वारा नहर की अधिग्रहित शासकीय भूमि पर कब्जा एवं विक्रय कर मकान निर्माण करा दिया गया है? नहर के स्वीकृत मानचित्र में छेड़छाड़ कर संशोधन तो नहीं किया गया? इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जावेगी? **(ग)** संबंधित अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा और कब तक? **(घ)** क्या शासन कार्यवाही कर नहर से कब्जा हटायेगा एवं जिन कॉलोनाईजर ने नहर की भूमि को प्लाट बनाकर बेच दिया उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा दिनाँक 04.11.1996 को रू.185.99 लाख की प्रदान की गई। परियेाजना की मुख्य नहर एवं गोंझी माइनर नहर की लंबाई 6.21 कि.मी. औसत चौड़ाई 15 मी. तथा रूपांकित सिंचाई रकबा 690 हे. है। **(ख)** एवं **(ग)** कालोनाईजर द्वारा नहर की अधिग्रहित शासकीय भूमि पर बाऊण्ड्री वाल के निर्माण का प्रयास किया गया था किंतु विक्रय नहीं किया है और न ही मकान निर्माण कराया गया। नहर के स्वीकृत मानचित्र में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। **(घ)** नर्मदा वैली कालोनाईजर द्वारा नहर की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाउण्ड्री वाल बना दी गई थी। विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस दिया जाना प्रतिवेदित है तथा अतिक्रमण हटाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मण्डला को लिखकर प्रकरण दर्ज कराया गया। विभाग के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मण्डला द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 376 (ब-121) 14-15 दर्ज करते हुए अवैध रूप से अतिक्रमण की गई नहर की जाँच कार्यवाही पूर्ण कर दिनाँक 03.07.2015 को आदेश पारित किया जाकर कालोनाईजर पर रू.8, 56, 797/- का जुर्माना तथा नहर को उसके मूल स्वरूप में लाने हेतु आदेशित किया गया है। कालोनाईजर द्वारा भूमि को प्लाट बनाकर नहीं बेचा गया है।

खंडवा जिले में मुख्यमंत्री की घोषणा की पूर्ति

89. (क्र. 2197) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खंडवा जिले में मा. मुख्यमंत्रीजी द्वारा भ्रमण के दौरान विगत एक वर्ष में कब-कब, कौन-कौन सी घोषणाएं की गई? **(ख)** क्या मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यों हेतु राशि रू. 10 करोड़ की स्वीकृति जिले को प्रदान की गई है? **(ग)** यदि हाँ, तो उक्त राशि से कौन-कौन सी घोषणाओं के कार्य आरंभ किये गये है तथा उनमें से कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? **(घ)** अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे? क्या इस संबंध में जिले के जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित कर शीघ्र क्रियान्वयन के प्रयास किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं। **(ग)** एवं **(घ)** प्रश्नांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "चौंसठ</u>"

<u>खंडवा जिले में अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री</u>

90. (क्र. 2208) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आबकारी विभाग की उदासीनता के कारण खंडवा जिले में शराब का अवैध परिवहन एवं अवैध शराब की बिग्री गांव-गांव में धड़ल्ले से हो रही है एवं अवैध शराब माफिया संक्रिय तथा आबकारी विभाग निष्क्रिय हो गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो खंडवा विधानसभा के अनेक ग्रामों सहित ग्राम बैंडियाव एवं सुरगांव बंजारी में अवैध शराब दुकानों का संचालन स्कूल के सामने एवं पेयजल स्त्रोत के पास किसकी मिलीभगत से किया जा रहा है? **(ग)** जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री के विगत 3 वर्षों में कितने प्रकरण बनाए गए है? उन प्रकरणों में शासन को कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई? **(घ)** क्या आबकारी विभाग की निष्क्रियता के कारण पुलिस विभाग द्वारा अवैध परिवहन के अधिक प्रकरण बनाए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो विभाग के ऐसे किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। यह पूर्णतया असत्य है कि, आबकारी विभाग की निष्क्रियता से खण्डवा जिले में शराब का अवैध परिवहन एवं अवैध शराब की बिक्री गांव-गांव में धडल्ले से हो रही है। आबकारी विभाग खण्डवा द्वारा उपलब्ध संसाधनों के साथ अवैध शराब माफियाओं पर कठोर नियंत्रण रखा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आबकारी विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में अवैध शराब विक्रय एवं परिवहन के कुल 4865 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। **(ख)** खण्डवा विधानसभा के ग्राम बैंडियांव एवं सुरगांव बंजारी में कोई मदिरा दुकान संचालित नहीं है। उक्त ग्रामों में आबकारी विभाग द्वारा सतत् कार्यवाही कर मुखबिरों से सूचनायें एकत्र कर अवैध शराब विक्रय एवं परिवहन के प्रकरण दर्ज किये गये है। विगत 03 वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा ग्राम बैंडियांव एवं सुरगांव बंजारी में अवैध शराब विक्रय एवं परिवहन के कुल 46 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। **(ग)** जिले में आबकारी अमले द्वारा विगत 03 वर्षों में कुल 4865 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। इन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा आरोपियों को रूपये 21, 35, 000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। **(घ)** प्राप्त जानकारी अनुसार आलोच्य अवधि में पुलिस द्वारा 2135 प्रकरण ही पंजीबद्ध किये गये है, जबकि आबकारी विभाग द्वारा सीमित संसाधनों एवं स्टाफ की कमी के बावजूद पूर्ण दक्षता एवं क्षमता के साथ विगत 03 वर्षों में 4865 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खण्डवा में प्रबंधन विषय की शिक्षा

91. (क्र. 2212) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खंडवा के शासकीय महाविद्यालयों में आगामी सत्र से बी.बी.ए. एवं एम.बी.ए. प्रबंधन कोर्स को आरंभ करने की कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या निकट भविष्य में खंडवा नगर के छात्र-छात्राओं को प्रबंधन डिग्री के लिये इंदौर या प्रदेश के अन्य नगरों में जाने की अपेक्षा खंडवा में ही इसका लाभ मिला पाएगा? **(ग)** क्या ऐसा नहीं होने पर गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चे इस विषय की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, यह उनके शिक्षा के अधिकार का हनन नहीं है? **(घ)** क्या खंडवा जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय महाविद्यालयों में यह डिग्री/कोर्स आरंभ किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब से एवं नहीं तो क्यों?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः खण्डवा के शासकीय महाविद्यालयों में बी.बी.ए. की कक्षाये शुरू करने में अभी कठिनाई हैं। एम.बी.ए. पाठयक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति विभाग द्वारा नहीं दी जाती है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल उपभोक्ता संस्थाओं को रख-रखाव की राशि का भुगतान

92. (क्र. 2229) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा में जल उपभोक्ता संस्थाओं को दी जाने वाली रख-रखाव की राशि दो गुनी करने संबंधी आपकी घोषणा पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? **(ख)** क्या चालू वित्तीय वर्ष में पुराने रेट पर ही संस्थाओं को नहरों के रख-रखाव की राशि दी गयी है? यदि हाँ, तो शेष राशि इसी वित्तीय वर्ष में क्या संस्थाओं के खातों में जमा कर दी जाएगी और यह राशि कब तक जमा कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** जल उपभोक्ता संथाओं को दी जाने वाली रखरखाव की राशि की बढ़ोतरी के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

बालाघाट जिले में खदानों का आवंटन

93. (क्र. 2234) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में विगत 5 वर्षों में मेजर मिनरल्स की खदानें किन-किन व्यक्तियों अथवा कंपनियों को आवंटित की गयी है? उनके नाम, मेजर मिनरल का नाम, आवंटित खदान का रकबा तथा स्थान सहित जानकारी दें? **(ख)** उक्त में से किन-किन खदानों में खनन कार्य प्रारंभ हो चुका है? तथा खनन कार्य किस दिनाँक से प्रारंभ हुआ है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम 8 में दर्शित है।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

बरगी नगर स्थित चिकित्सालय के स्वास्थ्य विभाग में हस्तांतरण

94. (क्र. 2255) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के अंतर्गत बरगी नगर स्थित 30 बिस्तरों वाले चिकित्सालय को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपने की कार्यवाही करेगा? **(ख)** यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। अंतरण हेतु आवश्यक प्रक्रिया के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माइनर नहरों का निर्माण

95. (क्र. 2256) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बॉयी तट नहर की बरगी एवं पाटन विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितनी एवं कौन-कौन सी माईनर एवं डिस्ट्रब्यूटरी नहरें कितनी-कितनी लंबाई की स्वीकृत है? उक्त माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहरों में से नहरवार कितनी नहरों का निर्माण कार्य कितना-कितना अब तक पूर्ण हुआ है? कितना-कितना निर्माण कार्य उक्त माइनरों का शेष है? **(ख)** विगत 02 वित्तीय वर्षों में बरगी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उपरोक्त **(क)** प्रश्न की कितनी-कितनी एवं कौन-कौन सी माइनर नहरों की सी.सी. लाइनिंग का कार्य किन-किन ठेकेदारों से कितनी-कितनी राशि का कराया गया? कितना लाइनिंग कार्य शेष है? गुणवत्ताहीन कार्य के कारण किन-किन माइनरों की लाइनिंग टूट गयी है? इसके लिए कौन दौषी है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब एवं परिशिष्ट-अ के पृष्ठ 01 से पृष्ठ 05 के कालम-7 अनुसार है। नहरों के निर्माण में स्थानीय उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया गया है। अतिवर्षा तथा कृषि उपकरण के परिवहन के कारण नहर बैंक क्षतिग्रस्त होने एवं रबी तथा खरीफ फसलों हेतु पानी छोड़े जाने के दौरान कृषकों द्वारा नहरे काटने से नहरों में क्षति होती है, जिसके सुधार कार्य नियमानुसार कराये गये है। इसके लिये कोई दोषी नहीं है।

स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य मुक्ति

96. (क्र. 2278) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले में समस्त विभागों में वर्ष 2015-16 में शासन की निर्धारित नीति अनुसार कितने अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया वर्गवार/कर्मचारीवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त हुये हैं? यदि हाँ, तो कितने? विभागवार जानकारी देवें? यदि कार्यमुक्त नहीं हुये हैं तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 367. वर्गवार/कर्मचारीवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम 7 अनुसार है।**

परिशिष्ट - "छियासठ"

सागर नगर की आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना की प्रगति

97. (क्र. 2281) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न क्र. 4166 दिनाँक 19 मार्च 2013 **(क)** के उत्तरांश में सागर नगर की

आर.ए.पी.डी.आर.पी योजना को पूर्ण किए जाने की समय-सीमा नवम्बर 2012 बतायी गई थी तथा खण्ड **(ख)** में 6 माह में पूर्ण किया जाना बताया गया था? तारांकित प्रश्न क्रमांक 2692 दिनाँक 15 जुलाई 2014 के **(क)** उत्तरांश में 89 प्रतिशत कार्य पूर्ण होना बतलाया गया था? आज एक वर्ष हो चुका है क्या योजना पूर्ण हो गई है? **(ख)** यदि नहीं हुई तो विलंब होने का कारण क्या है? **(ग)** आर.ए.पी.डी.आर.पी योजना के तहत क्या कार्य किए जाना प्रस्तावित थे? उनमें से कितने कार्य प्रश्न दिनाँक तक पूर्ण कर लिये गये है कार्यवार बताएं? **(घ)** क्या उक्त योजना के तहत सागर शहर में उन स्थानों पर भी विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित था जहाँ विद्युत लाईन नहीं थी? यदि हाँ, तो वह कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ विद्युतीकरण का कार्य किया है? नामवार बताएं? यदि नहीं तो उन स्थानों पर विद्युतीकरण की क्या योजना है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, प्रश्नांश में उल्लेखित जानकारी दी गई थी। प्रश्नाधीन कार्य दिनाँक 30.04.2015 को पूर्ण किया जा चुका है। **(ख)** उत्तरांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** आर.ए.पी.डी.आर.पी.योजना में सागर शहर में कार्यवार स्वीकृत बीओक्यू एवं पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। उपरोक्त के अलावा विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उन्नत प्रणाली तैयार करने का कार्य आरएपीडीआरपी योजना के भाग-अ अन्तर्गत पूर्ण कर लिया गया है। **(घ)** जी नहीं, उक्त योजना के तहत् सागर शहर में उन स्थानों पर विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित नहीं था जहाँ विद्युत लाईन नहीं थी। प्रश्नाधीन क्षेत्र के विद्युत लाईन विहीन स्थानों में विद्युत प्रदाय करने हेतु व्यय होने वाली राशि विधायक मद/सांसद मद/अन्य मद से प्राप्त होने पर नियमानुसार जमा योजना में विद्युतीकरण का कार्य किया जा सकेगा।

<u>परिशिष्ट - "सड़सठ"</u>

<u>बुन्दलखण्ड में सोलर पॉवर यूनिट की स्थापना</u>

98. (क्र. 2282) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बुन्देलखण्ड में सोलर पॉवर यूनिट स्थापि करने के लिए शासन की कोई योजना प्रस्तावति है? **(ख)** यदि नहीं तो क्या शासन बुन्देलखण्ड में पिछड़ेपन एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधानों को ध्यान में रखते हुए उक्त यूनिट स्थापित करने पर विचार करेगी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों, वन विभाग की चौकियों, पुलिस थानों एवं अन्य संस्थानों में ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना है, जिसके अन्तर्गत कुल 204 कि.वा. क्षमता के 60 संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के 'दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम' अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के दूरस्थ अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**। इसके अतिरिक्त, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' अन्तर्गत भी अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है। **(ख)** उत्तरांश- **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "अड़सठ"</u>

दोषी के विरूद्ध कार्यवाही

99. (क्र. 2298) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 12 मार्च 2015 के अता. प्रश्न क्रमांक 4023 के भाग **(क)** के उत्तर में बताया गया है कि त्योंथर सिंचाई परियोजना बाणसागर परियोजना का भाग है? इसके लिये पृथक से कोई स्वीकृति नहीं दी गई है? तो त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की पृथक से निविदा आमंत्रित क्यों की गई? एवं क्या निविदा में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ही कार्यादेश जारी किये गये है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में किन-किन संविदाकारों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कराए गए कार्यों की भौतिक सत्यापन की प्रति देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में संदर्भित प्रश्नांश **(ग)** में बताया गया था कि परियोजना से 4400 हैक्टेयर में सिंचाई की गई है किन्तु कृषकों से जलकर की वसूली की राशि निरंक है? तो क्या इससे शासन को भारी आर्थिक क्षति नहीं हुई? इसके कौन-कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं की जावेगी तो क्यों? कारण बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भू अधिग्रहण के संबंध में अनियमितता

100. (क्र. 2303) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र 71 मऊगंज के भमरहा जलाशय नरसिंहपुर हनुमना के भूमि खसरा नं. 99/2 रकवा 5 एकड़ भूमिस्वामी सुरेश प्रसाद साकेत एवं रमेश प्रसाद साकेत पिता श्री मेवालाल साकेत एवं बाण सागर की उ.प्र. की ओर जाने वाली डूब क्षेत्र में अधिग्रहित की गई जमीन जनपद पंचायत हनुमान जिला रीवा के ग्राम जड़कुड़ टोला कारी काछ वार्ड नं. 13, 14 भूमि नं. 69, 70 का रकवा क्रमश: 2 एकड 34 ढिसमिल एवं 5 एकड़ जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु शासन द्वारा क्या अधिग्रहित किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में क्या ग्राम नरसिंहपुर के खसरा नं. 99/2 रकवा 5 एकड़ में से 0.454 एकड़ का ही भूमिस्वामियों का मुआवजा तथा ग्राम जड़कुड़ के नहर निर्माण हेतु खसरा नं. 69 का 2 एकड़ 34 ढिसमिल में से एक एकड़ एवं खसरा नं. 70 का 5 में से एक एकड़ का मुआवजा बनाया गया है? यदि हाँ, तो उपरोक्त भूमि नंबरों में से कितने-कितने रकवे का मुआवजा बनाया गया है? **(ग)** क्या भमरहा जलाशय नरसिंहपुर के प्रभावित एवं उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग मउगंज/हनुमना, कलेक्टर जिला रीवा, आयुक्त रीवा संभाग तथा सी.एम.हेल्प लाईन शिकायत नं. 879689 द्वारा आपत्ति की गई थी? यदि हाँ, तो क्या निराकरण हुआ बतावें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)**, **(ख)** एवं **(ग)** के प्रकाश में अधिग्रहित भूमियों का क्या पुन: सर्वेक्षण कराया जाकर मुआवजा दिलाया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतायें एवं यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के भमरहा जलाशय हेतु श्री सुरेश प्रसाद साकेत एवं रमेश प्रसाद साकेत पिता श्री मेवालाल साकेत ग्राम नरसिंहपुर हनुमना के भूमि खसरा नं. 99/2 कुल रकबा 5 एकड़ में से 1.12 एकड़ भूमि बांध में डूब क्षेत्र में आने के कारण अधिग्रहित की गई। प्रश्नांश में अंकित शेष ग्राम में म.प्र.शासन द्वारा कोई बांध एवं नहर निर्माण नहीं किया जा रहा है। प्रश्नांश उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। **(ख)** ग्राम नरसिंहपुर के खसरा नं. 99/2 रकबा 5 एकड़ में से आवश्यकतानुसार 1.2 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाकर अवार्ड पारित कर भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। शेष प्रश्नांश उत्तर प्रदेश

सरकार से संबंधित होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। **(ग)** भमरहा जलाशय नरसिंहपुर ग्राम के प्रभावित कृषकों द्वारा सी.एम.हेल्पलाइन शिकायत क्र.-879689 द्वारा आपत्ति ली गई थी। कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर द्वारा दिनाँक 26.05.2015 को उत्तर प्रेषित किया गया जिसमें लेख किया गया कि जितनी भूमि आवश्यक थी उतनी ही भूमि का भू-अर्जन किया गया है। **(घ)** भमरहा जलाशय के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि के अतिरिक्त और अधिक भूमि की आवश्यकता न होने के कारण पुनः सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यपक की परिवीक्षा अवधि

101. (क्र. 2320) श्री विश्वास सारंग : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त सहायक प्राध्यपकों/प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि सामान्य परिस्थितियों में दो वर्ष की होती है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने सहायक प्राध्यपक/प्राध्यापक हैं जिनकी परिवीक्ष अवधि प्रश्न दिनाँक तक समाप्त नहीं की गई है? कितने ऐसे हैं जिनकी चार वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूरी हो जाने के बाद भी परिवीक्षावधि में ही बने हुए हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत उक्त सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों की परिवीक्षा समाप्ति के बाद सेवा स्थायी किए जाने के क्या प्रावधान हैं? इन प्रावधानों की प्रति दें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के तहत कितनों की इन प्रावधानों के अनुसार प्रश्न दिनाँक तक सेवा स्थाई नहीं की जा सकी है? क्यों नहीं की गई? कब तक कर दी जायेगी? इस देरी के लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी, हां। 330 सहायक प्राध्यापक एवं 190 प्राध्यापक। सहायक प्राध्यापक 256 एवं प्राध्यापक 71। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है**। **(ग)** 605 सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों की सेवा स्थाई नहीं की जा सकी है। इनमें से 586 को परिवीक्षाधीन होने से। स्थायीकरण की प्रकिया सतत है जो पदों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। परिवीक्षावधि समाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उनहत्तर"

ग्राम लाम्बाखेड़ा को भोपाल ग्रामीण संभाग से शहरी संभाग में किया जाना

102. (क्र. 2321) श्री विश्वास सारंग : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल नगर निगम वार्ड 79 में स्थित लाम्बाखेड़ा में विद्युत प्रदाय भोपाल ग्रामीण संभाग से किया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत क्या इसके कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या उक्त क्षेत्र के रहवासियों की दिक्कतों को देखते हुए उक्त क्षेत्र को भोपाल शहरी संभाग से जोड़ा जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? नियम बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। लांबाखेड़ा क्षेत्र को विद्युत प्रदाय संचालन एवं संधारण संभाग, भोपाल के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र लांबाखेड़ा से निर्गमित होने वाले 11 के.व्ही. घासीपुरा गैर-कृषि फीडर से किया जा रहा है। उक्त फीडर पर नियमानुसार 24 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, जो कि शहरी क्षेत्र के समकक्ष है। **(ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार उक्त क्षेत्र में

अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर सुचारू रूप से विद्युय प्रदाय किया जा रहा है एवं विद्युत प्रदाय को लेकर कोई समस्या नहीं है। **(ग)** उत्तरांश 'क' एवं 'ख' में दर्शाए अनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र में विद्युत प्रदाय शहरी क्षेत्र के अनुरूप सुचारू रूप से किया जा रहा है अत: प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत बिलों का भुगतान

103. (क्र. 2354) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिलों का विरतण किस माध्यम से किया जाता है एवं ग्रामीणजनों को विद्युत बिलों को जमा कराने हेतु विभाग द्वारा क्या सुविधा दी जाती है? **(ख)** यदि विद्युत बिलों का समय पर वितरण किया जाता है, तथा एक ग्रामीण द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पूरे ग्राम/फलिये की विद्यत काटे जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो शासनादेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ग)** यदि नहीं, तो सिवनी जिले के ग्रामीणों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? **(घ)** यदि किया जाता है, तो उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिवनी जिले के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिलों का वितरण मीटर वाचकों एवं आवश्यकतानुसार विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को सहकारी समिति, विभागीय वितरण केन्द्र, आवश्यकतानुसार चलित राजस्व संग्रहण केन्द्रों द्वारा शिविर लगाकर, एम.पी. ऑन लाईन एवं नेट बैंकिग के माध्यम से विद्युत बिल जमा किये जाने की सुविधा है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** सिवनी जिले के अंतर्गत भी नियमों के अनुसार केवल बकायादार विद्युत उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्यवाही की जाती है। **(घ)** उत्तरांश **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

ट्रांसफार्मर को अन्यत्र व्यवस्थित किया जाना

104. (क्र. 2364) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर भोपाल में विनीत कुंज के नाम से बी-सेक्टर, कोलार रोड पर कॉलोनाईजर द्वारा कॉलोनी निर्मित की गई है? हां, तो कॉलोनाईजर्स के नाम व पतों का विवरण प्रस्तुत करें? **(ख)** क्या उक्त अनुज्ञप्तिधारियों को उक्त कॉलोनी के निर्माण से पूर्व टाउन एण्ड कंट्रीप्लानिंग भोपाल द्वारा रहवासियों की मौलिक सुविधाओं पार्क, विद्युत, जल-कल आदि के लिये भूमि संरक्षित कर एनओसी जारी की गई है? **(ग)** क्या उक्त कॉलोनी के प्रागंण में आवास क्र. 129 के सामने लगा विद्युत ट्रांसफार्मर उक्त नक्शा के अनुसार संरक्षित/चयनित/नियत स्थल पर स्थापित है या प्रतिकूल स्थल पर? यदि प्रतिकूल लगा है तो किस अधिकारी की अनुमति से, अधिकारी का नाम/पदनाम बताएं? **(घ)** क्या उक्त ट्रांसफार्मर (हाईटेंशन लाइन) को पार्क के पास/अन्यत्र स्थापित कराए जाने हेतु किसी जन प्रतिनिधि द्वारा विभागीय अधिकारी से पत्राचार किया गया है, हां तो उक्त पत्र की प्रति व की गई कार्यवाही से अवगत कराएं, प्रतियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें? **(ड.)** शासन, प्रतिकूल स्थल पर लगे उक्त ट्रांसफार्मर को उक्त नक्शा के अनुसार चयनित/नियत स्थल पर हस्तांतरित कराए जाने हेतु उक्त कॉलो./अनुज्ञप्तिधारियों से सुपरवीजन चार्ज की समस्त राशि की भरवाई कराकर त्वरित कार्यवाही करेगा? हां, तो कब तक?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विनीत कुंज गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री बी.पी.पटेल, ई-8/141 भरत नगर, भोपाल है। **(ख)** नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त अनुज्ञाओं में तत्कालीन प्रचलित नियमों के तहत् खुला क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र पार्क आदि स्वीकृत किया गया है। **(ग)** उक्त कॉलोनी के प्रांगण में आवास क्रमांक 129 के सामने लगा विद्युत ट्रांसफार्मर तकनीकी साध्यता अनुसार स्थापित किया गया है। अतः प्रश्न नहीं उठता। **(घ)** जी हाँ। माननीय विधायक, हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा द्वारा दिनाँक 25.04.2015 को उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) भोपाल को सम्बोधित कर प्रश्नाधीन आवास क्रमांक 129 के सामने लगे ट्रांसफार्मर को जनहित में अन्यत्र, पार्क के समीप स्थापित कराये जाने की अनुशंसा की गई थी। इस संबंध में उप महाप्रबंधक, (संचा./संधा.), संभाग, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1202 दिनाँक 19.05.2015 को शिकायत के निराकरण हेतु सहायक यंत्री, दानिश कुंज को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् सहायक यंत्री दानिश कुंज द्वारा कार्यवाही करते हुए अध्यक्ष, विनीत कुंज गृह निर्माण संस्था को पत्र द्वारा ट्रांसफार्मर अन्यत्र स्थानान्तरित कराने हेतु उनके द्वारा आवेदन प्रेषित करने तथा प्राक्कलन राशि को वहन करने की लिखित सहमति दिये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु आवेदन एवं सहमति अप्राप्त है। संबंधित पत्रों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ड.)** उत्तरांश 'ग' एवं 'घ' के अनुसार वितरण कंपनी द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। आवेदन एवं नियमानुसार शिफ्टिंग हेतु स्वीकृत प्राक्कलन की राशि वहन करने के लिये आवेदक की सहमति प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

टीकमगढ़ में विकासखण्ड जतारा में संचालित देशी-विदेशी मदिरा दुकानें

105. (क्र. 2378) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आबकारी विभाग के नियमानुसार सार्वजनिक स्थलों, यात्री प्रतीक्षालय के पास शराब दुकानें संचालित किया जाना उचित है? साथ ही अतिक्रमण करके निर्मित कर दुकानों में तथा अवैध निर्माण की दुकानों का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है फिर भी आबकारी विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकाने संचालित किये जाने की अनुमति दी गई है उक्त अवैध निर्माण की दुकानों में मदिरा की दुकानें संचालित ना किये हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत जतारा द्वारा पत्र के माध्यम से लेख किया था कि इन दुकानों का अनुबंध ना किया जाये? फिर भी मदिरा की दुकानें संचालित की जा रही है? **(ख)** क्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत जतारा द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं यात्री प्रतिक्षालय के पास निर्मित अवैध दुकानों में दुकाने संचालित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया फिर भी दुकाने संचालित की गई क्या उक्त मदिरा की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को वहां से हटायेंगे यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतायें? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें? उक्त दुकानें क्यों नहीं हटाई जा सकती है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 55 दिनाँक 06.02.2015 की कंडिका 1 परंतुक उप नियम (2) के खण्ड **(क)** एवं **(ख)** के प्रावधान अन्तर्गत 31 मार्च 2010 को पिछले 03 वर्षों से वर्तमान स्थल पर विद्यमान रहने के कारण शराब दुकान संचालित हो सकती है। श्री हामिद खॉन तनय सुल्तान खॉन निवासी जतारा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय

जबलपुर में दायर की गई याचिका क्रमांक 5504/2015 में दिनाँक 20.04.2015 को पारित आदेश अनुसार जतारा नगर में बस स्टेण्ड जतारा के पीछे सुरेश राय निवासी ग्राम मुहारा तहसील जतारा द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों में आबकारी ठेकेदार श्री रामकिशोर पटैरिया द्वारा संचालित शराब दुकान के मामले में जिला कलेक्टर टीकमगढ को एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत जतारा को 06 माह में अतिक्रमण की शिकायत के निराकरण/कार्यवाही के निर्देश दिये है तथा प्रतिवेदन रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय को भेजना आदेशित है। आबकारी विभाग टीकमगढ के द्वारा देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में वर्ष 2015-16 के लिये ठेकेदार श्री रामकिशोर पटैरिया से दुकान/परिसर के संबंध में कोई अनुबंध नहीं किया गया। बस स्टेण्ड जतारा के पीछे स्थित दुकानों के स्वामित्व के संबंध में अपर जिला सत्र न्यायालय जतारा में श्री रामकिशोर पटैरिया द्वारा की गई अपील में माननीय न्यायालय में दिनाँक 13.08.2015 नियत है। **(ख)** यात्री प्रतिक्षालय जतारा के पास ठेकेदार श्री रामकिशोर पटैरिया द्वारा संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के संबंध में प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जतारा के समक्ष लंबित अपील क्रमांक 43ए/14 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनाँक 20.04.2015 द्वारा पारित आदेश अनुसार आगामी कार्यवाही संपादित की जा सकेगी।

दमोह के कोष्टा जाति के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ

106. (क्र. 2398) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2003-04 में जिला दमोह के कोष्टा जाति के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता था? यदि हाँ, तो किस वर्ग में स्पष्ट बतावें? **(ख)** सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण क्र. सिविल अपील नं. 2294/86 तथा निर्णय दिनाँक 28.11.2000 को पारित निर्देश के बाद जिला दमोह निवासी हलवा उपजाति/जाति के व्यक्तियों को क्या अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त थी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन क्र. 42011/11/ 2006-स्थापना (आरक्षण) दिनाँक 29 मार्च, 2007 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र. 1547/2007 (पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम विलास पुत्र गोविंदराव बोकड़े) में मिलिन्द प्रकरण पर विचार किया गया तथा यह अभिनिर्धारित किया गया कि हलबा कोष्टी/कोष्टी जाति के ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जनजाति की प्रास्थिति साबित नहीं कर पाते है और उनकी नियुक्ति/प्रवेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र. 2294/1986 (महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्द एवं अन्य) में निर्णय पारित करने के दिनाँक 28-11-2000 को या उसके पूर्व, अंतिम रूप से पूर्ण हो चुकी है, तो उन्हें संरक्षण दिया गया हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 7-21/2011/आप्र/एक, दिनाँक 07-03-2011 द्वारा जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोष्टा जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में मान्यता हैं। हलबा जाति को न सिर्फ दमोह जिले में बल्कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में दिनाँक 28-11-2000 के पूर्व से ही अनुसूचित जनजाति की मान्यता हैं।

जावरा व पिपलौदा में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

107. (क्र. 2406) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जावरा एवं पिपलौदा जिला रतलाम में पवन ऊर्जा संयत्र लगाने का कार्य चल रहा है? यदि

हाँ, तो किस-किस कंपनी के कहाँ-कहाँ, किस-किस गांव में, किस-किस सर्वे क्रमांक पर किन-किन शर्तों पर पंखे (टावर) लग रहे हैं व वह भूमि पटवारी रिकार्ड में वर्तमान में किसके नाम पर दर्ज है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** से संबंधित पंखे (टावर) लगाने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. भी ली जाती है व कोई अनुबंध भी किया जाता? यदि हाँ, तो किस-किस कंपनी द्वारा, एन.ओ.सी. ली गई? एन.ओ.सी. ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव द्वारा दी गई या ग्राम पंचायत की साधारण सभा या ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव के आधार पर दी गई है? **(ग)** क्या विद्युत प्रदाय पंखे (टावर) से ग्रीड को विद्युत प्रदाय हेतु जोड़ने पर टावर व ग्रीड के बीच जो पोल निजी भूमियों पर आते हैं उनका मुआवजा देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या और कितना? नियम की प्रति उपलब्ध करावें? प्रारंभ से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस कंपनी द्वारा किन-किन किसानों की निजी भूमियों पर खंबे लगाये गये व अभी तक किन-किन किसानों को, कितना-कितना मुआवजा दिया गया है कितने किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया व क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** जी नहीं। पंखे (टावर) लगाने में भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में, संबंधित ग्राम पंचायत से अनुमति की आवश्यकता नहीं रही है। **(ग)** विकासक एवं निजी भूमिस्वामी के मध्य आपसी सहमति से पोल स्थापना की जाती है।

<u>परिशिष्ट - "सत्तर"</u>

<u>नहरों के निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग</u>

108. (क्र. 2464) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छतरपुर जिले के अंतर्गत विधानसभा चंदला के अंतर्गत बरियारपुर वायीं नहर परियोजना द्वारा वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक कराये गये नहरों के निर्माण कार्यों में घटिया सामाग्री का उपयोग किया गया है? **(ख)** क्या उक्त निर्माण कार्यों में जो सामग्री लगायी गयी है वह अंतयन्त घटिया एवं रेत में मिट्टी मिली हुई उपयोग की गई है, जिस कारण से उक्त नहरें बनते ही क्षतिग्रस्त हो गयी है? **(ग)** यदि कार्य प्राक्कलन अनुसार किया गया है तो रेत किन-किन खदानों से? किन-किन वाहन क्रमांको द्वारा? किन-किन पिट पास एवं दिनाँक का विवरण देवें? **(घ)** यदि नहीं तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, उन अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? क्या ये क्षतिग्रस्त नहरें तोड़कर दुबारा बनवाई जावेगी की नहीं? यदि हाँ, तो पूर्व के ठेकेदारों से राशि वसूली जावेगी की नहीं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं **(ख)** जी नहीं।जी नहीं। **(ग)** कार्य प्राक्कलन अनुसार किया गया है। निर्माण सामग्री परिवहन संबंधी जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। **(घ)** कार्य निर्धारित स्तर का है अतः शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

<u>अवैध रेत खदानों की रेत का नहरों में उपयोग</u>

109. (क्र. 2465) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र में बरियारपुर वायीं नहर के अंतर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक नहरों के निर्माण कार्यों में जो रेत उपयोग की गई है, वह अवैध रेत की खदानों से ली गई है? यदि हाँ, तो संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** यदि नहीं तो कब तक

की जावेगी? **(ग)** यदि नहीं तो किन-किन रेत खदानों से, किन-किन पिट पास एवं दिनांकों से, किन-किन वाहन क्रमांको से, रेत की खरीदी की गई, उसका विवरण दें? **(घ)** यदि **(ग)** के अनुसार रेत नहीं उठाई गई तो संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन जिले के चन्दला विधानसभा क्षेत्र में बरियारपुर बांयी नहर के अंतर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक नहरों के निर्माण कार्यों में जो रेत उपयोग की गई है, उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा क्रय किये गये खनिज के अभिवहन पास कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है। ठेकेदार के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। जाँच उपरांत अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न होगा। **(ख)** जाँच उपरांत अनियमितता पाये जाने पर ही कार्यवाही किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव होगा। **(ग)** ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है**। **(घ)** जाँच उपरांत अनियमितता पाये जाने पर ही कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

जनभागीदारी में स्वीकृत प्रकरण

110. (क्र. 2476) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय भिण्ड के अंतर्गत जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक जनभागीदारी मांग संख्या 60 व 64 के अंतर्गत शासन द्वारा कितना बजट दिया गया व कौन से प्रकरण स्वीकृत किए गए छाया प्रति सहित जानकारी दें? **(ख)** जिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय भिण्ड के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में कौन सा जनभागीदारी प्रकरण स्वीकृत कर निर्माण कार्य करवाया गया है? **(ग)** जिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय भिण्ड के द्वारा जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक प्रति तिमाही कितना बजट शासन से प्राप्त हुआ, तिमाही अनुसार कौन से प्रकरण स्वीकृत किए गए, उनका भुगतान किस निर्माण एजेंसी/जनपद पंचायत को किया गया? **(घ)** जनभागीदारी मांग संख्या 64 व 60 के अंतर्गत निर्माण एजेंसी को भुगतान कैसे किया जाता है? प्रकरण स्वीकृत और भुगतान के लिए क्या मापदण्ड है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' पर है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' एवं 'स' पर है। (घ) जनभागीदारी योजनान्तर्गत मांग संख्या 60 एवं 64 के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य के स्वरूप के आधार राशि प्रदाय की जाती है। सामान्य क्षेत्र में शासकीय अंशदान की सीमा 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र के लिये 75 प्रतिशत राशि दी जाती है।

नहरों के सी सी निर्माण में अनियमितता

111. (क्र. 2483) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला भिण्ड कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग भिण्ड के 3 एल नहर सोनी, चरथर, हीरालाल का पुरा का सी सी निर्माण होना है? यदि हाँ, तो कितना बजट प्राप्त हुआ, कब तक निर्माण प्रारंभ/पूर्ण हो जायेगा? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत सोनी सिकहाटा 0-2565 तक नहर के किनारे डब्लू बी एम रोड बनाने का प्रावधन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? कब तक निर्माण पूर्ण हो जायेगा, किस स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? **(ग)** क्या भिण्ड जिले के अंतर्गत 4 एल सिकहाटा रोड में अकोडा सीगपुरा 5 किमी सी सी नहर का निर्माण का

प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितना बजट प्राप्त हुआ, कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ होगा एवं कब तक पूर्ण होगा? किसको निर्माण का कार्य दिया गया, जानकारी दें? **(घ)** भिण्ड जिले में नहरों का सी सी निर्माण का कार्य कौन सा पूर्ण/प्रारंभ/अप्रारंभ/ अपूर्ण है, कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा? किस स्तर के अधिकारी द्वारा कहाँ पर कब निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खाचरौद क्षेत्र में 132 के.व्ही. के ग्रिड की स्थापना

112. (क्र. 2514) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में लगभग 70 से 80 ग्रामों के लिये खाचरौद, बुरानाबाड, बड़ागांव, चिरोला, नरसिंहगढ भुवासा, रूनखेड़ा, बटलावड़ी, बंजारी, घिनोदा, आक्याजागीर, मोकडी एवं खुरमुण्डी में 33 K.V. की ग्रिड संचालित है एवं मात्र बुरानाबाद में ही 132 K.V. की ग्रिड संचालित है? **(ख)** ऐसे में आये दिन कम वोल्टेज प्रॉबलम, बार-बार लाईट ट्रेपिंग (बंद होना) की समस्या बनी रहती है? **(ग)** क्या इस क्षेत्र में इस समस्या से निपटने के लिये शासन द्वारा 132 K.V. कि कितनी ग्रिड खोलने की योजना बनाई है? यदि नहीं बनाई गई है, तो कब तक बना ली जावेगी? **(घ)** क्या नागदा खाचरौद विधान सभा में 33 K.V. के नवीन सबस्टेशन की योजना है? सूची उपलब्ध करावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 33/11 के.व्ही. के कुल 12 उपकेन्द्रों से विद्युत प्रदाय किया जाता है। उक्त में से 10 उपकेन्द्र, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 73.90 एम.व्ही.ए. है, 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बुरानाबाद से सम्बद्ध हैं, जिसकी स्थापित क्षमता 2X40 एम.व्ही.ए. है। 2 उपकेन्द्र यथा- बड़ागांव एवं मोकड़ी, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 23.15 एम.व्ही.ए. है, को 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र नागदा से विद्युत प्रदाय होता है, जिसकी स्थापित क्षमता 1X100+1X40 एम.व्ही.ए. है। प्रश्नांश में उल्लेखित ग्राम बंजारी में वर्तमान में उपकेन्द्र स्थापित नहीं है अपितु यहाँ नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। **(ख)** जी नहीं, बार-बार लाईन की ट्रिपिंग नहीं होती है तथापि रबी सीजन में लम्बे 33 के.व्ही. फीडरों पर कम वोल्टेज की समस्या उत्पन्न होती है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु इन 33 के.व्ही. फीडरों के विभक्तिकरण के कार्य स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। **(ग)** वर्तमान में नागदा-खचरौद विधानसभा क्षेत्र में नवीन 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना का कोई कार्य प्रस्तावित /विचाराधीन नहीं है। तथापि उत्तरांश **(ख)** में उल्लेखित कार्यपूर्ण होने पर प्रश्नाधीन उल्लेखित समस्या का निराकरण हो जायेगा। **(घ)** जी हाँ, नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 33/11 के.व्ही. के 4 नवीन उपकेन्द्र बनाने की योजना है, जिनकी सूची **संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार है**।

परिशिष्ट - "इकहत्तर"

संपूर्ण ग्रामों की लाईट कनेक्शन विच्छेद

113. (क्र. 2515) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामों में मात्र कुछ लोगों द्वारा विद्युत बिल जमा नहीं करने पर संपूर्ण ग्राम की लाईट का कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाता है? ऐसे में जो नियमित बिल भर रहा है, उस व्यक्ति को अंधेरे में रहना पड़ता है? **(ख)** क्या कुछ बिल बकाया रहने पर संपूर्ण

ग्राम की लाईट काटने का प्रावधान है? यदि है तो निर्देशिका उपलब्ध करावें? **(ग)** यदि नहीं है तो किसके कहने पर यह कार्यवाही की जाती है, दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, नागदा- खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम में कुछ लोगों का विद्युत बिल बकाया होने पर सम्पूर्ण ग्राम का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित नहीं किया गया है। अतः प्रश्न नहीं उठता। **(ख)** ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। **(ग)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

सिंगरौली जिले में रेत खदानों की संख्या व संचालन

114. (क्र. 2520) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिंगरौली जिले में रेत की कितनी खदाने हैं? ये खदाने किन लोगों या कंपनियों द्वारा संचालित है? **(ख)** क्या सीधी सिंगरौली जिलों में कई खदानों के टेंडर की अवधि खत्म होने के बाद भी बढ़ाई गई? यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिंगरौली जिले में रेत की कुल 09 खदानें स्वीकृत हैं, शेष विवरण **संलग्न परिशिष्ट पर है**। **(ख)** सिंगरौली जिले में नीलाम खदानों की अवधि समाप्त होने के पश्चात, नहीं बढाई गयी है। सीधी जिले में तीन नीलाम खदानों की अवधि समाप्त होने के उपरांत मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 41 (6) एवं प्ररूप 16 (बोली लगाने का करार) की शर्त 15 के तहत बढाई गई है।

परिशिष्ट - "बहत्तर"

घोड़ाडोगरी क्षेत्र में निर्माणाधीन बांध

115. (क्र. 2528) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** घोड़ाडोंगरी क्षेत्र (बैतूल) में कितने बांध निर्माणाधीन हैं? नाम सहित बताइये? **(ख)** कितने बांध प्रस्तावित/सर्वेक्षणाधीन हैं? (1) आमागांव छूरी बांध निर्माण हेतु प्रस्तावित है? (2) यदि हाँ, तो कितने कृषि क्षेत्र में लाभ होगा? **(ग)** क्या गोधना (चिचोली) का कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं तो कार्य विलंब के लिये क्या ठेकेदार जिम्मेदार है? **(घ)** वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक निर्मित बांधों की सूची देवें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में 2 बांध क्रमशः सालीवाड़ा एवं मोखा जलाशय निर्माणाधीन हैं। **(ख)** उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से स्वीकृत और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता हैं। **(ग)** जी हाँ। नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु लाइनिंग कार्य किया जा रहा है। लाइनिंग कार्य मई 2016 तक पूर्ण कराना लक्षित है। अतः विलम्ब की स्थिति नहीं है। **(घ)** वर्ष 2004 से वर्ष 2012-13 तक कुल 6 बांध क्रमशः गोधना, दुल्हारगढ़, निसाना, मोतीढाना, हाथीकुंज एवं झारकुण्ड बांध निर्मित होना प्रतिवेदित है।

विधायकों के पत्र पर कार्यवाही

116. (क्र. 2545) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1-4/दि. 17 अगस्त, 2009 में दिये गये प्रावधानुसार, क्या विधायकों से प्राप्त पत्रों पर तुरंत कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रपत्र में कोई पंजी,

प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल में बनाई गई हैं? क्या वे सुरक्षित है? यदि हाँ, तो वर्ष 2012, 13 और 2014 की पंजी की प्रति बतायें? **(ख)** क्या प्रमुख अभियंता कार्यालय में बालाघाट जिले से संबंधित अनेक पत्र भेजे गये थे? उन पर यथावत समय पर कार्यवाही की गई और विधायक को सूचित किया गया है? **(ग)** क्या शासन के उक्त पत्र में उल्लेखित संसदीय कार्य विभाग के निर्देश दिनाँक 26.02.2004 का पालन सुनिश्चित किया गया है? **(घ)** विभाग में प्रश्नकर्ता के कौन-कौन से पत्र अभी भी विचाराधीन है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। संधारित पंजी की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनाँक 20.07.2014 प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राप्त है, जिसका उत्तर प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र दिनाँक 24.07.2014 द्वारा माननीय विधायक महोदय की ओर प्रेषित किया जा चुका है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** प्रश्नकर्ता का कोई पत्र विचाराधीन नहीं है।

केंद्र सरकार की खदानों से प्राप्त लाभांश

117. (क्र. 2546) श्री मधु भगत : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कलेक्टर बालाघाट को यह जानकारी है कि जिले में मेगनीज़ ओर इंडिया लिमिटेड (एम.ओ.आई.एल.) की खदानें कहाँ-कहाँ, कब से हैं? इन खदानों आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विकास/निर्माण कार्य की जवाबदेही, म.प्र. शासन के साथ-साथ क्या भारत शासन की भी है? **(ख)** क्या ऐसा कोई प्रावधान/समझौता/परंपरा है कि एम.ओ.आई.एल. प्रतिवर्ष अपने लाभांश कि कुछ प्रतिशत राशि राज्य सरकार/जिला प्रशासन को देगी? क्या इस संबंध में कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिये हैं? **(ग)** जहाँ पर एम.ओ.आई.एल. भी खदाने है, उसके आसपास के क्षेत्र में लाभांश की राशि से राज्य सरकार के माध्यम/जानकारी में कौन-कौन से ग्रामों में क्या-क्या विकास कार्य, कब-कब, कितनी राशि के किसके माध्यम से कराये गये? पिछले 3 वित्तीय वर्षों का ब्यौरा दें तथा इसका रिकॉर्ड और नियंत्रण कौन रखता है? **(घ)** भखेली खदान में रेत उत्खनन की अनुमति किन नियमों/प्रावधानों/मापदण्ड के आधार पर म.प्र. शासन द्वारा दी जा रही है? **(ड.)** क्या प्राप्त लाभांश की राशि हितग्राहियों को दी गई? यदि हाँ, तो किसे-किसे दी? प्रदेश शासन के माध्यम से दी?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। जी नहीं, भारत शासन की नहीं है। **(ख)** मॉयल लिमिटेड में मध्यप्रदेश शासन की 3.81 प्रतिशत की भागीदारी है। मॉयल लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन को लाभांश दिया जाता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कोई दिशा निर्देश नहीं है। **(ग)** लाभांश की राशि से पृथक से विकास कार्य किये जाने के प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** भरवेली खदान में रेत उत्खनन की अनुमति नहीं दी गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** मॉयल लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। कंपनी एक्ट के प्रावधान के तहत लाभांश की राशि शेयर धारकों को दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जलाशय निर्माण कार्यों हेतु भू-अर्जन

118. (क्र. 2570) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जल संसाधन विभाग में विगत दो वर्षों में कितने निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई है? अप्रारंभ, प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण दिये जावे? **(ख)** प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों में कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है, सिंचित एवं

असिंचित भूमि का जलाशयवार विवरण दिये जाने का कष्ट करें? **(ग)** सिंचाई अधिनियम के तहत सिंचित भूमि का भू-अर्जन किया जाना शासन के नियमानुसार है? यदि हाँ, तो कंडिका एवं नियम का पूर्ण विवरण दिये जाने का कष्ट करें? यदि नहीं, तो किन नियमों के तहत तकनीकी अमला द्वारा सिंचित भूमि का भू-अर्जन किया गया है? कार्यपालन यंत्री अनुविभागीय अधिकारी एवं संबंधित उपयंत्री पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी? **(घ)** अपूर्ण कार्यों की पूर्णता हेतु विभाग द्वारा क्या समयावधि निर्धारित की गई थी एवं उक्त समयावधि में निर्माण एजेंसी तथा विभागीय तकनीकी अमला द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने पर शासन द्वारा अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि नहीं की गई तो कब तक उक्त कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण

119. (क्र. 2576) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जल संसाधन विभाग में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है? संख्या से अवगत कराने का कष्ट करें? **(ख)** क्या शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष की समयावधि व्यतीत कर चुके कर्मचारियों को अन्यत्र जगह में स्थानांतरित किया जाना था? उक्त नीति के तहत् कितने कर्मचारियों का अन्यत्र जगह में स्थानांतरण किया गया है एवं कितने कर्मचारी शेष हैं? **(ग)** शेष कर्मचारियों को अन्यत्र जगह में किन कारणों से स्थानांतरित नहीं किया गया एवं कब तक स्थानांतरित किया जावेगा? **(घ)** किस अधिकारी द्वारा स्थानांतरण न करते हुये स्थानांतरण नीति का उल्लंघन किया गया है एवं शासन की ओर से ऐसे अधिकारी पर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग में 4 अधिकारी तथा 29 कर्मचारी कार्यरत हैं। **(ख)** से **(घ)** जी नहीं। आवश्यक होने से। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

ग्रामों का विद्युतीकरण

120. (क्र. 2579) श्री जतन उईके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड पांढुर्णा के ग्राम पंचायत नरजला एवं दिधोरी के ग्रामों में करीबन 15-16 वर्ष से विभाग द्वारा पोल खंड दिये गये हैं? **(ख)** परंतु आज दिनाँक तक उस पोल पर तार नहीं डाले गये हैं, जिससे किसानों को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा एवं मजरे टोले में अंधेरा छाया रहता है? **(ग)** क्या कारण है कि आज दिनाँक तक उक्त पोलों पर तार नहीं डाले गये, इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है अथवा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** उक्त ग्रामों में कब तक बिजली पूर्ति कर दी जायेगी? समय अवधि बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड पांढुर्णा की ग्राम पंचायत नरसला (नरजला नहीं) एवं दिघोरी के ग्रामों के मजरो/टोलों/ढानों में पोल खड़े हैं। पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.ई.एस.) के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण हेतु पोल खड़े किए गए थे, परन्तु आर.ई.सी. द्वारा योजना बंद कर सहायता राशि देना बंद कर दिए जाने से शेष कार्य नहीं किया

जा सका था। **(ख)** उत्तरांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि उक्त पोलों पर तार नहीं डाले गये हैं व विद्युतीकृत ग्राम नरसला (नरजला नहीं) का नरसला ढाना एवं विद्युतीकृत ग्राम दिघोरी का दिघोरी ढाना अविद्युतीकृत हैं। **(ग)** विद्युतीकृत ग्राम नरसला (नरजला नहीं) के नरसला ढाना एवं विद्युतीकृत ग्राम दिघोरी के दिघोरी ढाना में 18 पोल खड़े है जो कि उक्त क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु आर.ई.सी. की सहायता से चल रही योजना अंतर्गत लगाए गए थे। आर.ई.सी द्वारा योजना बन्द कर देने से शेष कार्य नहीं किेया जा सका। उक्त दोनों ढानों को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युीकरण योजना में विद्युतीकरण हेतु शामिल कर लिया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने या कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। **(घ)** उक्त दोनों ढानों सहित छिदवाड़ा जिले हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत क्षेत्रों/मजरों/टोलों/बसाहटों/ढानों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण करने हेतु मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक लिमिटेड नई दिल्ली को दि. 20.11.2014 को कार्यादेश दिया गया है। उक्त ठेकेदार कंपनी द्वारा योजना का कार्यपूर्ण करने की निर्धारित तिथि 1.2.2017 है।

उज्जैन व इंदौर संभाग में कर चोरी के प्रकरण

121. (क्र. 2602) श्री हर्ष यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन व इंदौर संभाग में विगत तीन वर्षों में कर चोरी के कितने प्रकरण किन-किन के विरूद्ध दर्ज किये गये? प्रकरण क्र., फर्म का नाम, प्रोपाइटर, कर चोरी की राशि, रोपित पेनाल्टी आदि की माहवार विवरण उपलब्ध करावें? **(ख)** उपरोक्त समयावधि के कितने प्रकरणों में कितनी वसूली शासन को हुई? प्रकरणवार, जिलावार बतावें? **(ग)** कितने प्रकरण में अधिरोपित शास्ति और वसूली लंबित है? क्यों? प्रकरणवार जानकारी दें? **(घ)** लंबित वसूली के प्रकरण में कब तक वसूली कर ली जावेगी? स्पष्ट समय-सीमा बतावें? विलम्ब हेतु कौन-कौन दोषी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) उज्जैन एवं इन्दौर संभाग में विगत तीन वर्षों में कर चोरी के कुल 316 प्रकरण दर्ज किए गए। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** एवं **(ग)** प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(घ)** कुछ बकाया वसूली प्रकरणों में अपील एवं न्यायालय में लंबित रहने के कारण स्थगन जारी है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

छिन्दवाड़ा के ग्राम टेकापार का विद्युतीकरण

122. (क्र. 2618) पं. रमेश दुबे : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छिन्दवाड़ा जिले के कितने ग्राम आज भी विद्युत विहीन है? विकासखण्डवार जानकारी दें? **(ख)** विद्युती विहीन ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु विभाग अथवा शासन के द्वारा किस स्तर से क्या प्रयास किये जा रहे है? अब तक किये गये पहल की जानकारी विस्तार से दें? **(ग)** छिन्दवाड़ा जिले के विकास खण्ड विछुवा के ग्राम टेकापार के विद्युतीकरण हेतु क्या प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रमांक 413 दिनाँक 13.04.2015 के माध्यम से पूर्व में प्रेषित पत्रों का हवाला देते हुए अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्षे.वि.कं.लि. छिन्दवाड़ा को कोई पत्र प्रस्तुत किया गया है? **(घ)** यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के पत्रों पर अभी तक किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है? ग्राम टेकापार के विद्युतीकरण कब तक करा दिया जावेगा? समय-सीमा निर्धारित करें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) छिन्दवाडा जिले में विकास खंड जामई में ग्राम बातरी एवं विकास खंड बिछुआ में वन ग्राम टेकापार अविद्युीकृत है। **(ख)** अविद्युतीकृत ग्राम बातरी के विद्युतीकरण का कार्य 12 वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किया गया है तथा विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। अविद्युीकृत वन ग्राम टेकापार को अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युतीकृत करने हेतु प्रस्ताव पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालक निदेशक (कार्य) के पत्र क्र. 1027, दिनाँक 12.2.13 एवं महाप्रबंधक (आरजीजीव्हीवाय) के पत्र क्र. 3444, दिनाँक 28.2.15 से अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को प्रेषित किया है जिसके फलस्वरूप जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी छिंदवाडा ने पत्र क्र. 518, दिनाँक 11.3.15 के माध्यम से अविद्युतीकृत ग्राम टेकापार को डी.डी.जी. कार्यक्रम में ऊर्जीकृत करने हेतु प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को प्रेषित किया गया है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, ऊर्जा विकास निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त ग्राम को डी.डी.जी. कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकाश संयंत्र के माध्यम से विद्युतीकृत करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को प्रेषित किया गया है तथा स्वीकृति उपरांत उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** उत्तरांश **(ख)** में दर्शाए अनुसार अविद्युतीकृत ग्राम टेकापार को डी.डी.जी. कार्यक्रम में सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने हेतु प्रस्ताव ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है, अतः वर्तमान में ग्राम टेकापार के विद्युतीकरण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

फीडर सेपरेशन के कार्य

123. (क्र. 2662) डॉ. मोहन यादव : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ऊर्जा विभाग द्वारा उज्जैन जिले में फीडर सेपरेशन को लेकर वर्ष जनवरी 2010 से लेकर अब तक क्या-क्या कार्य किन-किन नियमों के तहत किये गये, अनुबंध की प्रति एवं ठेकेदारों को किये गये भुगतान के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें? **(ख)** क्या फीडर सेपरेशन के तहत् कार्य कर रहे ठेकेदारों द्वारा घटिया कार्य किया जा रहा है, यदि हाँ,? तो इस संबंध में कितनी शिकायतें उपरोक्त समयावधि में प्राप्त हुई? उन शिकायतों पर विभाग के किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा जाँच की गई एवं संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? मय दस्तावेज के जानकारी प्रदान करें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर के द्वारा उज्जैन जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत जनवरी-2010 से जून-2015 तक विभिन्न कार्य यथा 11 के.व्ही.लाईन का निर्माण, विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना, निम्नदाब लाईन का निर्माण एवं उपभोक्ता परिसरों में मीटर लगाने के कार्य संपादित कराये गये हैं। उक्तानुसार कराए गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र-अ अनुसार है**। उक्त कार्य स्वीकृत डी.पी.आर. एवं निविदा अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत सम्पादित कराये गये। निविदा अनुबंध की प्रतिलिपि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है**। ठेकेदार कंपनियों को किये गये भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है**। **(ख)** जी नहीं। इस संबंध में उपरोक्त समयावधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2009 से 2013 तक पी.एम.टी. परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची

124. (क्र. 2675) श्री बाला बच्चन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2009 से 2013 की PMT परीक्षा में मेरिट सूची, जो व्यापमं द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को काउन्सलिंग हेतु भेजी गयी, उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** में उल्लेखित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थियों की नाम सहित सूची दे जिन्होंने कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं (दोनों) म.प्र. से बाहर के राज्यों (उ.प्र., बिहार, राज. इत्यादि) से उत्तीर्ण की है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं **(ख)** की जानकारी एकत्र की जा रही हैं।

जिला नरसिंहपुर अंतर्गत विधायक निधि से व्यय राशि

125. (क्र. 2686) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला नरसिंहपुर अंतर्गत जिला पंचायत नरसिंहपुर एवं जनपद पंचायत करेली अंतर्गत ग्राम पंचायत जोबा में विभिन्न योजनाओं हेतु वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक विधायक निधि अंतर्गत कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आवंटित की गई? **(ख)** उस राशि से कौन-कौन से कार्य किए गए? कार्यवार जानकारी दें?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जिला नरसिंहपुर अन्तर्गत जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत जोबा में वर्ष 2010-11 में दो कार्यों हेतु राशि रू.1, 43, 500/- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से मद में आवंटित की गई। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है**।

परिशिष्ट – "तिहत्तर"

नर्मदा नदी की सफाई

126. (क्र. 2701) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केंद्र की गंगा सफाई योजना की तर्ज पर नर्मदा सफाई योजना की कोई योजना प्रदेश सरकार ने बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? कितनी राशि इस योजना पर व्यय होगी? **(ख)** क्या नर्मदा में मिलने वाले नालों का गंदा पानी रोकने के लिये कोई जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाए गए है? यदि हाँ, तो कितने कार्यरत है तथा कितने बंद पड़े है? **(ग)** कितने शहरों में गंदे नाले के पानी की रोकथाम हेतु कोई योजना बनाई है एवं इस कार्य हेतु नगरीय प्रशासन एवं पंचायत विभाग द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? **(घ)** क्या नर्मदा, सफाई हेतु जनसाधारण को भी जागृत कर उनकी सहभागिता की जाएगी? यदि हाँ, तो क्या योजना विभाग ने बनाई है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु "नमामि देवी नर्मदे" योजना तैयार की जा रही है। व्यय की जाने वाली राशि योजना तैयार होने पर बताई जा सकेगी। **(ख)** जी हाँ **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 24 नगरों की कार्य योजना बनाई जा रही है इस हेतु वर्तमान में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। **(घ)** जी हाँ। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा योजना बनाई जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा तटीय शहरों में जन जागृति का कार्य किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "चौहत्तर"

भगवानपुरा एवं जमोनिया, तालाब से सिंचाई हेतु पानी दिया जाना

127. (क्र. 2703) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीहोर जिला स्थित भगवानपुरा एवं जमोनिया तालाब का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? इससे कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की योजना थी? **(ख)** क्या उक्त पानी के उपयोग का अधिकार सीहोर नगरपालिका को दिया गया है? यदि हाँ, तो किस आदेश से एवं किस नियम के तहत कब से दिया गया है? जल बंटवारे के क्या नियम कानून बनाए गए? सीहोर नगरपालिका द्वारा पिछले 5 वर्षों में तालाब गहरीकरण के लिये कितनी राशि का व्यय किस कार्य में किया गया? **(ग)** क्या उक्त तालाबों से किसानों को पिछले 3 वर्षों से सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है? यदि नहीं मिल रहा है, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) सिंचाई के लिए। भगवानपुरा तालाब से 205 हे. एवं जमुनिया तालाब से 587 हे.रूपांकित क्षमता के लिए। **(ख)** जी हाँ। जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मण्डल भोपाल के आदेश दिनाँक 24 सितम्बर 2007 द्वारा नगर पालिका सीहोर की मांग एवं जल आवंटन म.प्र.सिंचाई नियम-1974 के नियम-71 के अनुसार आवंटित किया गया है। जी नहीं। सीहोर नगर पालिका द्वारा पिछले 5 वर्षों में तालाब के गहरीकरण के लिए कोई भी राशि व्यय नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। **(ग)** जी नहीं। कृषकों को पानी मिल रहा है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

बी.एड. एवं डी.एड. कोर्स हेतु कॉलेजों में मान्यता

128. (क्र. 2717) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** होशंगाबाद संभाग में बी.एड. व डी.एड. कोर्स हेतु कौन-कौन से प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता है तथा बी.एड. व डी.एड. के लिये प्राइवेट कॉलेजों में फीस का शासन द्वारा क्या मापदण्ड है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार यदि फीस में अंतर है, तो शासन द्वारा इसके लिये क्या कोई सख्त कदम उठाया गया है तथा कॉलेज के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है, विवरण देवें? **(ग)** क्या प्राइवेट कॉलेजों का निरीक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है? दिनाँकवार जानकारी उपलब्ध करायें? उक्त कॉलेज शासन के नियमानुसार संचालित है? यदि नहीं, तो उन कॉलेजों के विरूद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) होशंगाबाद संभाग के बी.एड. अशासकीय महाविद्यालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है**। डी.एड. कॉलेज स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है एवं जानकारी एकत्रित की जा रही है। शुल्क का मापदण्ड प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है**। **(ख)** बी.एड. शुल्क का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा किया जाता है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार कार्यवाही की जाती है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

प्रोटोकॉल का पालन

129. (क्र. 2718) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के प्रोटोकाल में वर्णित श्रेणी में विधायकों को किस श्रेणी में रखा गया है? उनके आदेश

जिलों में उपलब्ध है अथवा नहीं? **(ख)** क्या हरदा जिले में प्रोटोकॉल अनुसार सांसद/विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष की वरीयता अनुसार पालन किया जा रहा है कि नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) दिनाँक 23.12.2011 को जारी आर्डर ऑफ प्रेसीडेन्स (अग्रता अधिपत्र) में विधायकों को क्रमांक 24 पर सांसदों के पश्चात् रखा गया है। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ।

अस्थाई बिजली कनेक्शन की संख्या

130. (क्र. 2740) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सबलगढ़ विधानसभा अंतर्गत नवीन घरेलू बिजली कनेक्शन एवं पंप कनेक्शन कितने व्यक्तियों को दिए गए? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की विगत दो वर्ष की सूची उपलब्ध कराऐं? **(ख)** क्या बिजली कनेक्शन की अनुमति देने के बाद भी कुछ व्यक्तियों से चोरी का बिल बनाकर वसूली की गई? अनुमति देने वाले संबंधित दोषी अधिकारी एवं चोरी का बिल बनाने वाले दोषी अधिकारी के खिलाफ जाचं कर कब तक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी? **(ग)** क्या सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में मरम्मत के नाम पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घंटों बिजली की कटौती की जा रही है? यदि हाँ, तो संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कब तक प्रस्तावित की जावेगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विगत 2 वर्षों में सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल द्वारा 2149 नवीन घरेलू कनेक्शन एवं 407 नवीन पम्प कनेक्शन प्रदान किये गये। प्रदान किये गये नवीन घरेलू कनेक्शनों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** एवं नवीन पम्प कनेक्शनों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है**। **(ख)** जी नहीं, नियमानुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरांत जारी किए गए कनेक्शनों के विरूद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण नहीं बनाये गए हैं एवं न ही प्रश्नांश अनुसार ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आया है। अतः प्रश्न नहीं उठता। **(ग)** जी नहीं, अपरिहार्य कारणों को छोड़कर जिनमें तकनीकी व्यवधान, ऑधी तूफान के कारण लाईनों के क्षतिग्रस्त होने, अन्य प्राकृतिक आपदाओं एवं रखरखाव हेतु आवश्यक होने जैसी स्थिति को छोड़कर प्रश्नाधीन क्षेत्र में नियमानुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

131. (क्र. 2746) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में क्या-क्या निर्देश प्रसारित किये है? **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों की कंडिका 5.3 में क्या-क्या प्रावधान है उक्त प्रावधानों का राजस्व एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ग)** 1 जुलाई 15 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले में किन-किन के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित है? प्रकरणवार कारण बतायें? **(घ)** उक्त लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनाँक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा एकजाई निर्देश प्रसारित किये गये हैं जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है**। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ग) एवं **(घ)** रायसेन जिले में अनुकंपा नियुक्ति के 13 तथा देवास जिले के 45 लंबित प्रकरणों की प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है**।

किसान अनुदान योजना अंतर्गत स्थापित ट्रांसफार्मर

132. (क्र. 2747) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन एवं देवास जिले में किसान अनुदान योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कितने किसानों ने आवेदन पत्र जमा किये? कितने किसानों ने ट्रांसफार्मर रखवायें? कितनों के नहीं रखवाये तथा क्यों? **(ख)** किसान अनुदान योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर स्थापित करवाने के लिए किसान को क्या-क्या कार्यवाही करना पड़ती है तथा इसके लिए शासन के क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के जिलों में उक्त अवधि में उक्त योजनान्तर्गत ट्रांसफार्मर रखवाने हेतु मान. मंत्रीजी तथा विभाग को किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उक्त पत्रों पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** संबंधित सांसद/विधायकों को उनके पत्रों की अभिस्वीकृति तथा पत्रों के जबाव कब-कब दिये तथा यदि नहीं तो क्यों? कारण बतायें? कब तक जबाब देंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) रायसेन जिले में कृषक अनुदान योजना के अन्तर्गत 01.04.2013 से प्रश्न दिनाँक तक कुल 3607 सिंचाई पम्पों हेतु आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 14 आवेदनों में औपचारिकताएं पूर्ण नहीं किये जाने के कारण उन्हें निरस्त किया गया, इस प्रकार शेष बचे कुल 3593 आवेदनों में स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार 2935 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर लगाये जाने थे। अब तक 2765 सिंचाई पम्प कनेक्शनों के लिए 2401 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। शेष 828 प्रकरणों में कुल 534 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाना शेष है। कृषक अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने के उपरांत कार्यादेश जारी होने की दिनाँक से, पहुँच मार्ग (आर.ओ.डब्ल्यू.) उपलब्ध होने पर, 150 दिवस में कार्य पूर्ण किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में लंबित 828 प्रकरणों में से 758 प्रकरण निर्धारित समयावधि में ही हैं, मात्र 70 प्रकरण 150 दिवस से अधिक अवधि के है जो कि पहुँच मार्ग (आर.ओ.डब्ल्यू.) उपलब्ध नहीं होने, कृषकों द्वारा फसल आदि के कारण स्वयं मना करने, कोई स्थानीय विवाद/परिस्थिति निर्मित होने के कारण कार्य बाधित होने आदि कारणों से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये जा सके है। इनका कार्य भी प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। देवास जिले में कृषक अनुदान योजना के अन्तर्गत दिनाँक 01.04.2013 से प्रश्न दिनाँक तक कुल 926 सिंचाई पम्पों हेतु आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 17 आवेदनों में औपचारिकताएं पूर्ण नहीं किये जाने के कारण उन्हें निरस्त किया गया, इस प्रकार शेष बचे कुल 909 आवेदनों में स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार 705 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर लगाये जाने थे। अब तक 600 सिंचाई पम्प कनेक्शनों के लिए 462 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। शेष 309 प्रकरणों में कुल 243 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाना शेष है। कृषक अनुदान योजना के अन्तर्गत देवास जिले में वर्तमान में लंबित 309 प्रकरणों में से 24 प्रकरण ऐसे है जिनके कार्य उक्तानुसार उल्लेखित निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये जा सके हैं। इन 24 में से 12 प्रकरणों में सामग्री की अनुपलब्धता के कारण तथा शेष 12 प्रकरणों में पहुँच मार्ग (आर.ओ.डब्ल्यू.) उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके हैं। शेष 285 आवेदनों में

निर्धारित समयावधि अभी पूर्ण नहीं हुई है। **(ख)** कृषक अनुदान योजना के अन्तर्गत सिंचाई पम्प कनेक्शन लेने हेतु संबंधित कृषक को अपने क्षेत्रान्तर्गत संबंधित सम्भागीय कार्यालय में कार्यपालन यंत्री (संचालन/संधारण) को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों यथा-भूमि स्वामित्व का प्रमाण व जल उपलब्धता प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होता है एवं शासन द्वारा निर्धारित अंशदान की राशि जमा करनी होती है। उक्त योजना अन्तर्गत वर्तमान में लघु व सीमांत कृषकों (2 हेक्टेयर तक भूमि वाले) को रू. 6500 प्रति हार्सपावर तथा अन्य कृषकों को रू. 10400 प्रति हार्सपावर की दर से आंशिक राशि जमा करने पर रू. 1.5 लाख तक के प्राक्कलन की शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। स्वीकृत प्राक्कलन की राशि रू. 1.5 लाख से अधिक होने पर रू. 1.5 लाख से अधिक की राशि आवेदक को जमा करनी होती है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर कृषक अनुदान योजना से संबंधित जारी किये गये परिपत्रों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। **(ग)** रायसेन जिले में प्रशनाधीन अवधि में कृषक अनुदान योजनान्तर्गत कार्य कराए जाने हेतु माननीय मंत्री, सांसद/विधायकों के 82 पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 185 पंपों के कार्य किये जाने थे, जिनके अनुसार 82 पत्रों के परिपालन में सभी 185 पंपों के कार्य पूर्ण करवा दिये गये हैं। माननीय मंत्री, सांसद/विधायकों के प्राप्त हुए पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। इसके अतिरिक्त अवर सचिव कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री निवास से 16 पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी 16 पत्रों के परिपालन में 117 पंपों के कार्य भी पूर्ण करवा दिये गये हैं, जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र** 'स' अनुसार है। देवास जिले के संबंध में म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर को माननीय मंत्रीजी एवं माननीय विधायक/सांसद महोदय से कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। **(घ)** रायसेन जिले हेतु माननीय मंत्री/सांसदों/विधायकों के प्रश्नाधीन प्राप्त पत्रों को उनके पत्रों के दिये गये जवाबों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। उत्तरांश **(ग)** में उल्लेखानुसार देवास जिले में प्रश्नाधीन अवधि में माननीय मंत्री/सासंदों/विधायकों का कृषक अनुदान योजना के अन्तर्गत कार्य हेतु कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जे.ई. के खिलाफ जाँच

133. (क्र. 2782) श्रीमती शीला त्यागी : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला रीवा के अनुभाग/वितरण केन्द्र बैकुण्ठपुर में कौन जे.ई. कितने समय से पदस्थ हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या जे.ई. के खिलाफ कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) पश्चिम संभाग रीवा के द्वारा पत्र क्र. 053/45/04/1451 दिनाँक 06.06.15, पत्र क्रमांक 053-45/02/सू.अ./921 दिनाँक 14.06.13 व सी.एम.हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 1032941 दिनाँक 05.06.15 द्वारा शिकायत दर्ज व जाँच के लिए लिखा गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त जे.ई. के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही हुई है, की गई कार्यवाही की जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में स्वेच्छाचारी जे.ई. के खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही होगी एवं जे.ई. को संरक्षण देने वाला वरिष्ठ अधिकारी कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला रीवा के वितरण केन्द्र बैकुंठपुर में श्री अच्छे लाल तिवारी, कनिष्ठ अभियंता दिनाँक 30.12.2010 से पदस्थ हैं। **(ख)** कार्यपालन अभियंता, पश्चिम संभाग, रीवा के पत्र क्रमांक 053/45/04/1450-51 दिनाँक 06.06.2015 द्वारा श्री जवाहर लाल शुक्ला,

संभागाध्यक्ष, भारतीय कर नियोजन उपभोक्ता संघ, रीवा के पत्र क्रमांक क्यू-1 दिनाँक 05.06.2015 से की गई शिकायत की बिन्दुवार जाँच हेतु सहायक अभियंता, टीएचपी, सिरमौर को लिखा गया। कार्यपालन अभियंता, पश्चिम संभाग, रीवा ने पत्र क्रमांक 053-45/02/ सू.अ./921 दिनाँक 14.06.2013 नहीं अपितु पत्र क्रमांक 053-45/02/सू.अ./1920-21 दिनाँक 14.06.2013 से कनिष्ठ अभियंता, बैकुंठपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा है। सी.एम.हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 1032941 दिनाँक 05.06.2015 कनिष्ठ अभियंता, बैकुंठपुर के विरूद्ध नहीं अपितु श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, ब्लाक ईसागढ, तहसील अशोकनगर, जिला अशोकनगर द्वारा पेंशन, अर्जित अवकाश, ग्रेच्युटी तथा 6वें वेतनमान की दो किश्तों का भुगतान नहीं होने के संबंध में राजस्व विभाग को की गई शिकायत है। **(ग)** एवं **(घ)** कनिष्ठ अभियंता, बैकुंठपुर के विरूद्ध की गई शिकायत जाँच में निराधार पाई गई है, अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। कनिष्ठ अभियंता, बैकुंठपुर को किसी भी अधिकारी द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अवैध रूप से वक्फ सम्पत्तियों के हस्तांतरण लीज पर दिया जाना

134. (क्र. 2789) श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में राज्य प्रशासनिक सेवा के (वर्ष 2010 से 2012) के दौरान प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिन्होने उज्जैन, इन्दौर, नीमच आदि जिलों में क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बहुमूल्य वक्फ संपत्तियों की अवैध लीज सम्पत्तियों का अवैध हस्तांतरण एवं किरायेदारी ली है। इन मामलों में उन्हें शासन द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा कब-कब और किस-किस दिनाँक को उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किये गये उक्त प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग में किस-किस दिनाँक को प्राप्त हुए? **(ग)** यदि हाँ, तो अल्प संख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त प्रस्तावों में आरोप पत्र विलम्ब से जारी किये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है। ऐसे प्रकरणों में कितनी अवधि में कार्यवाही किए जाने का प्रावधान हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अब तक प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शहडोल जिलान्तर्गत विद्युतीकरण

135. (क्र. 2810) श्री रामपाल सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर एवं ब्यौहारी में ग्रामों में विद्युतीकरण के लिये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से कार्य कराये जा रहे है? यदि हाँ, तो अब तक उपरोक्त जनपद पंचायतों के कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया ओर कितने शेष हैं? यदि शेष हैं तो क्यों और कब तक पूरा किया जावेगा? **(ख)** राजीव गांधी विद्युतीकरण का आधार क्या है? इसके तहत किस हितग्राही को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है और उसे किस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर एवं ब्यौहारी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य कराये

जा रहे हैं। माह जून 2015 तक जनपद पंचायत जयसिंह नगर के अन्तर्गत आने वाले कुल 136 ग्रामों में से 116 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 20 ग्राम डूब/वीरान/ पुनर्स्थापित क्षेत्र में आते हैं। माह जून 2015 तक जनपद पंचायत ब्यौहारी के अन्तर्गत आने वाले 204 ग्रामों में से 171 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, 31 ग्राम डूब/ वीरान/पुनर्स्थापित क्षेत्र में आते हैं एवं 2 कार्य योग्य ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य शेष है जिसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत सम्मिलित किया गया है तथा उक्त योजना की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्रतीक्षित है। अतः वर्तमान में उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार योजनान्तर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण एवं 100 तथा 100 से अधिक आबादी वाले मजरों/टोलों/बसाहटों के विद्युतीकृत ग्रामों में सघन विद्युतीकरण सहित विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के हितग्राहियों को निःशुल्क बी.पी.एल.कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

गौंड खनिज का उत्खनन

136. (क्र. 2814) श्री रामपाल सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शहडोल जिले के ब्योहारी तहसील अंतर्गत ग्राम भन्नी, पटवारी, हल्का भन्नी, राजस्व निरीक्षक मंडल ब्योहारी स्थित आराजी खसरा नंबर 337/3 क, रकवा 5.50 एकड़ चरनोई भूमि आरक्षित है तथा कभी भी उसकी नोईयत में परिवर्तन नहीं किया गया है? **(ख)** क्या उक्त चरनोई के लिये आरक्षित भूमि में गौड खनिज पत्थर की तुड़ाई, ढुलाई एवं बिक्री के लिये खादान घोषित किया गया है तथा खुदाई हेतु किसे, कब अनुज्ञप्ति दी गई है? **(ग)** क्या उक्त चरनोई के लिये आरक्षित भूमि से गौड खनिज पत्थर की खुदाई किये जाने की शिकायत ग्राम पंचायत भन्नी जनपद पंचायत ब्योहारी जिला शहडोल के सरपंच एवं पंचों द्वारा कलेक्टर शहडोल व कमिश्नर शहडोल को शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो इस बात की जाँच करायी गई की उक्त भूमि से कितने क्यूबिक मीटर पत्थर निकाला गया है और किसने यह किया है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन खसरा नं. 337/3 क रकबा 5.50 एकड भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। अतः प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश क में दिये गये उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नरसिंहपुर जिलान्तर्गत बिलों की वसूली

137. (क्र. 2821) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नरसिंहपुर जिलान्तर्गत कृषकों से ज्यादा हार्स पावर के बिल वसूले जाने संबंधी शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा लिखा गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर बिंदुवार क्या कार्यवाही की गई?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा प्रश्नाधीन उल्लेखित पत्र क्रमांक जे.एस.पी.-1070 दिनाँक 24.05.2015 प्रेषित किया गया था। **(ख)** माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्र दिनाँक 24.05.2015 के संबंध में बिन्दुवार वस्तुस्थिति की जानकारी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है - (I) किसानों के पम्पों के भार का सत्यापन करने के पश्चात् ही

भार वृद्धि की गई है। वितरण कंपनी द्वारा समय-समय पर विद्युत का अनाधिकृत उपयोग रोकने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है जिसके अन्तर्गत पम्प के भार/स्थल चेकिंग करने बावत् पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होता है। (II) कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रयास रहता है कि जाँच करते समय उपभोक्ता या उपभोक्ता का कोई प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रहे ताकि उपभोक्ता जाँच से संतुष्ट हो सके। (III) किसानों पंपों के भार सत्यापन के पश्चात् वास्तविक पाये गये भार के अनुसार ही बिलिंग की जा रही है। (IV) किसान उपभोक्ताओं की संतुष्टि हेतु माह जून-2015 में दिनाँक 16.06.2015 से 22.06.2015 तक वितरण केन्द्र स्तर पर शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए गए थे जिसके तहत् वितरण केन्द्रों में पम्प कनेक्शन के भार से संबंधित प्राप्त 1430 आवेदनों/शिकायतों का निराकरण किया गया। उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविरों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का स्थल पर निराकरण कर उन्हें संतुष्ट किया जा सके। (V) नियमानुसार की जा रही बिलिंग एवं शिकायत निवारण की कार्यवाही में विद्युत उपभोक्ताओं से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है।

<u>नरसिंहपुर क्षेत्र हेतु की गई घोषणाएं</u>

138. (क्र. 2822) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र हेतु विगत तीन वर्ष में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा कौन-कौन सी घोषणाएं की गई हैं? **(ख)** उक्त में से कौन-कौन सी घोषणा पूर्ण हो गई है एवं कौन-कौन सी किन-किन कारणों से अपूर्ण हैं? **(ग)** अपूर्ण घोषणाओं को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ग)** अपूर्ण घोषणाओं पर कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जा रही है। घोषणाओं के क्रियान्वयन की एक सतत प्रक्रिया है। अत: इनकी कार्यवाही पूर्ण होने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

<u>पंजीयक की पदस्थापना</u>

139. (क्र. 2827) श्री सुदेश राय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सीहोर में जिला पंजीयक के पद पर कौन अधिकारी पदस्थ है तथा कितने वर्षों में पदस्थ है? **(ख)** शासन नियम अंतर्गत जिले में पदस्थ रहने की कितनी अवधि है नियम सहित बतावें? यदि नियम 03 वर्ष का है तो जिला पंजीयक का इतने वर्षों से जिला सीहोर में एक ही स्थान पर पदस्थ रहने का क्या कारण है? **(ग)** शासन के नियमों का कब तक पालन करा लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) सीहोर जिले में जिला पंजीयक के पद पर डॉ. पवन अहिरवार विगत तीन वर्षों से पदस्थ है। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति जारी कर दिशा-निर्देश जारी किये जाते है। स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 की कंडिका 8.7 में यह प्रावधान है कि जिले में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 76/स्थापना सेवा/2015 दिनाँक 30.05.2015 द्वारा डॉ. पवन अहिरवार जिला पंजीयक को सीहोर से स्थानांतरित किया गया है। **(ग)** उपरोक्तानुसार नीति का पालन किया गया है।

विभिन्न जाँच आयोग की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर कार्यवाही

140. (क्र. 2835) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2004 के बाद प्रदेश में कितने जाँच आयोग गठित किए गए थे? किन-किन मामलों में किन-किन की अध्यक्षता में जाँच आयोग गठित किए गए और उनकी रिपोर्ट कब-कब शासन को प्रस्तुत की गई? **(ख)** शासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पचहत्तर"

प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति

141. (क्र. 2863) श्री अजय सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में कौन-कौन प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनकी वर्ष 2014 में प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनके मूल विभाग में वापस पदस्थ किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं? **(ख)** उपरोक्त में से किस-किस प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा शासन के आदेश के परिपालन में किस-किस दिनाँक को किस-किस स्थान पर ज्वाइनिंग दी गई तथा किनके द्वारा प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का आदेश निरस्त करने के लिए आवेदन दिए गए? **(ग)** किस-किस प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनके मूल विभाग में वापस पदस्थ किये जाने के शासन के आदेश को किस दिनाँक पुनः संशोधित/निरस्त किया गया? **(घ)** आदेश को किस दिनाँक पुनः संशोधित/निरस्त किये जाने क अलग क्या-क्या कारण है? इसके लिए किसके द्वारा सिफारिश की गई थी?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश की विद्युत इकाइयों की क्षमता

142. (क्र. 2864) श्री अजय सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान में प्रदेश की पावर जनरेटिंग कम्पनी की कितनी ताप एवं जल विद्युत एवं राज्य शासन के संयुक्त उपक्रम की जल इकाइयों, सभी इकाइयों का नाम, स्थान एवं क्षमता का विवरण बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार अप्रैल 2015 से जून 2015 तक सभी इकाइयों का प्रतिदिन का विद्युत उत्पादन इकाईवार मिलियन यूनिट/औसत मेगावाट एवं कुल प्रतिदिन का उत्पादन भी बतावें? **(ग)** उपरोक्त कौन-कौन विद्युत इकाई को रिजर्वसेट डाउन/ब्रेकिंग डाउन के नाम पर इसी अवधि में कितने-कितने दिन बन्द करके रखा गया? क्यों बन्द रखा गया कारण सहित बतावें? साथ ही किस सक्षम व्यक्ति के निर्देश के नाम पर बन्द रखा, निर्देश की छायाप्रति बतावें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) वर्तमान में प्रदेश की म.प्र.पा.ज.कं.लि. की ताप एवं जल विद्युत इकाईयों के नाम स्थान एवं क्षमता का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में दर्शाए अनुसार है।** राज्य शासन के संयुक्त उपक्रम की जल विद्युत इकाईयों के नाम स्थान एवं क्षमता का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में दर्शाए अनुसार है। (ख)** अप्रैल 2015 से जून 2015 तक म.प्र.पा.ज.कं.लि. की सभी इकाईयों का प्रतिदिन का विद्युत उत्पादन इकाईवार मिलियन यूनिट में एवं औसत मेगावाट उत्पादन तथा कुल प्रतिदिन का उत्पादन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स में दर्शाए अनुसार है।** इसी अवधि में राज्य शासन के संयुक्त उपक्रम की सभी जल विद्युत इकाईयों का प्रतिदिन का विद्युत उत्पादन इकाईवार मिलियन यूनिट में एवं औसत

मेगावाट उत्पादन तथा कुल प्रतिदिन के उत्पादन से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द में दर्शाए अनुसार है**। **(ग)** रिजर्व शटडाउन के रूप में केवल ताप विद्युत इकाईयों को ही बंद कराया जाता है, जल विद्युत इकाईयों को विद्युत की मांग एवं जलाशय में जल स्तर के अनुसार, आवश्यकतानुसार संचालित कराया जाता है। बैंकिंग डाउन (ब्रेकिंग डाउन नहीं) के रूप में इकाईयों को बंद नहीं कराया जाता है अपितु आवश्यकता अनुरूप उत्पादित भार में केवल कमी कराई जाती है। तदानुसार उत्तरांश **(ख)** में उल्लेखित अवधि में रिजर्व शटडाउन में मप्रपाजकंलि. की ताप विद्युत इकाईयों को बंद रखने के दिन से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ में दर्शाए अनुसार है**। उल्लेखित है कि बिजली की उपलब्धता मांग की तुलना में अधिक होने पर वितरण कंपनियों एवं उपभोक्ताओं को न्यूनतम दर पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु "मासिक मेरिट ऑडर डिस्पेच" के आधार पर जिन ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों की वेरियबल दर अधिक होती है, उन्हें बिना किसी भेद-भाव के बंद कराकर सस्ती वेरियबल दर वाली ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों से बिजली की आपूर्ति कराई जाती है। इस आधार पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र, के निर्देश पर म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा अपनी उक्त उत्पादन इकाईयों को बंद रखा गया। उपरोक्त अवधि में म.प्र.पा.ज.कं.लि. को रिजर्व शटडाउन हेतु प्राप्त निर्देशों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-फ में दर्शाए अनुसार है**। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा (32) के अन्तर्गत राज्य लोड डिस्पेच सेंटर को विद्युत प्रणाली संचालन से संबंधित निर्देश जारी करने के अधिकार प्राप्त है।

जनसम्पर्क द्वारा जारी विज्ञापन

143. (क्र. 2868) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनसम्पर्क विभाग द्वारा मासिक पत्र-पत्रिकाओं एवं दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्र एवं सामाजिक संस्थाओं को विज्ञापन देने की क्या नीति है? **(ख)** उपरोक्तानुसार एक जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक कितने मासिक पत्र-पत्रिकाओं, दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्र तथा सामाजिक संस्थाओं को विज्ञापन प्रदान किये गये? **(ग)** एक जनवरी 2015 से जिन-जिन पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन प्रदान किए गए हैं उन पर आज दिनाँक तक कितनी राशि व्यय हुई। **(घ)** विज्ञापन शाखा में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी किस दिनाँक से कार्यरत हैं एवं किस पद पर कार्य कर रहे हैं एवं ऐसे कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनको विज्ञापन शाखा में तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है? उनके नाम एवं पदस्थापना दिनाँक बतायें?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विज्ञापन नियम **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है**। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में 3000 समाचार पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं को विज्ञापन जारी किये गये। **(ग)** एक जनवरी 2015 से प्रश्नांकित अवधि तक 2690 पत्र-पत्रिकाओं को कुल 54 करोड़ राशि का व्यय हुआ। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है**।

समयमान वेतनमान में पदोन्नति वेतनमान का लाभ

144. (क्र. 2871) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वित्त विभाग द्वारा प्रदेश में अन्य संवर्गों में समयमान वेतनमान में पदोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? जबकि अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को समयमान वेतनमान न दिया जाकर अगली स्टेज का वेतनमान दिया जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो ऐसा भेदभाव

पूर्ण रवैया क्यों किया जा रहा है? त्रुटिपूर्ण समयमान वेतनमान की त्रुटि को कब तक दूर किया जायेगा? **(ग)** क्या वित्त विभाग द्वारा अन्य संवर्गों को समयमान वेतनमान पदोन्नति वेतनमान के समान दिया गया है? क्या मंत्रि-परिषद निर्णय के आधार पर दिया गया है या वित्त विभाग द्वरा स्वयं निर्णय लेकर दिया गया है? **(घ)** क्या स्वयं निर्णय लेने का अधिकार वित्त विभाग को है? यदि नहीं तो ऐसे निर्णय के लिये कौन उत्तरदायी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। **(ख)** उपर्युक्त **(क)** के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। मंत्रि-परिषद निर्णय के अनुपालन में कुछ संवर्गो को पदोन्नत वेतनमान के अनुसार समयमान वेतामन दिया गया है। **(घ)** जी नहीं। मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है जो कि सक्षम है। अत: उत्तरदायिता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बैतूल जिले की स्वीकृत रेत खदानें

145. (क्र. 2877) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में कुल कितनी रेत की खदाने स्वीकृत हैं? तथा कितनी प्रस्तावित है? स्वीकृत एवं प्रस्तावित रेत खदानों की स्थलवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या स्वीकृत खदानों की नीलामी की जा चुकी है? यदि हाँ, तो किस-किस दिनाँक को एवं किस-किस को? यदि नहीं तो क्यों व कब तक नीलामी पूर्ण कर ली जावेगी? **(ग)** क्या नीलाम हो चुकी रेत खदानों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया है, यदि हाँ, तो कब से यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन जिले में रेत की कुल दो खदाने स्वीकृत है तथा दस खदाने नीलामी हेतु प्रस्तावित है। प्रश्न की शेष **जानकारी परिशिष्ट में दर्शित है**। **(ख)** जी हाँ। उक्त नीलामी 24.12.2014 को की गई है। यह खदाने डिजियाना इन्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर द्वारा नीलामी में प्राप्त की गई है। शेष दस रेत खदानों की नीलामी दिनाँक 31.07.2015 को नियत है। **(ग)** जी नहीं। सिया से पर्यावरण अनुमति प्राप्त न होने के कारण नीलाम हो चुकी रेत खदानों में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

देशी-विदेशी शराब दुकानों के संचालन के नियम

146. (क्र. 2878) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** देशी एवं विदेशी शराब की दुकाने शासकीय जमीन पर ठेकेदारों द्वारा लगाए जाने के क्या नियम है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या इन दुकानों को शासकीय भूमि पर लगाने की अनुमति दी गई है? क्या कोई किराया निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत एवं कब-कब अनुमति जारी की गई तथा कितना किराया निर्धारित किया गया? **(ग)** क्या इन दुकानों को स्कूल से दूरी पर लगाए जाने की सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो स्कूल से कितनी दूर दुकाने लगना चाहिए? क्या विधान सभा क्षेत्र बैतूल में नियमों का पालन हुआ है? **(घ)** यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें शासकीय जमीन पर ठेकेदारों द्वारा लगाये जाने के कोई नियम नहीं है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** मध्यनप्रदेश राजपत्र दिनाँक 06 फरवरी 2015 में प्रावधानित दुकानों की अवस्थिति के अनुसार मदिरा दुकानों को स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर लगाये जाने की सीमा निर्धारित है। विधानसभा

क्षेत्र बैतूल में नियम का पालन किया गया है। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन

147. (क्र. 2881) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में दिनाँक 01.01.10 से 01.07.15 तक खनिज विभाग द्वारा कितने प्रकरण बनाये गये? माहवार, स्थानवार संबंधित के नाम सहित बतावें? **(ख)** इन प्रकरणों में कितनी पेनल्टी लगाई गई एवं कितनी वसूली की गई? **(ग)** कितने प्रकरणों में वसूली लंबित है और क्यों? **(घ)** पेनल्टी वसूल न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में, प्रश्नाधीन अवधि में खनिज विभाग द्वारा 12 प्रकरण बनाये गये है। प्रश्नांश की शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है**। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित 12 प्रकरणों में से 8 प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें 357600/- अर्थदण्ड की राशि आरोपित की जाकर 357600/- की वसूली की गई। शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रचलित है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छिहत्तर"

महिदपुर कालेज व I.T.I. में स्वीकृत पद

148. (क्र. 2882) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर कालेज एवं महिदपुर I.T.I. में कुल कितने पद स्वीकृत है? कितने रिक्त है? **(ख)** इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? समय-सीमा बतावें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार इनमें नये संकाय व कोर्स कब तक प्रारंभ किए जाएंगे?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) महिदपुर कालेज में कुल 37 पद स्वीकृत है तथा 18 पद रिक्त है। महिदपुर आईटीआई में कुल 20 स्वीकृत है तथा 09 पद रिक्त हैं। **(ख)** चयन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** आईटीआई में 06 नये ट्रेड प्रारंभ करने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण पूर्ण होने पर व्यवसाय प्रारंभ किया जाना संभव होगा।

व्यापम द्वारा बिना जाँच किये परिणाम घोषित किया जाना

149. (क्र. 2884) श्री जितू पटवारी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि क्राइम ब्रांच इंदौर ने 8 जुलाई 2013 को पत्र द्वारा 7 जुलाई 2013 की P.M.T. परीक्षा में प्रकरण दर्ज कर 20 स्कोरर की पकड़ कर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की संभावना की जानकारी व्यापम को दे दी थी? यदि हाँ, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई तथा उसका उत्तर किस दिनाँक को दिया गया? **(ख)** दिनाँक 16 जुलाई को व्यापम के तीन अधिकारियों की फर्जीवाड़े में गिरफ्तारी की घटना पर व्यापम अध्यक्ष ने शासन से, गृह विभाग से, चिकित्सा शिक्षा विभाग से, किस स्तर पर क्या-क्या पत्र व्यवहार किया और परीक्षा नियंत्रक को फर्जियों की सूची सहित मेरिट लिस्ट की सूची भेजने के निर्देश किस आधार पर दिये?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) एवं **(ख)** की जानकारी एकत्र की जा रही हैं।

विण्ड पॉवर प्लाण्ट स्थापित किये जाने पर शर्तें एवं नाम

150. (क्र. 2885) श्री जितू पटवारी : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितने विण्ड पॉवर प्लाण्ट स्थापित किये जाने हेतु किन-किन शर्तों के साथ कम्पनियों से (पीपीए) करार किया गया है? कम्पनियों के नाम सहित जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार करार की गई कौन-कौन सी कम्पनियों को जमीन का आवंटन किन शर्तों के साथ किया गया है? **(ग)** करार की गई एवं भूमि आवंटित किन-किन कम्पनियों द्वारा कहाँ-कहाँ प्लांट स्थापित किये गये हैं? एवं किन-किन कम्पनियों द्वारा भूमि आवंटित होने के बावजूद अभी तक प्लाण्ट प्रारंभ नहीं किये है? वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुये कम्पनियों के नाम बतावें? **(घ)** क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि करार की गई कम्पनियों द्वारा निश्चित समयावधि में कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में शासन द्वारा पीपीए कराकर निरस्त किया गया है? यदि हाँ, तो करार निरस्त की गई कम्पनियों के नाम सहित जानकारी देवें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्य प्रदेश में 2010-11 से वर्तमान तक म.प्र. पॉवर मेनेजमेंट क. लिमि. द्वारा पवन ऊर्जा प्रदाय हेतु जिन कम्पनियों से पी.पी.ए. (पॉवर पर्चेस ऐग्रीमेन्ट) किये गये हैं, उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – अ अनुसार है**। पी.पी.ए. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ एवं शर्तों के तहत किये गये हैं। **(ख)** प्रश्नांश- **(क)** के संदर्भ में कम्पनियों को दी गयी भूमि उपयोग अनुमति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – ब अनुसार है**। भूमि उपयोग की अनुमति तत्समय लागू ऊर्जा नीति-2006 एवं वर्तमान में लागू पवन ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति-2012 विभागीय आदेश क्र. एफ 1-2/2014/साठ दिनाँक 07.10.2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत दी गयी है। नीतियों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है**। **(ग)** प्रश्नांश- **(ख)** के सन्दर्भ में स्थापित एवं स्थापनाधीन प्लांट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – स अनुसार है**। सभी परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है। **(घ)** म.प्र. पॉवर मेनेजमेंट क. लिमि. द्वारा निष्पादित पी.पी.ए. में कम्पनी द्वारा निर्धारित अवधि में परियोजना स्थापित न करने पर पी.पी.ए. निरस्त करने का प्रावधान है, परन्तु विगत 5 वर्षों में कोई भी पी.पी.ए. निरस्त करने की स्थिति नहीं हुई हैं।

मैहर तहसील में सिंचाई सुविधा

151. (क्र. 2889) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान में मैहर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय स्त्रोतों से कितनी भूमि सिंचित की जा रही है? कितना क्षेत्र निजी क्षेत्र से सिंचित है और कितना कृषि क्षेत्र पूर्णत: असिंचित है? **(ख)** मैहर क्षेत्र में शासकीय स्त्रोतों से सिंचाई रकवा बढ़ाये जाने के लिए विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयास किये है? कौन-कौन सी सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर सर्वे आदि की कार्यवाही की गई है? ये प्रस्ताव वर्तमान में कहाँ लंबित हैं? **(ग)** क्या मैहर विकासखंड क्षेत्र में विभाग की निर्माणाधीन योजनाओं से क्षेत्र का सिंचाई रकवा बढ़ेगा? यदि हाँ, तो कितना और कहाँ-कहाँ? **(घ)** क्या मैहर क्षेत्र में सिंचाई आवश्यकताओं को देखते हुए यहां विभाग का उपसंभाग स्थापित किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ एवं ब" अनुसार है। **(ख)** सिंचाई रकबा बढ़ाने के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा बरगी नहर

का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें 140 गांवों में 25751 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित होना प्रतिवेदित है। जल संसाधन विभाग से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-स" अनुसार है**। **(ग)** बरगी नहर के निर्माण होने से 25751 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई रकबा की बढ़ोतरी होगी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-द" अनुसार है**। **(घ)** मैहर क्षेत्र में सिंचाई आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग का उपसंभाग दिनाँक 3.4.1956 से कार्यरत है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

कोतमा विधान सभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालय

152. (क्र. 2896) श्री मनोज कुमार अग्रवाल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला अनूपपुर अंतर्गत कोतमा विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित है? संचालित महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है? संख्यावार एवं विषयवार जानकारी उपलब्ध करायें? **(ख)** छात्रों की कितनी संख्या पर कितने व्याख्याता नियुक्त करने का शासन का मापदण्ड है नियम की प्रति उपलब्ध करायें? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** संचालित महाविद्यालयों में शासन के मापदंड के अनुरूप व्याख्याता नियुक्त है यदि नहीं तो व्याख्याताओं को कब तक पदस्थ कर दिया जायेगा? **(घ)** संचालित महाविद्यालयों में कितने अतिथि व्याख्याता नियुक्त हैं शासन द्वारा अतिथि व्याख्याताओं को कितना मानदेय निर्धारित किया गया है एक महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्ध करायें? **(ड.)** क्या संचालित महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है? यदि नहीं तो कब तक फर्नीचर उपलब्ध करा दिया जायेगा? **(च)** क्या संचालित महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय हेतु प्रयोगशाला क्रियाशील है यदि नहीं तो कब तक इन प्रयोगशालाओं को विज्ञान संकाय हेतु क्रियाशील किया जायेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) अनूपपुर जिला अतंर्गत कोतमा विधानसभा क्षेत्र में कुल 02 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार है**। **(ख)** म.प्र. शासन का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। शैक्षणिक पदों की पूर्ति संबंधी कार्यवाही लोक सेवा आयोग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। पद पूर्ति की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो (i) तथा दो (ii) " अनुसार** शासकीय महाविद्यालय कोतमा में 11 तथा बिजुरी महाविद्यालय में 05 अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। अतिथि विद्वानों को नियमानुसार प्रति कालखण्ड रूपये 200 तथा प्रतिदिन रूपये 600 अधिकतम मानदेय का भुगतान किया जाता है। अतिथि विद्वानों के दिशा-निर्देश आदेश दिनाँक 05.08.2014 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "तीन" अनुसार है**। **(ड.)** जी हाँ। वर्तमान व्यवस्था अंतर्गत फर्नीचर पर्याप्त उपलब्ध है। **(च)** जी हाँ। मात्र शासकीय महाविद्यालय कोतमा में विज्ञान संकाय हेतु प्रयोगशाला सामान्य स्तर पर संचालित है।

जलसंसाधन खण्ड करैरा जिला शिवपुरी में कार्यपालन यंत्री की अनुपस्थिति

153. (क्र. 2899) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जल संसाधन खण्ड करैरा, जिला शिवपुरी के कार्यपालन यंत्री न के बराबर अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हैं, जबकि इनके पास सिंध परियोजना एवं महुअर परियोजना का कार्य प्रभार है? व अनुपस्थिति के कारण समस्त प्रशासनिक एवं निर्माण कार्य, गैर नियमों के अन्तर्गत संचालित है? जैसे जल संसाधन के अधीन शासकीय आवास आवंटन, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति आदि शामिल है? **(ख)** क्या कार्यपालन यंत्री के उपस्थित न रहने से सभी कार्य समय पर व नियमानुसार नहीं होने से जनहित, गुणवत्ता सहित व शासन के कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं? **(ग)** यदि हाँ, तो शासन उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये इस पद पर कब तक किसी अन्य की पदस्थापना करेगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं। करैरा संभाग के कार्यक्षेत्र में सिंध परियोजना की नहर का भाग है, महुअर परियोजना का प्रभार नहीं है। समस्त कार्य कार्यपालन यंत्री की सतत उपस्थिति में तथा नियमों के अंतर्गत संचालित होता है। **(ख)** एवं **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

किसान समृद्धि योजना का क्रियान्वयन

154. (क्र. 2912) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** किसान समृद्धि योजना के तहत जनवरी 2015 से जून 2015 तक कितने आवेदन किसान समृद्धि योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला मुरैना में कृषकों द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को प्रस्तुत किये? **(ख)** क्या **(क)** में उल्लेखित प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण हो चुका है अथवा शेष है यदि शेष है तो उनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र 07-दिमनी जिला मुरैना में कृषकों से किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

प्राप्त आवंटन के व्यय में अनियमितता

155. (क्र. 2943) श्रीमती ललिता यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में बरियापुर संभाग क्र.2 छतरपुर एवं कुटनी संभाग छतरपुर को 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? मदवार पृथक-पृथक बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में प्राप्त आवंटन में से कितना-कितना पेटी पर और कितना ठेकेदारों को भुगतान किया गया? पृथक-प्रथक दिनाँकवार कार्य सहित बतायें? **(ग)** प्राप्त आवंटन के खर्च में अनियमितितायें पाये जाने पर विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही का प्रावधान है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है। **(ग)** अनियमितताएं पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं राशि वसूल करने की कार्यवाही की जाती है।

प्राप्त आवंटन के व्यय में अनियमिततायें

156. (क्र. 2944) श्रीमती ललिता यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्वशासी महाराजा महाविद्यालय छतरपुर एवं कन्या महाविद्यालय छतरपुर को वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कितना आवंटन किस-किस कार्य के लिये शासन से प्राप्त हुआ मदवार पृथक-पृथक बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में प्राप्त मद को किस-किस कार्य में व्यय किया गया? कार्य का नाम, दिनाँक, व्यय राशि सहित पृथक-पृथक बतायें? **(ग)** कार्यों में राशि व्यय के लिये किसके द्वारा आदेश दिया गया? आदेश प्रति सहित बतायें?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार ही है। (ग)** संबंधित प्राचार्य द्वारा। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।**

ग्राम वाजीतपुरा तह. जतारा जिला टीकमगढ़ में अवैध उत्खनन

157. (क्र. 2945) श्रीमती अनीता सुनील नायक : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्राम वाजीतपुरा जतारा के खसरा नं; 111/1 रकवा 2.000 हे. पर म.प्र. गौड़ खनिज नियम 1996 के नियम 53 (5) के तहत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ द्वारा अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया था यदि हाँ, तो राशि बतावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में वर्णित खसरा नं. की खदान वर्ष 2003 में किसी व्यक्ति या फर्म के नाम आवंटित थी यदि हाँ, तो किसके नाम एवं कब तक थी? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** में वर्णित अर्थदण्ड की राशि आज दिनाँक तक नहीं वसूली गयी है यदि हाँ, तो क्यों नहीं और कौन दोषी है और वसूली की जाएगी तो कब तक समय-सीमा बतावें?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ। राशि रूपये 6, 55, 96, 500/- का अर्थदण्ड प्रस्तावित है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित खसरा नं. की खदान श्री सुरेन्द्र सिंह गौर निवासी जतारा जिला टीकमगढ के नाम दिनाँक 29.05.2001 से 28.05.2011 तक अनुबंधित थी। **(ग)** प्रश्नाधीन प्रकरण पर निर्णय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ द्वारा नहीं लिया गया है। अतः वसूली की कार्यवाही वर्तमान में नहीं की गई है। प्रकरण न्यायालीन प्रकिया के अंतर्गत होने के कारण समय-सीमा बताया जाना वर्तमान में संभव नहीं है।

सिविल सेवा के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान

158. (क्र. 3048) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना अंतर्गत देय उच्चतर वेतनमान में वर्ग (अ) एवं (ब) के शासकीय सेवकों को प्रथम उच्चतर वेतनमान 08 वर्ष में द्वितीय उच्चतर वेतनमान 16 वर्ष में दिये जा रहे हैं? **(ख)** क्या वर्ग (स) के शासकीय सेवकों को प्रथम उच्चतर वेतनमान 10 वर्ष में एवं द्वितीय उच्चतरण वेतनमान 20 वर्ष में दिये जो रहे हैं? यदि हाँ, तो उक्त समयावधि के विसंगति के क्या कारण हैं? **(ग)** क्या पूर्व में क्रमोन्नत योजनांतर्गत प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के सभी शासकीय सेवकों को प्रथम क्रमोन्नति 12 वर्ष में एवं द्वितीय क्रमोन्नति 24 वर्ष में दी जाती थी? यदि हाँ, तो समयमान वेतनमान में वर्ग (स) के शासकीय सेवकों के साथ समयावधि का भेदवाद क्यों किया जा रहा है? क्या शासन सभी शासकीय सेवकों वर्ग (अ) वर्ग (ब) एवं (स) को एक निश्चित एक समान समयावधि में समयमान वेतनमान दिये जाने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** क्या क्रमोन्नत योजना

में सभी शासकीय सेवकों के कर्तव्य और दायित्व एक समान थे? और वर्तमान समयमान वेतनमान में शासकीय सेवकों के कर्तव्य और दायित्व अलग-अलग हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। श्रेणीवार पृथक समयावधि निर्धारित की गई है, अत: विसंगति नहीं है। **(ग)** जी हाँ। क्रमोन्नति एवं समयमान दोनों पृथक योजनायें है अत: पारस्परिक तुलना नहीं की जा सकती। राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों के सभी वर्गो को तीसरा समयमान वेतनमान समान रूप से तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने के आदेश दिनाँक 30-9-2014 को जारी किये गये है। **(घ)** क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान योजना में शासकीय सेवक के कर्तव्य एवं दायित्व मूल धारित पद के अनुसार ही रहते है।

सीमेंट इकाईयों की जानकारी

159. (क्र. 3206) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या ऊर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रिज्म सीमेंट, मनकहरी सतना व के.जे.एस. सीमेंट मैहर फैक्ट्रियों की खनिज खनन हेतु कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी भूमि पर खदानें स्वीकृत है? **(ख)** इन खदानों से मासिक कितना पत्थर / मटेरियल उत्खनित किया जाता है? कितना अन्य स्त्रोतों से क्रय किया जाता है? इन खदानों की सुरक्षा की क्या-क्या व्यवस्था है? विभाग/शासन/खनिज विभाग के खदानों की सुरक्षा और इनकी फिलिंग हेतु क्या मापदण्ड निर्देश है? गत पांच वर्षों में इन खदानों में कितनी दुर्घटनायें हुई है? इन खदानों की दूरी रहवासी क्षेत्र से कितनी-कितनी है? क्या यह नियमानुसार है? **(ग)** के.जे.एस. सीमेंट फैक्ट्री की बस्ती से कितनी दूरी है? इनके द्वारा की जा रही हेल्कोब्लास्टिंग से देवी जी पहाड़ी के क्षरण हेतु कौन उत्तरदायी है?

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश 'क' में दर्शित चूनापत्थर खदानों से प्रतिमाह उत्खनन की कोई मात्रा निर्धारित नहीं है। **संलग्न परिशिष्ट** में औसत मासिक उत्पादन तथा अन्य स्त्रोतो से क्रय किये गये चूनापत्थर की मात्रा दर्शायी गई है। खनिपट्टे की सुरक्षा का दायित्व पट्टेदार का होता है। स्वीकृत खनिपट्टों का अनुबंध फार्म-"के" में निष्पादित किया जाता है। पट्टाधारी को खनन कार्य अनुबंध शर्तों के अनुसार तथा अनुमोदित माइनिंग प्लान व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप करना होता है। खदानों में डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। खदानों में फिलिंग हेतु मापदण्ड माइन क्लोजर प्लान में निर्धारित होते हैं जो भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। विगत 5 वर्षों में से वर्ष 2014 में प्रिज्म सीमेंट को स्वीकृत खदान में एक दुघर्टना हुई है। मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट में विगत 05 वर्षों में दुर्घटना होने की जानकारी प्रकाश में नहीं आई है। रहवासी क्षेत्रों से खदानों की दूरी नियमानुसार है, जिसका विवरण **संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 4 में दर्शित है। (ग)** के.जे.एस. सीमेंट फैक्ट्री से बस्ती की दूरी 1.5 किमी. है तथा शारदा देवी के मंदिर से खनन क्षेत्र की दूरी लगभग 7-7.5 किमी. है। हेल्कोब्लास्टिंग से देवी जी पहाड़ी के क्षरण की स्थिति अधिकारिक रूप से प्रकाश में नहीं आई है।

परिशिष्ट - "सतहत्तर"